लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK-SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

[खंड 31 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक-18, बुधवार, 13 अगस्त, 1969/22 श्रावण, 1891 (शक)
No.-18, Wednesday, August 13, 1969/Sravana 22, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
511	भारत ईरान संयुक्त आयोग	Indo Iranian Joint Commission	1--5
512	आयुध कारखानों के महानिदेशक के कार्यालय को कलकत्ता से कानपुर ले जाना	Shifting of office of DGOF from Calcutta to Kanpur	5--9
513	बिड़ला सार्थ समूह की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C. B. I. probe into Birla Group of concerns	9--15
514	स्टैनलैस स्टील की चादरों का आयात	Import of Statinless Steel Sheets	15--19
अल्प-सूचना प्रश्न/S.N.Q. Nos.			
4	भारत को मिट्टी का तेल सप्लाई न करने का रुस का कथिक निर्णय	Alleged Decision by USSR not to supply Kerosene Oil to India	12
	प्रश्न काल के उत्तम उपयोग के बारे में	Re. Better utilisation of Question Hour	
प्रश्नों के लिखित उत्तर		WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.			
515	बम्बई तथा दिल्ली के चमड़ा तथा खाल व्यापारियों के विरूद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभियोग	CBI Prosecution against Hide and Skin dealers of Bombay and Delhi	19--20

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या/S. Q Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.			
516	हिन्दू नागा शान्ति दल	Hindu Naga Peace Mission	20--21
517	धातु तथा खनिज व्यापार निगम द्वारा उद्योगों जस्ते की सप्लाई	Supply of lead on zinc to Industries by Minerals and Metals Trading Corporation	21
518	पिछड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाने के लिये पृथक एकक	Separate Cell to formulate plans for backward Areas	21--22
519	मलेशिया में हुए दंगों के शिकार हुए लोगों के लिये औषधियां भेजना	Supply of Medicines for riot victims of Malaysia	22
520	उद्योगों के आयात में कटौती	Import cut on Industries	22--23
521	कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills	23
522	सस्ते रेडियो का निर्माण	Manufacture of cheap Radio Sets	24
523	भारतीय चलचित्रों का निर्यात	Export of Indian Films	24
524	विभिन्न देशों में वायु सेना के फ्लाइंग आफिसर्ज के वेतन मान	Pay Scales of Air Force Flying Officers in different countries	25
525	सरकार द्वारा अधिगृहीत कपड़ा मिलों का कार्यकरण	Working of Textile Mills taken over by Government	25
526	चीन के पास प्रक्षेपणास्त्रों का संग्रह	Chinese Stockpile of Missiles ...	26
527	कच्चाटीवू द्वीप के बारे में बातचीत	Talks on Kacchathivu Island ...	26--27
528	परमाणु क्षेत्र में उन्नति	Advancement in Atomic Field ...	27
529	छावनी बोर्डों का कार्यकरण	Working of Cantonment Boards	27

तां. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.			
530	नागालैंड के विषय को गृह मन्त्रालय को हस्तांतरित करना	Transfer of subject of Nagaland to Home Affairs Ministery	28
531	काम करने तथा जीविका कमाने का अधिकार	Right to work and Livelihood	28--29
532	भारतीय नौसेना को शक्तिशाली बनाना	Strengthening of Indian Navy	29
533	मलेशिया में आस्ट्रेलिया की उपस्थिति	Australian Presence in Malaysia	30
534	पाकिस्तान द्वारा जब्त किये गये सामान का वापिस दिया जाना	Release of Goods Confiscated by Pakistan	30--31
535	भारत-चीन विवाद	Indo-China Dispute	31
536	एक्सपोर्ट क्रैडिट एण्ड गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	Export Credit and Guarantee Corporation of India Ltd.	31--32
537	एच० एफ० 24 विमान स्थान लेने के लिये आधुनिक लड़ाकू विमान की आवश्यकता	Need for an Advanced Combat Air craft to Succeed H. F. 24	32
538	काशीपुर गन एण्ड शैल फैक्टरी में गोली कांड की जांच	Enquiry into firing in cossipore Gun and Shell Factory	33
539	रुमानिया का लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Rumania	33
540	सुपरसौनिक जैट लडाकू विमान के इंजन के विकास के लिये भारत-संयुक्त अरब गण राज्य सहयोग	Indo-UAR Collaboration for developing Supersonic Jet Fighter Engine	34
अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.			
3321	गुडगांव से हुसैनीवाला सीमा तक सड़क	Road from Gurgaon to Hussainiwala border	34

3322	अन्तरिक्ष सम्बन्धी अनुसन्धान	Space Research ...	35
3323	भारत का व्यापार संतुलन	India's balance of trade	35--36
3324	काश्मीर के बारे में उत्तर कोरिया तथा उत्तर वियतनाम के विचार	Views of North Korea and North Vietnam on Kashmir	36--37
3325	कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया)	Canteen Stores Department (India) ...	37
3326	कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) की आकस्मिक जांच पडताल	Surprise checking of Canteen Stores Department (India) ...	38
3327	कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंटस (इंडिया) द्वारा इमारत का किराये पर दिया जाना	Building let out by Canteen Stores Department (India)	38--39
3328	कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) के सेवा-निवृत्त अधिकारियों द्वारा कैंटीन डिपार्टमेंट (इंडिया) माल की सप्लाई करने वाली फर्मों में काम करना	Job taken up by retired officers of Canteen stores Department (India) with firms Supplying goods to Canteen Stores Department (India)	39
3329	गुजरात में बन्द पड़ी कपड़ा मिलें	Closed Textile Mills in Gujarat	39--40
3330	भारतीय चाय उद्योग की कठिनाइयां	Difficulties faced by Indian Tea Industries...	40
3331	चीनी हथियारों से लैस विद्रोही नागाओं का भारत में प्रवेश	Entry on Naga Hostiles in India with Chinese Weapons	41
3332	हिन्द महासागर में शक्ति शून्यता सम्बन्धी शोधपत्र	Paper on Power Vacumm in the Indian Ocean	41--42

3333	चौथी पंचवर्षीय योजना में गैर सरकारी क्षेत्र के लिये विनियोजन	Investment for Private Sector during Fourth Five Year Plan	42--43
3334	धातुओं के कबाड़ का निर्यात	Export of Scrap Metals ...	43
3335	व्यापार तथा आर्थिक विकाश के लिये क्षेत्रीय सहयोग	Regional Cooperation for Trade and Economic Development	43--44
3336	अर्थ व्यवस्था का विनिमय	Regulation of Economic System	44--45
3337	विकास कार्य में गड़बड़	Dilemma in Development	45--46
3338	टाटा मर्सडीज बसें	Tata Mereedes Buses	46
3339	भारत और अन्य देशों के बीच पारस्परिक आधार पर निर्बाध यात्रा	Free Travel on reciprocal basis between India and other Countries	46--47
3340	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	47
3341	हैंडीक्राफ्ट एण्ड हैंडलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	Handicrafts and Handlooms exports corporation of India Ltd. New Delhi	47
3342	अखिल भारतीय हस्त-शिल्प बोर्ड, नई दिल्ली का कार्यकरण	Working of All India Handicrafts Board, New Delhi	50
3343	यूगोस्लाविया के साथ करार	Agreement with Yugoslavia	50
3344	तमिल नाडु में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in Tamil Nadu ...	51
3345	चीन की प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में अनुमान	Estimate of Chinese Defence forces ...	51
3346	गोला बारूद के लिये रूस तथा अन्य देशों पर भारत का निर्भर रहना	India's Dependence on USSR and other Countries for ammunition ...	52

3347	उत्तर प्रदेश में अल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना	Setting up of an Aluminium Plant in U.P....	52--53
3348	चाय का निर्यात	Export of Tea	53
3349	वर्ष 1970 तक के लिये अणु शक्ति के उत्पादन के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्य	Target fixed for the production of Atomic Energy by 1970	53--53
3350	उपकरण वर्ग के कर्मचारियों का अन्य इंजीकारखानों में स्थानान्तरण	Tranfer of Employees from Equipment Group to other Engineering Factories	54--55
3351	तिब्बत में मावनीय अधिकारों के दमन सम्बन्धी प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना	Raising of Suppression of Human Rights in Tibet Issue in UNO	55
3352	राष्ट्रियताहीन भारतीय	Indians as Stateless Citizens	55--56
3353	उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्टानिक्स का एक कारखाना स्थापित करना	Setting up of a Unit of Bharat Electronics in Uttar Pradesh	56--57
3354	न्यू विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड, कानपुर	New Victoria Mills Ltd., Kanpur	57
3355	विदेशों में भारतीय दूतावासों के काम की जांच	Inquiry into the working of Indian Embassies abroad	57--58
3356	ऊन की बनी वस्तुओं का निर्यात	Export of Woollen Knitwears	58--59
3357	ऊनी मोजे, स्वेटर आदि का निर्यात	Export of Woollen Hoisery Goods	59
3358	बासमती चावल का निर्यात	Export of Basmati Rice	59--60

अता. प्र संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
3359	हिमालय सीमा के साथ मैजिनाट लाइन का निर्माण / Construction of Maginot Line Along Himalayan Border	60
3360	जिला स्तर पर आयोजन / Planning at District Level	60--61
3361	पिल्ले समिति की सिफारिशें / Recommendations of Pillai Committee ...	61
3362	चीन तथा पाकिस्तान द्वारा वायु-जल तथा स्थल सीमा का उल्लंघन / Air, Territorial Waters and Border Violations by China and Pakistan	62
3363	आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता / Financial Assistance to INA Personnel ...	62
3364	भारतीय दूतावासों का कार्यकरण / Working of Indian Embassies	63
3365	मंगोलिया के साथ व्यापार करार / Trade Agreement with Mongolia	63--64
3366	प्रादेशिक असन्तुलन को समाप्त करने की योजना / Plan to remove Regional Imbalances ...	64
3367	अणु शक्ति विभाग योजना तथा आयोग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति / Promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Department of Atomic Energy and Planning Commission ...	64--65
3368	सरकारी काम में हिन्दी का प्रयोग / Use of Hindi in Government Work...	65
3369	वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय के कर्मचारी / Staff in Ministry of Foreign Trade and Supply	66
3370	पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनाना / Formulation of Fifth Five Year Plan	66--67

3371	छावनी बोर्ड, फैजाबाद	Faizabad Cantonment Board ...	67
3372	राजस्थान में आर्थिक असन्तुलन	Economic Imbalance in Rajasthan	67--68
3373	जापान को लौह अयस्क की बिक्री	Sale of Iron Ore to Japan	68
3374	भारत-ब्रिटेन औद्योगिक अहयोग	Indo-Britain Industrial Collaboration ...	69
3375	अमरीका से रूई का आयात	Import of Cotton from USA	69
3376	केन्द्रीय मन्त्रियों के विरूद्ध लगाये जाने वाले आरोपों की जांच करने के बारे में प्रक्रिया	Procedure for Investigating Allegations against Central Ministers	70
3377	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	Bharat Earth Movers Ltd.	70
3378	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड	Hindustan Aeronautics Industry	72--73
3379	इलेक्ट्रानिक उद्योग का विकास	Development of Electronics Industry ...	73--74
3380	चाय के मूल्य	Prices of Tea	74
3381	पाकिस्तान द्वारा दूसरे देशों से गोला बारूद के लिये मांग	Demand for ammunition from other countries by Pakistan	74
3382	राजदूतों के रूप में हरिजन तथा मुसलमान	Harijans and Muslims as Ambassadors ...	74--75
3383	भारत द्वारा प्रथम उपग्रह का छोड़ा जाना	Launching of first Statellite by Indin ...	75
3384	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan	76
3385	मक्का के लिये शिष्ट-मंडल	Goodwill Mission to Mecca	76

3386	पानागढ़ (पश्चिम बंगाल) में केन्द्रीय मोटर गाड़ी डिपो में पड़ी रद्द मोटर मोटरगाड़ियां	Rejected vehicles lying in Central Depot at at Panagarh (West Bengal)	77
3387	कोसा कपड़े का निर्यात	Export of Kosa Cloth	77--78
3388	शक्तिचालित करघा उद्योग को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Powerloom Industry	78
3389	संयुक्त राष्ट्र संघ में रोडेशिया के प्रश्न को उठाना	Raising of Rhodesain Issue in UNO ...	78--79
3390	उड़ीसा का लौह अयस्क उद्योग	Iron ore Industry of Orissa	79
3391	पूर्व जर्मन में भारतीय व्यापार मिशन	Indian Trade Mission in East Germany ...	79--80
3392	प्रतिरक्षा उत्पादन में आत्म निर्भरता	Self Sufficiency in Defence Production ...	80
3393	अन्तरिक्ष सम्बन्धी आपदायें	Space Hazards	80--81
3394	अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार	Trade with African Countries	81
3395	पश्चिम बंगाल में शक्ति चालित करघों की सहकारी समितिगों के विकास के लिए केन्द्रीय ऋण और अनुदान	Central loans and Grants for development of powerloom co-operatives in West Bengal	81--82
3396	दिल्ली छावनी में प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये बिजली की आवश्यकता	Requirements of power for Defence Services in Delhi Cantonment	82
3397	कोसी क्षेत्र में कृषि तथा कृषकों की दशा	Conditions of Agriculture and Agriculturists in Kosi Area	82-83
3398	उगोडा में पटसन के बारे निर्माण करने की भारत की परियोजना	India's Jute Bag Manufacturing Project to Uganda ,, ...	83--84

तारा. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
3399 हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा एक ब्रिटिश फर्म को विमानों की सप्लाई के लिए क्रयादेश का दिया जाना	Order placed with a British Firm by Hindustan Aeronautics Ltd. for Supply of Planes	84
3400 छावनी बोर्डों में मकानों में अतिरिक्त परिवर्तन करने के लिए अतिरिक्त राशियों का भुगतान	Payment of additional charges for making additions or alterations in Houses in Cantonment Boards	84--85
3401 पंजाब रेजीमेंट	Punjab Regiment	85
3402 पाकिस्तानी नौसेना के लिए रूसी सहायता	Russian Assistance to Pakistan Navy ...	85
3403 कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत तथा अफगानिस्तान का संयुक्त आयोग	Joint Commission of India and Afghanistan for co-operation in Agricultural Field ...	86
3404 कन्याकुमारी में इंडियन रैयर अर्थ लिमिटेड फैक्टरी का बन्द होना	Closure of a factory of Indian Rare Earths Ltd. in Kanyakumari	86--87
3405 केरल में नारियल जटा विकास योजना	Coir Development scheme In Kerala ...	87
3406 एशिया के राष्ट्रों द्वारा सुरक्षा	Security by Asian Nations	88
3407 इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, कन्याकुमारी द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by Indian Rare Earths Ltd. Kanyakumari	88
3408 भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग	Economic Cooperations between India, Pakistan and Afghanistan	89
3409 पाकिस्तान द्वारा बोनस वाउचर योजना का लागू किया जाना	Introductlon of Bonus Voucher Scheme by Pakistan	89--99

3410	कपड़े के दाम	Cloth prices	90
3411	चीन के राष्ट्रिकों तथा सैनिकों द्वारा भारतीय सीमाओं का उल्लंघन	Violations of Indian borders by Chines Nationals and soldiers	90
3412	आयुध कारखानों में कर्मचारियों की कुल संख्या	Total number of employees in Ordnance Factories	90--91
3413	प्रतिरक्षा मन्त्रालय में लोअर डिवीजन क्लर्क तथा अपर डिवीजन क्लर्क	Lower Division clerks and Upper Division Clerks in Defence Ministry	91
3414	ब्रिटेन को सूती कपड़े का निर्यात करने के लिए कोटे के वितरण की योजन	Scheme for distribution of quotas for export of cotton Textiles to U. K.	91--92
3415	संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर का मामला	Kashmir Issue in UNO	92
3416	नेपाल में चीन के राजनयिक के साथ वैदेशिक कार्य मन्त्री की बातचीत	Meeting of Minister of External Affairs with the Chinese Diplomat in Nepal ...	92--93
3417	निर्यात मदों की लागत	Cost of Export Items	93--94
3418	रसायनों का आयात	Import of Chemicals	94
3420	ट्युनिशिया के सहयोग से संयुक्त उपक्रम	Joint ventures in collaboration with Tunisia	95
3421	फ्रांस द्वारा भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण	Training of Indian Atomic Scientists by France	95
3422	विदेशी सहयोग से टेलीविजन (टी० बी०) बल्बों का निर्माण	Manufacture of T. V. bulbs with Foreign Collaboration	95--96
3423	जड़ी बूटियों का निर्यात	Export of Herbs and Medical Plants ...	96

प्रश्न सं./U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
3324	सशस्त्र सेना मुख्यालयों में असैनिक कर्मचारी — Civilian employees in armed forces Headquarters	96--97
3425	प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा कार्यालयों के लिए किराए पर ली गई निजी इमारतें — Private buildings taken on rent by Defence Ministry	97
3426	चन्दा में आयुध कारखाना — Ordnance factory at Chanda	97--98
3427	सैंट्रल आर्डिनेन्स डिपो के कर्मचारियों को बाल शिक्षा भत्ते की अदायगी — Childern education allowance paid to COD Employees	98
3428	वाणिज्यिक तथा गैर-वाणिज्यिक प्रतिरक्षा विभागों के लिए चिकित्सालय खोलना — Opening of a dispensary for commercial and Non-commercial defence Departments	98
3429	विदेश स्थित भारतीय मिशनों के व्यय में वृद्धि — Increase in expenditure on Indian Missions abroad	98--100
3430	स्वेज नहर का बन्द होना — Closure of Suez Canal	100--101
3431	आणविक शक्ति संस्था के कार्य का पुनरीक्षण करने के लिए समिति की स्थापना — Setting up of a Committee to review Functioning of Atomic Fnergy Lstablishment	101
3432	पाकिस्तानी प्रचार — Pakistani propaganda	101
3433	दरभंगा (बिहार) के निकट बनाया गया हवाई अड्डा — Aerodrome Built Near Darbhanga (Bihar)	102
3434	पान पत्ता उद्योग — Betel Leaf Industry	102
3435	डिब्बों में बन्द मांस का निर्यात — Export of tinned meat	103
3436	पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान को मोटे कपड़े का निर्यात — Export of coarse cloth to Afghanistan by Pakistan	103
3437	परमाणु शक्ति का उत्पादन बढ़ाना — Expansion of Nuclear power Generation ...	104

3438	पटसन का बड़ा भंडार	Buffer stock of Jute	105
3439	भारत नेपाल सन्धि	Indo-Nepal Treaty	105
3440	प्रतिरक्षा उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश में माना गांव के किसानों की अधिगृहीत भूमि का मुआवजा	Compensation for Land acquired from Farmers of village Mana in U. P. for Defence purposes	106
3441	अफगानिस्तान में नेताजी का स्मारक	Netaji's Memorial in Afghanistan ...	106
3442	आयात में अनियमितताएं	Irregularities in Imports	106--107
3443	एशिया में सामूहिक सुरक्षा प्रबन्धों के बारे में रूसी प्रस्ताव	Soviet proposal for collective Security Arrangement in Asia	107--108
3444	जापान को दायतारी खानों से लोह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan from Daitari Mines	108--109
3445	ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा गोआ, दमन और दीव को मान्यता न देना	Non-Recognition of Goa, Daman and Diu by U. K. and USA	109
3446	संश्लिष्ट रेशों के उपयोग का सूती कपड़ा उद्योग पर प्रभाव	Import of use of Synthetic fibre on cotton textile industry	109--110
3447	सामूहिक सुरक्षा के बारे में ब्रेजनेव योजना	Brezhnev plan for collective security ...	110
3448	एक लड़ाकू विमान के निर्माण में लगने वाली अवधि	Time required for manufacture of a Fighter plane	110--111
3449	कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Textile Industry ...	111--112
3451	पंजीकृत समितियों और स्वायत्तशासी निकायों के प्रधानों के पद	Presidentiship of Registered Socieities and Autonomous Bodies	112

अता. प्र. सख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
3452 मूंगफली की खली का निर्यात	Export of Groundunt Extraction...	112--113
3453 पश्चिम एशिया की समस्याओं को हल करने के बारे में रूस सरकार के सुझाव	Sovite proposal for solving West Asia Probelms	113
3455 पश्चिम जर्मनी को इंजीनियरी माल का निर्यात	Export of Engineering Goods to West Germany	113–114
3456 चीन और पाकिस्तान के बीच सैनिक सन्धि	Military Pact between China and Pakistan	114
3457 भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में वार्तालाप	Conversation in Hindi by Indian Embassy Staff	115
3458 तेलंगाना आन्दोलन का समर्थन करने वाला चीनी प्रसारण	Chinese broadcast supporting Telengana Agitation	115
3459 समझौतों के माध्यम से किया गया व्यापार	Trade undertaken through Agreements ...	115--116
3460 पाकिस्तान और अमरीका के राष्ट्रपतियों के बीच वार्ता	Talks between Presidents of Pakistan and USA	116
3461 भारत के विरूद्ध चीन का आरोप	Chinese Accusation against India ...	116
3462 रेफ्रिजरेटरों का निर्यात	Export of Refrigerators	116--117
3463 रेयन धागे के मूल्य	Prices of Rayon Yarn	117--118
3464 भागलपुर के हथकरघा बुनकर	Handloom weaver of Bhagalpur... ...	118--119
3465 चुम्बी घाटी और नेफा में चीनी सेना का जमाव	Chinese build up near Chumbi Valley and NEFA ...	119
3466 विद्रोही नागा	Naga Hostiles ...	119--120
3467 खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लोह अयस्क का निर्यात	Exports of Iron Ore by Minerals and Metals Trading Corporation	120

3469	आयुध कारखानों/डिपों, जबलपुर द्वारा खरीदी गई मशीनें	Machines purchased by Ordinance Factory/ Depot Jabalpur	121
3470	गन कैरेज फैक्टरी जबलपुर से माल की चोरी	Material stolen from Gun Carriage Factory, Jabalpur	121
3471	परमाणु शक्ति के प्रयोग के बारे में पाकिस्तान ईरान और टर्की के बीच सहयोग	Collaboration among Pakistan, Iran and Turkey for use of Nuclear Energy	121--122
3472	कीनिया व्यापार लाइसेंस देने सम्बन्धी अधिनियम	Kenya Trade Licensing Act	122
3473	अमरीका से उर्वरकों का आयात	Import of fertilisers from USA	122--123
3474	केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालय का कलकत्ता से बम्बई स्थानान्तरण	Shifting of Staff of Central Silk Board's Office from Calcutta to Bombay ...	123
3475	प्रतिरक्षा सेवाओं में ए० एम० आई० ई० परीक्षा पास डिप्लोमाधारियों का वेतन निर्धारण	Fixation of Pay of Diploma Holders in Defence Services who passed AMIE Examinations	124
3476	ऊधमपुर (जम्मू और कश्मीर) की आयुध कर्मचारी यूनियन का रियायतों तथा भत्तों की बहाली के बारे में अभ्यावेदन	Representation from Ordnance Exmployees Union Udhampur, re. Restoration of Concesssions and Allowance	124--125
3477	पाकिस्तानी वायु सेना-अध्यक्ष नूर खां की चीन यात्रा	Visit by Air Marshal Noorkhan to Chine	125
3478	संयुक्त अरब गणराज्य से रूई का आयात	Import of Cotton from UAR ..	125--126
3479	पतंगों का निर्यात	Export of Kites	126

3480	विदेशों में रहने वाले सम्बन्धियों द्वारा उपहार के रूप में ट्रैक्टरों का भेजा जाना	Gift of Tractors from Relations abroad ...	126--127
3481	ब्रिटेन में हवाई अड्डों की सफाई करने के लिए पंजाबी महिलाओं की भर्ती	Recruitment of Punjabi Women for cleaning Airport in U. K.	127--128
3482	अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint	128
3483	गन्धक का आयात	Import of Sulphur	128
3484	विद्रोही मिजो नेता लालडेंगा का पाकिस्तान से प्रत्यर्पण	Extradition of Rebel Mizo Leader Laldenga in Pakistan	129
3485	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को नया रूप दिये जाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री का अनुरोध	Request of Chief Minister of West Bengal re. Re-shaping of Fourth Plan	129
3486	एशिया में आर्थिक सहयोग के बारे में भारतीय मत के बारे में अमेरिका की प्रतिक्रिया	US reaction to Indian Ideas about Economic Coope ation in Asia	129--130
3487	त्रिपुरा में रबड़ के बागान	Rubber Planatating in Tripura	130
3488	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क का क्रय	Purchase of Iron Ore by Minerals and Metals Trading Corporation	131
3489	अमरीका को बछड़े के चमड़े के जूतों का निर्यात	Export of cow-boy shoes to USA ...	131--132
3490	उड़ीसा के मुख्य मन्त्री के प्रयोग के लिए विदेशी कार का आयात	Import of Foreign Car for use of Orissa Chief Minister	132

3491	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड बंगलोर द्वारा विमान के सूक्ष्य उपसाधनों का निर्माण	Manufacture of Precision Aircraft Accessories by Hindustan Aeronautics Ltd. Bangalore	132--133
3492	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के निकट सहायक उद्योगों का विकास	Development of Ancillary Industries near Defence Establishments	134
3493	एक परित्यक्त हवाई पट्टी के आसपास की भूमि के प्रयोग के लिए मनीपुर में कैकचिंग के स्थानीय लोगों का अभ्यावेदन	Representation from local people of Kekching in Manipur for use of land lying around an abandoned airstrip	134
3494	अफगानिस्तान से व्यापार प्रतिनिधि मण्डल	Trade Delegation from Afghanistan ...	134--135
3495	भूतपूर्व सैनिकों के लिए विशेष सुविधा तथा पुनर्वास निधि	Special and Rehabilitation of ex-servicemen fund	135
3496	चौथी योजना की रूपरेखा का पुनरीक्षण	Revision of outlines of Fourth Plan ...	135
3497	देहू रोड डिपो में चोरियां	Thefts committed in Dehu Road Depot ..	135--136
3498	देहरु रोड छावनी के चांदमारी क्षेत्र में चलाई गई गोली से मृत्यु	Deaths as a result of firing in Firing Range Dehu Road Cantonment	136
3499	भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना	India's Participation in international Trade Fairs	136--138
3500	गृह कार्य मन्त्रालय का पुनर्गठन	Reorganisation of Home Ministry ...	138
3501	अमरीकी अन्तरिक्ष यात्रियों द्वारा चन्द्रमा से लाए गए नमूनों का प्रयोगशाला में परीक्षण	Laboratory tests of Samples brought by US Astronauts from Moon	138

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

3502	काश्मीर में चीन पाकिस्तानी सड़क	Sino-Pak. Road in Kashmir	139
3503	हड्डियों का निर्यात	Export of Bones	139
3504	रूस की सहायता से पूर्वी पाकिस्तान में परमाणु संयन्त्र	Nuclear plant in East Pakistan with USSR aid	139--140
3505	आयुध कारखानों में औद्योगिक कर्मचारियों के व्यवसायों तथा वेतन-क्रमो की युक्तिसंगत बनाना	Rationalisation of Trades and Grades of Industrial Employees in Ordnonce Factories	140--141
3506	जापान, दक्षिण कोरिया और हांगकांग को भारत का व्यापार प्रतिनिधि मंडल	India's Trade Delegation to Japan, Soth Korea and Hongkong	141
3507	जम्मू तथा कश्मीर में भारतीय सुरक्षा दल की सशस्त्र पाकिस्तानियों से मुटभेड़	Indian Security Force's Clash with Armed Pakistanis' in J & K	141
3508	काली मिर्च के निर्यात के बारे में इंडोनेशिया के साथ वार्ता	Talks with Indonesia on Pepper Exports ...	141--142
3509	चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों के समय युद्ध में भाग लेने वाले प्रादेशिक सेना के जवानों का कार्य	Performance of Territorial Army Personnel during Chinese and Pakistani Aggressions	142
3510	मध्य प्रदेश और राजस्थान के सरकारी राजपत्रित अधिकारियों को प्रादेशिक सेना का कमीशन प्राप्त	Gazetted Government Employees of Madhya Pradesh and Rajasthan Holding TA Commission	143

अता. प्र. संख्या/U.S.Q.Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
3511 राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तानी सेना के एक डिवीजन का तैनात किया जाना	Deployment by Pakistan of an Army Division on Rajasthan Border	143
3512 ग्वादर बन्दरगाह को एक बड़े नौसैनिक अड्डे में परिवर्तित करने के लिए पाकिस्तान को रूसी सहायता	Russian Aid for Pakistan for Conversion of the Port of Gwadar into a Major Naval Base	143--144
3514 महाराष्ट्र में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in Maharashtra ...	144
3515 नारियल जटा उद्योग सम्बन्धी अध्ययन दल	Study Croup for Coir Industry	144--145
3516 बकरी की खाल के निर्यात पर रोक	Ban on Export of Raw Goatskins ...	145
3517 भारत और अफगानिस्तान के बीच फलों का व्यापार	Indo Afghan Fruit Trade	145--147
3518 भारत में चाय उद्योग में संकट	Crisis in Tea Industry in India	146--147
3519 रूई का आयात	Import of Cotton	147
3520 तिरुचिरापल्ली स्थित आयुध कारखाने में काम बन्द हड़ताल	Stay in Strike in Ordnance Factory at Tiruchirapalli	148
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाया	Calling Attention to Matter of Urgent Publice Importance	148
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के कर्मचारियों तथा प्रशासन के विवाद का समाचार	Reported dispute between the staff and the administration of the National Library, Calcutta	148--153
विशेषाधिका के प्रश्न के बारे में	Re. Point of Privilege	153
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	153--154

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on private Members Bills and Resolutions ...	154
बावनवां प्रतिवेदन	Fifth-second Report	154
राष्ट्रपति निक्सन की भारत यात्रा के बारे में वक्तव्य	Statement re. President Nixon's visit	155--156
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh ...	156--158
दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक	Delhi High Court (Amendment) Bill	158
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री के० एस० रामास्वामी	Shri K. S. Ramaswamy	161
खंड 2 से 6 तक तथा 1	Clauses 2 to 6 and	
संशोधित रूप में पारित करने प्रस्ताव	Motion to pass, as amended	
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	162
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	163
लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक	Lokpal hnd Lokayuktas Bill	163
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider as reported by Joint Committee	163
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	163--166
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	166--168
श्री एम० बी० राणा	Shrt M. B. Rana	168
श्री नारायण स्वरुप शर्मा	Shri Narain Swarup Sharma	169--171
श्री पं० बि० अ० मंडल	Shri B. P. Mandal	171--172
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirja	173--174
श्री एस० कण्डप्पन	Shri S. Kandappan	174--176
श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Sradhakar Supakar	176--178

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	179
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	179--180
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	181
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	181--182
श्री उमानाथ	Shri Umanath	182--183
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabreta Barua	183--184
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	185
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	184
श्री श्रीधरन	Shri Sreedharan	184--185
श्री एस० एस० कोठरी	Shri S. S. Kothari	185
आधे घन्टे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	185
उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों पर किसानों की बकाया राशियां	Farmers' Dues Outstanding Against Sugar Mills in U. P.	186--190
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	186
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shide ...	186--190

लोक--सभा
LOK-SABHA

बुद्धवार, 13 अगस्त, 1969/22 श्रावण, 1891 (शक)
Wednesday, August 13, 1969/Sravana 22, 1891 (Saka)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत-ईरान संयुक्त आयोग

+

*511 **श्री रा० बरुआ :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक व्यापार तथा तकनीकी सहयोग सम्बन्धी भारत-ईरान संयुक्त आयोग की जून, 1969 में तेहरान में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन विषयों पर चर्चा की गई थी;

(ग) क्या आयोग की प्रगति बहुत धीमी रही है, क्योंकि 6 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी; और

(घ) उपयुक्त बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां,

(ख) और (घ) संयुक्त आयोग की प्रथम बैठक के अन्त में जो संयुक्त विज्ञप्ति की गई थी, उसकी प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1654/69]

(ग) जी नहीं। दोनों सरकारों के विशेषज्ञ और अधिकारी, अन्तरिम अवधि में, प्रारम्भिक अध्ययन में लगे हुए थे और तेहरान में 8 मई से 10 मई 1969 तक तैयारी-बैठकें भी हुईं।

श्री रा० बरुआ : ईरान के शहंशाह जनवरी, 1969 में आये थे और तब भी कोई ठोस बात अभी तक नहीं हो सकी है। क्या इसका कारण यह है कि ईरान पाकिस्तान के साथ सहानुभूति रखता है और पाकिस्तान के दबाव के कारण विज्ञप्ति में दी गई सारी बात को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। और कुछ और समय लगने की सम्भावना है।

श्री दिनेश सिंह : मेरे विचार से ईरान पाकिस्तान के किसी भी प्रकार के दबाव में आने वाला नहीं है। जहां तक संयुक्त सहयोग का सम्बन्ध है, दोनों सरकारों ने इस दिशा में सचेत रूप से काम किया है और एक समझौता हो गया है। परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि इन सब मामलों में कुछ समय लगता ही है। कुछ अध्ययन करने होते हैं जैसे कि आर्थिक पहलू का अध्ययन। कुछ परियोजनायें तैयार करनी होती हैं, लोगों को इकट्ठा करना होता है और इसमें कुछ समय लग ही जाता है।

श्री रा० बरुआ : विवरण के पैरा संख्या 5 से पता चलता है कि संयुक्त उपक्रमों की स्थापना के लिये ईरान और भारत के दलों के बीच बहुत से प्रस्ताव हैं जो बातचीत के विभिन्न प्रक्रमों में है ? इनमें से उन कुछ प्रस्तावों के नाम क्या हैं जिन पर काफी आगे तक बातचीत हो चुकी है ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम केवल उन परियोजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे जो सरकारी क्षेत्र में होंगी। गैर-सरकारी क्षेत्र को सीधे बातचीत करने की स्वतंत्रता होगी। हम सरकारी क्षेत्र में अमोनिया के संयुक्त उत्पादन की एक योजना पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या इन अनेक प्रस्तावों में से किसी विशिष्ट प्रस्ताव को तुरन्त लिया जायेगा क्योंकि बातचीत हुए छः महीने हो चुके हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने अभी-अभी विशिष्ट प्रस्ताव का उल्लेख किया है जिस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

श्री चेंगलाराया नायडू : सरकार ने ईरान के लोगों के साथ अपनी बातचीत में अनेक समितियों की नियुक्ति की है और उन्होंने इन समितियों की बैठकें बुलाने के लिये कुछ संयोजकों का नामांकन किया है क्या मंत्री जी मुझे एक बात बतायेंगे। टिप्पण में उन्होंने कहा है कि अमोनिया के उत्पादन के लिये ईरान और भारत की सरकारें ईरान में एक कारखाना स्थापित

करने के लिये सहयोग कर रही हैं, और इस अमोनिक का प्रयोग भारत में उर्वरकों के निर्माण में किया जायेगा ? वे कारखाना ईरान में क्यों स्थापित कर रहे हैं,

यह कारखाना भारत में स्थापित करके अमोनिया का उत्पादन क्यों नहीं करते हैं ताकि इसके उर्वरकों के उत्पादन के लिये उर्वरक कारखानों को तत्काल भेजा जा सके ?

दूसरी बात रेलवे के मामले में सहयोग के बारे में है। इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री दिनेश सिंह : क्योंकि हमारे पास यहां अपेक्षित गैसें नहीं हैं।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है रेल के माल डिब्बों के निर्माण की परियोजना विचाराधीन है।

श्री स्वैल : भारत और ईरान के बीच हुई वार्ता के काफी प्रचार के बावजूद मंत्री जी के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि इस देश के साथ अभी तक कोई निश्चित करार नहीं हुआ है। किसी करार के सम्पन्न होने में अभी और कितना समय लगेगा और क्या यह सच है कि इस सहयोग की दिशा में जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, उसके बारे में ईरान के शहंशाह ने शिकायत की थी और इस शिकायत के विशिष्ट कारण क्या हैं ?

श्री दिनेश सिंह : हमसे कोई भी शिकायत नहीं की गई है। जहां तक गति का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि ये सब बातें केवल इरादों पर आधारित नहीं होती हैं। व्यवहारिकता प्रतिवेदन तैयार करने होते हैं, निश्चित संशोधन एकत्र करने होते हैं और स्थान का चयन करना पड़ता है। इन सब बातों को तैयार करने में कुछ समय लगता है। करार होने के बाद कारखाने की स्थापना करने में किसी भी व्यक्ति को समय लगेगा।

श्री एस० कंडप्पन : विवरण के पृष्ठ तीन पर वाणिपज्यिक सहयोग के बारे में कहा गया है कि "वाणिज्यिक सहयोग के क्षेत्र में भारत ईरान से अमोनिया, गंधक और फास्फोरस वाली गंधक खरीदेगा और ईरान भारत से इस्पात उत्पादों, बिलट, कुछ रासायनिक पदार्थ, अन्य मध्यवर्ती पदार्थ, रेलवे के तथा अन्य उपकरण, फालतू पुर्जे आदि खरीदेगा।

मेरी समझ में यह नहीं आया कि ईरान को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में बिलट को क्यों शामिल किया गया है। जब हमारे देश में बिलट की भारी कमी है, तो क्या ईरान को बिलट का निर्यात करना भारत के हित में होगा ?

श्री दिनेश सिंह : जी, हां। कभी-कभी उस वस्तु का भी निर्यात करना पड़ता है जिस की हमें आवश्यकता होती है क्योंकि निर्यात को प्राथमिकता दी जाती है।

श्री एस० कंडप्पन : क्या यह सच नहीं है कि हमारी कुछ बेलन मिलें बिलट के अभाव के कारण बेकार पड़ी हैं ? जब ऐसी स्थिति है, तो इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने का क्या

औचित्य है, मैं एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ। श्री भगत यहां मौजूद है। कृपया वह इसका उत्तर दें।

श्री दिनेश सिंह : मेरा विश्वास है कि मेरे साथी, इस्पात मन्त्री, इस बात का उत्तर देदेंगे कि बेलन मिलें बेकार पड़ी हैं अथवा नहीं। परन्तु जब हम किसी वस्तु का निर्यात करने का निर्णय करते हैं तो हम इसकी उपयोगिता को भी ध्यान में रखते है और यदि इसका आर्थिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो हम ऐसा नहीं करते हैं।

श्री रा० की० अमीन : माननीय मन्त्री जी को इस बात का पता है कि अमोनिया के आयात का प्रश्न मणिपुर स्थित टाटा उर्वरक कारखाने के प्रस्ताव से उत्पन्न हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि जब ईरान से अमोनिया का आयात किया जायेगा, तो न केवल उपयुक्त स्थल के द्वारा अपितु भाड़ा प्रभार भी कम करने के लिये नमका का निर्यात किया जायेगा। जब इस सभा में भारत और ईरान के बीच सहयोग के प्रश्न पर चर्चा हुई थी, तो मैंने इस विषय पर माननीय मन्त्री जी से एक प्रश्न पूछा था और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि इस प्रकार के सहयोग का एक मुख्य आधार भारतीय सहायता से ईरान में नमक पर आधारित उद्योग की स्थापना और ईरान से अमोनिया का आयात करना होगा। क्या वह मुझे यह आश्वासन देंगे कि क्या ईरान में नमक पर आधारित उद्योग की स्थापना में सहयोग प्राप्त किया जायेगा; जब अमोनिया का आयात किया जायेगा—चाहे यह आयात सरकारी क्षेत्र में ही हो–तो क्या वह सरकारी क्षेत्र का कारखाना मीठापुर में अथवा उस स्थान के आस-पास स्थापित किया जायेगा जो कि आर्थिक दृष्टि से सबसे अच्छा स्थान है और जब बिलट का निर्यात किया जायेगा, तो क्या यह लाभप्रद कीमत पर किया जायेगा अथवा क्या हम अब भी अपने निर्यात में घाटा उठाते रहेंगे ? क्या वह मुझे ये आश्वासन दे सकेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्य निर्यात में किन विशेष घाटों का उल्लेख कर रहे हैं, मेरा विचार है कि निर्यात के मामले में हमारी स्थिति बहुत संतोषजनक है और हमारे माननीय सहयोगी इस बात के लिये बधाई के पात्र हैं कि हमने गत जून में आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक किया है। मेरे विचार से इस मामले में चिन्ता की कोई बात नहीं है, जहां तक इन वस्तुओं के निर्यात का सम्बन्ध है, मुझे विश्वास है कि सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालय ब्यौरे की जांच करेंगे ताकि निर्यात से हमारी अपनी आर्थिक स्थिति पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। इससे हमारी खपत पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जहां तक किसी विशिष्ट परियोजना स्थल का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्य सम्बधित मन्त्रालय को अलग प्रश्न सम्बोधित करेंगे तो उनको उत्तर मिल जायेगा।

श्री रा० की० अमीन : ईरान में नमक पर आधारित उद्योग की स्थापना के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री दिनेश सिंह : इस पर विचार किया जाना है।

श्री पीलु मोदी : माननीय मन्त्री जी ने पहिले प्रश्न के उत्तर में बेधड़क तरीके से यह तो कहा है कि निर्यात अधिक महत्वपूर्ण है, उस पर मुझे आश्चर्य है।

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी भावना का प्रश्न नहीं है। आपने अभी तक प्रश्न नहीं किया है।

श्री पीलु मोदी : यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी प्रश्न के पूछे जाने से पहिले मंत्रियों के पास जानकारी होनी चाहिये अन्यथा वे बिना किसी जानकारी के प्रश्नों का उत्तर देते है। उन्होंने सरकारी तौर पर जो यह कहा कि उनके साथी, सम्बन्धित मंत्री, को इसके बारे में जानकारी होगी, उस पर मुझे आश्चर्य है। क्या उन्हें इस बात का पता है कि उनके वहां जाने से और इरानियों को बिलट का वचन देने से इस वर्ष भारत में बिलट के अभाव के परिणामस्वरूप कितनी बेरोजगारी होने की सम्भावना है ?

श्री दिनेश सिंह . सरकारी तौर वाली बात माननीय सदस्य की ओर से पैदा हुई है जिन्होंने आयात और निर्यात शब्दों को मिला दिया है। जहां तक प्रश्न के सार का सम्बन्ध है, हम बिलट के निर्माण के लिये अपनी क्षमता का विस्तार कर रहे हैं और मेरे विचार से हमारे पास बिलट का फालतू भंडार हो सकेगा और हम अधिक से अधिक बिलट का निर्यात कर सकगे।

श्री चीन्तामणि पाणिग्रही : इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि ईरान में तेल की खोज में भारत और ईरान के संयुक्त सहयोग के कारण दोनों देशों के भाग्य खुल गये हैं, हाल में उन कुओं में तेल मिला है जहां ईरान में हमारे संयुक्त सहयोग से काम हो रहा है और हम यहां विदेशी तेल समवायों के साथ इस समय जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं– ईरान के अशोधित तेल में हमारा अंश प्रति वर्ष लगभग 3 लाख मीटरी टन है और यदि हम उनका अंश खरीद ले, तो यह लगभग 6 लाख मीटरी टन हो जाता है–क्या भारत सरकार ने अशोधित तेल का अपना अंश प्राप्त करने के लिये जो सस्ते भाव पर उपलब्ध है, ईरान की सरकार से परामर्श किया है ताकि हम यहां विदेशी तेल समवायों के साथ अपनी वर्तमान कठिनाइयों का मुकाबला कर सकें ?

श्री दिनेश सिंह : ये विशिष्ट मन्त्रालयों से सम्बन्धित विशिष्ट मामले हैं। यदि माननीय सदस्य सम्बन्धित मन्त्रालय को ये प्रश्न सम्बोधित करें, तो उन्हें उत्तर मिल जायेगा। यहां तो हम एक सामान्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो हमने अधिक आर्थिक सहयोग के लिये की है।

आयुध कारखानों के महानिदेश के कार्यालय को कलकत्ता से कानपुर ले जाना

***5।2. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के आयुध कारखानों के महानिदेशालय के उपकरण युनिट को कलकत्ता से कानपुर ले जाने के उनके मंत्रालय के निर्णय को स्थगित करने के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय से प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कर्मचारियों ने भी इस का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यालय का स्थानान्तरण करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ख) सुझाव स्वीकार करना सम्भव नहीं हो पाया क्योंकि निर्णय मई 1967 में संगठन के कार्यक्षमतापूर्वक कृत्य के हित के लिए किया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) स्थानान्तरण का निर्णय दल की प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए किया गया था।

श्री स० मो० बनर्जी : 1942 में द्वितीय महायुद्ध के दौरान इसी प्रकार आयुध कारखानों के महानिदेशक के कार्यालय को पुनः दो विभागों में विभक्त किया और चमड़े की चीजें बनाने वाले एक एकक को दिल्ली में स्थापित किया गया। अन्ततोगत्वा आयुध कारखानों के महानिदेशक तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय ने यह अनुभव किया कि ऐसा करना न तो यह उचित था और न व्यावहार्य और इस सम्पूर्ण को मिला कर संगठन आयुध कारखानों के महानिदेशालय के अधीन कर दिया था।

आयुध कारखानों के महानिदेशालय के उपकरण यूनिट में चार आयुध कारखाने आते हैं—शाहजहानपुर में कपड़े बनाने का कारखाना कानपुर में हवाई छतरी बनाने का कारखाना, अवादी में कपड़े बनाने का कारखाना और कानपुर में साज तथा जीन बनाने का कारखाना न० 44, पार्क स्ट्रीट कलकत्ता में एक विशेष भवन के लिए 54000 रुपया प्रतिमास किराये के रूप में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय को कलकत्ता से कानपुर में ले जाने पर लाखों रुपया व्यय किया जाएगा। 7000 रुपये किराये के रूप में व्यय किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं ही सूचना दे रहे हैं, तो मंत्री महोदय क्या उत्तर देंगे ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इस सूचना की पुष्टि करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जानकारी पूछने की बजाए आप तो जानकारी दे रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अभी तक प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं अभी मंत्री नहीं बना हूं। परन्तु 16 तारीख के पश्चात् सम्भव है मैं मंत्री बन जाऊं।

श्री पीलु मोडी : बिल्कुल असम्भव है। परन्तु फिर भी मनुष्य आशा पर जीवित रहता है।

श्री स० मो० बनर्जी : जीवन बीमा निगम, को कानपुर में एक भवन के किराये के रूप में वे 7000 रुपये प्रति मास दे रहे है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस यूनिट को कलकत्ता से कानपुर में स्थानान्तरित करने का क्या विशेष कारण है जबकि पश्चिम बंगाल की सरकार इस का विरोध कर रही है। मैं बहुत विनीत भाव से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री तथा उप मुख्य मंत्री ने मंत्रालय से इस कार्यालय का स्थानान्तरण न करने के लिए जोरदार अपील की है ?

श्री मं० रं० कृष्ण : माननीय सदस्य ने कहा है कि इस प्रकार का निर्णय स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व लिया गया था। यह सच हो सकता है, परन्तु हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि आज हमारे देश में उस समय की तुलना में बहुत अधिक आयुध कारखाने हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, ये चार कारखाने नहीं बल्कि पांच कारखाने हैं। आयुध कारखानों का महानिदेशालय इन सब कारखानों का नियंत्रण करता है परन्तु प्रबन्ध को और अधिक कुशल बनाने के लिए आयुध कारखानों के अतिरिक्त महानिदेशक का एक अतिरिक्त पद बनाया गया है और वह आम भण्डार आदि की देख-रेख करेगा.....(व्यवधान)

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न तो बिल्कुल स्पष्ट था कि क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा उप मुख्य मंत्री माननीय प्रधान मंत्री तथा गृह कार्य मंत्री से मिले और उन्होंने कलकत्ता में पहले ही क्षीण हुई रोजगार क्षमता की हानि के सम्बन्ध में उन्हें बताया।

श्री मं० रं० कृष्ण : यह सत्य है कि पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं चाहती थी कि इसका स्थानान्तरण हो, परन्तु मैं श्री बनर्जी तथा इस सदन को विशेष रूप से यह बताना चाहता हूं कि ये आयुध कारखाने अखिल भारतीय कारखाने हैं और हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि इन कारखानों की कार्य क्षमता तथा सुरक्षा बनी रहे, चाहे यह सुरक्षा आन्तरिक स्त्रोतों से हो अथवा वाह्य स्त्रोतों से परन्तु यह सुरक्षा अधिकांशतः आन्तरिक स्त्रोतों से बनी रहे। हम पश्चिम बंगाल सरकार को बता चुके है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सारे कदम उठाएगें जिससे किसी व्यक्ति को हानि न उठानी पड़े। फिर भी कुल 12000 कर्मचारियों में से केवल 120 कर्मचारियों का स्थानान्तरण करना पड़ेगा। वैसे तो यदि उन्हें बाहर जाने में संकोच हुआ तो हम उन्हें भी पश्चिम बंगाल में रखने का प्रयत्न करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन सेन।

श्री स० मो० बनर्जी : अभी मैंने अपना दूसरा प्रश्न नहीं पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही अनेक प्रश्न पूछ लिए हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने केवल एक प्रश्न पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक प्रश्न में ही अनेक प्रश्न पूछ लिए हैं। इसके लिए कोई प्रणाली तथा प्रक्रिया होनी चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी : हमें इस मामले पर चर्चा कर लेनी चाहिए। एक नियम समिति है। आप मुझे अपना दूसरा प्रश्न पूछने के अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न स्वयं में पूर्ण होना चाहिए ना कि उसमें अनेक प्रश्न हों। आपने स्वय उनको 'एक, 'दो, 'तीन' आदि की संज्ञा दी।

श्री स० मो० बनर्जी : इस मामले में मैं केवल एक ही प्रश्न करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री देवेन को बुलाया है। मैं श्री देवेन सेन के पश्चात् आपको अवसर दूगां।

Shri Deven Sen : The number of employees in the ordance factories in West Bengal is larger as compared to the employees employed in other states in India. Secondly all the big factories manufacturing rifles and guns etc. factories are established in West Bengal. I want to know from the hon. Minister whether he has received a report on the ineffiicency in Ceosipore and Ishapur factories; and if whether if is a fact that no action has been taken on that report ? I also want to know from the hon. Minister whether he is aware of the propaganda being doue by the capitalists regarding efforts for shifting the head office from Calcutta that capital and industry are being taken out of Bengal ?

श्री मं० र० कृष्ण : इशापुर के बन्दूक बनाने के कारखाने से इस कार्यालय का कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकार यह देखने का अनवरत प्रयास करती है कि कार्यक्षमता में सुधार हो और अपव्यय कमी हो। इस प्रकिया के लिए हम ये सब परिवर्तन करना चाहते थे। मुख्य कार्यालय को कलकत्ता से स्थानान्तरित करने का उद्देश्य किसी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह आपका अन्तिम प्रश्न होना चाहिए।

श्री स० सो० बनर्जी : मेरा एक निवेदन है इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं इसके निपटारे के लिए आपके कक्ष में आने को तैयार हूँ। मैं यह मानने को तैयार हूँ कि नियमों के अनुसार कोई भी प्रश्न 150 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं यह कहता हूँ कि अनुपूरक प्रश्नों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए तो मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि प्रत्येक माननीय सदस्य को अनुपूरक प्रश्न करने का अधिकार है। परन्तु इसके लिए कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। आपने एक प्रश्न में अनेक प्रश्न पूछ लिए हैं। मेरा अनुरोध है कि प्रश्न ऐसे किए जाएं जो स्वत: पूर्ण हों।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि इस कार्यालय का स्थानान्तरण कार्य क्षमता में सुधार करने के लिए किया है जिसका मैं विरोध करता हूं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि शाहजहानपुर के कपड़े बनाने के कारखाने में, कानपुर के हवाई छतरी बनाने के कारखाने तथा साज और जीन बनाने के कारखाने में और अवादी के कपड़े बनाने के कारखाने में लगभग 2500 कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इससे कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और छंटनी नहीं की जायेगी।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि हमने हाल ही में खाली बैठे कर्मचारियों के बारे में एक बैठक बुलाई थी

और मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि हम अन्य मंत्रालयों विशेषकर रेलवे और डाक तथा तार विभागों को मनाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि वे अपनी-अपनी मांग हमारे कारखानों को भेजें। इन कारखानों में इस समय छंटनी होने की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री विश्वनाथ राय : पश्चिम बंगाल में शान्ति और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से क्या आयुध कारखानों का कोई अन्य यूनिट कलकत्ते अथवा पश्चिम बंगाल से किसी अन्य स्थान अथवा अन्य राज्य में ले जाया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई संगत बात नहीं हैं।

श्री समर गुह : मेरी आशंका की पूर्व सूचना मुझ से पहले प्रश्न कर्त्ता ने पहले ही दे दी है कि पश्चिम बंगाल में यह धारणा पैदा हो गई है कि केन्द्रीय सरकार ने किसी न किसी प्रकार से अपनी संस्थापनाओं को वहां से हटाने और नई संस्थापनाओं को वहां लगवाने से रोकने की नीति अपना ली है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा उप मुख्य मंत्री ने इसका विरोध किया है तथा वहां के लोगों के अधिकांश प्रतिनिधियों ने सम्मेलन किया है और एक प्रस्ताव पास किया है कि इस यूनिट को कानपुर नहीं ले जाया जाना चाहिए। यह एक तथ्य है। अभी-अभी उन्होंने 'कार्य क्षमता' शब्द का प्रयोग किया है। कार्य क्षमता की वृद्धि करने से सरकार का क्या अभिप्राय है ? यदि इन लोगों को वहां ले जाया गया तो कार्य क्षमता में कैसे सुधार होगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : हम इन सब कारखानों का पुनर्गठन कर रहे हैं। 27 कारखाने एक ही व्यक्ति के अधीन हैं। कार्य भार इतना बढ़ गया है कि एक व्यक्ति के लिए इन सब कारखानों की देख रेख करना अब सम्भव नहीं है। इसलिए हमने इन पांच यूनिटों को आयुध कारखानों के एक अतिरिक्त महानिदेशक के अधीन कर दिया है। ये पांच कारखाने शस्त्रास्त्र और गोला-बारूद नहीं बनाते हैं बल्कि सामान्य प्रकार के सामान का निर्माण करते हैं। इसका निर्णय 1967 में लिया गया था और यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो श्री बनर्जी भी इस कार्यालय को कलकत्ता से कानपुर ले जाने के पक्ष में थे।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने इसका कभी समर्थन नहीं किया। मैने तो इसका प्रारम्भ से ही विरोध किया था।

श्री ल० ना० मिश्र : कुछ भी हो, यह एक अलग बात है। कार्यालय का स्थानान्तरण करने के प्रश्न से सुरक्षा अथवा बंगाल की स्थिति का कोई सम्बन्ध नहीं है।

बिड़ला सार्थ समूह की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

*513. **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री 4 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 273 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बिड़ला सार्थ समूह की फर्मों के सम्बन्ध में

विभिन्न न्यायालयों में दायर किये गये मामलों को निपटाने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बिड़ला समूह की विभिन्न फर्मों के विरूद्ध न्यायालय में पेश किये गये आरोप-पत्रों की वर्तमान स्थिति एक विवरण में दी गई है जिसे सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी-1655/69]**

श्री जय सिंह : मुझे आश्चर्य है कि बिड़ला समूह की फर्मों के विरूद्ध केवल 10 मामले दायर किये गये हैं जब कि इस समूह पर 40 से भी अधिक आरोप लगाये गये हैं। गत बजट सत्र के दौरान जांच आयोग नियुक्त किये जाने की मांग अस्वीकार कर दी गई थी। ऐसी धारणा बनाई गई कि उप प्रधान मंथी तथा वित्त मंत्री इस आयोग की स्थापना में बाधक हैं। किन्तु अब स्थिति काफी बदल चुकी है। श्री मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल से अलग हो चुके हैं और वित्त मंत्रालय का भार स्वयं प्रधान मंत्री ने संभाल लिया है तथा अब तक किसी को उप प्रधान मंत्री नहीं बनाया गया है। दत्त समिति ने इस समूह के उद्योगों के विरूद्ध अनेक आरोपों की जांच करने के बाद इस सम्बन्ध में आगे जांच करने का सुझाव दिया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या इस कार्य के लिये कोई जांच आयोग नियुक्त किया जायेगा ? चूंकि प्रधान मंत्री सभा में उपस्थित हैं अतः हम उनसे इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहते हैं।

श्री ब० रा० भगत : यदि माननीय सदस्य इस प्रकार उत्तर चाहते थे तो उन्हें प्रश्न सीधा पूछना चाहिए था। उन्होंने विभिन्न न्यायालयों में दायर किये गये मामलों को निपटाने के बारे में प्रश्न पूछा था और उसका उत्तर दे दिया गया है। अब उन्होंने बड़ा प्रश्न पूछा है।

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, वह प्रश्न की अवहेलना कर रहे हैं। यह बहुत बुरी बात है। **(अन्तर्बाधाएं)**

Shri George Fernandes : What is this. The hon. Prime Minister is here and she should state whether an inquiry will be conducted or not against Birla group of concerns.

Shri Yajna Datt Sharma : The Industrial Licencing Committee have stated in their report that because of their terms of reference the scope of their inquiry was very limited and they could inquire into eertain cases only against the Birla group of concerns. There are nearly eighty cases against this group which require thorough investigation. May I know from the hon. Minister whether in the light of the said report a Judicial Commission will be appointed to go into the aliegations made against this group and if so, by when the report of the said Commission will be submitted to the Parliament ? May I also know whether he will be arrested on the basis of these allegations before the inquiry is held ? Besides these eight cases they have committed a number of other irregularities. I wlll read out only three sentences.

Mr. Speaker ; This rgport has been circulated to all Members. You only put your question.

Shri Yajna Datt Sharma : Press and other people should also know how dishonest he is. These crocodiles are raising the slogan of socialism under his shadow.

Shri B. R. Bhagat : I am happy that Jan Sangh has also started believing in socialism (Interruptions)

श्री म० ला० सोंधी : यह थोथा समाजवाद है ।

Shri B. R. Bhagat : They need not get angry. If they don't believe in socialism (Interruptions)

Mri Speaker : It is in view of this that I had said that the question should be direct and the answer should also be direct. Words like crocodiles etc. have been used with the question and the other side has also behaved in a similar manner.

श्री म० ला० सोंधी : बिड़ला को अभी गिरफ्तार कीजिये और न्यायिक जांच करवाइये । मैं जन संघ का सदस्य होते हुए भी यह मांग करता हूं कि बिड़ला को गिरफ्तार कीजिये और न्यायिक जांच करवाइये । (**अन्तर्बाधाएं**) ।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यदि ऐसे लोग हमें हर समय समाजवाद का ताना देंगे जिन्हें इसका कोई ज्ञान ही नहीं है तो इससे कोई लाभ नहीं होगा (**अन्तर्बाधाएं**) जो भाषण मैंने अब या पिछले दो वर्षों में दिये हैं ऐसे भाषण मैं बारह वर्ष की आयु से देती आ रही हूं । यदि माननीय सदस्य····पढ़ने का कष्ट उठायें ·· (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री म० ला० सोंधी : वह बिड़ला को गिरफ्तार करें और न्यायिक जांच करायें । क्या वह आज ही बिड़ला को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं ? (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा भावावेशों को व्यक्त करने का स्थान बन गया तो हम कैसे काम कर सकेंगे···

श्री कंवर लाल गुप्त : आप प्रधान मंत्री को नियंत्रण में रखें····

Her socialism is hollow. She is constructing a house worth 40 lakhs of rupees and teaching us a lesson of socialism She wants to live in palaces and professing socialism.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य समझते हैं कि वे जो चाहें कह सकते हैं परन्तु उनके विरूद्ध कुछ नहीं कहा जाय । मैं अनुरोध करूंगा कि प्रश्न सीधे ढंग से किये जायें और उनके साथ ऐसी बातें न कही जायें जिन से आवेश पैदा हो । इस महान सभा के सदस्य होने के नाते हमें एक दूसरे से उचित व्यवहार करना चाहिए ।

श्री म० ला० सोधी : लोकतंत्रात्मक देश में हमें यह अधिकार है कि हम प्रधान मंत्री से पूछें कि जो कुछ वह कहती उसमें स्वयं विश्वास रखती हैं । वह अपनी बारह वर्ष की आयु की बात कर रही हैं । मैं इस तरह की भाषा नहीं समझता हूं····

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यदि माननीय सदस्य मंत्री महोदय को बोलने देते तो जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर दे दिया जाता। अब माननीय सदस्य विस्तृत प्रश्न पूछ रहे हैं। जिन बातों का हमें पता लगा है, यदि हम उनके बारे में कोई कार्यवाही ही नहीं करना चाहते तो हम यह जांच भी नहीं करवाते। हमें कुछ मामलों का पता चला है और मैं अनेक बार कह चुकी हूं कि उनकी जांच करवाई जायेगी।

श्री म० ला० सोंधी : हम चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम इस पर विचार करेंगे कि न्यायिक जांच कराई जाय या नहीं। किन्तु हम किसी की दबाव से कार्य नहीं करेंगे।

श्री ही० ना० मुकर्जी : चूंकि सरकार ने पहले इस सभा में कहा था कि बिड़ला समूह की फर्मों के तरीकों को रोकने के लिए उनके मामलों की जांच कराने, जिसके लिए कि इस सभा के अनेक सदस्यों ने मांग की है, की अपेक्षा उनके मामले के बारे में मुकदमे चलाने का तरीका अच्छा है, अतः क्या मैं जान सकता हूं कि जो मुकदमे उनके बिरूद्ध चलाये गये हैं वे जांच से अधिक सफल साबित हुए हैं ? क्या इन मामलों की अब तक की प्रगति को देखते हुए पहले का यह निर्णय उचित है कि इन मामलों की जांच नहीं कराई जायेगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं यह नहीं जानती कि मंत्री महोदय ने वास्तव में इस सम्बन्ध में क्या कहा था। किन्तु मैं समझती हूं कि जांच करवाने से हमें अधिक जानकारी मिलेगी जिसके आधार पर हम आगे कार्यवाही कर सकेंगे।

श्री उमानाथ : उत्तर के साथ संलग्न विवरण के अनुसार देश के विभिन्न भागों में 10 मुकदमे चलाये गये हैं। ये सब मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख और 420 के अन्तर्गत चलाये गये हैं। धारा 120 ख अपराधिक षडयंत्र से सम्बन्धित है। यदि बिड़ला समूह की फर्मों के बड़े अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियो से षड़यंत्र करने के लिये नहीं कहतीं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था। किन्तु मामले केवल सुपरवाइजरों, मैनेजरों, सचिवों आदि के विरूद्ध चलाये गये हैं। क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने विभिन्न आरोपों की जांच करने के बाद जांच परिणामों के अनुसार इस बात का पता लगाने के लिए जांच की थी कि उच्च पदों पर आसीन बिड़ला बन्धुओं का उनकी विभिन्न फर्मों के षडयंत्र में कहां तक हाथ था ? यदि ऐसा नहीं किया गया तो क्या बिड़ला बन्धुओं के कारनामों पर लीपा पोती करने के लिए मामले चलाये गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक इन मामलों का सम्बन्ध है, पुष्ट साक्ष्यों के आधार पर इन लोगों के विरूद्ध मामले चलाये गये हैं। ये मामले चाहे किसी भी धारा के अन्तर्गत चलाये गये हों। चूंकि ये निर्णयाधीन हैं, अतः मैं इनके गुण-दोषों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। किन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विस्तृत रूप से सभी बातों की जांच करने के बाद ये मुकदमे चलाये गये हैं।

Shri Prem Chand Verma : I would like to know the number of cases against Birlas inquired into by his Ministry; the number of cases referred to C. B. I. the number of cases inquired into by C. B. I. and the number of cases filed in the court, after the submission of the Hazari Report. In accordance with the report submitted by Datt Committee some cases were referred to various ministries. May I know whether inquiry has been conducted into all those cases by the ministries concerned; if not, the time by which the inquiry will be completed in each cases ?

Shri B. R. Bhagat : It is a fact that the cases relating to different ministries were referred to the Ministries concerned. For example, the cases relating to the Ministry of Finance were referred to that Ministry and the cases relating to Foreign Trade and Supply Ministry were referred that Ministry. We are dealing with these cases. The information about other cases will be given by the respective Ministers.

श्री अनन्त राव पाटिल : बिड़ला कम्पनियों के खिलाफ अदालतों में चल रहे मुकदमों की दृष्टि से क्या यह राष्ट्र हित में नहीं है कि कुछ बिड़ला बन्धुओं की कुछ कम्पनियों का राष्ट्रीय करण कर दिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक व्यापक प्रश्न है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : विवरण से यह स्पष्ट है कि सभी मामले ठोस आरोपों पर आधारित हैं । कुल 11 मामलों में से 6 मामलों में दोषियों को मुक्त कर दिया गया 2 मामलों में आरोप तैयार नहीं किये गये हैं, एक मामले में सुनवाई की तारीख निश्चित नहीं हुई है और इस प्रकार केवल एक मामले में आरोप तैयार किये गये हैं । क्या इसका यह अर्थ है कि इन सब मामलों का ठोस आधार नहीं था और ये केवल एक विशेष औद्योगिक ससूह को बदनाम करने के लिए राजनीतिक कारणों से दायर किये गये थे यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सभी मामलों को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है । आप तो इस बारे में राय लेना चाहते है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या आपने विवरण पढ़ा है ? कृपया आप मेरी बात सुनें ।

अध्यक्ष महोदय : आपको कोई अन्य समय दिया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितने मामलों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त हैं ।

श्री ब० रा० भगत : सूची में उन व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं जो उक्त मामलों में अन्तर्ग्रस्त है । उनमें एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Prime Minister said just now that judicial or some other kind of inquiry will be conducted against Birla concerns.....

Shrimati Indira Gandhi : I did not say that. I said that if charges are proved against them, then action will be taken.

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether the said inquiry will cover the Ministers and big officers involved therein ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है क्योंकि अनुपूरक प्रश्न का सम्बन्ध मुख्य प्रश्न से होना चाहिए ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या यह सच हैं कि 11 मामलों में से केवल एक मामले में आरोप तैयार किये गये और 6 मामलों में आरोप तैयार नहीं किये गये तथा दोषी लोगों को छोड़ दिया गया ? क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जो सदस्य उनके विरुद्ध मिले वे आरोप सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त पाये गये । क्या सरकार उन कम्पनियों के विरुद्ध मुकदमें को वापस लेगी ?

श्री ब० रा० भगत : तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दे दी गई है । यदि समय दिया जाये तो मैं प्रत्येक मामले की स्थिति अलग-अलग बता सकता हूं । आरोप लगाने से सम्बन्धित कई मामले न्यायालय के समक्ष हैं । यह विधि की प्रक्रिया है और जो मामले न्यायालय के समक्ष हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकूंगा ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरा प्रश्न इससे भिन्न हैं । उनका उत्तर नहीं दिया गया । मेरा प्रश्न यह है कि.....

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने उसका उत्तर दे दिया है । अब मैं अगला प्रश्न लेता हूँ ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ । मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक प्रश्न पूछा था और मन्त्री महोदय ने उसका यह उत्तर दिया कि मामला न्यायालय के समक्ष है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : छः आरोप मुक्त मामलों के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया ।

श्री पीलू मोडी . मन्त्री महोदय यह बतायें कि क्या कुछ लोगों के खिलाफ चल रहे मामले वापस ले लिए हैं ।

श्री ब० रा० भगत : मैंने आरोप तैयार किये जाने के बारे में बात कही थी । यह न्यायालय के सामने है और यह विधि की प्रक्रिया है ।

श्री पीलु मोडी । यह एक अलग बात है । उन्हें पता होना चाहिए कि कौक-कौन लोग आरोप-मुक्त किये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये ।

श्री देवकी नन्दन पाटौदिया : आप मन्त्री महोदय को संरक्षण दे रहे हैं।

कई माननीय सदस्य खड़े हुए। [अन्तर्बाधाएं]

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवहार संसदीय परम्परा के अनुकूल होना चाहिए। अगला प्रश्न।

स्टेनलैस स्टील की चादरों का आयात

+

*** 514. श्री समर गुह :**
श्री लखन लाल कपूर :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने निकल क्रोम के स्थान पर स्टेनलैस स्टील की चादरों के अनुचित आयात का पता लगाया हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या इस मामले में किसी भारतीय बैंक का हाथ है ; और

(घ) यदि हां, तो दोषी बैंक के विरुद्ध रिजर्व बैंक ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख) : जी हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक मामले की जांच की गई हैं जिसमें लुधियाना की एक फर्म ने कतिपय पार्टियों के सांथसांठ गांठ करके चोरी-छिपे जापान से निकिल क्रोम के बदले स्टेनलैस स्टील का आयात किया था। मालिक को अपराधी ठहरा दिया गया है और उस पर 10,000 रु० जुर्माना और कचहरी के उठने तक एक दिन की साधारण कैद की सजा दी गई है और अन्य सहापराधियों के विरुद्ध मामलों पर मुकदमां अभी चल रहा है।

(ग) इसमें जिस बैंक का हाथ वह कन्नड़ बैंक लि० बम्बई की वर्ली शाखा है और अन्य दोषी पक्षों के साथ प्रबन्धक पर भी ऐडिशनल चीफ़ प्रेज़ीडेंसी मजिस्ट्रेट, बम्बई की अदालत में मुकदमा चल रहा है।

(घ) भारतीय रिज़र्व बैंक केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जानकारी मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है और इसके मिलने पर यह आगे की कार्यवाही पर विचार करेगा।

श्री समर गुह : लुधियाने के उपरोक्त व्यापारी को तीन अपराधों पर दोषी पाया गया है (1) उसने 40,000 रुपये के आयात लाइसेंस से जो उसे निकल क्रोम के लिए दिया गया था: स्टेनलैस स्टील की चादरें मगाई, जो उस समय ब्लैक में 300 प्रतिशत अधिक दर पर बिक रही थी ; (2) उसने बैंक से दो बार ऋण लिया और (3) उसने बम्बई के न्यायालय से इस बात से इन्कार किया कि उसने उससे इस काम के लिए ऋण लिया था। समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार और आपके कथानुसार उसे केवल 10,000 रुपये

जुर्माना किया गया और एक दिन की साधारण कैद की सजा दी गई। परन्तु सरकार को उस धोखाधड़ी से लगभग एक लाख रुपये का घाटा हुआ। क्या सरकार इस धोखे बाज व्यापारी से शेष 90 हजार रुपये वसूल करने के लिए कोई अग्रेत्तर कार्यवाही करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : यह निर्णय बम्बई न्यायालय द्वारा दिया गया था। जहां तक न्यायालय के निर्णय का प्रश्न है, वह अन्तिम है। सम्बद्ध लोगों के खिलाफ अन्य प्रकार की कार्यवाही करने तथा फर्म का नाम वाली सूची में रखने सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। शेष राशि वसूल करने के बारे में मैं देखूंगा। इस बारे में जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री समर गुह : उसने बैंक को भी ठगा। उसने एक ही लाइसेंस पर बैंक से दो बार ऋण लिया। क्या सरकार रिजर्व बैंक को ऐसा आदेश देगी जिससे एक ही लाइसेंस को दिखाकर दो बार ऋण लेने की कपट पूर्ण घटना भविष्य में न घटे ? क्या सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : यह तो बैंक का सामान्य कर्त्तव्य है कि वह एक ही कार्य के लिए दो बार ऋण न दे। इस अनुभव से वे ऐसे मामलों में और अधिक सतर्क हो जायेंगे जिससे कि भविष्य में ऐसी घटना न घटे।

Shri Lakhan Lal Kapoor : Mny I know whether it is a fact that the quota of stainless steel allotted to various surgical instrument companies was not utilized for manufacturing surgical instruments and that was used for making utensils, which were exported. If so, whether an inquiry will be conducted into it ? Secondly, I would like to know whether all the licences of such firms, including that of the Ludhiana firm, have been cancelled ?

Shri B. R. Bhagat : So far as surgical instruments are concerned, according to the present policy preference is given to actual users. Stainless steel is allotted for manufacturing surgical instruments and not for making utensils, In certain casese where diversion is resorted to, as has been pointed out just now, efforts are being made to cheak this practice. So far as the firm of Ludhiana is concerned, a case against this firm is pending in the Court of Additional Presidency Magistrate. Black-listing a firm means that no licence will be given to it in future.

Shri Ram Charan : Sir, the firms which were given quota of stainless steel for manufacturing surgical instruments.....

Mr. Speaker : I have not called you. Please resume your seat.

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

भारत को मिट्टी का तेल सप्लाई न करने का रूस का कथित निर्णय

अल्प सूचना प्रश्न 4. **श्री कंवरलाल गुप्त :** **श्री देवकी नन्दन पाटौदिया**
श्री नन्द कुमार सौगानी : **श्री रा० बरुआ :**
श्री कु० मा० कौशिक :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने भारत को 2,50,000 टन मिट्टी का तेल सप्लाई करने में अपनी असर्थता प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति का सामना करने के लिए अन्य क्या व्यवस्था की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं । शुरू में इस ने भारत सरकार द्वारा 1969 में मांगे गये सारे 270,000 मीटरी टन मिट्टी के तेल की सप्लाई की वचन बद्धता की थी । इस वर्ष के पहले सात महीनों में रूस ने उक्त मात्रा की पूर्ण सप्लाई कर दी है । फरवरी, 1969 में रूस ने 90,000 मीटरी टन मिट्टी के तेल की सप्लाई के लिए एक अनुपूरक करार किया था । इस वचन बद्धता की सप्लाई नियमित रूप से प्राप्त हो रही है और आगामी मास के अन्त तक पूर्ण मात्रा की सप्लाई की आशा है । जून, 1969 में भारत ने तीसरा प्रार्थना-पत्र चालू वर्ष के दौरान 250,000 मीटरी टन मिट्टी के तेल की अतिरिक्त सप्लाई के बारे में भेजा । इस मात्रा की पूर्ण सप्लाई के लिए रूस ने अभी तक वचन बद्धता नहीं प्रकट की है । वह निश्चित रूप से 50,000 मीटरी टन की सप्लाई के लिए सहमत हो गये हैं तथा अन्य 40,000 मीटरी टन की सप्लाई का पूरा यत्न करने का वचन दिया है ।

(ख) अन्य साधनों से शेष मात्रा के आयात के लिए व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : 79 प्रश्न के भाग (क) में पूछा गया है ।

"यदि हां तो सरकार ने स्थिति का सामना करने के लिये अन्य क्या व्यवस्था की है ?"

मंत्री महोदय ने केवल इतना कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है । उन्होंने वैकल्पिक उपाय नहीं बताए हैं । पहले हमें इसका उत्तर मिलना चाहिये ।

डा० त्रिगुण सेन : मैंने यह उत्तर दिया है,

"अन्य साधनों से शेष मात्रा के आयात के लिये व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।" ब्यौरा यह है कि हम शेष मात्रा के आयात के लिये जापान के साथ व्यवस्था कर रहे हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister has just now stated that Government have made agreements with Russia several times for supply of more oil. May I know whether it has been necessitated by an increase in our requirements and if so, the extent to which they have increased ? Is it a fact that the commissioning of the Madras refinery has been delayed by 6 months and if so, what are the reasons therefor ?

डा० त्रिगुण सेन : भारतीय पेट्रोलियम संस्था ने इस वर्ष 4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था और हमें आशा थी कि 1969 की मांग लगभग 28.7 लाख मीटरी टन होगी और देश में 26 लाख मीटरी टन का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था। अतः कमी लगभग 2 लाख मीटरी टन की थी और इसके लिये हमने रूस को क्रमादेश दिया था और उन्होंने इसे सप्लाई भी कर दिया। परन्तु फरवरी में हमें पता चला कि हमारी मांग 8 या 9 प्रतिशत बढ़ जाने की संभावना है। इसलिये हमें उनसे और तेल सप्लाई करने के लिये दूसरी बार निवेदन करना पड़ा। बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य बढ़ा दिया गया था इसलिये हमने सोचा था कि मांग कम हो जायेगी। परन्तु मांग बढ़ती जा रही है। इसलिये हमें तीसरी बार उनसे निवेदन करना पड़ा।

हमें आशा थी कि मद्रास रिफाइनरी मार्च में चालू हो जायेगी परन्तु प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं हो सका इसके अगस्त में पूरी क्षमता पर चालू हो जाने की संभावना है।

श्री नन्द कुमार सोमानी : चूंकि रूस का हमारे साथ व्यापार संतुलन प्रतिकूल है, क्या इसका रूस से इस देश में मिट्टी के तेल के अधिक मात्रा में आयात पर असर पड़ने की संभावना है ? दूसरे जापानी मिट्टी के तेल तथा रूसी मिट्टी के तेल के मूल्यों में कितना अन्तर है ?

डा० त्रिगुण सेन : यह अनुकूल है। यह सही है कि यदि हम रूस से आयात करें तो रुपये में भुगतान किया जायेगा। जापान के साथ हमें एक लाभ है। हम जापान को नैफ्था निर्यात कर रहे हैं और हम उनसे बात चीत कर रहे हैं कि क्या हम उसी टैंकर में मिट्टी का तेल भर कर ला सकते हैं और मूल्य अनुकूल होगा।

श्री धीरेश्वर कलिता : क्या सरकार मिट्टी के तेल का आयात करने की बजाय भारतीय तेल शोधक कारखानों की क्षमता बढ़ा कर इस कमी को पूरा करेगी ?

डा० त्रिगुण सेन : हम देश में मिट्टी के तेल का उत्पादन बढ़ाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं।

श्री देवकी नन्दन पटोदिया : क्या मांग में वृद्धि का यह रुख अर्थात 8-9 प्रतिशत-आगामी वर्षों में भी बना रहेगा ? यदि हां तो क्या इसे ज्यादा मात्रा में आयात करके पूरा किया जाता सकेगा ? 1970 में कितना आयात करने की व्यवस्था की जा रही है ?

डा० त्रिगुण सेन : मोटा अनुमान यह है कि 1970-71 में 8 प्रतिशत वृद्धि बनी रहेगी और आगामी दो वर्षों के लिये हम उसी अनुपात में तेल की सप्लाई हेतु व्यवस्था कर रहे हैं। इस बीच में मद्रास रिफाइनरी के पूरी क्षमता पर चालू हो जाने की आशा है और देश में तेल का अधिक उत्पादन होने लगेगा।

श्री रा० बरुआ माननीय मन्त्री के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि जापान के तेल का मूल्य रूस के तेल के मूल्य की तुलना में अनुकूल है। ऐसी अवस्था में मैं जानना चाहता हूं कि क्या रूस के साथ करार करने से पहले जापान से बातचीत की गई थी या मांग में वृद्धि का पता चलने पर केवल एक साधन का ही उपयोग किया गया था ?

डा० त्रिगुण सेन : मैंने यह नहीं कहा है कि जापानी मूल्य रूसी मूल्य की तुलना में अनुकूल था। मैंने केवल यह कहा था कि हमें अब एक लाभ है। हम जापान को नैफ्था का निर्यात कर रहे हैं और तेल के लिये उसी टैंकर को उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे भाड़ा कम हो जायेगा और इस प्रकार यह अनुकूल हो सकता है। अन्यथा अन्य देशों से इससे कम मूल्य पर तेल नहीं मिल सकता है।

प्रश्न काल के उत्तम उपयोग के बारे में
Re : BETTER UTILISATION OF QUESTION HOUR

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव को लेने से पहले मैं माननीय सदस्यों से एक अपील करना चाहता हूं।

मेरे भरसक प्रयत्न के बावजूद हम आज चौथा प्रश्न भी नहीं ले सके। मैंने घड़ी देख कर हिसाब लगाया है कि हमने कितना समय भावावेशों को व्यक्त करने में बर्बाद किया है, कितना प्रश्नों को दोहराने में बर्बाद किया है और कितना बेकार के विवादों में नष्ट किया है। कल हम सातवें प्रश्न तक पहुंच गये थे। क्या प्रश्नकाल में हमें केवल 2 या 3 प्रश्नों पर चर्चा करनी है ? मैंने कल भी प्रार्थना की थी। प्रश्न काल केवल जानकारी प्राप्त करने के लिये है और यदि उस जानकारी का स्पष्टीकरण कराना है, तो अनुपूरक प्रश्न काल का उद्देश्य ही समाप्त हो गया है। इससे सारे सदन को परेशानी होती है। मुझे इसका बहुत खेद है, मैं आप लोगों से पुनः प्रार्थना करता हूं कि आप आपस में न लड़ें, एक दूसरे की बात सुनें, सीधे प्रश्न करें और प्रश्न करने में शिष्टाचार से काम लें, मेरा माननीय मंत्रियों से भी निवेदन है कि वे उतनी ही शिष्टता से उनका उत्तर दें। मैं और क्या कह सकता हूं ? मैं पुनः अपने बन्धुओं तथा माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आप अपना समय न खोयें और सीधे प्रश्न करें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बम्बई तथा दिल्ली के चमड़ा तथा खाल व्यापारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आयोग

515. **श्री ओंकार सिंह :**
श्री रामसिंह आयरबाल :
श्री शारदा नन्द :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बम्बई तथा दिल्ली के चमड़ा तथा खाल व्यापारियों के, जिनका 2 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की जाल साजी करने में हाथ था ; विरुद्ध कई अभियोग चलाये हैं ;

(ख) इन व्यापारियों के नाम तथा पते क्या हैं तथा इनकी कार्य प्रणाली क्या है ; और

(ग) उन सरकारी कर्मचारियों के नाम क्या हैं जो इन व्यापारियों के साथ षडयन्त्र कर रहे थे और उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री रामसेवक चौधरी) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरा ने चमड़ियों तथा खालों के आयात के बीजकों में मूल्यों को बढ़ाकर दिखाने के चार मामले दर्ज किये जिनमें 1.54 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का बाहर भेजा जाना अन्तर्ग्रस्त था। चार मामलों में से एक के विरुद्ध अभियोग चलाया गया है, दो के मुकदमें विचाराधीन है और चौथे मामले के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने निम्न न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मद्रास हाई कोर्ट को पुनरीक्षण के लिए कहा है।

(ख) एक विवरण सलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई हैं।

(ग) उपरोक्त मामलों में कोई सरकारी कर्मचारी ग्रन्तर्गस्त नहीं है ।

विवरण

केस 1
1. श्री इब्राहीम अब्दुल लतीफ, ग्राई ए लतीफ सुपेदियावाला, मैसर्स अब्दुल लतीफ हाजी मोहम्मद, बम्बई–3
2. श्री हाजी सिदीक, हाजी सुलेमान लोकांडावाला, मैसर्स अब्दुल लतीफ हाजी मोहम्मद, बम्बई-3
3. श्री अब्दुल रशीद अली असगर मैसर्स अब्दुल लतीफ हाजी मोहम्मद, बम्बई–3

केस 2
4. बी० पी० पटेल, मैसर्स बी० पी० पटेल एण्ड कम्पनी, बम्बई ।

केस 3
5. सन्त प्रकाश भगवानदास, मैसर्स भगवानदास सन्तप्रकाश, बम्बई ।

केस 4
6. श्री राजपाल अग्रवाल एण्ड श्री जवाहर आफ मैसर्स हिमालय एक्सपोर्टरस, दिल्ली

हिन्दू नागा शान्ति दल

*516. **श्री वेघर वेहेरा :**
श्री क० लकप्पा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागालैंड के हिन्दू नागा शान्ति दल के नेता से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने उनकी मांगें माने जाने पर सीधी कार्यवाही करनी की दल द्वारा दी गई धमकी के बारे में विचार किया है ; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) नागालैंड सरकार द्वारा 30 अक्तूबर 1967 जो जारी किये गए एक प्रेस नोट में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भी हिन्दू नागा पीस मिशन की स्थापना नहीं की गई है । अभी भी यही स्थिति बनी हुई है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

Supply of lead and zinc to industries by Minerals and Metals Trading Corporation

***517. Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Minerals and Metals Trading Corporation has not been able to supply lead and zinc to various industries up to the extent fixed for the year 1967-68 :

(b) If so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government propose to change the policy of allotment of non-ferrous metals by this Corporation ?

The Deputy Minister in the Ministry of foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) No, Sir.

(b) Do not arise.

पिछड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाने के लिए पृथक एककं

***518. श्री रा० कृ० सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पर पृथक राज्यों के निर्माण की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए क्या सरकार पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए योजनायें बनाने के लिए पृथक एककों की स्थापना करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) . योजना आयोग ने सदैव पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं में विशेष दिलचस्पी ली है । आयोग ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करें और अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण तथा पिछड़े क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व विकास आदि कार्यक्रमों पर अपनी योजनाओं में विशेष ध्यान दें । योजना आयोग

का एक प्रभाग विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्य को देखता है, योजना आयोग के कार्यक्रम सलाहकार, जो योजना की तैयारी व उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से निकट का सम्पर्क बनाये रखते हैं, इन कार्यक्रमों पर खासतौर पर ध्यान देते हैं। पिछड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाने के लिए पृथक एकक की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई है, क्योंकि इस प्रकार की योजनाओं की तैयारी केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर आयोजन तन्त्र की सामान्य जिम्मेदारी का एक अंग है।

मलेशिया में हुए दंगों के शिकार हुए लोगों के लिए औषधियां भेजना

*519. **श्री प० मु० सईद**
श्री मणीभाई जे० पटेल :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया में कुआलालम्पुर तथा अन्य भागो में हाल में हुए दंगों के शिकार हुए लोगों के उपचार के लिए भारत सरकार ने मलयेशिया सरकार को औषधियों की एक खेप भेजने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव मलयेशिया सरकार ने इस बीच स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) भेजी जाने वाली औषधियों की सूची क्या है और वे कितने मूल्य की होंगी ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) चिकित्सा सामग्री भेजने पर जो खर्च हुआ है, वह लगभग 25,000 रुपये है। दवाइयां भेजी गई थी उनकी सूची में ये दवाइयां शामिल हैं--

(1) एण्टीबायोटिक्स।
(2) एनेलजेसिक।
(3) विटामिन्स एण्ड आयरन।
(4) एण्टीडायरिया।
(5) एण्टेसाइड्स।
(6) कफ सिरप।
(7) ओआएण्टमैंटस।
(8) आई एण्ड इयर ड्राप्स।
(9) बैण्डेजेज एण्ड ड्रेसिंग्स।

उद्योगों के आयातों में कटौती

*520. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार** तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार उन उद्योगों के आयात में कटौती करने का है, जो विदेशों को पर्याप्त माल का निर्यात नहीं कर सकते है ;

(ख) क्या यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है कि ये उद्योग निर्यात सम्बन्धी अपने वचन पूरे करने में असफल किन कारणों से रहे हैं और उनके सामने क्या कठिनाइयां पेश आई हैं ;

(ग) यदि हां, तो किन कठिनाइयों के कारण ये उद्योग पर्याप्त मात्रा में माल का निर्यात नहीं कर पा रहे हैं ; और

(घ) निर्यात के लक्ष्य पूरा करने में उद्योगों की सहायता करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया परन्तु प्रत्येक माल की जांच सार्वजनिक सूचना सं० 23-आई० टी० सी० (पी० एन०) 169, दिनांक 29-1-69 तथा सं० 109 आई० टी० सी० (पी० एन०) 169, दिनांक 27-6-69 की अपेक्षाओं के अनुसार की जायेगी। चूंकि निर्यात के लिए विहित प्रतिशतता केवल 5 प्रतिशत ही है अतः अनुमान है कि 5 वर्षों से अधिक काल से उत्पादन रत विशाल पैमाने के एककों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

(घ) निर्यात बढ़ाने के लिए, आयातित कच्चे माल की प्रतिपूर्ति, नकद सहायता, विभिन्न वस्तुओं के बारे में भिन्न-भिन्न अंशों में आयात तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वापसी के रूप में सरकार द्वारा विभिन्न संवर्धनात्मक उपाय किये गये हैं।

Closure of Textile Mills

***521. Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Praksh vir Shastri :

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether some of textile mills, which were recently closed down resulting in unemployment of thousands of laboures have started functioning ;

(b) the main difficulties being faced by those textile mills which are still closed ; and

(c) the financial loss sustained by the country so far as a result of the closure of these textile mills ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) :(a) During the period January to June 1969, 31 cotton textile mills closed down out of which 17 have restarted working

(b) the main reasons for closure of the mills generally are financeial and working difficulties.

(c) It is difficult to make a correct assessment of the financial loss due to closure of mills as a wide range of products are produced by these mills. However the estimated loss of production of yarn and cloth, during the financial year 1968-69 was 23 million kgs of yarn and 96 million metres of cloth.

सस्ते रेडियो का निर्माण

*522. डा० रानेन सेन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री लेताफस अली खां :
श्री इसहाक साम्भली :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के इलैक्ट्रानिक उद्योग संघों के महासघ ने सरकार से अनुरोध किया हैं कि वह सस्ते रेडियों बनाने का काम केवल छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए ही सुरक्षित रखें ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

भारतीय चलचित्रों का निर्यात

*523. श्री ए० श्रीधरन : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से अब तक किन-किन तरीकों का भारतीय चलचित्रों का निर्यात किया गया है तथा इस निगम की स्थापना से अब तक विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई है ;

(ख) इस कारपोरेशन के माध्यम से अब तक जिन निर्माताओं के चलचित्रों का निर्यात किया गया हैं उनके नाम और पते क्या हैं ;

(ग) अमरीका, ब्रिटेन तथा रूस को निर्यात किये गये चलचित्रों के नाम क्या है तथा प्रत्येक चलचित्र से कितनी कीमत प्राप्त हुई तथा क्या अमरीका, ब्रिटेन और रूस में उनका प्रदर्शन वाणिज्यक आधार पर किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक चलचित्र का सर्व प्रथम प्रदर्शन किस तारीख को तथा किस समय किया गया था ;

(ङ) क्या यह सच है कि लोकप्रिय चलचित्रों के निर्माता अपने चलचित्रों का निर्यात इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन के माध्यम से नहीं करते हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ) . एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1656/69]

(ङ) जी नहीं ।

Pay Scales of Air Force Flying Officers in Different Countries

*524. **Shri Bal Raj Madhok :**
Shri J. Sundar Lal :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the pay scales of the Air Force Flying Officers of U. S. A., U, S. S. R., U. K., France, Germany, Pakistan and India respectivey;

(b) the difference between the pay scales and other facilities being given to the Flying Officers of Air India, Indian Airlines and Indian Air force;

(c) whether Government would consider the proposal to give special facilities to the Flying Officers of the Indian Air Force keeping in view the importance of Indian Air Force; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : Government do not have information regarding the pay scales of Air Force Flying Officers of the other countries mentioned. The pay scales and facilities to Flying Officers of Air India and Indian Airlines are indicated in the statement laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1657/69]** As for comparative pay scales and facilities given to the officers in the Indian Air Force, the information is available in Appendix "D" to the Annual Report of the Ministry of Defence for the year 1968-69.

(c) and (d). The basic pay structure of Officers of the Indian Air Force is the same as of other officers of the Armed Forces and is also related to the scales prescribed for what are considered as equivalent ranks of Central Civil Services. Consistent with the conditions in which Air Force officers have to operate, certain special allowances and facilities are also given.

सरकार द्वारा अधिगृहीत कपड़ा मिलों का कार्य करण

*525. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री 7 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8743 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई ग्यारह कपड़ा मिलों के कार्यकरण में अब तक क्या सुधार हुआ है ;

(ख) प्रत्येक मिल में कितनी नई पूंजी लगाई गई तथा यह धन किन स्रोतों से उपलब्ध किया है; और

(ग) उन मिलों के कार्य पर सरकार किस प्रकार की तथा किस माध्यम से निगाह रख रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा-जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०. टी. 1658/69]**

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चीन के पास प्रक्षेपणास्त्रों का संग्रह

*526. श्री एस० जेवियर :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री मुहम्मद जे० इमाम :
श्री प्र० के० देव :
श्री गु० च० नायक :
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मई 1969 को टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीन ने पश्चिम जर्मनी की सहायता से बहुत बड़ी संख्या में प्रक्षेपणास्त्रों का संग्रह कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को बोन अथवा पेकिंग स्थिति अपने दूतावासों से इस बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार ने पश्चिम जर्मनी की सरकार के साथ इस बारे में बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में पश्चिम जर्मनी की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) और (घ). जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार ने इन खबरों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है।

कच्चा टीबू के बारे में बातचीत

*527. श्री मधु लिमये :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चाटीबू द्वीप के बारे में श्री लंका सरकार से कोई बातचीत की है;

(ख) क्या सरकार, श्री लंका से यह बात मनवाने के लिये सफल हो गई है कि वह उस द्वीप पर भारत के स्वामित्व को स्वीकार करे;

(ग) क्या गत दस महीनों में श्री लंका के कोई कर्मचारी उस द्वीप में आये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). नवम्बर-दिसम्बर, 1968 में, श्री लंका के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के समय से, भारत सरकार और श्री लंका सरकार के बीच, राजनयिक माध्यमों द्वारा कच्चाटीबू के प्रश्न पर विचार-विमर्श चल रहे हैं। बातचीत अभी भी जारी है और अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा गया है। भारत सरकार

का यह विचार है कि दोनों सरकारें सहयोग की भावना से, द्वि पक्षीय रूप से विचार-विमर्श करके इस मामले को सुलझाएं ।

(ग) और (घ) दोनों देशों के अधिकारियों ने मार्च में, वार्षिकोत्सव मनाने के समय, इस द्वीप की यात्रा की ।

Advancement in Atomic Field

***528. Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the International Atomic Energy Agency would set up a Commission by 1970 which would study the papers about atomic advancement in the World and than publish them with a view to provide necessary information to the developing countries so that they could save their labour in the field of research;

(b) if so, whether India would also be entitled to obtain the said information; and

(c) whether permission would be accorded to copy the patent research ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Ministery of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The International Atomic Energy Agency (IABA) will establish a computer-based system called International Nuclear Information System (INIS) at Vienna by 1970,

(b) Yes, Sir.

(c) During the initial stage of its operation, patents will be excluded from the scope of INIS.

छावनी बोर्डों का कार्यकरण

***529. डा० सुशीला नैयर** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में समस्त देश में छावनी बोर्डों के कार्यों का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में सरकार ने किन-किन छावनी बर्डों के कार्य का मूल्यांकन किया;

(ग) उक्त अवधि में किस प्रकार की अनियमितताओं का पता लगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) छावनी बोर्ड स्टेट्यूटरी अधिकारों और उत्तरदायित्वों सहित स्थानीय अधिकरण हैं और उन्हीं रूपों में उन्हें छावनी अधिनियम के सत्ता क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति प्राप्त है । जबकि हर एक छावनी बोर्ड के कृत्य का सरकार द्वारा कोई औपचारिक निर्धारण नहीं किया जाता, उनके कृत्य पर व्यापक ध्यान रखा जाता है, और नजर आने वाली कमियों पर विचार किया जाता है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

Transfer of Subject of Nagaland to Home Affairs Ministry

***530. Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Valmiki Choudhary :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) whether the declaration made by the Prime Minister as appearing in the newspapers dated the 17th May, 1969 is correct that Government would not have any talks with the hostile Nagas in future and that the problems of Nagaland would be solved by the Governor and Government of Nagaland themselves; and

if so, whether the specific probleme of Nagaland would be solved by the Ministy of Home Affairs in future like that of other States ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) In an informal meeting with some Opposition Members of Parliament on the 16th May, 1969, the Prime Minister had mentioned that settlement of the Nega problem was reached in 1960 and that while all citizens of India including Nagas were free to make suggestions for the betterment of Nagaland to the Governor and the Government of Nagaland, Government of India were not contemplating any talks with the underground,

(b) The position has been explained to the House on many occasions in the past. The Government of Nagaland deal direct with the Ministries of the Government of India on matters which concern these Ministries. the Ministry of External Affairs deal with the political aspects of the situation in Nagaland. As the House is aware, this arrangement has its origin in the understanding reached with the Naga leaders in 1960.

काम करने तथा जीविका कमाने का अधिकार

*531 **श्री लोबो प्रभु :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) जीविका कमाने तथा काम करने के अधिकार से सम्बन्धित वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए चौथी योजना के प्रारूप में न्यूनतम कितनी राशि निर्धारित की गई है और तदनुसार कुल राष्ट्रीय उत्पादन कितना होगा;

(ख) चूंकि यह अनुमान लगाया गया है कि प्रारूप योजना की अवधि के अन्त में जनता के दूसरे सबसे निर्धन वर्ग का उपभोग स्तर 1960-61 के मूल्यों के आधार पर 15 रुपये होगा, प्रारूप योजना में चुनींदा क्षेत्रों में रोजगार देने के स्थायी प्रस्ताव का सामान्य विस्तार करने के द्वारा जनता के इस वर्ग के वयस्कों के लिये वर्तमान न्यूनतम मजूरी सुनिश्चित करने पर प्रति वर्ष कितना धन खर्च होगा;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र को ऋण तथा अनुदान देकर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने पर होने वाले व्यय को कम न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) ऋणों तथा अनुदानों के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण गृह-निर्माण कार्य को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं, क्योंकि इससे उद्योगों को चालू करने तथा सभी प्रकार के श्रमिकों के रोजगार देने में सहायता मिलती है; और

(ङ) अन्तिम योजना में ग्रामीण-गृह निर्माण के लिये ऋणों तथा अनुदानों का उपबंध न किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का "न्यूनतम जीविका" से क्या तात्पर्य है । सम्भवतः उनका विचार निम्नतम आय या निम्नतम उपभोग आवश्यकताओं से है, प्रश्न में जिस दूसरे सबसे निर्धन वर्ग के दशमक का जो अनुमानित उपभोग दिया गया है यह चौथी योजना अवधि से सम्बन्धित न होकर 1980-81 से सम्बन्धित है और 1967-68 के अनुपात में राष्ट्रीय आय का दुगुना होने और जन संख्या में लगभग एक तिहाई की वृद्धि के अनुमान के आधार पर यह भविष्य वाणी की गई । कतिपय चुने हुए क्षेत्रों के मार्गदर्शी आधार को छोड़ कर, चौथी योजना प्रारूप में किसी प्रकार के स्थायी प्रस्ताव की परिकल्पना नहीं की गई है । परन्तु इससे चौथी योजना अवधि में रोजगार के अवसरों में समस्त रूप से किसी प्रकार की वृद्धि होने की सम्भावना नहीं है ।

(ग) कृषि, उद्योग तथा आवास के लिए निजी क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार उपलब्ध करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अनुदान पहले ही दिये जाते हैं । इन कार्यक्रमों के लिए संस्थागत वित्तीय अभिकरणों के माध्यम से भी ऋणों का अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है ।

(घ) और (ङ). राज्य योजनाओं के अंश के रूप में 1957 में, ग्राम आवास परियोजनाओं के नाम से एक योजना का सूत्र पात किया गया था । इसके अन्तर्गत नये आवासों के निर्माण, खेती हर कृषि मजदूरों के लिए आवास-स्थानों का अधिग्रहण और चुने हुए गांवों में सफाई की स्थिति में सुधार करने के लिए ग्रामीणों को ऋण तथा अनुदान देने की व्यवस्था है ।

Strengthening of Indian Navy

532. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the action taken by Government to strengthen our Navy during the last two years;

(b) the scheme for further strengthening of Navy in the next three years; and

(c) whether Government consider that our Navy is strong enough to defend our country ?

The Minister of Defence (Shri Swarn Singh) : (a) to (c) : Keeping in view the threats facing our conntry, Government have taken upon a Programme of strengthening of the navy, which has been going on for some time now. This programme, which is a continuing one, includes construction and strengthening of naval base facilities, construction and acquisition of naval vessels, both for replacemenment and for strengthening of the Navy, and proportionate augmenentation of recruitment, training and maintainance facilities. Government are satisfied with the progress being made.

मलेशिया में आस्ट्रेलिया की उपस्थिति

533. **श्री म० ला० सौंधी :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 में ब्रिटेन की वापसी के बाद भी आस्ट्रेलिया ने मलेशिया और सिंगापुर में जमे रहने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस प्रश्न पर सर जेम्स पिलमसायल के नेतृत्व में आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि मण्डल से चर्चा की गई थी ; और

(ग) क्या प्रादेशिक शांति और सुरक्षा सम्बन्धी पारस्परिक हितों के विषयों पर चर्चा करने के लिए भारतीय और आस्ट्रेलिया के अधिकारियों का एक और सम्मेलन करने का कोई प्रस्ताव रखा गया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी हां ।

(ख) इस बातचीत में मामला उठा, किन्तु इस प्रकार के गोपनीय विचार विमर्शों को बतलाने की परम्परा नहीं है ।

(ग) भारत और आस्ट्रेलिया साल में एक बार परामर्श करते हैं। परन्तु प्रादेशिक सुरक्षा के सम्बन्ध में बातचीत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पाकिस्तान द्वारा जब्त किये गये सामान का वापिस किया जाना

534. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के फल-स्वरूप भारतीय सामान को जब्त किये जाने के बारे में भारत सरकार द्वारा भेजे गये किसी भी विरोध पत्र का उत्तर नही दिया है ;

(ख) भारत द्वारा जब्त किये नये पाकिस्तानी सामान के मूल्य की तुलना में भारतीय सामान का मूल्य कितना है ;

(ग) क्या भारत सरकार इस प्रकार जब्त किये गये सारे सामान को पहले ही वापिस कर चुकी है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं , और

(ङ) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) अब तक इस विषय पर भेजे गये हमारे कई विरोध-पत्रों में से एक विरोध-पत्र का उत्तर पाकिस्तान ने दिया

है। पाकिस्तान सरकार ने 12 अगस्त, 1967 को अपने उत्तर में यह दलील पेश की थी कि युद्ध के समय जिन अस्तियों पर कब्जा किया गया, वे कब्जा करने वाली सरकार की सम्पत्ति हो गई और उनके निपटाने का कानूनी अधिकार अविवाद्य है। हमने अपने नोट दिनांक 21 नवम्बर, 1967 में इस दलील का खण्डन किया था।

(ख) सदन में कई बार यह सूचना दी जा चुकी है। पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए भारतीय मालों का कुल मूल्य, जिसका निश्चय 31 जनवरी, 1969 तक शत्रु सम्पत्ति परिरक्षक के साथ पंजीकृत दावों के आधार पर किया गया था, लगभग 109 करोड़ रुपये है (अलमूल्यन पूर्व कीमत)। भारत द्वारा कब्जा किये गये पाकिस्तानी मालों का कुल मूल्य लगभग 27.15 करोड़ रुपये है (अवमूल्यन पूर्व कीमत)।

(ग) पाकिस्तान के साथ दो जहाजों का विनिमय करने के अतिरिक्त भारत सरकार ने 16,000 टन पाकिस्तानी माल छोड़ दिये हैं।

(घ) भारत सरकार के 27 जून, 1966 के निर्णय के फलस्वरूप जिसमें सभी पाकिस्तानी मालों को (सैनिक रूप से निषेद्ध मालों को छोड़कर) एक पक्षीय रूप से छोड़ने की बात कही गई थी, ये माल छोड़े गये थे।

(ङ) भारत सरकार निरन्तर पाकिस्तान सरकार के साथ यह मामला उठा रही है।

Indo-China Dispute

535. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ramavtar Shastri :
Shri Chintamani Panigrahi :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have made any new effort to resolve their dispute with China;

(b) if so, the nature thereof; and

(c) the reaction of the Chinese Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c) : Government of India's position is clear. We are willing to talk to China on a basis consistent with India's territorial integrity, sovereignty and national honour. There has been no indication from China and therefore there has been no progress.

Export Credit and Guarantee Corporation of India Ltd.

536. **Shri Prem Chanda Verma** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the progress made in the business of Export Credit and Guarantee Corporation of India Ltd. during the last three years;

(b) the extent of guarantee in terms of rupees given for the exporters during 1968-69;

(c) the total amount given as claim by the Corporation till the 31st March, 1969;

(d) the percentage of total exports for which guarantee is given by the corporation; and

(e) the steps being taken by the Corporation to increase its business ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Choudhary Ram Sewak) : (a) and (e) : A statement is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT– 1659/69]**

(b) The total value of bank advances covered under the guarantee amounted to Rs. 108 79 crores, during 1968,

(c) The total amount paid as net claims by the Corporation from its inception in 1957 till the end of 1968 came to Rs. 23.35 lakhs.

(d) 5.4% of the country's total exports were covered by the policies of ECGC during 1968.

एच० एफ०-24 विमान का स्थान लेने के लिए आधुनिक लड़ाकू विमान की आवश्यकता

*537. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का वर्तमान एच० एफ०-24 विमान का स्थान लेने के लिए एक आधुनिक लड़ाकू विमान की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्यत. भारतीय तकनीकी जानकारी की सहायता से ऐसे विमान का डिजायन तथा निर्माण करना सम्भव हो सकेगा ;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(घ) क्या मिश्र ने सरकार को अन्तिम रूप से बता दिया हैं कि उसके लिए भारत में निर्मित होने वाले विमाने के ढांचों के उपयुक्त इंजन बनाना सम्भव नहीं होगा ;

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(च) ऐसे इंजनों के निर्माण में मिश्र की असमर्थता से उत्पन्नन स्थिति का कैसे सामना जायेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . आई० ए० एफ० की भावी आवश्यकताएं जुटाने के लिए एक नए सैनिक विमान का विकास करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव विचाराधीन है । इस के सम्बन्ध में समस्याओं का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

(घ) से (च) . सूचना मिली है कि यू० ए० आर० ने इस इंजन का आगे विकास निलम्बित कर दिया है । तथापि, इससे कोई रिक्तता पैदा नहीं होती, न ही यह भारत में एच० एफ०-24 विमान के विकास और निर्माण को प्रभावित ही कर पाता है ।

काशीपुर गन एण्ड शैल फैक्टरी में गोली काण्ड की जांच

538. श्री श्रद्धाकर सुपकार : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काशीपुर गन एण्ड शैल फैक्टरी में गोली काण्ड के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : सम्भवतः माननीय सदस्य घटना के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए नियुक्त एक सदस्यीय आयोग का उल्लेख कर रहे हैं। राज्य सरकार के असहयोग के कारण आयोग का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

रूमानिया को लौह अयस्क का निर्यात

539. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूमानिया ने दिसम्बर, 1968 में भारत के इस आशय का प्रारूप करार किया था वह भारत से लौह अयस्क का 10 वर्ष तक आयात करता रहेगा और भारत वहां से तेल शोधन शालाओं तथा खनन उद्योग के लिए अपेक्षित यंत्र और मशीनें मंगाता रहेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रूमानिया सरकार इस करार को समाप्त कर देगी क्योंकि भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय लेने और रूमानिया सरकार द्वारा पेश की गई शर्तों को पूरा करने में विलम्ब किया है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त करार को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक सिंह) : (क) से (घ) : जी नहीं। तथापि भारत सरकार और रूमानिया समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग सम्बन्धी एक करार 4 अप्रैल, 1968 को सम्पन्न हुआ था।

रूमानिया को दीर्घ कालीन आधार पर लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने के प्रयत्न खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा हाल ही में वाणिज्य सम्पदा सम्पन्न करने, जिसके अनुसार 1970 में ज्यादा मात्रा में (14 लाख टन) निर्यात किया जायगा तथा 1971 से 1980 तक 220 लाख टन लौह अयस्क निर्यात करने के संविदे के कारण सफल हो गये हैं।

सुपर सैनिक जेट लड़ाकू विमान के इंजन के विकास के लिए भारत-संयुक्त अरब गणराज्य सहयोग

540. श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री शशि भूषण :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बने एच० एफ०-24 के विमान ढांचे की सहायता से सुपर सैनिक जेट लड़ाकू विमान के इंजन के विकास के लिए भारत-संयुक्त अरब गणराज्य के बीच किया गया पंचवर्षीय सहयोग समाप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त सहयोग योजना के अन्तर्गत भारत ने कुल कितनी धनराशि खर्च की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : 1964 में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसमें भारत और संयुक्त अरब गणराज्य एच. एफ. 24 विमान-फ्रेम और ई-300 विमान इंजन के लिए व्यवस्था पर चर्चा करने के लिये सहमत हो गये थे। तत्पश्चात, एक एच० एफ-24 विमान फ्रेम भी संयुक्त अरब गणराज्य को दिया गया था ताकि उड़ान में ई-300 इंजन की सफलता का मूल्यांकन किया जा सके। इस इंजन के विकास के लिए दोनों देशों के बीच ऐसे किसी सहयोग करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये थे। अतः उसको समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता, किन्तु जानकारी मिली है कि संयुक्त अरब गणराज्य सरकार ने ई-300 इंजन का अग्रेतर विकास न करने का निश्चय किया है, इसके कारण भारत सरकार को मालुम नहीं है।

30 जून, 1969 तक लगभग एक करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका था। इसमें विमान फ्रेम और संयुक्त अरब गणराज्य को भेजे गये हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों पर किया गया गया व्यय भी शामिल है।

गुड़गांव से हुसैनी वाला सीमा तक सड़क

3321. श्री अब्दुल गनी डार : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुड़गांव से हुसैनी वाला सीमा तक सड़क आवश्यकता पड़ने पर सेना के प्रयोग के लिए उपयुक्त सड़क नहीं है ; और

(ख) क्या उनके मन्त्रालय का विचार इस सड़क को चौड़ा और मजबूत करके इसे सैनिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त बनाने का है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : उल्लिखित क्षेत्रों के बीच वर्तमान सड़क संचार रक्षा दृष्टिकोण से पर्याप्त समझे जाते हैं। और सुधार का भी विचार है।

अन्तरिक्ष सम्बन्धी अनुसंधान

3322. श्री बाबूराव पटेल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में आकस्मिक किरणों राकेट्रीज आदि के सम्बन्ध में अध्ययन तथा प्रयोगों के रूप में "अंतरिक्ष अनुसन्धान' पर कितनी राशि खर्च की गई ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में बम्बई स्थित टाटा इन्स्टीट्यूट आफ फन्डामेंटल रिसर्च ने "मूलभूत अनुसंधान" पर कितनी राशि खर्च की है ;

(ग) इन परीक्षणों पर जो केवल प्रारम्भिक वायु मण्डलीय अनुसन्धान है और जिन्हें दिखावे के तौर पर "अन्तरिक्ष अनुसन्धान" की सज्ञा दी जाती है, धन बर्बाद करने के क्या कारण हैं ;

(घ) मूलभूत अनुसन्धान विज्ञान की प्रगति में किस प्रकार सहायक हो रहा है ; और

(ड) परमाणु शक्ति आयोग द्वारा जिसका मुख्य उद्देश्य परमाणु शक्ति ा शांतिपूर्ण कार्यों के लिये उपयोग है, अनुसन्धान की ये दो शाखाएं जिनका आणविक अनुसन्धान से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्यों चलाई जा रही है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) पिछले तीन वर्षों में अन्तरिक्ष अनुसन्धान तथा प्रश्न में दिये गये विषय पर लगभग 2 करोड़ 12 लाख रुपये खर्च किये गये हैं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में टाटा मूल अनुसन्धान संस्थान पर 3 करोड़ 21 लाख रुपये खर्च किये गये हैं लेकिन यह सारी राशि मूल अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यों पर व्यय नहीं की गई है ।

(ग) और (घ) : यह कहना कि धन बर्बाद किया जाता है, ठीक नहीं है । सरकार इन कार्यों में इसलिये सहयोग करती है क्योंकि ये राष्ट्र की भलाई के लिए विज्ञान तथा तकनीकी के विकास सम्बन्धी सारे कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है ।

(ड) "बाह्य अन्तरिक्ष का शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग" सम्बन्धी सारा विषय परमाणु ऊर्जा विभाग को सौंपा गया है । परमाणु ऊर्जा में उच्च तकनीकी के विकास से प्राप्त जानकारी तथा अनुभव अन्तरिक्ष सम्बन्धी उच्च तकनीक के विकास की गति, जो राष्ट्र के लिये बहुत लहत्वपूर्ण हैं, को तेज करने के लिए बहत लाभदायक सिद्ध हुआ है ।

भारत का व्यापार सतुलन

3323. श्री बाबूराव पटेल : क्या व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) 1968-69 में किन-किन देशों के साथ प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन था और प्रत्येक देश से कितने अधिक रुपयों का सामान आयात किया गया ;

(ख) इन देशों को भारतीय सामान खरीदने के लिए सहमत कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अमरीका, पश्चिम जर्मनी, कनाडा, इटली, फ्रांस तथा आस्ट्रेलिया जैसे उन्नत देशों ने और भारतीय सामान खरीदने से इन्कार कर दिया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि ईरान, जोर्डन, सऊदी अरब तथा अन्य मुसलमान देशों को हमारा निर्यात व्यापार काफी कम हो गया है क्योंकि उन्होंने केवल इस्लाम की भावना के आधार पर पाकिस्तान से सामान खरीदना आरम्भ कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो पुराने व्यापार को फिर से प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) एक जानकारी देने वाला विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1660/69]

(ख) इन देशों के साथ व्यापार की निरन्तर समीक्षा की जाती है ताकि आयातों तथा निर्यातों के बीच के अंतर को मिटाया जा सके । इस सम्बन्ध में किये गये विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं बाजार सर्वेक्षण, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, बिक्री दलों तथा व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों को प्रायोजित करना, इन देशों में भारतीय व्यापार प्रतिनिधित्व करने वाले अमले को सुदृढ़ बनाना और व्यापार करारों पर बातचीत करना जिसमें व्यापार अवरोधों, जहां वे विद्यमान हों, को हटाने के सुझाव शामिल है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

काश्मीर के बारे में उत्तर कोरिया तथा उत्तर वियतनाम के विचार

3324. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर के प्रश्न पर भारत पाकिस्तान विवाद के सम्बन्ध में उत्तर कोरिया तथा वियतनाम के क्या विचार हैं ;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इसके कारण सरकार का विचार कोरिया के लिए तथा वियतनाम के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपना नाम वापिस लेने का है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य की सरकार ने हमें सरकारी तौर पर यह सूचना दी है कि कि भारत और पाकिस्तान के बीच, काश्मीर का प्रश्न, सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिये ।

दिल्ली मे वियतनाम लोकगण राज्य के महाकांसल ने हमें यह सूचना दी है कि उनका ख्याल यह है कि भारत और पाकिस्तान द्वि पक्षीय रूप से इस प्रश्न को सुलझाये ।

(ग) जहां तक भारत-चीन में अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियन्त्रण आयोग का सम्बन्ध है, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है । भारत कोरिया की एकता एव पुनर्वास से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग का सदस्य नहीं है ।

केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया)

3325. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया) के प्रबन्धकों ने अपने विभिन्न डिपुओं में रखे माल के बितने और न बिकने वाली वस्तुओं के बारे में कभी कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक किस्म की वस्तुओं का मूल्य क्या है ;

(ग) इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है कि यह माल शीघ्रतापूर्वक बिक जाय और इस प्रकार की न बिकने वाली वस्तुओं में भारी पूंजी न लगाई जाय ; और

(घ) क्या केंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया) का यह भी विचार है कि माल के भण्डार के क्रय विक्रय के बारे में अपनी सूचियों को बिल्कुल सही रखने के लिए संगणक का प्रयोग किया जाय ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) . जी हां। फालतू-कम बिक्री की मदों की सूची समय-समय पर तैयार की जाती है। 31 मार्च, 1967 को ऐसी ही मदों का था लगभग 85957 रु० । उनके उदारतापूर्वक वर्गों की सूची संलग्न है। ऐसी मदें दूसरे स्थानों को स्थानान्तरित कर दी जाती है, अगर उनकी उनके लिये अन्य क्षेत्रों में मांग हो, या जहां सम्भव हो वह सप्लाई करने वालों को लौटा दी जाती है, या वह कम कीमत पर निपटा दी जाती है ।

(घ) इन्वेन्टरियों को कम्प्यूट करने के लिए कोई निर्णय नहीं किया गया ।

विवरण

31 मार्च, 1967 को सी० एस० डी० (आई) के डिपुओं में पड़ी फालतू धीरे धीरे बिकने वाली वस्तुओं की मोटे तौर पर श्रेणीवार सूची

	रुपये
दवाईयां	6,156.80
लेखन सामग्री	40,468.92
खिलौने और खेल की वस्तुएं	1,224.91
घरों में प्रयोग की जाने वाली सामान्य वस्तुएं	38.124.94
कुल	85,975.57 रु०

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया) की आकस्मिक जांच पड़ताल

3336. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में गलतियों की जांच करने के लिए किसी अधिकारी ने कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया) डिपों और सिनेमा घरों की कभी कोई आकस्मिक जांच पड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की जांच करने वाले अधिकारियों के पदनाम क्या हैं और पिछले तीन वर्षों में वर्ष वार किन किन तारीखों और स्थानों पर जांच की गई ; और

(ग) क्या सरकार का विचार जांच के परिणामों का विस्तृत प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने का है ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) . जी हां, समय समय पर जब वान्छनीय समझा जाता है, अचानक जांच की जाती है । कुछ जांचों का अपेक्षित ब्यौरा विवरण में दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये सख्या एल० टी० 1661/69]

(ग) अचानक जांच करने के दौरान मोटे रूप पर जो कम्पनियां नजर आई हैं, उनमें माल का अभाव, अनधिकृत व्यक्तियों को माल देना, बिना टिकट लोगों को सिनेमाओं में प्रवेश करने देना आदि शामिल है ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए अचानक जांचों के निष्कर्ष के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास उससे प्राप्त होने वाले परिणामों की तुलना में लाभप्रद नहीं है ।

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया) द्वारा इमारत का किराये पर दिया जाना

3327. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया) ने बम्बई में अपने मुख्यालय की "अडेल्फी" नामक इमारत का कोई भाग किराये पर दे रखा है ;

(ख) यदि हां, तो उस पार्टी का नाम क्या है और उसका अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या टेंडर मांगे गये थे अथवा इमारत के खाली भाग के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) . कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की "अडेल्फी" नामक बिल्डिंग में तीन फर्मों के कार्यालय हैं । उन फर्मों के नाम और उनका मासिक किराया/मुआवजा निम्नलिखित है :

(1) मैसर्स ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन्स 2,692 रुपये

(2) मैसर्स इबकॉन प्राइवेट लिमिटेड 2,588 रुपये

(3) मैसर्स स्टूप इण्डिया प्राइवेट लि० 2,030 रुपये

(ग) जी नहीं।

(घ) कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (इण्डिया) ने जब यह बिल्डिंग खरीदी थी उस समय मैसर्स ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन्स और मैसर्स इबकॉन प्राइवेट लिमिटेड पहले ही से उसमें रह रहे थे। मैसर्स स्टूप प्राइवेट लिमिटेड के पास इस समय जो जगह है वह उन्हें मैसर्स फ्रेंच डाइज एण्ड केमिकल्स, जिन्होंने वह जगह खाली की थी, के साथ किये गये एक समझौते के अनुसार दी गई थी,

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया) के सेवा-नियुक्त अधिकारियों द्वारा कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया) को माल की सप्लाई करने वाली फर्मों में काम करना

3328. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया) के सेवा-निवृत कुछ वरिष्ठ अधिकारियों तथा दो भूतपूर्व महा प्रबन्धकों, एक भूतपूर्व डिपो प्रबन्धक तथा एक भूतपूर्व मुख्य-कैंटीन अधिकारी ने कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया) को माल की सप्लाई करने वाली कुछ निर्माता फर्मों में सेवा-निवृति के तुरन्त बाद नौकरियां कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त अधिकारियों की, जिनका अपना सेवा-निवृति से पहले इन फर्मों से सम्बन्ध था, सत्य निष्ठा के बारे में जांच की है और ऐसे सम्बन्ध कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया) संगठन के हित में कहां तक हानिकारक थे; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उच्च अधिकारी अपनी सेवा-निवृति के बाद कम से कम दो वर्ष तक किसी संभरणकर्ता सस्था में नौकरी नहीं कर सके, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही और एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

गुजरात में बन्द पड़ी कपड़ा मिलें

3329. श्री नरेन्द्र सिंह महोडा : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय कितनी कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं;

(ख) बड़ौदा, करिया, मांहसम तथा अहमदाबाद जिलों में बन्द कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है;

(ग) उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार उनमें से किसी मिल को फिर से चालू करने का है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) गुजरात में मिलों के बन्द होने के कारण कितने मजदूर बेरोजगार हो गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) समाप्त की जाने योग्य समझी जाने वाली 3 मिलों को छोड़कर जुलाई, 1969 के अन्त में गुजरात में 13 सूती वस्त्र मिलें बन्द पड़ी हुई थीं।

(ख) क्रमश: 1, 3, 1 तथा 6।

(ग) वित्तीय तथा कार्यचालन सम्बन्धी कठिनाइयां, कच्चे माल की कमी तथा बिजली में कटौती।

(घ) और (ङ) . उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन 4 मिलों की जांच कर ली गई है और उन्हें नियन्त्रण में लेने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। 3 मिलों के मामलों की उपरोक्त अधिनियम के अधीन जांच चल रही है।

(च) लगभग 21730 ।

भारतीय चाय उद्योग की कठिनाईयां

3330. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय उद्योग संगठन के प्रतिनिधि भारतीय चाय उद्योग की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए 1 जुलाई, 1969 को, जब कि वह कलकत्ता में थे, उनसे बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल में मिले थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस उद्योग की कठिनाईयों को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी. हां।

(ख) और (ग) : चाय उद्योग तथा व्यापार के प्रतिनिधियों द्वारा जिन बातों के लिये आग्रह किया गया, वे इस प्रकार हैं : चाय पर निर्यात शुल्क की समाप्ति, उत्पादन-शुल्क में 60 प्रतिशत की कमी, आसाम परिवहन कर तथा पश्चिम बंगाल प्रवेश-कर को वापिस लेना, उत्पादन का विविधीकरण, नये बाजारों की खोज, चाय की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिए संवर्धनात्मक प्रयास और निर्यातों का विनियमन करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय करार करना।

उन्हें बताया गया कि उद्योग को सहयोग देने के लिए सरकार अनेक प्रकार की रियायतें तथा सुविधायें देती रही है। विश्व बाजार में उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में सुधार करने में उसको सहायता देने के निमित निर्यात तथा उत्पादन शुल्कों की समय-समय पर समीक्षा की जाती रही है। भारतीय चाय के व्यापक तथा एकल राष्ट्रीय संवर्धन विभिन्न बाजारों में किये जाते रहे हैं। चाय के उत्पादन के क्षेत्र और साथ ही इसके बाजारों का विविधीकरण करने की भी यावश्यकता है।

1968 और 1969 के दौरान पहले ही करों में समुचित राहत तथा अन्य प्रकार की सहायता दी जा चुकी है। स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और जब भी आवश्यक हुआ, उचित कार्यवाही की जायेगी।

चीनी हथियारों से लैस विद्रोही नागाओं का भारत में प्रवेश

3331. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० धरुआ :
श्री वेंगलराय नायडु :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी हथियारों से लैस और चीन में प्रशिक्षित 400 विद्रोही नागा बर्मा से छोटी-छोटी टुकड़ियों में सब-डिविजन में प्रवेश कर गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वयंभु ब्रिगेडियर प्रोविजो के नेतृत्व में 200 विद्रोही नागाओं का एक अन्य दल मनीपुर सीमा पर मिजो पहाड़ियों से हो कर पूर्वी पाकिस्तान की ओर बढ रहा था ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें प्रवेश करने तथा पूर्वी पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए हमारी सुरक्षा सेना द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं, मोऊ अंगामी के दल के पश्चात नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, सुरक्षा सेनाएं सावधान हैं।

हिन्द महासागर में शक्ति शून्यता

3332. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने "डिफेन्स सर्विसेज स्टाफ कालेज" के नौसैनिक अध्ययन दल द्वारा "हिन्द महासागर में शक्ति शून्यता" के सम्बन्ध में तैयार किये गये शोध पत्र का इस बीच अध्ययन कर लिया ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) हिन्द महासागर में हमारे हितों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सरकार ने वह लेख देखा है जो स्पष्टत: एक अभ्यास के आरम्भ का प्रतिनिधित्व करता है जो रक्षा सेवाओं के स्टाफ कालिज के छात्रों के मन में प्रेरणा देने में सहायी हो ।

(ग) हिन्द सागर में हमारे हित, वाणिज्य पोतों के लिए सुरक्षित तथा सुनिश्चित करने के लिए द्वीप समूह समेत अपने भूपदेशों की सुरक्षा तक सीमित है ताकि निष्टकित यात्रा सुनिश्चित हो, यथा सम्भव यह सुनिश्चित करने के प्रयास करते हुए कि तनाव के क्षेत्र पैदा न हो पाए । इन उद्देश्यों से संगत नौ सेना का शक्ति करण सरकार का विशेष ध्यान आकर्षित करता रहा है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में गैर सरकारी क्षेत्र के लिए विनियोजन

3333. **श्री लोबो प्रभू** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना के प्रारूप में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपये का जो प्रावधान है, उसके सम्बन्ध में योजना अथवा तत्संबंधी संकेत क्या हैं ;

(ख) निरन्तर समाजवाद का दावा करते रहने के कारण क्या इस योजना को रहन-सहन का स्तर उठाने वाली योजना नहीं बनायी जाना चाहिये ;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र अथवा लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दरों पर सीधे अथवा पुनर्वित्त से अनुदानों तथा ऋणों की व्यवस्था किये जाने का क्या कारण है ;

(घ) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में निजी बचतों का कोई अनुमान लगाया गया है और यदि नहीं, तो ऐसा किस तरह मान लिया गया है कि उनसे चौथी योजना में 13,900 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे ; और

(ङ) यदि यह हिसाब बैंकों में जमा राशि के आधार पर लगाया है, तो योजना के प्रारूप में इस अनुमान को उचित ठहराने के लिए यह बात कैसे निर्धारित की गई है कि इतनी राशि विनियोजन के लिए उपलब्ध है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के पृष्ठ 48 सारणी 1 में निजी विनियोजन का क्षेत्रीय आवन्टन दिया गया है । कार्यक्रमों या परियोजनाओं के बारे में सम्बद्ध क्षेत्रीय अध्यायों में चर्चा की गई है ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों तथा नीतियों का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है ।

(ग) ऋण तथा अनुदान विकास कार्यों के लिये दिये जाते हैं । स्पष्टतया, व्यक्तिगत उपभोग के लिए ऋण तथा अनुदानों के अनुपात में जीवन स्तर को उठाने का यह अच्छा तरीका है ।

(घ) चौथी योजना के अनुमानों में विगत प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा गया है और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आय और बचत के बीच के सम्बन्धों को देखा गया है ।

(ङ) बैंकों में जमा सारी राशि में कार्यशील पूंजी में विनियोजन के लिये निजी बचत और स्थिर परिसम्पतियां शामिल है ।

धातुओं के कबाड़ का निर्यात

3334. **श्री मुहम्मद शरीफ़ :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धातुओं के कबाड़ का निर्यात करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से जापान तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों को एक प्रतिनिधिमण्डल भेजने का धातुओं का कबाड़ व्यापार निगम का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल द्वारा उन देशों का कब तक दौरा किये जाने की सभावना है तथा वह किन-किन मामलों के बारे में बातचीत करेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक): (क) और (ख) प्रस्थापना पर सरकार विचार कर रही है ।

व्यापार तथा आर्थिक विकास के लिये क्षेत्रीय सहयोग

3335. **श्री सीताराम केसरी :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास के लिये ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के बीच क्षेत्रीय सहयोग की तरह भारत, नेपाल, बर्मा, लंका और दक्षिण-पूर्वी एशिया जैसे पड़ौसी देशों के साथ व्यापार और आर्थिक विकास में सहयोग प्राप्त करने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) सरकार पड़ौसी देशों तथा इलाके क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भी एक विस्तृत क्षेत्रीय संयोजना के अन्तर्गत निकट सहयोग का, जो अन्तर्राष्ट्रीय रूप में सम्मत सिद्धांतों के अनुसार ही, सहयोग करती है ।

नेपाल के साथ व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापार तथा पारवहन संधि की गई थी । भारत तथा नेपाल सिद्धांततः एक संयुक्त औद्योगिक सहयोग परिषद की स्थापना के लिये सहमत हो गये हैं जो नेपाल के औद्योगिकीकरण में सहायता तथा मदद करेगी । श्री लंका के साथ एक व्यापार करार के अतिरिक्त, आर्थिक सहयोग के विषय पर एक संयुक्त भारत-श्री लंका समिति है जो दोनों देशों के बीच घनिष्ट सहयोग के लिये उपाय तैयार करने तथा उन पर निरंतर कार्यवाही करने के लिये उत्तरदायी हैं । ईरान के साथ एक व्यापार

करार है । औद्योगिकी के आदान-प्रदान, संयुक्त औद्योगिक उद्योगों तथा पारस्परिक व्यापार के विस्तार के माध्यम से सहयोग की विशिष्ट योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने हेतु दोनों देशों के मंत्रियों का आर्थिक, व्यापार तथा तकनीकी सहयोग सम्बन्धी एक संयुक्त आयोग भी है । अफगानिस्तान के साथ एक व्यापार करार के अतिरिक्त दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापार तथा तकनीकी सहयोग पर एक सयुक्त आयोग की स्थापना के लिये निश्चय किया गया है ।

इकाफे के सदस्य देशों के मध्य घनिष्ट आर्थिक सहयोग बढ़ाने में भारत एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग (इकाफे) के साथ भी सहयोग कर रहा है ।

अर्थ-व्यवस्था का विनियमन

3336. **श्री लोबो प्रभु :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियतन सम्बन्धी सामान्य नियन्त्रणों को भविष्य में सफलता कैसे मिलेगी जबकि पहले उन्होंने अप्रयुक्त क्षमता तथा कृत्रिम कमी पैदा की है;

(ख) सरकारी वित्तीय सस्थाओं में वित्त का अनुपात क्या है और अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव डालने के लिये उसे कहां तक बढ़ाने का विचार है;

(ग) सहकारी वितरण व्यवस्था में वित्त अनुपात क्या है और कीमतों को कम करने तथा किस्म बढ़ाने में उसका क्या प्रभाव पड़ा है:

(घ) कारगर निर्णय लेने, प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के लिये योजना के प्रारूप में नियन्त्रणों में क्या सशोधन करने का विचार है; और

(ङ) सहायक सुविधाओं के नये उपबन्ध से उद्योगों का फैलाव तथा महानगरीय क्षेत्रों में भीड़-भाड़ कम करने के फलस्वरूप उत्पादन की लागत नहीं बढ़ेगी और यदि हां, तो उपभोक्ताओं के हित में क्या रक्षोपायों की व्यवस्था करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार माननीय सदस्य के इस सुझाव से सहमत नहीं है कि आवंटन सम्बन्धी नियंत्रण अप्रयुक्त क्षमता तथा कृत्रिम अभाव पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं । वह इस बात से भी सहमत नहीं है कि इस प्रकार के नियंत्रण प्राथमिकता क्षेत्रों में सीधा विनियोजन तथा दुर्लभ संसाधनों के कुशलता पूर्वक उपयोग, जिनके लिए वे लगाये गये थे, को प्रोत्साहित करने में भी सामान्यतया असफल रहे हैं ।

(ख) सरकारी क्षेत्र की चौथी योजना में वित्तीय संस्थाओं के लिए निम्न प्रावधान किया गया है:-

	(करोड़ रुपये)
आई० एफ० सी०, आई० डी० बी० आई० और आई० सी० आई० सी० आई०	250
ए० आर० सी०	140

भूमि विकास बैंक	200
कृषि उद्योग निगम	50
ग्रामीण बिजली करण निगम	45
जोड़	685

(ग) सहकारी समितियों द्वारा वितरित किये जाने वाली उपभोग सामग्री का मूल्य 1973-74 में 900 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है जबकि 1968-69 में इसका अनुमानित मूल्य 550 करोड़ रुपये होगा। कारगार उपभोक्ता सेवा विकसित करने की दिशा में प्रयत्न किया जायेगा ताकि सहकारी समितियां काफी आवश्यक उपभोक्ता सामान उपलब्ध करने के लिए स्थायी वितरक गठन का अंग बन जाये।

(घ) समय समय पर नियन्त्रणों का पुनरीक्षण किया जाता है और सभी सम्बद्ध विकासों और घटको के संदर्भ में समुचित निर्णय लिए जाते हैं।

(ड.) जी, नहीं। औद्योगिक उत्पादन की समस्त सामाजिक और आर्थिक लागत बिखरे क्षेत्रों में धनी महानगरों की अपेक्षा अधिक नहीं होनी चाहिए।

विकास कार्य में गड़बड़

3337. **श्री लोबो प्रभु :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना की रिपोर्ट में दिये गये विवरण के संदर्भ में विकास-कार्य में गड़बड़ को ध्यान में रखते हुए एक समान पूंजी लगाने से परम्परागत तथा आधुनिक क्षेत्रों में क्रमश: रोज़गार के अवसरों के बारे में क्या अनुमान लगाये गये हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय आय में बचतों को वर्तमान 8 प्रतिशत से 1980—81 में 18 प्रतिशत तक बढ़ाने से बढ़े हुए उत्पादन तथा कम खपत के बीच अन्तर के बारे में वही कठिनाई नहीं बनी रहेगी।

(ग) यदि बढ़े हुए उत्पादन का निर्यात किया जायेगा तो सरकार का विचार उन लोगों के रहन-सहन के स्तर को कैसे ऊंचा उठाने का है; जो आंतरिक व्यापार में सप्लाई की वृद्धि के परिणामस्वरूप कम हुई कीमतों को ही बर्दाश्त कर सकते हैं; और

(घ) चौथी योजना में प्रति वर्ष निर्यात में जिस 7 प्रतिशत वृद्धि की व्यवस्था की गई है उसके स्थान पर आप आदमी के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये किन-किन विशेष वस्तुओं का आयात किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अनुमान को सतोषजनक पद्धति और आधार के अभाव के कारण योजना निवेश द्वारा जनित रोजगार अवसरों की विश्वसनीय गणना कर पाना सम्भव नहीं हो सका है। यह बाद वाला प्रश्न प्रो० एम० एल० दांतवाला की अध्यक्षता में स्थापित जांच समिति के सामने रखा गया है. इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) जी नहीं, अधिक बचत होने से अधिक निवेश होगा और रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।

(ग) अधिक निर्यात होने से यदि हुआ तो केवल यही आवश्यकता पड़ सकती है कि घरेलू उपभोग बढ़ने से रोका जाये वह भी केवल कुछ निर्यात योग्य वस्तुओं का। अतः इससे जन साधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में बाधा नहीं पड़ेगी।

(घ) उर्वरक (तैयार और कच्चा), कीटनाशक, कच्चा तेल, रसायन, अलौह धातुएं और विशेष इस्पात ये अधिक महत्वपूर्ण आयात वस्तुएं हैं जिनके द्वारा कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और तदनुसार जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है।

Tata Mercedes Buses

3338. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ranjeet Singh :

Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2079 on the 7th March, 1969 and state :

(a) whether it is a fact that commission is allowed to Government by the Tata Mercedes concern on purchase of vehicles;

(b) the amount of commission given to each Union Territory and each State where there was President's Rule and the various Ministries during the last 2 years, year-wise; and

(c) where this amount of commission was deposited and the Head under which it was credited ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Government do not receive any commission from the supplier for the purchase of Tata Mercedes vehicles against DGS&D contracts.

(b) and (c) : Any reduction in price obtained on account of large purchase and/or facility of payment terms is adjusted against the price paid for the vehicles.

Free Travel on Reciprocal basis between India and other Countries

3339. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ranjeet Singh :
Shrimati Ila Palchoudhuri :
Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri S. A. Agadi :
Shri R. R. Singh Dev :
Shri Y. A. Prasad :
Shri Ramchandra Veerappa :
Shri Hem Raj
Shri S. K. Tapuriah :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that negotiations have taken place with certain countries that citizens of those countries and those of India may be allowed to travel between these countries freely on reciprocal basis; and

(b) if so, the names of those countries and the details of the negotiations held ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) : Following negotiations, agreements have been concluded with with the Governments of Norway, Sweden, Denmark and Finland abolishing visas for periods of stay upto 90 days on a basis of reciprocity. The waiver of visas does not exempt Indians visiting the Nordic countries and vice versa from the necessity of complying with the laws and regulations in force in those countries and in India respectively, in regard to the entry into, movement within and residence-temporary or permanent-in the concerned country. Visitors are also not allowed to take employment, set up business or take up any profession, paid or unpaid.

उर्वरकों का आयात

3340. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के आयात के लिये ब्रिटिश फर्मों को क्रयादेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मूल्य के क्रयादेश दिये गये हैं; और

(ग) क्या वहां से उर्वरक खरीदना सस्ता पड़ेगा अथवा किसी अन्य देश से ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) जी, हां। फ़रवरी 1969 में मैसर्स आई० सी० आई०, यू० के० को 25 लाख पौंड़ के मूल्य के 71,000 मीट्रिक टन यूरिया की सप्लाई के लिए क्रयादेश दिया गया।

(ख) यदि पर्याप्त मात्रा में निर्बाध विदेशी-मुद्रा उपलब्ध होती, तो किसी विश्व-टेण्डर अथवा बात-चीत के द्वारा कम मूल्य पर निर्णय करना सम्भव हो सकता था। परन्तु यदि भारत सरकार यह निर्णय कर लेती है कि यू० के० द्वारा दिये जाने वाले उधार के कुछ भाग को उर्वरकों की खरीद के लिए उपयोग करना है, तो उस स्थिति में यू० के० से ही इनकी खरीद करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो यू के. तथा हमें उधार देने वाले अन्य देशों की तुलना में, यू. के. से की जाने वाली खरीद के लिए अदा किया गया पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य अपेक्षाकृत कम है।

हैंडी क्राफ्ट एण्ड हैंडलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

3341 **श्री क० लकप्पा** :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैंडी क्राफ्ट एण्ड हैंडलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली की स्थापना के समय 31 मार्च, 1969 को अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी की राशि कितनी कितनी थी;

(ख) कारपोरेशन ने सरकारी बैंकों अथवा अन्य लोगों से अलग अलग 31 मार्च, 1969 तक कितना ऋण लिया था;

(ग) गत तीन वर्षों में इस कारपोरेशन ने ब्याज के रूप में कितनी धन राशि दी है;

(घ) गत तीन वर्षों में इस कारपोरेशन द्वारा किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है और उसे कितना लाभ अथवा हानि हुई; और

(ङ) यदि हानि हुई है, तो उसके क्या कारण है और वर्ष 1969-70 के सम्बन्ध में क्या अनुमान है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री श्री चौधरी राम सेवक (क) हैन्डी क्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट्स् कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, की अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी अप्रैल 1958 में इसकी स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1969 को इस प्रकार थी।

		अधिकृत पूंजी	प्रदत्त पूंजी
(एक)	निगम की स्थापना के समय	1 करोड़ रुपया	10 लाख रुपया
(दो)	31 मार्च, 1969 को	1 करोड़ रुपया	65 लाख रुपया

(ख) निगम द्वारा प्राप्त किये गये ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च 1969 को स्थिति इस प्रकार थी :

(एक) बिहार सहायता कार्य के लिये भारत सरकार से प्राप्त ऋण 10.00 लाख रुपया

(दो) मूल कम्पनी से ऋण (राज्य व्यापार निगम) 40.00 लाख रुपया

(तीन) स्टेट बैंक आफ इन्डिया के द्वारा मूल कम्पनी (राज्य व्यापार निगम) द्वारा उपबन्धित नकद ऋण 102.96 लाख रुपया

(चार) मैसर्स क्रैडिट लियोने पैरिस के साथ ओवर ड्राफ्ट की सुविधा 15.67 लाख रुपया

(ग) निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में सामान्य कार्य तथा विशेष योजनाओं पर दिया गया कुल ब्याज इस प्रकार है :

1966-67	10.88 लाख रुपया
1967-68	14.64 लाख रुपया
1968-69	12.11 लाख रुपया

(घ) एच० एच० इ० सी का कार्य निम्न तीन मुख्य श्रेणियों के अन्तर्गत आता है:

(एक) सीधा व्यापार कार्य,

(दो) निर्यात संवर्धन तथा व्यापार विकास कार्य

(तीन) होल्डिंग कम्पनी द्वारा इसे सौंपी गई विशेष योजनाऐ।

दफ्तरी तथा हथकरघा निर्यात निगम का पिछले तीनवर्षों के दौरान कार्य इस प्रकार था :

(क) सीधा व्यापार कार्य

	कुल बिक्री लाख रुपयों में	निर्यात लाख रुपयों में	लाभ लाख रुपयों में
1966–67,	97	61.76,	8.67,
1967–68,	157,	124·00,	7.25,
1968–69,	171,	145.00	11.07,

(दो) निर्यात सवर्धन तथा व्यापार विकास कार्य निर्यात विकास तथा संवर्धन सम्बन्धी कार्यों में निम्न सम्मिलित थे :

(एक) विदेशों में कार्यालयों का स्थापित किया जाना;

(दो) विदेशों में प्रचार अभियान;

(तीन) विदेशी व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना;

(चार) विभागीय स्टोरों द्वारा संवर्धन;

(पांच) विदेशों को व्यापार प्रतिनिधि मण्डल;

(छ) पुस्तिकाओं आदि का प्रकाशन;

(सात) मण्डी सर्वेक्षण और;

(आठ) ऋण, कच्चा माल, जहाज में लदान से पूर्व निरीक्षण आदि द्वारा निर्यातकों को सहायता ।

उक्त कार्यों पर निगम द्वारा किया गया व्यय इस प्रकार था :

1966–67, 11.17 लाख रुपया
1967–68, 14.86 लाख रुपया
1968–69, 13.11 लाख रुपया

(तीन) विशेष योजनाएं : राज्य व्यापार निगम द्वारा अधिकृत किये जाने पर निगम ने मूल्य स्थिरीकरण कार्य के रुप में लीडिंग मद्रास के लिए विशेष विपणन व्यवस्था तथा टसर कोकुन के लिये मूल्य स्थिरीकरण योजना आरम्भ की । इसके परिणाम स्वरुप टसर कोकून के दाम चढ़ गये और योजना को समाप्त कर दिया गया है । उपरोक्त दो योजनाओं पर निगम द्वारा उठाई गई हानि इस प्रकार है ?

1966–67, 9.70 लाख रुपया
1967–68, 53.05 लाख रुपया
1968–69, 3.20 लाख रुपया

(ङ) जो हानि हुई है वह निर्यात संवर्धन, व्यापार विकास तथा मूल्य स्थिरीकरण कार्यों पर व्यय के कारण है जिनका स्वरुप गैर-वाणिज्यिक था । आशा है कि चालू वर्ष में भी व्यापारिक लाभ की प्रवृत्ति बनी रहेगी ।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, नई दिल्ली का कार्यकरण

3342 डा० सुशीला नैयर : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, नई दिल्ली के कार्य करण का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि में किस प्रकार की अनियमितताओं का पता चला है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के कार्य चालन की वार्षिक समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1968 में सरकार ने, अन्य बातों के साथ, हस्तशिल्पों के विकास, उनके विपणन, आन्तरिक बिक्री तथा निर्यात के सन्दर्भ में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के कार्य चालन का मूल्यांकन करने के लिये एक विशेष समीक्षा समिति नियुक्त की थी।

(ख) समीक्षा समिति ने अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के कार्य चालन में कोई अनियमितता नहीं पायी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यूगोस्लाविया के साथ करार

3343 श्री नि० रं० लास्कर : श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू : श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1969 में युगोस्लाविया इस्पात सार्थ समूह का पांच सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई थी;

(ग) क्या प्रतिनिधि मंडल ने भारत को इंजीनियरी सामान सप्लाई करने के लिये अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

तमिलनाडु में कपड़ा मिलों का बन्द होना

3344 श्री अदिचन :
डा० रानेन सेन :
श्री जनार्दनन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री नम्बियार :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री के० रामानी :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में अब तक कितनी सूती कपड़ा मिलें बन्द हुई हैं;

(ख) उनमें से कितनी मिलें तमिलनाडु सरकार ने अपने नियंत्राधीन ली हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस राज्य में संकटग्रस्त शेष मिलों को अपने नियंत्रणाधीन लेने के लिये राज्य सरकार को कोई विशेष सहायता देने का है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) (क) ऐसी दो मिलों को छोड़ कर जिन्हें समाप्त करना उचित समझा गया है, इस समय 22 सूती कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं।

(ख) तमिलनाडु वस्त्र निगम को एक मिल का प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ऐसी मिलों को चलाने के लिये अपेक्षित वित्त की आंशिक व्यवस्था करेगा जिन्हें सरकार उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत हाथ में लेगी।

Estimate of Chinese Defence Forces

3345. Shri Okar Singh :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Shardanand :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) Government's estimate of Chinese Air Force, Navy and Army;

(b) whether it is a fact that Chinese Forces are much larger than Indian Forces;

(c) if so, whether Government would again ask for arms from U. S. A. in the eventualities of Chinese attack to defend our territories; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) According to openly available reports, the Chinese Air Force is estimated to have 120,000 men and about 2,500 combat aircrafts.

The Navy has a man-power over 140,000 including those in its air-wing. The fleet includes 33 submarines, 4 destroyers, 4 destroyer escorts, 11 frigate escorts 26 coastal escorts and over 300 other vessels including minesweepers, patrol boats, gun boats etc.

The Army has a total manpower of about 2.5 millions organised in 115 line divisions in addition to other supporting arms and services.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) : The question is hypothetical.

India's Dependence on U. S. S. R. and Other Countries for Ammunition

3346. **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ranjeet Singh :
Shri Suraj Bhan :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India is dependent on U. S. S. R. and other countries for ammunition required for artillery, etc;

(b) whether it is also a fact that if war breaks out and in case we are not able to import ammunition from abroad, our artillery would not be in a position to fight a prolonged war; and

(c) if so, the steps taken in this regard and the results thereof ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) We have imported ammunition from USSR and other countries for some weapons.

(b) and (c) No, Sir. We have taken licences for manufacture in the country of ammunition of important artillery weapons.

Setting up of an Aluminium Plant in U. P.

3347. **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ranjeet Singh :
Shri Suraj Bhan :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether the Atomic Energy Commission has studied the possibilities of setting up an Aluminium Plant in Western Uttar Pradesh with reference to the development of agricultural industry;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c) : The Atomic Energy Commission had set up a Working Group to study the feasibility of setting up Agro-Industrial Complexes around large sized nuclear power stations. An area in Western U. P. with an Aluminium Plant of 150 tonnes per day has been considered. The Working

Group has submitted a preliminary report, copies of which are available in the Parliament Library. A detailed study is still in progress.

Export of Tea

3348. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Gadilingana Gowd :
Shri Beni Shanker Sharma :

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the names of the countries to which exports of Indian tea have been reduced and the names of the countries which have been benefited by it;

(b) the figures of exports of tea during the first six months of the current year and for the corresponding period of last year; and

(c) the measures proposed to be taken by Government to check the fall in the export of Tea ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) Exports of Indian tea to the U. K., the Netherlands, the East European countries (excluding USSR) and the U. A. R. declined to some extent during 1968 in comparison with 1967. Exports of tea from East African countries and Indonesia registered an increase during the year 1968.

(b) A quantity of 62,717 thousand kilograms of tea was exported from India during January to June 1969 as against a quantity of 67,830 thousund kilograms of tea exported during January to June 1968.

(c) The problem is an essentially one of supply and demand. Consumption of tea has not kept pace with the growth in production of tea. The effort is to bring about international cooperation in stimulating consumption and regulating exports.

Some of the more important measures taken with regard to Indian tea are (1) reduction in export duty on tea (2) abolition of the special excise duty on tea (3) a replanting subsidy scheme at the rate of Rs. 3500/- per hectare for plain gardens and Rs.4500/- per hectare for hill gardens for helping the industry in carrying out replanta tion of old tea areas to increase quantity, reduce costs and improve quality (4) promotional measures for Iandian tea through the offices of the Tea Board functioning in London, Brussels, New York, Cairo and Sydney and tea centres established at London Edinburgh, Cairo and sydney (5) promotion of special packs of Indian tea in selected markets abroad with the cooperation of the local blenders/packers (6) advertisements through appropriate media of publicity in countries abroad (7) participation in trade fairs and exhibitions (8) sponsoring delegations abroad and inviting delegations from foreign countries to visit India to promote the interest of tea, and (9) undertaking generic promotion in the overseas markets for increasing counmption of tea through membership in Tea Councils functioning in various countries abroad in collaboration with producing countries and the local tea trade.

Target Fixed for the Production of Atomic Energy by 1970

3349. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the original target in regard to the atomic energy was to have an installed capacity of 1,000 megawatt atomic energy by the end of 1970;

(b) when this target is likely to be achieved; and

(c) the reasons for delay in achieving the target ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) By 1973-74.

(c) The following atomic power stations are under construction :

(i) Tarapur Atomic Power Station	380 MWe
(ii) Rajasthan Atomic Power Station, Unit I & II	400 MWe
(iii) Madras Atomic Power Station, Unit I	200 MWe
	980 MWe

There has been delay of about nine months in the completion of the Tarapur Atomic Power Station due to need for rectification of certain defects which were detected at the stage of final inspection.

Some delay has occurred in the scheduled progress of work on the Rajasthan Atomic Power Station Unit I due to delay in supply of equipment both from Indian and Canadian sources and the station is now expected to reach criticality by the end of 1970 instead of by the end of 1969 as originally scheduled.

Work on Rajasthan Atomic Power Station, Unit II could not commence in 1965 as scheduled as the financing and technical co-operation agreements were concluded only by February 1967.

Work on the Madras Atomic Power Station was to commence in 1965 but was delayed due to difficulties in making arrangements for financing the foreign exchange cost of the project. It was decided in mid-1966 to build only one Unit to begin with. Expenditure sanction was issued in December, 1967.

उपकरण वर्ग के कर्मचारियों का अन्य इंजीनियरिंग कारखानों में स्थानान्तरण

3350. **श्री ए० श्री धरन :**
श्री क० लकप्पा :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयुध कारखानों के उपकरण वर्ग में कार्य करने वाले न केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्य इन्जीनियरिंग कारखानों में स्थानान्तरित करने का जिन्होंने ए० एम० आई० ई० परीक्षा पास करके अतिरिक्त तकनीकी अर्हता प्राप्त कर ली है ताकि उनकी तकनीकी योग्यता का अधिक से अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) वस्त्र तथा चमड़े की टेकनालाजियो मे योग्य व्यक्तियों को खासतौर पर आडनेन्स इक्विपमेंट फैक्टरियों में नियुक्त किया जाता है। अन्य टेकनालोजियों में, जैसे कि इंजीनियरी, मेटलार्जी, केमिकल इंजीनियरी मे योग्य व्यक्ति, उनकी उपयुक्तता तथा आवश्यकता के आधार पर आडनन्स फैक्टरियो और आडनन्स इक्विपमट फैक्टरियों के बीच तब्दील तथा नियुक्ति किए जाने के अधीन रहते है। इसलिए इससे यह बात पैदा होती है कि जो व्यक्ति ए० एम० आई० ई० परीक्षा पास कर चुके है, निश्चय ही उनकी किसी स्थान के लिए उपयुक्तता और भिन्न आर्डनन्स फैक्टरियो मे आवश्यकताओ को देखते हुए भी, उन्हें तब्दील करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

तिब्बत में मानवीय अधिकारों के दमन सम्बन्धी प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना

3351. **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री उनके मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों के बारे में 8 अप्रैल, 1969 को दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिब्बत में मानवीय अधिकारों के दमन सम्बन्धी प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र में उठाने के बारे में इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है।

Indians as Stateless Citizens

3352. **Shri Bal Raj Madhok :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri J. Sundar Lal :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri P. M. Sayeed :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are many such Indians in foreign coutries who are not citizens of any country i. e. they are Stateless citizens;

(b) if so, the number of such Stateless Indian citizens in different countries, country-wise;

(c) by whom the rights of these Stateless Indians are safeguarded and in what manner; and

(d) the steps being taken by Government to see that these Indians are duly granted citizenship ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) A statement containing information regarding the number of persons of Indian origin in various countries who are Stateless or whose national status is undetermined is enclosed.

(c) and (d) The Government of India are aware of the problems of stateless persons of Indian origin and render assistance whenever necessary keeping in vies the implications and obligations arising from our relations with the country concerned, international practice as well as usage and law governing the status of stateless persons.

Statement

Statement Containing Information in Regard to Approximate Number of Persons of Indian Origin Who are Stateless and Those Whose Status is Undertermined, Residing in Foreign Countries as on 31-12-1968.

Countries	No. of Stateless Persons.	No. of Persons Whose Status is Undetermined
Aden (South Yemen)	25	--
Algeria	3	--
Burma	--	2,00,000
Ceylon	10,32,638	--
Comores Island	20	--
Indonesia	12,600	--
Iraq	200	--
Kenya	--	8,000
Malagasy	9,000	--
Malaysia	25,000	40,000
Philippines	--	977
Reunion Island	250	--
Singapore	--	5,000
Somalia	100	--
Tanzania	7 000	5,000
Uganda	4 500	10.500
	10,91,336	2,69,477

उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रानिक्स का एक कारखाना स्थापित करना

3353. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में भारत इलैक्ट्रानिक्स का कोई कारखाना स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके चौथी योजना अवधि में स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इसके स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(घ) क्या यह एक ऐसे स्थान पर खोला जायेगा, जहां पर प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान हों ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ) भारत इलैक्ट्रानिक्स की एक नई यूनिट स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। इसके स्थान के लिए अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है। स्थान का निर्णय करने से पहले सभी सम्बन्धित पहलुओं पर विचार किया जाएगा। नई फैक्टरी चतुर्थ योजना अवधि के दौरान स्थापित की जानी प्रत्याशित है।

न्यू विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड, कानपुर

3354. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू विक्टोरियां मिल्स लिमिटेड, कानपुर को अपने नियन्त्रण में लेने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां। आवश्यक अधिसूचना के शीघ्र ही निकलने की आशा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में भारतीय दूतावासों के काम की जांच

3355. श्री यज्ञ दत्त शर्मा।
श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 2 अप्रैल, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 954 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में विदेश सेवा निरीक्षणालय ने किन विशिष्ट अनियमितताओं का पता लगाया;

(ख) उक्त अवधि में इनके कारण कुल कितनी हानि अथवा अपव्यय हुआ, इनके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 1967 और 1968 में, विदेश सेवा के निरीक्षकों को ध्यान में जो क्रियाविधि-विषयक। तकनीकी अनियमितताएं आई हैं उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सरकार को इन अनियमितताओं से कोई ऐसी क्षति नहीं हुई है, जिसकी पूर्ति न हो सके। परन्तु मिशनों को इस बात के लिए पहले ही उपयुक्त अनुदेश दे दिए गए हैं कि वे सरकार के नियमों और विनियमों का सावधानी से पालन करें।

विवरण

क्रियाविधि-विषयक/तकनीकी अनियमितताओं की सूची ।

1. स्टाक रजिस्टर, फिल्म रजिस्टर, पुस्तकालय रजिस्टर, रोकड बही और पासपोर्ट रजिस्टर जैसे विभिन्न रजिस्टरों और विवरणियों के रखने से सम्बद्ध अनुदेशों का पालन नहीं करना ।
2. अनुदेशों का गलत अर्थ लगाना, जैसे गलत मदों के अन्तर्गत व्यय को बुक करना, नकद रकम जमा कराने पर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के ड्राफ्ट जारी करना, मुद्रा मुआवजा भत्ता की अधिक अदायगी और मनोरंजन सम्बन्धी अनुदान की अग्रिम अदायगी ।
3. प्रशासन सम्बन्धी कुछ अनियमितताएं थीं जैसे लोहे की आलमारियों की दूसरी ताली नहीं रखना । पुराने रिकार्डों का न छांटा जाना आदि ।

ऊन की बुनी वस्तुओं का निर्यात

3356. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊन की बुनी वस्तुओं के निर्यात के बदले में प्रतिपूर्ति आयात लाइसेंस राजकीय व्यापार निगम के माध्यम से दिये जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजकीय व्यापार निगम ने अप्रैल, 1969 में इन लाइसेंसों के आतर्गत आयात की गई ऊन निर्यातकों को देने के आदेश अब तक जारी नहीं किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और निर्यातकों को ऊन कब तक दे दी जायेगी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) ऊन की बुनी वस्तुओं के निर्यात के बदले प्रतिपूर्ति हकदारियों के 50 प्रतिशत के लिये, आयात लाइसेंस यद्यपि राज्य व्यापार निगम के नाम से दिये जाते हैं तथापि वे व्यक्तिगत निर्यातकों को, उनके नाम में प्राधिकार पत्रों के साथ, भेज दिये जाते हैं । ऐसे लाइसेंसों पर वे स्वयं आयात की व्यवस्था करते हैं, बर्स्ते मूल्यों आदि का अनुमोदन आदि राज्य व्यापार निगम द्वारा दिया जाये । शेष 50 प्रतिशत हकदारियों के लिये निकासी आदेश राज्य व्यापार निगम के पक्ष में जारी किये जाते हैं और वह माल खरीदकर उसका आयात करने की व्यवस्था करता है ।

(ख) और (ग) राज्य व्यापार निगम को मार्च, 1969 तक प्राप्त हुए निकासी आदेश पहले ही पूरे किये जा चुके हैं । इसके अतिरिक्त आयात सम्बन्धी पूछताछ की जा रही है और मार्च, 1969 के पश्चात प्राप्त हुए निकासी आदेश तभी पूरे किये जायेंगे जब कि

विदेशी खरीदारों के साथ आवश्यक संविदाएं अन्तिम रूप से तय हो जायें। कतिपय लाइसेंसों तथा निकासी आदेशों के सम्बन्ध में निगम द्वारा कार्यवाही को तब तक के लिये रोक दिया गया है जब तक उनकी लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा और संवीक्षा नहीं हो जाती।

ऊनी मौजे, स्वेटर आदि का निर्यात

3357. **श्री वे० वृ० दास चौधरी :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के उद्योग विभाग के अनुसार 1968-69 में लुधियाना से 6 करोड़ रुपये के मूल्य के ऊनी मौजे, स्वेटर आदि का निर्यात किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस उद्योग को कुछ सुविधायें देने का है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) 1968-69 के दौरान कुल 6.2 करोड़ रु० मूल्य की ऊनी तथा मिश्रित होजरी का निर्यात किया गया। लुधियाना से किये गये निर्यात के अलग आंकड़े प्राप्य नहीं हैं।

(ख) ऊनी तथा मिश्रित होजरी के निर्यातक, निर्यातों के आधार पर कच्चे माल की प्रतिपूर्ति के पहले ही हकदार हैं। सामान्य नीति के अनुसार, अपने उत्पादन के 10 प्रतिशत से अधिक अंश का निर्यात करने वाले एकक भी उनके समग्र उत्पादन में इस्तेमाल किये गये आयातित कच्चे माल के लिये पूर्ण प्रतिपूर्ति के पात्र हैं जैसा कि प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों के मामले में होता है। इस उद्योग को कोई और सुविधा देने के बारे में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बासमती चावल का निर्यात

3358. **श्री सीताराम केसरी :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने लगभग 17,000 टन बासमती चावल का निर्यात करने के लिये क्रयादेश प्राप्त किये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि 17,000 टन के क्रयादेशों में से केवल 7,000 टन अच्छी किस्म का बासमती चावल निर्यात किया जा सका है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राज्य व्यापार निगम के पास 14,920 मे० टन बासमती चावलों के निर्यात के लिये पक्के क्रयादेश हैं। इसमें से 7,854 मे. टन का निर्यात हो चुका है और शेष मात्रा का पोत-लदान उस सुपुर्दगी समय-क्रम के अनुसार किया जा रहा है जो विदेशी खरीदारों के साथ तय हुआ था।

हिमालय सीमा के साथ "मैजिनाट लाइन" का निर्माण

3359. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री प० मु० सईद : **श्री रा० कृ० बिड़ला :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे समाचार मिले हैं कि चीनी सेनाएं तिब्बत के अधिकृत क्षेत्र में हिमालय के साथ-साथ "मैजिनाट लाइन" बना रही है;

(ख) क्या यह सच है कि चीनियों ने तिब्बत में मेकमोहन लाइन के सामने भारी संख्या में सुरंगे तथा खाईयां बनायी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में किसी भी सम्भाव्य सैनिक हमले का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या पूर्वोपाय किए हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) सरकार को ज्ञान है कि चीन ने सीमा के पार सुरंगे, खाईयों इत्यादि समेत सैनिक महत्व के भिन्न किस्मों के कई निर्माण कार्यों का निर्माण किया है। अपने रक्षा प्रबन्ध करते समय इन गतिविधियों का पूरा ध्यान रखा जाता है।

जिला स्तर पर आयोजन

3360. **श्री लोबो प्रभु :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायत राज संगठन के माध्यम से जिला स्तर पर बहुत ही उचित रूप से योजना बनाने का कार्य किया जा सकता है और उसके लिये कितने धन की व्यवस्था की जा रही है और क्या योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व राज्यों को योजनायें भेजने के लिये कहा जायेगा;

(ख) जबकि केन्द्रीय सरकार ग्रामों में सड़कें बनाने के लिये राज्य सरकारों को 40 प्रतिशत अनुदान देने के लिये पहले ही वचनबद्ध है, क्या सरकार ताल्लुक बोर्डों और पंचायतों को ग्राम जिला योजना में स्वीकृत संगठनों तथा अन्य कार्यों के लिये भी उतना ही अनुदान देने के लिए तैयार है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) जबकि ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के बीच विषमता से स्वीकार किया गया है, गामों में जीवन निर्वाह तथा कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार करने के लिये वर्गीकृत वस्तुओं के लिये ऋण उपलब्ध न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या योजना में इन मदों के कारण रोजगार के अवसर उपलब्ध किये जाने के कारण इन मदों का भी वर्गीकरण किया गया है और ऋण की व्यवस्था की गई है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकारें जिला योजनायें तैयार करने का काम आरम्भ करें। आशा है पंचायती राज संस्थायें इन योजनाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भाग लेंगी। ब्यौरेवार जिला योजनायें तैयार करने में राज्यों को कुछ समय लगने की संभावना है, इसलिये यह प्रस्ताव नहीं है कि योजना के मसौदे को अन्तिम रूप देने से पहले राज्यों से जिला योजनायें मांगी जायें। परन्तु राज्य सरकारों से योजना के बारे में विचार-विमर्श के दौरान जिला योजनाओं में हुई प्रगति के बारे में समय-समय पर सामान्यतया चर्चा की जायेगी।

(ख) और (ग) चौथी योजना अवधि के राज्यों को केन्द्रीय सहायता सामूहिक अनुदानों और सामूहिक ऋणों के रूप में क्रमशः 30% और 70% के अनुपात से दी जायेगी। यह सहायता किसी विशेष स्कीम से सम्बद्ध नहीं की गई है। अतः इसका कोई भाग किसी विशेष प्रयोजन के लिये या राज्य सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य अभिकरण को दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। राज्य योजना और संस्थागत साधनों का एक बड़ा भाग गांवों में जीवन और कार्य की स्थितियों को सुधारने पर खर्च किया जायेगा।

(घ) गांवों में जीवन और कार्य की स्थितियों के सुधार के कार्यक्रमों के लिये राज्य सरकारें स्कीमें चलाती रही हैं और ऋण व अनुदान देती रही हैं।

पिल्लै समिति की सिफारिशें

3361. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिल्लै समिति की बहुत सी सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है;

(ख) क्या इस कारण विदेश सेवा के विभिन्न वर्गों में व्यापक असंतोष पैदा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) बहुत सी सिफारिशें पहले ही लागू कर दी गयी हैं। कुछ अन्य सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। बाकी सिफारिशों को लागू करने के सवाल पर उनके आर्थिक, वैधानिक और प्रशासनिक पहलुओं से विचार किया जा रहा है।

Air, Territorial Waters And Border Violations By China and Pakistan

3362. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Sharda Nand :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shrt Bansi Narain Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of incident of violations committed by China and Pakistan of our air space and borders and territorial waters during the last three years;

(b) the action taken by Government to prevent such border violations;

(c) whether any protest notes were sent to these countries by Government in this regard; and

(d) if so, the reaction of those countries thereto ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (d) : From Ist August 1966 to 31st July 1969, China committed 35 land violations and 2 air violations. During the same period, Pakistan committed 161 land violations and 91 air violations, including violations across the cease-fire line in J & K. No violation of our territorial waters was committed by Chinese or Pakistani naval vessels during the aforesaid period. Our security forces continue to be viglant on the borders. In respect of violations across the Cease-fire Line in J & K, complaints were lodged with the U. N. Observers. Protests were lodged with the Chinese and Pakistani authorities in respect of the other violations, but where they have sent a reply it is to deny the violations.

Financial Assistance to I. N. A. Personnel.

3363. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Georage Fernandes :
Shri Samar Guha :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of soldiers of the Indian National Army who have so far been given financial assistance by Government out of those soldiers who were to be given such assistance as per announcement made earlier by Government;

(b) whether Government have under consideralion the question of giving such assistance to the families of those soldiers who laid down their lives prematurely; and

(c) if so, when a final decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Out of a total of about 15,500 ex-Indian National Army personnel, claims for refund of forfeited pay and allowances had been received from 14,604 personnel upto 30th June 1969. Of these, 12,931 claims had already been paid upto 30th June, 1969;

(b) and (c): Dependants of personnel who died while serving with the INA were paid ex-gratia amounts ranging from Rs. 400/- to Rs. 800/- once in the year 1949 and again in the year 1964.

Working Indian Embassies

3364. Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Prem Chand Verma :
Shri Shiv Charan Lal :
Shri K. Lakkappa :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indian Embassies are not able to protect Indian interests adequately;

(b) whether any decision has been taken to bring about necessary changes in the working of the Indian Embassies abroad; and

(c) whether the employees sent abroad are also made familiar with the languages and ways of living of the countries to which they are sent ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir, it is not a fact.

(b) The working of the Indian Missions abroad is kept under constant watch and suitable action is always taken to improve their effectiveness where necessary.

(c) The Senior officers sent abroad are duly briefed on the various aspects of the countries of their posting. The officer's familiarity with the language of the country is one of the factors taken into account while selecting him for the post. In addition, the officers are encouraged to learn the local language during their tenure.

मंगोलिया के साथ व्यापार करार

3365 श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगोलिया के साथ व्यापार तथा सांस्कृतिक करारों को नवीकरण करने का सरकार का विचार हैं; और

(ख) क्या नए करार में मशीनी पुर्जे तथा कपड़े से बने माल को शामिल किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) : चूंकि भारत तथा मंगोलिया के बीच वर्तमान व्यापार करार 12 फरवरी 1971 तक वैद्य है अतः उस तारीख तक उसके पुनः नवीकरण का प्रश्न नहीं उठता । वर्तमान करार के अन्तर्गत बुनाई के माल को एक विशिष्ट मद के रूप में शामिल किया गया है । यद्यपि मशीनी औजारों को एक विशिष्ट मद के रूप में शामिल नहीं किया गया है तथापि वे वैद्युत-तकनीकी माल नाम की एक मद के अन्तर्गत आते हैं ।

जिस सांस्कृतिक करार पर 1961 में हस्ताक्षर हुए थे, वह अनिश्चित अवधि के लिये वैद्य रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक देश उसमें निर्दिष्ट नोटिस देकर उसे समाप्त न कर दे । इस करार के उपबन्धों के अन्तर्गत, भारत-मंगोलिया के बीच समय समय पर सांस्कृ-

तिक विनिमय के कार्यक्रम रखना तय हुआ है। 1969-70 के कार्यक्रम के विषय में इस समय बातचीत चल रही है।

प्रादेशिक असंतुलन को समाप्त करने की योजना

3366. **श्री सु० कु० तापडिया :**
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री रा० कृ० सिंह।

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो गत 6 महीनों में जनता को दिये गये आश्वासनों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण और विषमताएं कम करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित और विकसित करने जैसे कार्यक्रम पर अपनी योजनाओं में विशेष ध्यान दें। जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय स्तर से कम है, केवल उन्हीं में, केन्द्रीय सहायता को वितरित की जाने वाली राशि का दस प्रतिशत वितरित किया जायेगा ताकि वे अपने योजना परिव्ययों में वृद्धि कर सके। पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण तथा उनमें पूंजीगत संसाधनों के अन्तर्प्रवाह को बढ़ाने के लिए साधनों का सुझाव देने के लिए योजना आयोग द्वारा नियुक्त दो कार्यकारी दलों के प्रतिवेदनों पर राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा कालान्तर में विचार किया जायेगा।

"चौथी पंचवर्षीय योजना, 1969-74 (प्रारूप)" प्रकाशित दस्तावेज के पृष्ठ 17-19 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है। इसकी एक प्रति अप्रैल, 1969 में सभा पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Department of Atomic Energy and Planning Commission

3367. **Shri Molahu Prashad : Will the Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9600 on the 14th May, 1969 and state :

(a) whether information in respect of the Department of Atomic Energy and Planning Commission has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) The requisite information is contained in the enclosed statement.

(c) Does not arise.

Statement

The requisite information in respect of the Department of Atomic Energy is given below : (a) 1

(b) Shri Kali Charan, U. D. C.

2. The information in respect of the Planning Commission is 'NIL'.

3. The following Central Secretraiat Services were decentralised w. e. f. 1.10.62/ 1.11.62 :-

1. Central Secretariat Service

(i) Section Officers' Grade,

(ii) Assistants' Grade.

2. Central Secretariat Stenographers Service

(i) Stenographer Grade I

(ii) Stenographer Grade II

3. Central Secretariat Clerical Service

(i) Grade I (U. D. C.)

(ii) Grade II (L. D. C.)

The Selection Grade and Grade I of the Central Secretariat Service are being administered by the Ministry of Home Affairs. The Prime Minister's Secretariat and the Cabinet Secretariat (which includes the Department of Statistics) are part of a unified cadre which covers and is controlled by the Ministry of Home Affairs except for a handful of isolated posts which do not belong to any regularly constituted service. Recruitment/promotion, confirmation etc. in the decentralised services/grades are done by the cadre authority.

Use of Hindi in Government Work.

3368. Shri Molahu Prashad : Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2719 on the 12 March, 1969 regarding use of Hindi in Government work and state :

(a) whether the information has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) The requisite information is contained in the statements (I to V) **[Placed in Library. See No. LT-1662/69]**

(c) Does not arise.

Staff in Ministry of Foreign Trade and Supply

3369. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some employees under his Ministery work in the country as well as abroad;

(b) whether it is also a fact that while recruiting persons for his Ministery, special qualifications and efficiency are kept in view;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees, category-wise and section-wise, employed in his Ministry according to the rules governing the reservation of posts for them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Cdhowhary Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : Recruitment to various posts under Government is made in accordance with the resruitment rules applicable to different categories of posts which **inter-alia** set out qualifications, experience etc. prescribed for each post.

(d) A statement containing the required information in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees working the Ministry of Foreign Trade and Supply is attached.

Statement

	Schedule Castes	Schedule Tribes
Class I Officers (Gazetted)	4	--
Class II Officers (Gazetted)	2	--
Class II Officers (non-Gazetted)	10	--
Class III (non-Gazetted)	35	4
Class IV (non-Gazetted)	69	19

पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनाना

3370. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनाने के बारे में प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा और लक्ष्यों की परिभाषा कब तक तैयार हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : चौथी योजना प्रारूप के दूसरे अध्याय में अर्थ-व्यवस्था की दीर्घ-कालीन सम्भा

वनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया गया है। इसके अन्तर्गत पांचवीं पंचवर्षीय योजना और इसके बाद के दो वर्ष 1980-81 तक की अवधि आ जाती है। जनसंख्या के विकास कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, उपभोग व विनियोजन, सरकारी तथा निजी बचत, आयात और निर्यात जैसे कतिपय महत्वपूर्ण विस्तारों के रूप में गुणात्मक रूप में अर्थ-व्यवस्था के छः प्रतिशत प्रतिवर्ष या अधिक विकास की दर की जटिलतायें प्रस्तुत की गई हैं। अर्थ-व्यवस्था की दीर्घकालीन आवश्यकताओं के संदर्भ में जनशक्ति आयोजन तथा शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसंधान के सम्बन्ध में सामयिक व समुचित कार्यवाई करने पर बल दिया गया है। इस प्रकार का काम बड़े पैमाने और अधिक विस्तृत आधार पर, विकल्पों के अध्ययन आदि के बारे में चलते रहेंगे। अधिकांश जो निर्णय लिये जाने हैं वे गुणात्मक किस्म के हैं, अतः कार्य के इस विस्तृत सोपान का अर्थ है महत्वपूर्ण मसलों पर ध्यान दिलाना और उनका गुणात्मक प्रस्तुतीकरण जो कि बहुत ही लाभप्रद है। योजना की तैयारी के बाद के सोपानों का मुख्य उद्देश्य पांचवीं योजना अवधि में उद्देश्यों को अधिक ठोस रूप से परिभाषित करना और न केवल पृथक पृथक क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों के सम्बन्ध में बल्कि विशिष्ट पृथक पृथक परियोजनाओं के बारे में उत्तरोत्तर अधिक ब्यौरेवार योजना तैयार करना है। अब चौथी पंचवर्षीय योजना का कुछ समय कार्यान्वयन हो जायेगा और विकास का गति का समुचित चित्र परिलक्षित हो जायगा उसके बाद ही औपचारिक रूप से सम्बन्धित विस्तृत कार्य तथा व्यापक विचार विमर्श करने का काम हाथ में लिया जा सकेगा।

छावनी बोर्ड, फैजाबाद

3371. श्री रा० कृ० सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैजाबाद के छावनी बोर्ड ने गुप्तार घाट के विद्युतीकरण के लिए, जहां पर भगवान राम लोप हुए थे 10,000 रुपये मंजूर करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह राशि मंजूर कर दी है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ख) कोई स्वीकृति नहीं दी गई।

राजस्थान में आर्थिक असंतुलन

3372. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा किये गये हाल के वर्गीकरण के अनुसार भी राजस्थान को एक पिछड़ा राज्य दिखाया गया है; और

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य में वर्तमान आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए योजना आयोग ने कोई विशिष्ट योजनाएं तैयार की हैं; और

(ग) यदि हां तो चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता से राज्य में विभिन्न किस्म के कौन कौन से उद्योगों-बड़े पैमाने के और छोटे पैमाने के-की स्थापना करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) "चौथी पंचवर्षीय योजना, 1969–74 प्रारूप" नामक प्रकाशित दस्तावेज के पृष्ठ 69–70 की ओर ध्यान दिलाया जाता है । इसकी एक प्रति अप्रैल 1969 में सभापटल पर रखी जा चुकी है ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को जो केन्द्रीय सहायता दी जायेगी वह एक मुश्त अनुदानों के द्वारा न हो कर एक मुश्त ऋणों के रूप में होगी ।

जापान को लोह अयस्क की बिक्री

3373. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान को लोह अयस्क की बड़ी मात्रा में बिक्री के लिये करार करने के हेतु बातचीत करने के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक दल हाल में जापान गया था;

(ख) इस दल ने कितने आयातकों से बातचीत की, यह कितने दिन वहां ठहरा, कहां कहां पर गया और अन्त में लोह अयस्क को कितनी मात्रा बेचना तय हुआ तथा भारत द्वारा कितनी मात्रा बेची गई;

(ग) यदि बिक्री के लिए कोई करार हुआ है तो भेजने की अवधि, किस्म और मूल्य सहित बिक्री की सम्बन्धित शर्तें क्या हैं और ये मूल्य आस्ट्रेलिया सहित अन्य विक्रेताओं को जापान द्वारा दिये जाने वाले मूल्य से कितना कम अथवा अधिक है; और

(घ) भारत पतन पर लौह अयस्क का जहाज पर दाम क्या होगा और इसमें ढुलाई व्यय और पतन शुल्क कितना होगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्रतिनिधिमंडल केवल टोकियो गया था और वह वहां पर 12-4-1969 से 2-5-1969 तक ठहरा था । प्रतिनिधिमंडल ने जापान की नौ इस्पात मिलों के समन्वयकर्त्ताओं के साथ बातचीत की और 1969–70 के दौरान 33 लाख टन, 65163 ग्रेड के बेलाडिला अयस्क की सुपुर्दगी के लिये और तीन वर्षों (1969–71) के दौरान 62160 ग्रेड के किरिबुरू अयस्क के 40 लाख टन की सुपुर्दगी के लिये पक्की संविदाये की हैं । जहाज मूल्य जो तय हुआ है वह वैसा ही हैं जो आस्ट्रेलिया सहित विश्व बाजार में है । इन दोनों संविदाओं का मूल्य 48 करोड़ रु० से अधिक बैठता है जिसका भुगतान खरीदारों द्वारा अमरीकी डालरों में किया जाएगा ।

(घ) अयस्कों की एफ० ओ० बी० टी० लागत के ब्यौरे को बताना खनिज तथा धातु व्यापार निगम के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा ।

भारत-ब्रिटेन औद्योगिक सहयोग

3374. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने अपनी लन्दन की यात्रा के दौरान भारत में ब्रिटेन की अधिक निजी पूंजी के लगाये जाने की सम्भावनाओं पर ब्रिटेन के उद्योगपतियों से बातचीत की थी;

(ख) क्या ब्रिटेन के उद्योगपतियों के साथ सहयोग के प्रश्न पर भी बातचीत हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का क्या रुख था और इस बारे में ब्रिटेन के उद्योगों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री ने जब से कार्यभार सम्भाला है तब से वे लन्दन नहीं गये।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

अमरीका से रूई का आयात

3375. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री रा० कृ० बिड़ला : **श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रूई की कमी है;

(ख) क्या अमरीका रूई के आयात के लिये अमरीका की सरकार के साथ कोई करार किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो अमरीकी रूई के आयात से देश की किस मांग की सीमा तक पूर्ति हो सकेगी और क्या फिर भी इसकी कमी रहेगी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). 1968-69 के वर्ष में पी० एल० 480 रूई का आयात करने के करारों पर 25-4-1969 तथा 29-5-1969 को हस्ताक्षर किये गये थे। इन करारों के अधीन 2.5 लाख गांठों का आयात करने की व्यवस्था की गई है। आशा है विश्व क्षेत्रों से किये जाने वाले आयात के साथ साथ इस आयात से कमी पूरी हो जायेगी।

केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध लगाये जाने वाले आरोपों की जांच करने के बारे में प्रक्रिया

3376. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्री परिषद के किसी सदस्य के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिये उन्होंने क्या प्रक्रिया अपनाई है;

(ख) क्या उनकी मंत्रीपरिषद के किसी सदस्य के विरुद्ध इस समय जांच की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रधान मंत्री उपयुक्त प्रक्रिया अपनाती हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत अर्थ मूवर्स, लिमिटेड

3377. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स की स्थापना का प्रयोजन और निर्धारित किए गए लक्ष्य पूरे हो गए हैं अथवा नहीं;

(ख) क्या उत्पादन के मानक (स्टडर्ड) की अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्ट विवरण (स्पैसी फिकेशन्स) से तुलना की जा सकती है और क्या इसकी उत्पादन-लागत विदेशी फर्मों की उत्पादन लागत के लगभग बराबर ही है;

(ग) 1965 से ऐसी कौन सी नई वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है जो पहले आयात की जाती थी तथा प्रत्येक वस्तु के गत वर्ष में उत्पादन के आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या गत वर्ष में इस कम्पनी में उच्चतम कार्यकारी अधिकारियों में कोई परिवर्तन किए गए थे; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक और सचिव के नाम क्या हैं और वे कब से इन पदों पर कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) 1968-69 के तथा इससे पहले के तीन वर्षों के लाभ-हानि, बिक्री, लक्ष्य और स्टाक आदि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ङ) . एक विवरण सभा पटल पर रख जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1663/69]

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड

3378. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड जिस प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया था और जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, क्या वे पूरे हुए हैं अथवा नहीं;

(ख) क्या इसमें उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का है और क्या इसकी उत्पादन लागत विदेशी फर्मों की उत्पादन लागत के लगभग बराबर है;

(ग) इसमें 1965 से कौन सी नई वस्तुएं बनाई जा रही है, जिनका पहले आयात किया जाता था; और गत वर्ष प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कितना कितना था;

(घ) क्या गत वर्ष इस कम्पनी के मुख्य अधिकारियों में कोई परिवर्तन किए गए थे और यदि हां, तो वर्तमान अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के नाम क्या हैं और कब से इन पदों पर काम कर रहे हैं; और

(ङ) 1968–69 से पहले के तीन वर्षों की तुलना में वर्ष 1968-69 में लाभ-हानि, विक्रय लक्ष्य तथा स्टाक आदि के आंकड़े क्या थे ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को 1 अक्तूबर, 1964 को हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और एयरोनोटिक्स इन्डिया लिमिटेड को मिला कर स्थापित किया जाता था। इन दोनों के मिलाने का उद्देश्य भारत में विमान और विमानों के इंजनो के निर्माण के लिये सीमित संसाधनो का सर्वोत्तम उपयोग करना था। नई कम्पनी के सामने मुख्य कार्य मिग विमानों के निर्माण के लिये नासिक, हैदराबाद और कोरापुट में नये कारखानों को स्थापित करना था। यद्यपि इन नये कारखानों में कुछ शाप्स को चालू करने में विलम्ब हुआ है, फिर भी मोटे तौर पर उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार चलना संभव हो सका है। तथापि, संसाधनो के अधिक अच्छे उपयोग के लिये एयरोनाटिक्स समिति की अन्तरिम सिफारिशों पर आधारित कम्पनी के संगठन-ढांचे में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक समझा गया है।

(ख) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड में उत्पादन के स्तर की तुलना किसी भी अन्य देश के उत्पादन स्तर से की जा सकती है। इसमें उत्पादन लागत विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है और आवश्यक संख्या एक महत्वपूर्ण बात है। कुछ मामलों में उत्पादन लागत आयातित विमान के मूल्य के मुकाबले की है और अन्य विमानों के मामले में अधिक है।

(ग) 1965 से हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने निम्न को जोड़ने सम्बन्धी निर्माण कार्य आरम्भ किया है :

1. मिग विमान, इसका इंजन और सम्बन्धित इलैक्ट्रोनिक उपकरण।
2. एच० जे० टी०-16 (बेसिक जेट ट्रेनर)
3. अलाइड III हैलीकाप्टर और उसका इंजन।

प्रत्येक विमान की उत्पादन संख्या का बताना लोक हित में नहीं होगा।

(घ) कम्पनी के प्रबन्ध का पुनर्गठन किया गया है और निम्न नये पद बनाये गये हैं :-

(1) कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के पद के बदले में एक पूर्ण कालिक चेयरमेन का पद।

(2) दो प्रबन्ध निदेशकों के पद, एक बंगलौर डिवीजन के लिये और दूसरा मिग काम्पलेक्स के लिये। प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के पश्चात् बंगलौर डिवीजन के प्रबन्ध निदेशक का पद समाप्त कर दिया जायेगा।

चेयरमेन, प्रबन्ध निदेशक और सचिव के पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी निम्न प्रकार है :—

(1) वर्तमान चेयरमैन एयरचीफ मार्शल पी० सी० लाल हैं। 21-1-1969 से पूर्ण कालिक चेयरमैन के रूप में उनकी नियुक्ति की गई थी। 23-4-69 से वह अंश-कालिक आधार पर हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन के पद पर काम कर रहे हैं।

(2) एयर वाइस मार्शल ए० एस० रिखी को 22-1-1969 से प्रबन्ध निदेशक (मिग काम्पलेक्स) के रुप में नियुक्त किया गया था। बंगलौर डिवीजन के प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति अभी नहीं की गई है।

(3) श्री एन० परसुरमन को हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के सचिव के रुप में 17-4-1968 से नियुक्त किया गया था।

(ङ) जानकारी निम्न प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन का मूल्य		विक्रय मूल्य	व्यापार में स्टाक	लाभ
	लक्ष्य	वास्तविक	(रुपया लाखों में)		
1965-66	1880.00	1772.86	1646.33	366.05	121.98
1966-67	2582.82*	3492.38	2928.76	543.93	129.24
1967-68	2900.91*	4644.85	4137.54	719.37	129.98
1968-69@	6142 51	5374.22	5237.83	801.99	222.34

*लक्ष्यों में मिग डिवीजन के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं हैं।

@1968-69 के आंकड़े अस्थायी हैं।

इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग का विकास

3379. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाभा समिति ने इलेक्ट्रोनिक उद्योग के विकास के बारे में एक व्यापक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किन सुझावों को स्वीकार है और किन को अस्वीकृत कर दिया है;

(ग) देश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का शीघ्र विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सरकार ने देश में भाभा समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक परामर्श देने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति स्थापित की गई है। इलैक्ट्रॉनिक्स के विकास के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :—

(1) इलैक्ट्रॉनिक सघटकों को खरीदने के लिए अधिक क्षमता तैयार करना, इस मामले की लगातार समीक्षा की जाती है और बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त क्षमता तैयार करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। उच्च कोटि के व्यवसायिक संघटकों की उत्पादन व्यवस्था बनाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

(2) रेडियो रिसीवरों टेलिविजन रिसीवरों और मनोरंजनकारी उपस्करों की अन्य इलैक्ट्रॉनिक पदों के निर्माण के लिए पर्याप्त क्षमता तैयार की जा रही है।

(3) परीक्षण यंत्रों और संगणकों के निर्माण के लिए अधिक क्षमता तैयार की जा रही है।

(4) इलेक्ट्रानिक उद्योग के लिए अपेक्षित सामग्रियों और उपस्कर तथा सघटकों के सबध में अनुसधान तथा विकास के लिए बहुत सी परियोनाएं मंजूर की गई हैं।

(5) उनके उत्पादन यूनिटों में अनुसंधान और विकास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए निर्माण यूनिटों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अनुसधान और विकास कार्य के लिए आवश्यक परीक्षण उपस्करों के आयात के लिए उनके आवेदनों पर अनुकूल विचार किया जाता है।

(6) संचार तथा रक्षा व्यवस्था के लिए अपेक्षित माइक्रोवेव, राडार और अन्य उपकरणों के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता तैयार की जा रही है।

(7) इलेक्ट्रानिक मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाता है।

(2) सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रनिक उपस्करों का उत्पापन 1964-65 के 26.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 1968-69 में 85 करोड रुपये तक हो गया है, और इसी समय के दौरान इलैक्ट्रॉनिक्स संघटकों का उत्पादन प्रति वर्ष 6 5 करोड़ रुपये से बढ़कर 21 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तक बढ़ गया है। निर्यात भी काफी बढ़ गया है।

चाय के मूल्य

3380. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम से कम लन्दन में चाय का सम्मिश्रण करने का एक कारखाना स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कोई उपाय करने पर विचार कर रही है कि यहां पर चाय उत्पादकों को प्राप्त होने वाले मूल्यों तथा ब्रिटेन, अमरीका तथा अन्य देशों में उपभोक्ताओं द्वारा दिये जाने वाले मूल्यों में भारी अन्तर काफी कम हो जाये ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) विदेशी बाजारों में चाय के ऊंचे मूल्य, जिनमें वर्ष 1968 से गिरावट का रुख दृष्टिगोचर हो रहा है, प्राप्त करने के प्रश्न पर उत्पादक तथा उपभोक्ता देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत की जा रही है। हमारी चाय के लिए ऊंचे मूल्य प्राप्त करने के लिए सरकार श्रीलंका के साथ ऐसे उपायों पर बातचीत कर रही है जो संयुक्त रूप से किये जा सकते हैं। प्रस्तावित उपाय ये हैं : भारत तथा श्रीलंका की चाय के कुल निर्यात बढ़ाने के लिए एक संयुक्त सार्थसंघ की स्थापना, नये बाजारों का विकास और उनमें चाय के सम्मिश्रण और संवेष्टन के लिए एककों की स्थापना भारत और श्रीलंका की चाय का संयुक्त संवर्धन तथा चाय के उत्पाद विकास पर अनुसंधान करना।

Demand for Ammunition from Other Countries by Pakistan

3381. **Shri P. L. Barural :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Nav Bharat Times of the 22nd May, 1969 that the present Government of Pakistan have issued orders to their envoys abroad to take immediate action on earlier agreements and obtain maximum arms and ammunition from those Grvernments; and

(b) if so, whether Government propose to issue such orders also to their envoys abroad ?

The Deputy Minister iu the Ministery of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir. But we have no evidence to confirm this.

(b) Government have no such proposal under consideration.

राजदूतों के रूप में हरिजन तथा मुसलमान

3382. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों मे सरकार द्वारा कितने राजदूत तथा उच्चायुक्त नियुक्त किये गये; और

(ख) उनमें हरिजनों तथा मुसलमानों की प्रतिशतता क्या थी तथा उन्हें कहां पर नियुक्त किया गया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) उन मिशन प्रमुखों की संख्या 68 है जो 1966–69 के बीच नियुक्त किए गए हैं और अपने-अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) इनमें 13 प्रतिशत मुसलमान और अनुसूचित जाति के हैं। अन्य ब्यौरे नीचे दिये जा रहे हैं :—

1. श्री एम० ए० हुसेन, राजदूत, बर्न।
2. श्री मुहम्मद यूनुस राजदूत, अल्जीयर्स।
3. श्री एम० ए० रहमान, राजदूत, तेहरान।
4. श्री महबूब अहमद, राजदूत, बगदाद।
5. श्री वी० ए० किदवई, राजदूत, दमिश्क।
6. नवाब अली यावर जंग, राजदूत, वाशिंगटन।
7. श्री टी० टी० पी० अब्दुल्ला, राजदूत, जेद्दा।
8. श्री एल० एन० रे, उच्चायुक्त, ट्रिनिडाड।
9. श्री पी० एस० नस्कर, उच्चायुक्त, वेलिंगटन।

Launching of First Satellite by India

3383. **Shri Meetha Lal Meena :**
Shri B. K. Das Chowdhury :

Will the **Prime Minister** be pleased to state .

(a) whether it is a fact that the Chairman of the Atomic Energy Commission has stated that India will be in a position to launch its first satellite within three years;

(b) if so, the broad outlines of the plan; and

(c) the number of countries from whom technical and economic collaboration will be sought for the said plan ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Mirister of Atomic Energy and Minister of Planing (Shrimati Indira Gandhi) ; (a) Yes, Sir. India hopes to make attempt to launch the first artificial satellite in 3 to 4 years.

(b) The plans call for the development of the diverse aspects of space teachnology which are involved. Progressively more sophisticated rockets which are under development will be tested from the new range at Sriharikota.

(c) No such collaboration is at present being contemplated.

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

3384. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया द्वारा डैम्पियर में पत्तन सुविधाओं का काफी विस्तार किये जाने से भारत से जापान को लौह अयस्क के निर्यात को धक्का पहुँचने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम स्वरूप जापान को लौह अयस्क का निर्यात कितना कम हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) जापानी मन्त्री को अपने हाथ में रखने हेतु देश में पत्तन विकास कार्य को तेज करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) . यह सच है कि डेम्पियर (आस्ट्रेलिया) मे पत्तन सुविधा में काफी सुधार किया गया है परन्तु इस समय हाथ में प्रस्तावित जो विभिन्न पत्तन विकास योजनाएं है उनके आधार पर हमें अपने निर्यात को हानि होने से रोकने में समर्थ होना चाहिए। सरकार ने सम्बद्ध सगठन के लिए चौथी योजना की अवधि के अन्त तक 310 लाख मे० टन प्रति वर्ष के निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। समाकलित प्रायोजनाएं शुरू कर दी गई हैं जिनमें ये शामिल हैं। खानों, सड़क तथा रेल परिवहन में सुधार, और पूर्ण रूप से यंत्रीकृत गहरे पत्तनों की व्यवस्था जहा कि अयस्क के बड़े आकार वाले वाहक ठहर सकते हों। इन प्रायोजनाओं के पूरे हो जाने से भारतीय लौह अयस्क की लागत पर्याप्त रूप से कम हो जानी चाहिए जिससे जापान तथा अन्य अन्तराष्ट्रीय बाजारों में यह अधिक प्रतियोगिता बन सके।

मक्का के लिये शिष्ट मण्डल

3385. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक शिष्ट मण्डल मक्का भेजने तथा बड़ी संख्या में वहां जाने वाले हाजियों में अपने देश की विदेश नीति का प्रचार करने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) हज के दिनों में भारत सरकार पिछले कई सालों से, प्रमुख भारतीय मुसलमानों के प्रतिनिधि-मण्डल साऊदी अरब भेजती रही है। 1970 के हज के लिए साऊदी अरब में हज प्रतिनिधि-मण्डल भेजने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पानागढ़ (पश्चिम बंगाल) में केन्द्रीय मोटरगाड़ी डिपो में पड़ी रद्द मोटर गाड़ियां

3186. श्री समर गुह : क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में पानागढ़ में केन्द्रीय मोटर गाड़ी डिपो में कई हजार रद्द सैनिक मोटर गाड़ियां 3 से 4 तक की अवधि से खुले में पड़ी हैं, जिसके कारण मौसम की खराबी के कारण उनमें जंग लग गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मोटरगाड़ियों की संख्या और बड़े तथा क्रय और निपटान मूल्य क्या है;

(ग) क्या इन मोटर गाड़ियों को बेच कर अथवा नीलाम कर निपटान करने में बिलम्ब होने के कारण राष्ट्र को बहुत हानि है; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करेगी कि अप्रयुक्त अथवा क्षतिग्रस्त सैनिक मोटरगाड़ियों को मौसम के कारण जंग लगने से और अधिक खराब होने से पहले बेच दिया जाए ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) : सैण्ट्रल विहीकल डिपु पानागढ़ में लगभग 2837 फालतू अवांछित गाड़ियां पड़ी हैं। इन में से कई डिपो में 3 से 15 वर्षों की विभिन्न अवधियों से पड़ी है। यथा सम्भव गाड़ियां आच्छादित काष्ठ भवनों में रखी हैं जबकि खुले में रखी गई गाड़ियां त्रिपालों से ढक कर रखी गई हैं। चूंकि अन्तिम संख्या में यह गाड़ियां देश में लीज और लैंड समझौते के अंश के तौर पर निर्मित की गई विश्वयुद्ध के दौरान प्राप्त की गई थी, उनका क्रय मूल्य नहीं बताया जा सकता। इन गाड़ियों की एक भारी संख्या निपटारे के लिए डी० जी० एस० एण्ड डी० को घोषित कर दी गई है, और उनका शीघ्र ही निपटारा किया जाएगा और गाड़ियों का अन्तिम निपटान न हो जाए उनकी निपटान कीमत बता पाना सम्भव नहीं है। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव पग उठाया जा रहा है। फालतू-अवांछित सामान को बिना बिलम्ब के निपटा दिया जाए।

Export of Kosa Cloth

3387. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) whether the export of Kosa Cloth from Madhya Pradesh has increased in 1968–69:

(b) if so, the extent of increase in its export; and

(c) the further steps taken by Government to increase its export ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdharay Ram Sawak) : (a) and (b) . While no separate figures in respect of Madhya Pradesh which produces about 45% of the total kosa silk in the country are available, the exports from Madhya Pradesh are estimated at 4.5 lakh sq. meters in 1968–69 as against the estimated exports of 2.25 lakh sq. metres in 1967–68.

(c) The following are some of the measures taken to step up production and exports of kosa cloth :–

(i) Intensive efforts for increasing production of tasar raw silk in the States of Bihar, Madhya Pradesh and Orissa.

(ii) Establishment of a research station at Ranchi exclusively for undertaking research activities connected with production of tasar silk.

(iii) Central Silk Board operated a price support scheme between December 1966 and June 1969 for ensuring a fair price to the Primary producers of tasar cocoons.

(iv) A comprehensive plan for organising prodution of tasar cocoons in sub-Himalayan regions of Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir and West Bengal is being formulated.

(v) A three-member delegation visited U. S. A., West European countries, Japan and Hongnkaong in January 1968 for conducting on-the-spet study of the existing demand for Indian tasar silk fabrics and also for assessing future prospects for increasing exports.

(vi) Export of tasar silk fabrics is subject to compulsory pre-shipment inspection so as to ensure maintenance of quality of the products exported.

Financial Assistance to Powerloom Industry

3388. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Foreign Trade aad Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to give financial assistance to powerloom industry; and

(b) if so, the amount proposed to be given to Madhya Pradesh State ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) The scheme of setting up of powerlooms in the cooperative sector is one of the schemes eligible for central assistance.

(b) The exact figure of central assistance for any particular scheme cannot be indicated as according to National Development Council decision, central assistance for 1969-70 will be given in the form of block loans and grants unrelated to any project or scheme.

Raising of Rhodesian Issue in U. N. O.

3389. Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether instructions have been issued to the Indian representative in U. N. O. to raise the question of Rhodesia in U N. O.; and

(b) if so, the progress made in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) The question of Southern Rhodesia is alraady on the agenda of the General Assembly and the Security Council.

(b) The Security Council has imposed mandatory sanctions against Southern Rhodesia covering the fields of trade, immigration, finance and transport, and continues to be seized of this matter. The next session of the General Assembly is expected to review the position and make further recommendations.

उड़ीसा का लौह अयस्क उद्योग

3390. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने भारत से लौह अयस्क के निर्यात के लिये जापान के साथ एक करार किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उड़ीसा को निर्यात सूची में से निकाल दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उड़ीसा में अयस्क उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक): (क) जी हां। खनिज तथा धातु व्यापार निगम के उस प्रतिनिधिमडल ने, जो अप्रैल, मई, 1969 में टोकियो गया था, 1969–70 के दौरान पूर्ति किये जाने के लिए 33 लाख टन बेनाडिला अयस्क तथा तीन वर्षों (1969–71) के दौरान पूर्ति किये जाने के लिए 40 लाख टन किरीबुरु अयस्क की एक संविदा की है।

(ख) से (घ) : राज्य व्यापार निगम ने जापानी इस्पात मिलों को अन्य खानों के लौह अयस्क के अतिरिक्त दायतारी अयस्क की बिक्री के लिए एक दीर्घावधि पेशकश की है। किन्तु वे तकनीकी आधार पर दायतारी अयस्क के पक्ष मे नहीं है। राज्य व्यापार निगम जापानी मिलों के साथ इस मामले पर आगे बातचीत कर रहा है।

जापान के अतिरिक्त, पूर्वी यूरोप के अन्य देशों को भी दायतारी अयस्क की बिक्री के लिए निगम पेशकश कर रहा है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रतिनिधिमंडल ने, जो अभी अभी रूमानिया से लौटा है, 11 वर्षों (1970–81) की अवधि के दौरान 2.34 करोड़ टन लौह अयस्क की पूर्ति का एक दीर्घावधि करार किया है। इसमें से 90 लाख टन की तो पक्की बात है और शेष मात्रा खरीददार की इच्छा पर निर्भर है। कुल मात्रा का लगभग 70 प्रतिशत मध्यम ग्रेड का अयस्क होगा जिसका अधिकांश दायतारी की खानों से होगा।

पूर्वी जर्मनी में भारतीय व्यापार मिशन

3391. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व जर्मनी में भारतीय व्यापार मिशन खोलने के निर्णय को अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो मिशन खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक): (क) और (ख) : पूर्व जर्मनी में व्यापार कार्यालय खोलने से सम्बन्धित विभिन्न प्रशासनिक ब्यौरों पर इस समय सरकार विचार कर रही है।

प्रतिरक्षा उत्पादन में आत्म निर्भरता

3392. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत प्रतिरक्षा उत्पादन की किस वस्तु अथवा किन वस्तुओं में आत्म निर्भर हो गया है;

(ख) किस वस्तु अथवा किन वस्तुओं में वह अब भी पूर्णतः अथवा बहुत हद तक विदेशों पर निर्भर करता है; और

(ग) प्रत्येक मामले में आत्म निर्भरता तथा निर्भरता का स्वरूप क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) रक्षा सेनाओं के लिए आवश्यक छोटे आयुधों और गोली बारूद, हल्की आर्टिलरी तथा गोली बारूद, इंजीनियरी सामानों जैसे कि ट्रैक्टरों, जेनरेटर सेटों, कम्प्रेसरों और उनके प्राईम मूवरों, पोत निर्माण, वर्फानी वस्त्रों समेत वस्त्रों, पैराशूटों की कई किस्मों तथा विशेष खाद्यों के सम्बन्ध में देश आत्मनिर्भर है या लगभग आत्मनिर्भर। मझोले टैंकों और विभिन्न प्रकार के सचार साज-सामान के सम्बन्ध में उत्पादन सन्तोषप्रद स्तर तक पहुंच गया है। अन्य आयुधों तथा गोली बारूद, गाड़ियों, क्रालर ट्रैक्टरों तथा हैवी अर्थमूविंग साजसामान, साफिस्टिकेटिड, इलेक्ट्रानिकी साजसामान, विभिन्न प्रकार के विमानों, फ्रिगेटों, सुरंग विध्वंसकों, सागर गामिनी नौकाओं, ड्रेजरों, टगों इत्यादि के लिए क्षमता प्रगतिशीलता से स्थापित की जा रही है।

(ख) और (ग) : रक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशी साधनों पर निर्भरता सिरता-पूर्वक कम की जा रही है। तदपि, कुछ आयात अनिवार्य है। विस्तार देना लोक हित में नहीं है।

अन्तरिक्ष सम्बन्धी आपदायें

3393. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "पैट्रियाट" द्वारा 29 मई, 1969 के अनेक अंक में "स्पेसमैन में ब्रिंग डेडली डिजीज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्री मती इन्दिरा गांधी): (क) जी, हां।

(ख) हमारे वैज्ञानिक, अपोलो-11 के यात्रियों के जमीन पर लौटने के बाद उन पर किये जा रहे संगरोध परीक्षणों के परिणामों का अनुसरण कर रहे हैं।

अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार

3394. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीका के प्रत्येक देश के साथ पिछले तीन वर्षों में हमारा कितने मूल्य का निर्यात तथा आयात हुआ है;

(ख) इन देशों से किये जाने वाले हमारे आयात में ढीलेपन के क्या कारण हैं; और

(ग) इस में सुधार करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

वैदेशिक व्यापार तथा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) गत तीन वित्तीय वर्षों में अफ्रीकी देशों से हुए आयातों तथा उन्हें किए गए निर्यातों के देशवार मूल्य को दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1664/69]**

(ख) विवरण से यह स्पष्ट हो जायेगा कि हमारे आयातों में ढीलापन नहीं है। 1968-69 में हुए आयात 1968-69 में हुए निर्यातों तथा विगत दो वर्षों में हुए आयातों दोनों ही से अधिक हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में शक्ति चालित करघों की सहकारी समितियों के विकास के लिए केन्द्रीय ऋण और अनुदान

3395. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में शक्ति चालित करघे की सहकारी समितियों के विकास के लिये पश्चिम बंगाल को ऋण तथा अनुदानों के रूप में केन्द्र द्वारा कुल कितनी धनराशि दी गई;

(ख) क्या सरकार से इस सहायता के उपयोग में कोई अनियमितताएं पता चली है और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) 48,02,900 रुपये

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली छावनी में प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए बिजली की आवश्यकता

3396. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रतिरक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी में प्रतिरक्षा सेवाओं की बिजली की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में बिजली की सप्लाई की स्थिति काफी अच्छी है;

(ग) यदि हां, तो क्या असैनिक उपभोक्ताओं को बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो तो असैनिक व्यक्तियों को कब तक बिजली के कनेक्शन दिए जाऐंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस समय दिल्ली छावनी में एम० ई० एस० की शक्ति आवश्यकता पूर्णतः दिल्ली बिजली सप्लाई उपकरण द्वारा जुटाई जा रही है ।

(ग) जी नहीं । गोपी नाथ तथा सदर बाजार क्षेत्रों के वासियों से जून 1969 से प्राप्त प्रार्थना पत्र निलिम्बत हैं क्योंकि हम इन क्षेत्रों की सेवा करने के लिए ट्रांसफार्मर, और सम्बन्धित वितरण प्रणालियां अभी स्थापित की जानी हैं ।

(घ) आशा है कि अब तक प्राप्त हुई प्रार्थनाओं के सम्बन्ध में, असैनिक उपभोक्ताओं को बिजली के कनैक्शन मार्च, 1970 अन्त तक सम्पूर्ण हो जाएगे ।

कोसी क्षेत्र में कृषि तथा कृषकों की दशा

3397. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने बिहार में कोसी परियोजना क्षेत्र में कृषि तथा कृषकों की दशा के बारे में अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस सम्बन्ध से सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) योजना आयोग ने स्वयं इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया है । बहरहाल, योजना आयोग के कहने पर बिहार सरकार द्वारा कोसी परियोजना क्षेत्र का अध्ययन किया गया था ।

(ख) और (ग) : अध्ययन के अन्तर्गत बिहार के पूर्णियां और सहर्षा जिलों के कुछ चुने हुए परिवार लिए गये थे। अध्ययन का उद्देश्य छोटे किसानों की समस्याओं का निर्धारण करना था। चौथी पंचवर्षीय योजना में छोटे किसानों की अर्थ-व्यवस्था को विकसित करने पर काफी बल दिया गया है और उपर्युक्त अध्ययन तथा देश के अन्य भागों में इसी प्रकार के अन्य अध्ययनों के निष्कर्षों को योजना तैयार करने में ध्यान में रखा गया है।

उगांडा में पटसन के बोरे निर्माण करने की भारत की परियोजना

3398. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उगांडा सरकार ने एक भारतीय उद्योगपति के उस देश में पटसन के बोरे निर्माण करने की परियोजना के स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उद्योगपति का नाम क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उद्योगपति को स्वीकृति दे दी है कि उगांडा विकास निगम की भागीदारी में कारखाना स्थापित करें; और

(घ) उन उद्योगपतियों के नाम क्या हैं जिनको विदेशों में भागीदारी से कारखाने लगाने की अनुमति दी गई है तथा उन देशों के नाम क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) मै० बिड़ला जूट मैन्युफैक्चरिंग क० लि०, कलकत्ता।

(ग) जी हां।

(घ) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

क्र० सं०	भारतीय उद्योगपति का नाम	देश जिसमें पूंजी लगाई गई।
1.	मै० बिड़ला ब्रादर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता	इथोपिया, नाइजीरिया, ब्रिटेन
2.	मै० बम्बई सोप फैक्टरी, बम्बई।	इथोपिया
3.	मै० डंकन ब्रादर्स एण्ड कं० लि०, कलकत्ता	इथोपिया
4.	श्री आर० एम० गोकुल दास, बम्बई।	कीनिया
5.	मै० के० टी० डोंगरे एण्ड कं० (प्रा०) लि०, बम्बई।	कीनिया
6.	मै० रेमण्ड बूलन मिल्स लि०, बम्बई	कीनिया
7.	मै० एच० एल० मलहोत्रा एण्ड सन्स (प्रा०) लि० कलकत्ता।	कीनिया

8.	मै० इण्डियन ह्यूम पाइप कं० लि० बम्बई	लीबिया
9.	मै० जय इंजीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता ।	श्री लंका
10.	मै० गोदरेज एण्ड बोयस मैन्युफैक्चरिंग कं० (प्रा०) लि०, बम्बई ।	मलयेशिया
11.	मै० अनिल हार्ड बोर्डस लि०, बम्बई ।	कनाडा
12.	मै० इण्डियन कार्क मिल, बम्बई ।	कीनिया

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा एक ब्रिटिश फर्म को विमानों की सप्लाई के लिए क्रयादेश का दिया जाना

3399. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री भगवान दास :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने भारत को विमानों की सप्लाई के लिए विमान निर्माताओं की एक प्रमुख ब्रिटिश फर्म को क्रयादेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ब्रिटिश फर्म का नाम क्या है और किस किस्म के और कितने विमानों के लिए क्रयादेश दिया गया है;

(ग) प्रत्येक विमान का अनुमानित मूल्य कितना है; और

(घ) उनके कब सप्लाई किए जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते ,

Payment of Additional Charges for Making Additions or Alterations in Houses in Cantonment Boards.

3400. **Shri Shasi Bhushan** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are taking any steps to remove the discontent among the residents of Cantonment Board, created as a result of the demand made as per new orders, from the poor people residing there for years that in order to make any addition or alteration in their shops of houses, they should obtain new lease and pay additional charges therefor;

(b) the old rules regarding fixing of lease period of the properties in Cantonment and the new steps being taken by Government to bring stability therein: and

(c) the reaction of Government to the difference between the new and old rules ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :(a) to (c), There are no new rules or orders issued in the matter; hence there is no cause for discontent. If the reference is to the letter of 23rd March 1968 regarding regulation of construction on

'Old Grant, sites, the same merely consolidates the various previous communications No lease holder is required to obtain a new lease in lieu of a current lease. The licencees of Government land have however to take out lease before putting up additional constructions. The licences are generally held on the terms contained in CGO. 179 of 1836 which has been placed on the Table of the House on 27th November, 1968 with reference to Unstarred Question No. 2328, while the terms of the standard from lease are contained in Schedule VIII of the Cantonment Land Administration Rules. The implementation of the communication of 23rd March 68 will assist the orderly development of cantonments and also ensure proper return to the Consolidated/Cantonment Fund.

Punjab Regiment

3401. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the present proportion of soldiers belonging to various castes in the Punjab Regiment; and

(b) whether Harijans can join the Punjab Regiment ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Punjab Regiment The consists in the main of Sikhs and Dogras.

(b) Though Harijans are eligible for recruitment in other units and do, in fact constitute a sizeable proportion of some units, in the Punjab Regiment their recruitment is as a part of the small authorization for other classes. In this cennection, attention of the Hon'ble Member is drawn to the answer given to Unstarred Question No. 6319 on the 28th August 1968 in Lok Sabha indicating the policy of Government regarding removal of caste and regional distinctions in Indian Army Units.

Russian Assistance to Pakistan Nevy

3402. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Jugal Mondal :
Shri Sitaram Kesri :
Shri Sradhakar Supakar :
Shri K. P. Singh Deo:
Shri R. K. Birla :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news reports that U. S. S. R. is assisting in the cxpansion of naval forces of Pakistan in addition to supplying other military equipment and is anxious to set up a naval base in Pakistan;

(b) the reaction of Government thereto; and

(c) the action taken by them in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) (a) Yes, Sir.

(b) and (c). These reports have been denied by the Soviet Government.

कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत तथा अफगानिस्तान का संयुक्त आयोग

3403 श्री हिम्मतसिंहका :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में जब भारत की प्रधान मन्त्री अफगानिस्तान के बीच कृषि क्षेत्र सम्पर्क बढ़ाने के बारे में उनके साथ बातचीत हुई थी और उस क्षेत्र में और अच्छा सहयोग सुनिश्चित करने के लिये संयुक्त आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बातचीत को ध्यान में रखते हुए क्या विशिष्ठ कार्यवाही की जायेगी ; और

(ग) इस संयुक्त आयोग के सदस्य कौन-कौन होंगे तथा उसके कृत्य क्या होंगे ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां । एक संयुक्त आयोग स्थापित करने पर सहमति हुई थी जो दूसरी बातों के साथ-साथ कृषि के क्षेत्र में आपसी सहयोग के प्रस्तावों पर भी विचार करेगा ।

(ख) इस प्रकार के आपसी सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए खाद्य और कृषि मन्त्रालय से चार सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल जुलाई, 1969 में अफगानिस्तान गया था ।

(ग) इस संयुक्त आयोग में दोनों पक्ष का नैतृत्व दोनों ओर का एक-एक मन्त्री करेगा और समय-समय पर जिन जिन अधिकारियों की जरूरत होगी वे उनकी सहायता करेंगे । इस संयुक्त आयोग का काम होगा—दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग का विकास और समन्वय ।

कन्याकुमारी में इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड फैक्टरी का बन्द होना

3404. श्री ई० के० नायनार :
श्री के० रमानी :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री के० अनिरुद्धन ।

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कन्याकुमारी में इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड फैक्टरी के बन्द होने तथा उसमें भारी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि सरकार के पास इसके उत्पादों के लिये अच्छे बाज हैं, प्रबन्धक लोग अकारण यह छंटनी कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस कारखाने को फिर से खोलने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) . मानवल्लूरिची में नये संयंत्र के चालू हो जाने के बाद इंडियन रेयर अर्थस् लिमिटेड ने इस वर्ष के आरम्भ ट्रावणकोर मिनरलज् लिमिटेड के पुराने सन्यन्त्र जिसे इंडियन रेयर अर्थस् ने सम्भाल लिया था, को बन्द कर दिया। पुराने संयंत्र को चलाना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक न था। सभी आवश्यक कर्मचारियों को नये संयंत्र में काम करने के लिए स्थानान्तरण कर दिया गया तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धाराओं का पालन करने के बाद वरिष्ठता के आधार अधिशेष कर्मचारियों को जिनकी संख्या 401 थी, 31 मई. 1969 से नौकरी से हटा दिया गया।

इस संयंत्र के बन्द करने तथा कर्मचारियों की छटनी के विरुद्ध इंडिदन रेयर अर्थस् कर्मचारी संघ द्वारा दाखिल की गई एक समादेश याचिका मद्रास उच्च न्यायालय में इस समय विचाराधीन है।

केरल में नारियल जटा विकास योजना

3405. श्री के० एम० अब्राहम :
श्री के० अनिरुद्धन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के औद्योगिक मन्त्री ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष को एक पत्र लिखा है जिसमें पहले वर्ष में केरल में नारियल जटा विकास योजना को कार्यान्वित करने की वित्तीय आवश्यकताएं दिखाई गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या मुख्य बातें लिखी हुई हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) (क) से (ग). 14 मार्च, 1969 को केरल के उद्योग मन्त्री ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष को एक टिप्पण भेजा था जिसमें बताया गया कि प्रथम वर्ष के लिये केरल में नारियल जटा विकास योजना को क्रियान्वित करने के लिये 125 लाख रुपया आवश्यक होगा। राज्य योजना में 55 लाख रुपये का उपबन्ध पहले ही था और वह 70 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि चाहते थे। बाद में, उन्होंने वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री को 12 जून, 1969 को लिखा और उसमें 46.88 लाख रुपये का पुनरीक्षित उपबन्ध दिखाया जिसमें सहकारी समितियों के लिये कार्य पूंजी के रूप में 34.80 लाख रुपये का ऋण शामिल था। योजना आयोग के परामर्श से इस प्रस्ताव पर विचार किया गया और केरल सरकार को सूचित किया गया कि यद्यपि कार्य पूंजी के लिए सहकारी समितियों की मोटी आवश्यकता सामान्यत: वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होनी चाहिये फिर भी योजनाओं को क्रियान्वित करने में कोई आपत्ति नहीं है बशर्तेकि उस को लागत का 1969-70 में केरल राज्य के लिये ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के लिये 139 लाख रुपये अनुमोदित परिव्यय के साथ समायोजन किया जाये।

एशिया के राष्ट्रों द्वारा सुरक्षा

3406. श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री एम० मुहम्मद इस्माइल :
श्री प० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री रवि राय :
श्री देवेन सेन :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री सीताराम केसरी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री कृ० दे० त्रिपाठी :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एशिया के राष्ट्रों द्वारा एशिया की सुरक्षा के सम्बन्ध में सोवियत साम्यवादी दल के अध्यक्ष श्री ब्रजनेव द्वारा दिये गये कथित सुझाव की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार प्रादेशिक आर्थिक सहयोग के उन प्रस्तावों का स्वागत करती है जिनसे उस प्रदेश में स्थायित्व, समृद्धि, और सुरक्षा बढ़े, किन्तु वह सैनिक दल बंदियों का विरोध करती है ।

इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, कन्याकुमारी द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

3407. श्री ई० के० नायनार :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री के० रमानी :
श्री क० अनिरुद्धन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन रेयर अर्थ लिमिटेड, कन्याकुमारी मोनगजाइट निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि अर्जित की है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग

3408. श्री अदिचन :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री देवेन सेन :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री देवेन सेन :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री रा० बरुआ :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री एम० एस० ओबराय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के प्रधान मन्त्री की काबुल यात्रा के दौरान आर्थिक विकास के लिये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सहयोग स्थापित करने के बारे में अफगानिस्तान सरकार के साथ हुई कथित बातचीत की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के निष्कर्षों के बारे में सरकार की क्या जानकारी और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है .

(ग) भारत सरकार ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है।

पाकिस्तान द्वारा बोनस बाउचर योजना का लागू किया जाना

3409. श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री दवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटमन के सामान निर्यात को बढ़ाने के अभिप्राय से आरम्भ की गयी पाकिस्तान की बाउचर योजना के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को एक विरोध पत्र भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का क्या दृष्टिकोण है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) । हालांकि पाकिस्तान द्वारा अपने पटसन के बने माल के निर्यात के लिए बोनस निर्यात वाउचर योजना के विरुद्ध भारत के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कोई औपचारिक विरोध पत्र नहीं भेजा है, फिर भी अनुच्छेद 14 के अधीन वार्षिक सलाहकार गोष्ठियों में सरकार ने अनेक बार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इस योजना के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे नोट कर लिया है । परन्तु इस पर उनकी प्रतिक्रिया का पता नहीं चला है ।

कपड़े के दाम

3410. श्री जनार्दनन : क्या वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा उद्योग ने यह मांग की है कि कपड़े के दाम बढ़ाये जायें ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

Violations of Indian Borders by Chinese Nationals and Soldires

3411. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of times the Chinese soldiers and nationals violated Indian border since the 1st January, 1966 to date;

(b) the steps proposed to be taken by Government to check such border violations in future; and

(c) the number of civil and military employees and Officers arrested in this connection during the above period ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). Chinese personnel intruded across Indian Sikkim border on 43 occasions during this period. Protests were lodged with the Chinese Government. Our security forces continue to be vigilant on the border.

(c) None.

Total Number of Employees in Ordnance Factories

3412. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the present number of civil and military employees and officers in the Ordnance Factories in India; and

(b) the number of officers and employees, whose services were terminated during the last two years on account of their wrongful activities ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) The number of civil and military officers and other employees in the Ordnance Factories including the Heavy Vehicles Factory, Avadi, is as follows :--

Category	Civil	Military
Officers	794	51
Other employees	1,14,260	2,170

(b) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Lower Division Clerks and Upper Division Clerks in Defence Ministry.

3413. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the total number of Upper Division Clerks and Lower Division Clerks in the Ministry at present; and

(b) the number of those employees who are working on the same post for the last five years ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a)	Upper Division Clerks	-	66
	Lower Division Clerks	-	215
(b)	Upper Division Clerks	-	39
	Lower Division Clerks	-	133

ब्रिटेन को सूती कपड़े का निर्यात करने के लिये कोटे के वितरण की योजना

3414. **श्री रा० कृ० बिडला** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने जून, नवम्बर, 1969 की पोतलदान अवधि के लिये ब्रिटेन को सूती कपड़े का निर्यात करने के लिये कोटे का वितरण करने सम्बन्धी एक योजना की हाल में घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना से हमारा निर्यात कितना बढ़ जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जीहां।

(ख) मुख्य बातें निम्नलिखित है :—

(क) वार्षिक कोटे के आधे परिमाण के 80 प्रतिशत का वितरण निर्यातकों को अपने विदेशी खरीददारों के साथ की गई ऐसी पक्की संविदाओं को प्रस्तुत करने पर किया जायेगा जिनकी पूर्ति माल के सभरण के लिए मिलों के साथ की गयी तदनुरूप संविदाओं द्वारा की गयी हों ;

(ख) वार्षिक कोटे के आधे परिमाण के 10 प्रतिशत का वितरण उन निर्यातकों को किया जायेगा जो 1:3 के अनुपात में विशिष्ट पश्चिम यूरोपीय बाजारों को, जिन में स्कैंडिनेविया भी शामिल है, माल भेजते हैं। ब्रिटेन को निर्यात हेतु ऐसे आवंटन विशिष्ट पश्चिम यूरोपीय बाजारों और स्कैंडिनेविया को माल भेजे जाने के पश्चात् ही किये जायेंगे और निर्यातक विशिष्ट पश्चिम यूरोपीय बाजारों और स्कैंडिनेविया को उनके द्वारा निर्यातित प्रति तीन वर्ग गज पर ब्रिटेन को कोटे के एक वर्ग गज का निर्यात करने के हकदार होंगे।

(ग) वार्षिक कोटे के आधे परिणाम के 5 प्रतिशत का वितरण अनुपात के आधार पर उन मिलों को किया जायेगा जिनका पचास वर्ष 1967 में कुल अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात उनके उत्पादन के 15 प्रतिशत से अधिक रहा हो;

(घ) वार्षिक कोटे के आधे परिणाम के 5 प्रतिशत का वितरण उन सुस्थापित निर्यातकों और नये निर्यातकों को किया जायेगा जिनसे ऊंचे मूल्य प्राप्त होंगे।

(ग) योजना को इस प्रकार तैयार किया है जिसमे ब्रिटेन के साथ सूती वस्त्रों के निर्यात व्यापार के दीर्घावधि हितों और उस देश को निर्यात कोटा पूरा करने के तात्कालिक उद्देश्य को पूरा किया जा सके। फिर भी, कोटे का पूरा किया जाना अधिकांशतः ब्रिटेन की बाजार स्थिति और अन्य निर्यातक देशों से प्रतियोगिता पर निर्भर करता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर का मामला

3415. श्री रवि राय : श्री अब्दुल गनी दार।
श्री महन्त दिग्विजय नाथ: श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष को काश्मीर के प्रश्न पर एक पत्र भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो उस पत्र में क्या लिखा गया है तथा इसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1665/69]

नेपाल में चीन के राजनयिक के साथ वैदेशिक-कार्य मंत्री की बातचीत

3416. श्री रवि राय : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने जून के महीने में अपनी नेपाल यात्रा के दौरान काठमांडू में नियुक्त चीन के कार्यदूत से भेंट की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ बातचीत हुई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) वैदेशिक कार्य मंत्री के नेपाल के दौरे के सम्बन्ध में राजदूतावास में आयोजित एक सामाजिक समारोह में वह नेपाल में चीनी कार्यवाहक राजदूत से मिले थे।

(ख) कोई चर्चा नहीं हुई थी।

निर्यात मदों की लागत

3417. **श्री रवि राय** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात लागत को कम करने के बारे में सरकार के ध्यान में कौन से व्यावहारिक उपाय हैं;

(ख) क्या कोई ऐसी मशीनरी है जो यह सुनिश्चित कर सके कि उद्योग, लागत-नियंत्रण में योगदान देगा; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) : सरकार, उद्योग के घनिष्ट सहयोग से निर्यात लागत कम करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। निर्यात लागत कम करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर किये गये कुछ प्रमुख उपायों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकार, हमारी निर्यात लागत को कम करने तथा हमारे माल को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता करने में समर्थ बनाने के लिए समय समय पर विभिन्न उपाय करती रही है। निर्यात लागत कम करने के लिए किये गये उपायों में से कुछ निम्नलिखित हैं:—

(1) पंजीकृत निर्यातकों के निमित्त आयात प्रतिपूर्ति की नीति के अधीन निर्यातक, निर्यात उत्पादन के लिये अपेक्षित आयातित कच्चा माल प्राप्त कर सकते हैं।

(2) इंजीनियरी उद्योग के लिए लोहे तथा इस्पात जैसे महत्वपूर्ण स्वदेशी माल तथा प्लास्टिक उद्योग के लिए कुछ कच्चे माल, निर्यात के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर उपलब्ध किये जाते हैं।

(3) निर्यातकों को 6 प्रतिशत की रियायती दर पर लदान-पूर्व तथा लदान-पश्चात् दोनों समय पर ऋण उपलब्ध किया जाता है

(4) पटसन की वस्तुओं, नारियल जैटा के उत्पादों, गोजातीय पशुओं (बछड़े के चमड़े को छोड़ कर) का कमाया हुआ चमड़ा, चाय तथा अभ्रक जैसे उत्पादों के मामले में निर्यात-शुल्क कम कर दिये गये हैं।

(5) विभिन्न उत्पादकों के निर्यात पर सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्कों की वापसी दी जाती है।

(6) अनेक निर्यात उत्पादनों को उत्पादन केन्द्र से निर्यात पत्तन तक ले जाने के लिये रेल भाडे की रियायती दरें ली जाती हैं।

(7) लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, अभ्रक तथा कोयले जैसे मदों के लिए खानों के यत्रीकरण, सड़क / रेल परिवहन का विकास, पत्तनों पर अयस्कों के यांत्रिक लदान के लिए एक समेकित प्रायोजना आरम्भ की गई है।

(8) रेशम तथा संश्लेषित धागे के उत्पादनों के सम्बन्ध में कच्चे माल का पर्याप्त उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि अन्तिम उत्पादों की लागत कम की जा सके।

(9) वस्त्र मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं ताकि बढ़िया मशीनों के माध्यम से उत्पादन लागत कम की जा सके।

रसायनों का आयात

3418. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में रसायनों के आयात पर कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) इन आयातों के लिये इस अवधि में क्या मूल्य मिला और इस अवधि में उपरि खर्ची कितना हुआ ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) गत तीन वर्षों में रसायनों के आयात पर व्यय की गई कुल राशि निम्नांकित है :-

वर्ष	मूल्य लाख रु० में
1966-67	5405
1967-68	7737
1968-69	8269

(ख) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ये गैर-सरकारी सौदे हैं।

Joint Ventures in Collaboration with Tunisia

3420. **Shri Valmiki Choudhary :**
Shri N Shivappa :
Shri R R. Singh Deo :
Shri Y.A. Prasad :
Shri S. Kundu :
Shri J.M. Biswas :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Ramachandra Veerappa :

Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) whether the Foreign Minister of Tunisia visited India recently and discussed with Government the posibility of expansion of trade and setting up joint enterprises of both the countries; and

(b) if so, the industries likely to be set up jointly as a result of the discussions and the steps proposed to be taken for increasing trade ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply Shri (Choudhary Ram Sewak) : (a) and (b) : Yes, Sir. Discussions on the further expansion of trade between Tunisia and India were quite specific and success and as a result India agreed to export additional engineering goods and non-traiditonal items to Tunisia against import of rock phosphate from that country. However, detailed discussions about the possibility of setting up industries jointly remain to be undertaken, after the necessary preliminary studies have been done.

फ्रांस द्वारा भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण

3421. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देगा;

(ख) यदि हां, तो कितने वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा; और

(ग) उन्हें किस रिएक्टर में नियुक्त किया जायेगा ?

प्रधान मन्त्री वित्त मंत्री अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : विशेष प्रायोजनाओं तथा शिक्षावृत्तियों के बारे में किये गये करारों के अन्तर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिक फ्रांस में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिकों की संख्या तथा स्टेशन जहां पर इन्हें नियुक्त किया जायेगा, उपलब्ध शिक्षावृत्तियों तथा अन्य सुविधाओं पर निर्भर करता है।

विदेशी सहयोग से टेलीविजन (टी० वी०) बल्बों का निर्माण

3422. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत, संयुक्त अरब गण राज्य तथा युगोस्लेविया द्वारा सामूहिक रूप से टेलीविजन (टी० वी०) बल्बों के निर्माण की सम्भावनाओं की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) और (ख) शीशे के टी० वी० बल्बों का उत्पादन तीनों देशों की सरकार द्वारा रिपार्टाइट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के अन्तर्गत 10 प्रायोजनाओं में से एक है ।

जडी बूटियो का निर्यात

3423. श्री एन० शिवप्पा : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जडी बूटियों की मांग वर्ष-प्रति-वर्ष बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में जड़ी बूटियों का कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा उससे कितनी आय हुई; और

(ग) उनका निर्यात और बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के निर्यात आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

मात्रा मे० टन में : मूल्य हजार रु० में
अवमूल्यन उपरान्त के आधार पर

1966-67		1967-68		1968 69	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
11,421	42,728	9,536	30,974	13,196	37,654

(ग) कोई विशिष्ठ कार्यवाही सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

सशस्त्र सेना मुख्यालयों में असैनिक कर्मचारी

3424. श्री गादिलिंगन गौड़ : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना मुख्यालयों में 30 जून, 1969 को पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी के असैनिक कर्मचारियों की सख्या कितनी कितनी थी;

(ख) पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी कितनी है जो अभी अस्थायी हैं;

(ग) 30 जून 1969 को प्रत्येक श्रेणी में कितने पद खाली पड़े थे;

(घ) क्या विभिन्न शाखाओं में कटौती वृद्धि करने के बारे में कर्मचारी जांच एकक के प्रतिवेदनों को अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, तथा श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारियों की कटौती-वृद्धि करने का सुझाव दिया गया है; और

(च) उसके परिणामस्वरूप श्रेणीवार कितने पदों की कटौती-वृद्धि की गई है ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख), (ग) और (च) सूचना विवरण में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1666/69]

(घ) और (ङ) : कर्मचारीगण निरीक्षण यूनिट की सिफारिशें सिवाए एक के सभी मामलों में कार्यान्वित कर दी गई हैं। एक मामले में जहां कुछ छंटनी की सिफारिश की गई है, आपात स्थिति के कारण सेना मुख्यालयों की जनशक्ति में वृद्धि के फलस्वरूप काम में वृद्धि की वजह से सिफारिश कार्यान्वित न की जा सकी, और उसके कारण, एस० आई० यू० को सूचित कर दिए गए थे।

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यालयों के लिए किराये पर ली गई निजी इमारतें

3425. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय-सम्बद्ध कार्यालयों अधीनस्थ कार्यालयों ने कितनी निजी इमारतें किराये पर ली हैं तथा उनका प्रति वर्ष कितना किराया दिया जाता है;

(ख) किराये पर ली गई उन निजी इमारतों का ब्यौरा क्या है जो कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास में रिक्त हैं तथा उनका वार्षिक किराया कितना है; और

(ग) इन इमारतों को खाली करके कार्यालयों को सरकारी इमारतों में ले जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) रक्षा कार्यालयों को वासित करने के लिए 241 भवन या तो किराए पर लिए गए हैं या उन्हें अर्जित किया गया है। दिया गया वार्षिक किराया लगभग 2143344.63 रुपये प्रति वर्ष है।

(ख) चारों नगरों में किराए पर लिए गए 17 भवनों के विस्तार, तथा प्रत्येक के सम्बन्ध में वार्षिक किराया दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1667/69]

(ग) अर्जित वास्य भवन क्रमशः विमुक्त किए जाने या अधिगृहीत किए जाने प्रस्तावित है। तदपि, किराए पर लिए गए कार्यालय भवन उतने तक किराये पर लिए जाते रहेंगे जब तक सरकार द्वारा भवनों के निर्माण के कारण या अन्यथा उनकी आवश्यकता न रहेगी।

चन्दा में आयुध कारखाना

3426. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1965 में भारत पाक संघर्ष के कारण चन्दा में आयुध कारखाने की स्थापना में भारी क्षति हुई; और

(ख) यदि हां, तो क्या अपेक्षित क्षमता तथा स्तर बनाए रखा जा रहा है और यह अपना निर्धारित उत्पादन कब तक आरम्भ कर देगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) :(क) और (ख) भारत पाकिस्तान युद्ध के फलस्वरूप सितम्बर, 1965 में यू० के० द्वारा सैनिक सहायता निलम्बित र देने के फलस्वरूप इस फैक्टरी की स्थापना में कुछ रुकावट आई है। तदपि, फैसला किया गया था कि क्रय द्वारा आवश्यक संयंत्र और मशीनें प्राप्त की जाएं। अ र फैक्टरी मध्य 1970 तक प्रावस्थाओं में कमीशन की जानी आयोजित है। कुछ उत्पादन शुरू हो भी चुका है।

Children Education Allowance Paid to C. O. D. Employees

3427. Shri Achal Singh : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the total amount paid to the employees of the Central Ordnance Depots, in the from of Children Education Allowance during the last two years ;

(b) the break-up thereof department-wise ; and

(b) the details of decreases and increases in the number of employees of the said Departments during the last two years ?

The Minister of Defence (Shri Swarn Singh) : (a) to (c) . The information required has been called for and will be laid on the Table of tae House when received.

Opening of a Dispensary for Commercial and Non-Commercial Defence Departments

3428. Shri Achal Singh : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether any dispensary has been opened for the treatment of staff of the Commercial and non-Commercial Defence Departments like Central Ordnance Depot, 509 Command Workshops ;

(b) if not, the amount claimed by the staff for reimbursement of medical expenses during the last two years ; and

(c) the number of persons who had claimed more than 10 percent of their pay and allowance as reimbursement of Medical Charges ?

The Deputy Minister in the Ministrof Defencc (Shri M.R. Krishna):(a) Dispensaries have been established in most of the Ordnance and Clothing Factories for treatment of their employees ; steps are being taken to establish dispensaries in the remaining Foctories. The Civilians paid from Defence Services Estimates in the other Defence Establishments are entitled to medical care and treatment form the Civil Dispensaries under the CS (MA) Rules.

(b) and (c) : Information is being collected and will be placed on the Table of the House in due course.

विदेश स्थित भारतीय मिशनों के व्यय में वृद्धि

3429. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967-68 में विदेश स्थित भारतीय मिशनों में हमारा व्यय 1052 22 लाख रुपये था जो 1968-69 में बढ़कर 1092.91 लाख रुपये हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है कि बचत के अनेक उपाय किये जाने के बावजूद व्यय में वृद्धि हो गई है तथा यह वृद्धि कहां और क्यों हुई हैं ; और

(ग) वर्ष 1969-70 में कितना व्यय होने का अनुमान है तथा वृद्धि होने के सही सही क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न हैं ।

(ग) 1137.99 लाख रुपये । वृद्धि के कारण वही है जो उपर (ख) के बारे में बताए गए है ।

विवरण

अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों के संदर्भ में चूंकि हमें समय-समय पर नये मिशन खोलने पड़े और चूंकि संसार के प्रायः सभी देशों में रहन-सहन के खर्च में अधिकाधिक वृद्धि हुई इसलिए विदेश-स्थित अपनी मिशनों का खर्च तो बढ़ना ही था लेकिन खर्च के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि इस कार्य-विस्तार के परिणाम स्वरूप और रहन-सहन के खर्च में वृद्धि हो जाने से खर्च कहीं ज्यादा हुआ होता अगर किफायतशारी के कदम न उठाये गए होते और इस किफायत के लिए अमले की संख्या को तथा खर्च की दूसरी अन्य मदों को समय-समय पर मुख्यालय और विशेष सेवा निरीक्षालय के कार्याध्ययन द्वारा युक्ति युक्त न बनाया गया होता । पूरा विवरण नीचे दिया गया है ।

(ख) 1967-68 के वास्तविक खर्च के मुकाबले में 1968-69 के अन्तिम अनुदान में 40 69 लाख रुपये की वृद्धि की गई उसकी वजह थी :

(1) स्थानीय कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन और वार्षिक वृद्धि (9.43 लाख रुपये)

(2) रहन-सहन के स्थानीय खर्च में वृद्धि (31.26 लाख रुपये) ऊपर जो वृद्धि बताई गई है उसमें विशेष कार्यालय भूटान, भारत का प्रधान कोंसलावास, पोंग्योंग और भारत का प्रधान कोंसलावास, सियोल–इन तीन नए मिशनों के सम्बन्ध में होने वाला अतिरिक्त खर्च भी शामिल है ।

किफायतशारी का असर देखने के लिए अवमूल्यन के वर्ष की आवश्यकताओं के संदर्भ में तुलना करनी होगी । 1966–67 में खर्च नौ करोड़ तिरेपन लाख इकत्तीस हजार था । अवमूल्यन के बाद की अवधि में रुपयों में खर्च निकालने के लिए अवमूल्यन के प्रतिशत के आधार पर एक करोड़ तिहत्तर लाख चौदह हजार रुपये की अतिरिक्त रकमों इसमें और जोड़नी पड़ेगी । इस हिसाब से अवमूल्यन के बाद की अवधि में ग्यारह करोड़ छब्बीस लाख पैंतालीस हजार रुपये की रकम की जरुरत थी । लेकिन 1967-68 में खर्च हुआ सिर्फ दस करोड़ बावन लाख बाईस हजार, और 1968–69 के लिए अन्तिम अनुदान दस करोड़ बानवें लाख इक्यानवे हजार का था ।

(ग) 1969-70 में लगभग ग्यारह करोड़ सैंतीस लाख निन्यानवे हजार का खर्च होने का अनुमान है। यह रकम ऊपर बताई गई ग्यारह करोड़ छब्बीस लाख पैंतालीस हजार की रकम से ग्यारह लाख चौवन हजार अधिक है। इसकी वजह यह है कि अवमूल्यन की अवधि के बाद चार नए मिशन (यथा विशेष कार्यालय, भूटान, भारत का राजदूतावास, सोफिया तथा दक्षिण और उत्तर कोरिया में भारत के प्रधान कोंसलावास) खोले गए जिनके लिए 1969-70 में बारह लाख इक्कीस हजार की पूरी व्यवस्था की गई हैं।

1092.91 लाख रुपये के अन्तिम अनुदान की तुलना में 1969-70 के बजट के अनुमानों में 45.08 लाख रुपये की वृद्धि है। इसकी वजह है :

		(लाख रुपये)
(क)	नये मिशनों के लिए अमला, सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि और स्थानीय अमले के वेतनमानों में संशोधन....	20.62
(ख)	रहन-सहन के स्थानीय खर्च में वृद्धि...	24.46
	कुल जोड़	45.08

रुपयों में खर्च का वही स्तर रखा गया है जो कि भारतीय रुपये और विदेशी मुद्राओं के विनिमय की वर्तमान दर के सन्दर्भ में 1966-67 के खर्च के आधार पर आंका गया था। अवमूल्यन के बाद किफायत के लिए लगातार भांति भांति के उपाय जो बरते गये हैं और जो बचत हुई है उसी वजह से ऊपर बताई गई सीमा से अलग नहीं बढ़ पाया है।

स्वेज नहर का बन्द होना

3430. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से स्वेज नहर बन्द हुई है तब से लेकर अब तक उस नहर के बन्द होने के कारण भारत को पश्चिम देशों से होने वाले आयात अधिक भाड़े के रूप में कुल कितनी अतिरिक्त राशि व्यय करनी पड़ी है ;

(ख) उस नहर के बन्द होने के कारण हमारे निर्यात के सम्बन्ध में लगभग कितना मासिक खर्च बढ़ गया है ; और

(ग) क्या हमारे देश की ओर से संयुक्त अरब गणराज्य सरकार से मामला उठाया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भाड़े के रूप में अधिक रकम देने के कारण, जिसकी अदायगी पश्चिम से हमारे आयातों पर करनी होती है भारत प्रति मास लगभग सवा दो करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय कर रहा है।

(ख) चूंकि निर्यातों पर खर्च होने वाली रकम के आंकड़े नहीं रखे जाते है, अतः हमारे निर्यातों पर जो अतिरिक्त व्यय किया जाता हैं, उसका प्राक्कलन करना सम्भव नहीं है।

(ग) सामान्य रूप से जहाजों के आने जाने के लिए स्वेज नहर का खुलना इस बात पर निर्भर करता है कि पश्चिम एशिया के संकट के सम्बन्ध में समझौता हो जाए। समझौता हो जाये इसके लिए प्रयास जारी हैं।

आणविक शक्ति संस्थान के कार्य का पुनरीक्षण करने के लिए समिति की स्थापना

3431. **श्री बाबूराव पटेल** - क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से आणविक शक्ति संस्थान बना है तब से लेकर अब तक उसके कार्य का किसी स्वतन्त्र निकाय द्वारा एक बार भी पुनरीक्षण न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस काम के लिए एक गोपनीय पुनरीक्षण समिति बनाने का सरकार का विचार है ताकि वह जान सके कि आणविक शक्ति संस्थान कितने संतोषजनक तरीके से कार्य कर रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या आणविक शक्ति संस्थान द्वारा किये गये काम का पूर्णतया तथा स्पष्टतया प्रचार किया जाता है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क)से (ग) . परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यों का परमाणु ऊर्जा आयोग जो सरकार की परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी नीति निर्धारित करता है तथा उसे कार्यान्वित करता है, द्वारा लगातार पुनर्विलोकन किया जाता है। इस समय आयोग में पांच सदस्य है। इनमें से उच्च पदों पर नियुक्त तीन सदस्यों का विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है। गोपनीय पुनरीक्षण समिति बनाने का विचार नहीं है।

(घ) परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यों का विवरण विभाग की की वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य प्रकाशनों में दिया जाता है।

पाकिस्तानी प्रचार

3432. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से पाकिस्तान में राष्ट्रपति याहाया खां की अध्यक्षता में सरकार बनी है तब से पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा किये जाने वाले भारत विरोधी रवैये तथा प्रचार में कमी आयी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पाकिस्तान के इस वांछनीय रवैये का उचित प्रत्युत्तर देने तथा ऐसे कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा उसका करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दरभंगा (बिहार) के निकट बनाया गया हवाई अड्डा

3433. श्री भोगेन्द्र झा : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 के चीन के आक्रमण के बाद दरभंगा (बिहार) के निकट एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा बनाया गया है जो आधुनिक बमवर्षक विमानों तथा लड़ाकू विमानों के प्रयोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं तथा नेपाल के साथ लगने वाली सीमा पर होने के अलावा दरभंगा रेलवें अर्थात् रिसाल, जयनगर तथा निरमली तक जाती है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि रेलवे दरभंगा अथवा मुजफ्फरपुर से होकर रासौल तक ब्राड गेज लाइन बढाने के लिए सर्वेक्षण कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय का विचार रेलवे मन्त्रालय को यह सुझाव देने का है कि वह ब्राड गेज लाइन को बरास्ता दरभंगा ले जाने को वरीयता दे ताकि उसके अन्तर्गत हवाई अड्डा तथा जय नगर और निरमली लाइनें भी आ सकें ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) दरभंगा के पास एक हवाई अड्डे का विकास किया गया है। दरभंगा उत्तर पूर्वी रेलवे पर सीतामढ़ी के रास्ते राक्सहाल को और सकरी के रास्ते जयनगर तथा निर्मली को मिलाने वाला जंकशन है।

(ख) दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर के रास्ते दो वैकल्पिक रास्तों द्वारा समस्तीपुर राक्सहाल विभाग के मीटरगाज को ब्राड गाज में तब्दील करने के लिए उत्तर पूर्वी रेलवे द्वारा इंजीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण किए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

Betel Leaf Industry

3434. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the absence of trade relations with Pakistan, the betel leaf industry in the country is incurring heavy loss ;

(b) if so, whether Government have taken any intiative in this behalf ; and

(c) if so, the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) No, Sir. No such complaint from the betel leaf industry has been received in the Ministry of Foreign Trade and Supply.

(b) and (c) : The Government of India unilaterally lifted the ban on import from and export from and export to Pakistan in May, 1966, but similar action has not so far been taken by the Government of Pakistan. Resumption of trade between the two countries is dependent on the attitude of the Government of Pakistan on this question.

Export of tinned meat

3435. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that tinned meat is exported from Iudia ;

(b) if so, the animals whose meat is exported and whether it also includes beef ; and

(c) if so, the quantity exported during the last year and the countries to which it was exported ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) Export of beef is banded. Meat and Meat preparations of other animals e g. buffalo, goat, sheep and pig meai are exported.

(c) The exports of Tinned Meat & Meat Preparations during 1968-69 were as follows :-

Commodity	Qty (in kgs.)	Val (in Rs. '000'	Countries to Which Exporte
Meat & Meat Products	26601	668	Canada, Nepal, Kuwait, Netherlands, UK, Switzerland, German Federal Republic, Belgium, Italy, Spain, Malaysia, Singapore etc.

Export of Coarse Cloth to Afghanistan by Pakistan

3436. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to news-item published in the Hindustan of the 22nd June, 1969 to the effect that coarse cloth woven in the mills of Kanpur and Ahmedabad is exported by India to Afghanistan and Pakistan also supplies to Afghanistan the coarse cloth wich is woven in Pakistan itsel after putting thereon fake seals of the mills of Kanpur and Ahmedabad ;

(b) if so, whether Government have sent any protest note to the Government of Pakistan in this regard ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sawak) . (a) to (c) Government have seen the press report in question. No complaint in this matter has been received from any Indian mills. Enquiries are however, being made and such action as may be considered necessary will be taken by the Government.

परमाणु शक्ति का उत्पादन बढ़ाना

3437. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार ने परमाणु शक्ति के विस्तार के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों की परमाणु शक्ति की परियोजनायें योजनानुसार प्रगति कर रही हैं ; और

(ग) क्या इन परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के बाद भारत की विद्युत की आवश्यकता उचित रूप से पूरी हो जायेगी ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) परमाणु ऊर्जा आयोग ने 980 मेगावाट क्षमता के निर्माणाधीन तीन परमाणु बिजली घरों के अतिरिक्त परमाणु बिजली की क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है । परन्तु अभी यह प्रस्ताव के योजना में शामिल नहीं किया गया है ।

(ख) तीन बिजली घरों के कार्यों में निम्नलिखित प्रगति हुई हैं :-

बिजली घर का नाम	कुल क्षमता	राज्य जिसमें बिजली घर स्थापित किया जा रहा हैं	बिजली घर के निर्माण का काम पूरा हो जाने की अनुमानित तिथि
तारापुरा परमाणु बिजली घर (यूनिट 1 तथा 11)	380	महाराष्ट्र	इस समय कभी कभी बिजली सप्लाई की जाती हैं । आशा की जाती है कि बिजली शीघ्र ही लगातार सप्लाई की जाने लगेगी ।
राजस्थान परमाणु बिजली घर			
पहला यूनिट	200	राजस्थान	1971
दूसरा यूनिट	200	राजस्थान	1973
मद्रास परमाणु बिजली घर (पहला युनिट)	200	तामिल नाडू	1973

विभिन्न कारणों से प्रायोजनाओं पर कार्य आरम्भ करने में कुछ विलम्ब हुआ है ।

(ग) जी नहीं । बिजली की आवश्यकता हाइड्रो इलैट्रिक, थर्मल तथा परमाणु बिजली के उत्पादन में पूरी की जाती है और बिजली उत्पादन के लक्ष्य का बिजली की मांग के आधार पर लगातार पुनरीक्षण किया जाता है ।

पटसन का बडा भण्डार

3418. **श्री जि० मो० बिस्वास :** क्या वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन का एक विशाल भण्डार तैयार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) . कच्चे पटसन के मूल्यों को 107.17 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन स्तर पर बनाये रखने के लिए सरकार ने न्यूनतम मूल्य बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्य व्यापार निगम को सौंप दी है, राज्य व्यापार निगम सहकारी समितियों, व्यापारियों तथा अन्य व्यक्ति से न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खरीददारी करेगा। कार्यवाही के दौरान निगम द्वारा खरीदे गये कच्चे पटसन के कुछ परिमाण को इसी मौसम मे मिलों को बेच दिये जाने की सम्भावना है। शेष भडार को समीकरण भडार के रूप में अगले वर्ष के लिए रखा जायेगा। आगामी वर्ष के लिये बचन वाले माल की वास्तविक मात्रा, खरीदे गये कुल परिमाण तथा मौसम के दौरान मिलों को बेचे गये परिमाण आदि विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर रहेगी।

भारत नेपाल सधि

3419. **श्री मधुलिमये :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-नेपाल व्यापार सन्धि का इस वर्ष नवीनीकरण होना है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सन्धि के लिये अपने प्रस्तावों के प्रारूप तैयार कर लिये हैं ;

(ग) क्या नेपाल को एक एक समान वैदेशिक शुल्क दर एक समान आयात तथा निर्यात नीति और साथ ही उदार विकास सहाययता वाला सीमा शुल्क संघ का सुझाव देने अथवा फिर इसके स्थान पर व्यापारिक सम्बन्धों के बारे में नेपाल से अन्य विदेशों के समान व्यवहार करने के बारे में सरकार ने विचार किया है ; और

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में किन्हीं अन्य सुझावों पर भी विचार किया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं। भारत नेपाल व्यापार तथा परिवहन सन्धि (1960) 31 अक्तूबर 1970 तक वैध हैं।

(ख) से (ग) . सन्धि के नवीकरण का मामला विचार करने की आरम्भिक अवस्थाओं में हैं।

प्रतिरक्षा उद्देश्यों के लिए माना गांव के किसानों की अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

3440. श्री रामावतार शास्त्री : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि माना गांव उत्तर के जिला चमोली में बद्रीनाथ से तीन मील के फासले पर स्थित है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त गांव उस दिशा में हमारे देश का अन्तिम गांव है तथा तिब्बत की सीमा उस गांव से 26 मील दूर है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने उस गांव के भोटिया किसानों से वर्ष 1964 में सैनिक कर्मचारियों के लिए 62 एकड़ भूमि पट्टे पर ली थी ;

(घ) यदि हां, क्या यह भी सच है कि उपरोक्त किसानों को मुआवजे के रूप में 7 एकड़ भूमि का केवल 600 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष मुआवजा दिया जा रहा है ;

(ङ) यदि हां, तो शेष 55 एकड़ भूमि का मुआवजा नहीं देने के क्या कारण हैं; और

(च) उपरोक्त किसानों को शेष भूमि का मुआवजा देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा यह मुआवजा किस तारीख तक अदा करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (च) . सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

Netaji's Memorial In Afghanistan

3441. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of Extenral Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the British Rule in India, Netaji Subhash Chandra Bose had escaped from India to Afghanistan and that the house in which he stayed is still safe and can be obtained for building his memorial if a demand is made by the Government therefor ; and

(b) if so, the steps which Government propose to take in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Netaji Subhash Chandra Bose passed through Afghanistan after his escape from India during British rule. Ther is a house where he is reported to have stayed during his halt in Afghanistan but to find exactly as to where he stayed further inquiries by the Royal Afghan Government will be necessary. According to the Afghan Government, the house where, according to some reports Netaji is supposed to have stayed, is in a very bad state of repair and in an unsuitable locality. The Royal Afghan Government are averse to erection of memorials in Afghanistan to foreign personalities ; no such memorial has been erected in that country so far.

(b) In vioew of the foregoing, this does not arise.

आयात में अनियमितताएं

3442. श्री मधु लिमये : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ऊनी कपड़ा उद्योग के लिए ऊन, नायलोन, ऊनी करड़े तथा अन्य ऊनी उत्पादों के आयात तथा अक्तूबर, 1962 में विभिन्न एजेंटों के इसके आवटन के बारे में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (चौथी लोक सभा) के 87 वें प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन सम्बन्ध में विभिन्न दोषी कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरम्भ की गई है ; और

(ग) क्या सरकार इन कम्पनियों के विरुद्ध उन्हें काली सूची में लाने के आदेश देगी अथवा ऐसे आदेशों को जारी रखेगी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग): केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मैसर्स वूलन मिल्ज पर मुकदमा चलाने का निर्णय किया है, जो उन फर्मों में से एक है जिन पर प्राक्कलन समिति ने आलोचनात्म टिप्पणियां की थीं और इस सम्बन्ध में आवश्यक कायवाही की जा रही है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मैसर्स आर० के० िथेटिक्स के विरुद्ध भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है जो उन्हे जारी किये गये सीमा शुल्क निकासी परमिट की शर्तों का कथित उल्लंघन करने के बारे मे है और मामले को अग्रेतर जांच की जा रही है । प्रतिवेदन में उल्लिखित अन्य फर्मों के मामले विचाराधीन है ।

जहां भी आवश्यक हो, विभागीय कार्यवाही करने के प्रश्न की जांच भी की जा रही है ।

एशिया में सामूहिक सुरक्षा प्रबन्धों के बारे में रूसी प्रस्ताव

3143. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या वैदेशिक काय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने एशिया में सामूहिक सुरक्षा प्रबन्धों का सुझाव रखा है जैसा कि मास्को मे हुए गत साम्यवादी शिखर सम्मेलन में उसके एक प्रतिनिधि ने कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है तथा सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या प्रधान मन्त्री ने अपनी जापान तथा इन्डोनेशिया की यात्रा के दौरान इन देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों से इस पर किसी प्रकार का विचार विमर्श किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके प्रति उन देशों की क्या प्रतिक्रिया थी ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार प्रादेशिक आर्थिक सहयोग के उन प्रस्तावों का स्वागत करती है, जिनसे उस प्रदेश में स्थायित्व, समृद्धि और सुरक्षा बढ़े, किन्तु वह सैनिक दल बन्दियो का विरोध करती है।

(ग) और (घ) : जापान और इण्डोनेशिया में, नेताओं के साथ एशिया की स्थिति पर विचार विनिमय करते समय, दूसरे सुझावों के साथ इस सुझाव पर भी बातचीत हुई थी शासनाध्यक्षो के स्तर पर हुई इस तरह की बातचीत का विवरण बताने की परम्परा नहीं है।

जापान को दायतारी खानों से लौह अयस्क का निर्यात

3444. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने उड़ीसा के मुख्य मन्त्री को यह परामर्श दिया था कि वे अपनी हाल की जापान यात्रा के दौरान दायतारी खानों से जापान को लौह अयस्क ने निर्यात के प्रश्न को वहां न उठाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जापान ने इन खानों से लौह अयस्क के आयात के लिये हाल में अनिच्छा प्रकट की है, हालांकि दायतारी खानों को जापान के कहने पर तथा उससे प्राप्त वित्तीय सहायता से विकसित किया गया था ;

(ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा जापानियों को पहले प्रस्ताव पर दृढ़ रहने के लिए सहमत कराने के लिये यदि कोई प्रयत्न किये गये हैं तो वे क्या हैं, अथवा दायतारी खानों से निकाले गये अयस्क को पारादीप पत्तन से निर्यात करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) जब कि उड़ीसा खनन निगम भी एक राज्य उपक्रम है, क्या केन्द्रीय सरकार अपने उत्पाद बेचने के लिये उसे विदेशों से बातचीत करने की अनुमति देगी जैसा कि गोआ के मामले में किया जा रहा है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) उड़ीसा खनन निगम के जरिये विशिष्ट निर्देश पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने उड़ीसा के मुख्य मन्त्री को सलाह दी कि जबकि वह, जो भी व्यापार फर्में उनसे मिलें उनके साथ मामले का सामान्य उल्लेख कर सकते है, बातचीत की वर्तमान अवस्था को ध्यान में रखते हुए उनके लिय विस्तार से चर्चा करना वांछनीय न होगा।

(ख) और (ग) : यह कहना सही नहीं है कि दायतारी खानों का विकास जापान द्वारा पहले करने पर और उसकी वित्तीय सहायता के साथ किया गया था। तथापि, जापानी इस्पात मिलों को 15 वर्षो की अवधि में दायतारी अयस्क सभरित करने के लिये एक दीर्घकालीन पेश कश की गई थी। अप्रैल मई, 1969 में बातचीत के पहले दौरे में जो खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने दायतारी अयस्क की बिक्री के लिये जापान से की थी,

जापानी इस्पात मिलों की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं थी। तथापि, खनिज तथा धातु व्यापार निगम जापानी इस्पात मिलों के साथ बात चीत कर रहा है और सितम्बर, 1969 में टोक्यो में बातचीत का दूसरा दौर होने की सभावना है।

जापान के अतिरिक्त, निगम पूर्व यूरोप के अन्य देशों को दायतारी अयस्क बेचने के लिए प्रयत्न कर रहा है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रतिनिधि मण्डल ने, जो रूमानिया से अभी लौटा है, 11 वर्षों (1970-1981) में 2.3 करोड़ टन लौह अयस्क सप्लाई करने के लिये एक दीर्घकालीन करार किया है। कुल मात्रा का कम से कम 70 प्रतिशत भाग मध्यम श्रेणी का अयस्क होगा जिसमें अधिकांश भाग दायतारी खानो का अयस्क होगा।

(घ) चूंकि लोहे का निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है, वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना, विभिन्न श्रेणियों के लौह अयस्क के निर्यात को बढ़ाने के हित मे नहीं होगा।

ब्रिटेन तथा सयुक्त राज्य अमरीका द्वारा गोआ, दमन और दीव को मान्यता न देना

3445. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री दिनांक 14 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न सख्या 9660 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार ब्रिटेन तथा सयुक्त राज्य अमरीका सरकारों द्वारा गोआ, दमन और दीव तथा जम्मू और काश्मीर पर भारत की प्रभु सत्ता को मान्यता न देने को अमैत्रीपूर्ण व्यवहार मानने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री श्री सुरेन्द्रपालसिंह) : (क) और (ख) यूनाइटेड किंगडम और सयुक्त राज्य अमरीका, दोनों की सरकारें हमारी इस स्थिति को अच्छी तरह जानती हैं कि गोआ, दमन और दीव तथा जम्मू और काश्मीर भारतीय प्रदेश के अभिन्न अंग हैं।

सश्लिष्ट रेशों के उपयोग का सूती कपड़ा उद्योग पर प्रभाव

3446. **श्री कृ० गु० देशमुख :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालुम है कि विश्व भर में सूती कपड़े के प्रति विमुखता तथा मानव निर्मित रेशों तन्तुक और तन्तु दोनों को अपनाने की प्रवृति चल पड़ी है ;

(ख) क्या सूती कपड़ा उत्पादन में शिथिलता का आना मुख्यत: नान-सैल्यूलोजिक संश्लिष्ट रेशों के प्रयोग में अत्याधिक तेजी से वृद्धि का परिणाम है ; और

(ग) सूती कपड़ा उद्योग को मानव-निर्मित तथा विदेशों से आयात किये गये रेशों के कुप्रभाव से बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) भारत में सूती कपड़े के उत्पादन में 1967 तथा 1966 के उत्पादन की तुलना में 1968 में मिल क्षेत्र तथा विकेन्द्रित क्षेत्र दोनों में ही वृद्धि हुई। इसके साथ साथ गैर सेल्यूलोजिक संश्लिष्ट रेशों के प्रयोग में भी वृद्धि हुई।

(ग) घरेलु बाजार में खपत के लिए विस्कोस तन्तु धागे, स्टेपल रेशे तथा पोलीस्टर रेशे के आयात की अनुमति नहीं है केवल नायलन धागे का ही देश की मांग को पूरा करने के लिए सीमित मात्रा मे आयात किया गया है. परन्तु इसका सूती कपड़ा उद्योग के विकास पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

सामूहिक सुरक्षा के बारे में ब्रेजनेव योजना

3447. श्री मधु लिमये : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मि० ब्रेजनेव के 7 जून, 1969 के भाषण में सामूहिक सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने दिनांक 28 मई, 1969 के इजवेलिया में प्रकाशित मि० मेतवेयर के लेखे का अध्ययन किया है ;

(ग) यदि हां, तो उस लेख का सारा क्या है तथा सरकार का विचार क्या उसका अनुवाद सभा पटल पर रखने का है ; और

(घ) इस के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने वी० मातवीव के उस लेख को देखा है, जो अखबार में छपा है और 29 मई, 1969 के इजवेस्तिया में प्रकाशित हुआ है।

(ग) यह एक प्रकाशित लेख है जो सबको सुलभ है ; सदस्यों ने निस्संदेह अखबार में छपे उस लेख को देखा है।

(घ) सरकार प्रादेशिक आर्थिक सहयोग के उन प्रस्तावों का स्वागत करती है, जिनसे उस प्रदेश में स्थायित्व, समृद्धि और सुरक्षा बढ़े, किन्तु वह सैनिक दलबन्दियों का विरोध करती है।

Time Required For Manufacture of a Fighter Plane

3448. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the time being taken in manufacturing one Hindustan Fighter Plane which were being manufactured at the rate of one per month previously;

(b) whether it is a fact that now it takes more time to manufacture such planes;

(c) if so, the causes thereof; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Minister of state in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) to (d) : It would not be in the Public interest to disclose information regarding rate of production of fighter planes.

कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

3449. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय कपड़ा मिल महासघ के अध्यक्ष द्वारा 5 जून, 1969 को दिये गये भाषण की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब विकसित देश अपने कपड़ा उद्योगों के प्रारूप समायोजन की समस्या को हल करने के लिये निरन्तर जोरदार प्रयत्न कर रहे हैं, भारतीय कपड़ा मिल उद्योग की प्रतियोगिता की स्थिति को सुधारने के लिये कुछ भी नहीं किया गया है, और यदि हां, तो यह बात कहां तक ठीक है;

(ख) क्या यह सच है कि ब्रिटेन योरुपीयन कामन मार्किट, जापान तथा अमरीका सरकारो ने आधुनिकीकरण तथा पुनर्निर्माण के मामले में अपने अपने कपड़ा उद्योगों को सहायता दी है;

(ग) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1960 से हमारे कपड़ा मिल उद्योग के आधुनिकीकरण के लिये कैसी तथा कितनी धनराशि की सहायता दी है; और

(घ) भविष्य में ऐसी सहायता के लिये यदि कोई योजनाएं हैं, तो उनका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) सरकार का ध्यान भारतीय सूती कपड़ा मिल सघ के अध्यक्ष द्वारा 5 जून, 1969 को दिए गए भाषण की ओर आकर्षित किया जाता है । इस भाषण में यह तो कहा गया है कि विकसित देश अपने कपड़ा उद्योगों के सरचनात्मक समायोजना की समस्या को हल करने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रहे है, परन्तु यह नहीं कहा गया है कि भारतीय कपड़ा मिल उद्योग की प्रतियोगिता की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) आधुनिकीकरण के लिए कपड़ा उद्योग को राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राज्य वित्त निगमों तथा कुछ अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण दिए गए हैं । वर्ष 1960 मे दिए गए ऋण की राशि से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) उद्योग को, विकास छूट की ऊची दर के लिये पात्र बनाने के लिए आय कर की पांचवी अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण तथा पुन: स्थापन के लिए विभिन्न साख सस्थाएं ऋण देती रहेंगी। सूती वस्त्र ममवाय (उपक्रमों का प्रबन्ध, परिसमापन अथवा पुनर्निर्माण) अधिनियम के अन्तगत कार्यवाहियों के सपूर्ण होने पर राज्य व्यापार निगम, उसे सौंपी गई मिलों के आधुनिकीकरण का कार्य भी प्रारम्भ करेगा।

पजी कृत समितियों और स्वायत्त शासी निकायों के प्रधानों के पद

3451. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन पजीकृत समितियों और स्वायत्त शासी निकायों की सूची, जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से विशिष्ट अनुसन्धान तथा अध्ययन के लिए 1960 से स्थापित की गई है और सम्बद्ध मत्रालयों से नियमित रूप से अनुदान प्राप्त कर रही है, सभा-पटल पर रखने का है,

(ख) क्या वे प्रतिरक्षा तथा वित्त मंत्रालयों से सम्बद्ध ऐसे संस्थानों की प्रधान हैं; और

(ग) क्या श्री अशोक मेहता कुछ ऐसे अनुसन्धान संस्थानों के प्रधान पद पर मत्रिमडल से त्याग पत्र देने के बाद भी कार्य कर रहे हैं, जिनके प्रधान पद पर उन्हें मंत्री होने के काल में नियुक्त किया था ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सुलभ होते ही सदन के पटल पर रखी जायेगी।

(ख) प्रधान मत्री हिमालय सम्बन्धी पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के अध्यक्ष हैं। इस संस्थान के व्यय का वहन आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल सरकार तथा आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार करती है। इस व्यय को पूरा करने लिए केन्द्रीय अंशदान प्रतिरक्षा और शिक्षा एव युवक सेवा मंत्रालयों से आता है।

मूंगफली की खली का निर्यात

3452. **श्री मधु लिमये :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूंगफली की खली का निर्यात गीडा के द्वारा किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रुपया-मुद्रा क्षेत्रों तथा विविध मुद्रा क्षेत्रों को होने वाले निर्यात के सम्पर्क प्रबन्ध में गीडा से सम्बन्धित कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने राज्य व्यापार निगम द्वारा किये जाने वाले यूरिया मूंगफली की खली के वस्तु विनिमय में जापान को होने वाले निर्यात में लाभप्रद दरें रखवा ली हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करने की और गीडा के गठन तथा गीडा से होकर निर्यात की योजना में व्यापक परिवर्तन करने पर विचार करेगी जिससे कि मूंगफली की खली के निर्यात पर कुप्रभाव न पड़े ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई अभिकथन नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम एशिया की समस्याओं को हल करने के बारे में रूस सरकार के सुझाव

3453. **श्री धोरेश्वर कलिता** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया की समस्याओं को हल करने के लिए रूस सरकार ने एक नयी एक मुश्त (पैकेज) योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार की इन सुझावों के बारे में क्या राय है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). रूस के 17 जून, 1969 के प्रस्ताव गोपनीय हैं, इसलिए उनका विवरण बताया नहीं जा सकता। भारत सरकार सिद्धांत रूप में उन प्रस्तावों का समर्थन करती है जिनका उद्देश्य सुरक्षा परिषद् के 22 नवम्बर, 1967 के प्रस्ताव को लागू करना है।

पश्चिम जर्मनी को इंजीनियरी माल का निर्यात

3455. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय भारत में निर्मित अनेक किस्मों के इंजीनियरी माल का भारी मात्रा में जर्मनी को निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य वस्तुएं भेजी जाती हैं तथा उनका मूल्य कितना कितना है;

(ग) वे वस्तुएं कौन सी हैं जिनकी मांग अधिक और नियमित है;

(घ) क्या यह भी सच है कि जिन वस्तुओं का वर्ष 1966-67 और 1967-68 में निर्यात किया गया था, उनकी मांग या तो समाप्त हो गई है अथवा अत्यधिक घट गई है; यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं; और

(ङ) उनके निर्यात पूरी तरह समाप्त होने अथवा कम होने के क्या कारण हैं; और इस बारे में पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिये यदि कोई उपाय किये गये हैं तो क्या ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 1668/69]

(ग) संलग्न विवरण से यह देखा जा सकेगा कि गत तीन वर्षों की अवधि में जर्मन संघीय गणराज्य में हमारे आन्तरिक दहन इंजिनों (वायुयानों के इंजनों को छोड़ कर), हाथ के या मशीनी औजारों, मिलिंग मशीनों, छुरी कांटों आदि की अधिकाधिक तथा नियमित मांग रही है ।

(घ) और (ङ). जर्मन संघीय गणराज्य को इंजीनियरी माल के हमारे निर्यातों में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है । यह निर्यात 1966-67 में 25.76 लाख रु०, 1967-68 में 40.88 लाख रु० तथा 1968-69 में 72.28 लाख रु० थे । परन्तु अभी हम उस देश को इन मदों के केवल महत्वहीन से ही संभरक हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जर्मन संघीय गणराज्य के विश्व आयातों में हमारा हिस्सा बहुत ही कम है, इस देश को इंजीनियरी माल का निर्यात हाल ही में प्रारम्भ किया है, और यह कि किसी उत्पादन को किसी सरुचि पूर्ण बाजार में मजबूत आधार प्राप्त करने में कुछ समय लगता है और किसी विशेष अवधि में व्यापार की वास्तविक सफलता अनेक बातों पर निर्भर होती है, किसी विशेष उत्पादन के निर्यात में थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव कोई विशिष्ट महत्व नहीं रखता ।

Military Pact Between China and Pakistan

3456. **Shri Bansh narain Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the book 'Our Freedom Struggle' written by Shri Qamaruddin of Pakistan in which he has stated that after the Indo-Pak conflict of 1965; a military pact has been concluded between Pakistan and China;

(b) if so, the factual position in this regard thereto; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) or (c). Collusion between Pakistan and China against India is well known and has been discussed on several occasions in the House. However, Government have no information that a military pact has been concluded between the two countries.

भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में वार्तालाप

3457. **श्री राम चरण :**
श्री विश्वम्भरन :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री क० लकप्पा :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भारतीय विदेशी मिशनों के कर्मचारियों को अनुदेश जारी किये हैं कि वे पारस्परिक वार्तालाप में केवल हिन्दी भाषा का प्रयोग करें;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन मिशनों को यह भी सलाह दी गई है कि जहां मिशन कार्य करता है उस देश के अधिकारियों से बातचीत करते समय वे केवल हिन्दी भाषा का प्रयोग करें; और

(ग) यदि हां, तो उन मिशनों के नाम क्या हैं और वे किन-किन देशों में स्थित हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह). (क) से (ग) : जी हां। विदेश-स्थित सभी मिशनों को यह हिदायत दी गई है कि वे आपस में तथा अन्य भारतीयों और उन विदेशियों के साथ जो हिन्दी जानते हों हिन्दी में ही बातचीत किया करें।

तेलंगाना आन्दोलन का समर्थन करने वाला चीनी प्रसारण

3458. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पृथक तेलंगाना राज्य के आन्दोलन का समर्थन करने वाले पेकिंग रेडियो के प्रसारण की ओर आकर्षित किया गया है जैसा कि दिनांक 15 जून, 1969 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारत के आन्तरिक मामलों में चीनी प्रचार माध्यम द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की सरकार निन्दा करती है और उसने कई बार चीनी अधिकारियों के साथ विरोध प्रकट किया है।

समझौतों के माध्यम से किया गया व्यापार

3459. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने समझौते किये गये;

(ख) इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) इन समझौतों के अधीन कितने मूल्य के आयात पर प्रभाव पड़ा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) पन्द्रह ।

(ख) 25,76 लाख रु० की ।

(ग) वर्ष 1966–67, 1967–68, 1968-69 में इन देशों से क्रमशः 153,88 लाख रु०, 135,42 लाख रु० तथा 159,16 लाख रु० कुल मूल्य के आयात किए गए ।

पाकिस्तान और अमरीका के राष्ट्रपतियों के बीच वार्ता

3460. श्री न० रा० देवधरे : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जुलाई, 1969 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचर की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति याइया खां अमरीका के राष्ट्रपति से काश्मीर के मामले पर विचार विमर्श करेंगे और इस मामले को सुरक्षा परिषद् में भेजेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार की नीति यह रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के सभी महत्वपूर्ण विवादों के साथ ही पाकिस्तान के काश्मीर पर आक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए और द्वी पक्षीय रूप से उनको तय करना चाहिए । हमारी नीति से संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार अच्छी तरह परिचित है ।

भारत के विरुद्ध चीन का आरोप

3461. श्री स० कुन्दु : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने हाल ही में भारत पर आरोप लगाया है कि वह अपने पड़ोसी देशों पर नियंत्रण और आक्रमण करने के उद्देश्य से अपने आप को बड़ी शक्ति होने का दिखावा कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ये निराधार आरोप केवल निन्दा के उद्देश्य से लगाए गए हैं ओर इन पर कहीं कोई ध्यान नहीं देता ।

रेफ्रिजरेटरों का निर्यात

3462. श्री स० कुन्दु : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बने रेफ्रिजरेटरों का विदेशों को निर्यात किया गया है;

(ख) रेफ्रिजरेटरों का निर्यात किन-किन देशों को किया गया; और

(ग) प्रत्येक देश को कितनी-कितनी संख्या में रेफ्रिजरेटरों का निर्यात किया गया और इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1669/69]**

रेयन धागे के मूल्य

3463. **श्री कं० मि० मधुकर** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क आयोग ने रेयन धागे के मूल्य के बारे में एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग ने कितने मूल्यों की सिफारिश की है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने उक्त सिफारिश के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय लेने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). मानव निर्मित रेशे। धागा उद्योग के लागत ढांचे की जांच करने के लिए टैरिफ आयोग से कहा गया था। क्योंकि इस जांच के पूर्ण होने में अधिक समय लग रहा था, अतः आयोग ने रेयन धागे के उचित मूल्यों के सम्बन्ध में सरकार को कुछ सिफारिशें कीं। रेयन धागे के मानक डेनियर (120) के लिए 10 रु० प्रति किग्रा के मूल्य का सुझाव दिया गया।

(ग) जी नहीं। वस्त्र आयुक्त से अनुरोध किया गया था कि वह, मानक डेनियर के लिये टैरिफ आयोग द्वारा सुझाये गये मूल्यों के आधार पर, रेयन धागे के अन्य अनेक डेनियरों के मूल्यों का आकलन करे। उन्होंने वैसा ही किया है। रेयन धागे की बिक्री के लिए रेयन धागे के निर्माताओं तथा बुनकरों (सूरत के बुनकरों को छोड़ कर) के बीच समझौता हो गया है। समझौते की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-

(1) रेयन धागे के उत्पादन का 10 प्रतिशत अंश, रेयन वस्त्रों के निर्यात के आधार पर रियायती मूल्यों पर आंवटित करने के लिए, आरक्षित रखा जायेगा।

(2) उत्पादन का 45 प्रतिशत अंश, वास्तविक प्रायोक्ताओं को, कत्तिकों तथा बुनकरों द्वारा तय किये गये मूल्यों पर, आंवटित किया जायेगा।

(3) उत्पादन का 45 प्रतिशत अंश निर्माताओं द्वारा उनकी अपनी इच्छानुसार खुले बाजार में बेचा जायेगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भागलपुर के हथकरघा बुनकर

3464. **श्री गणेश घोष :**
श्री नम्बियार :
श्रीमती सुशीला गोपालन ।
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भागलपुर (बिहार) के हथकरघा बुनकरों की कठिनाइयों के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है और ज्ञापन में क्या क्या मुख्य मांगें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने ज्ञापन पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) कठिनाइयों तथा मांगों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :-

कठिनाइयां : पूंजीपति तथा बड़े व्यापारी गरीब हथकरघा बुनकरों का शोषण करते हैं और उनको वस्त्रों की बुनाई के लिए बहुत कम दाम देते हैं ।
वे हथकरघा बुनकरों को धागा अधिक ऊंचे मूल्यों पर देते हैं ।

मांगें :-
1. धागा मिल से चलते समय की दरों पर सरकार द्वारा अथवा मिल की दुकानों द्वारा दिया जाना चाहिए ।
2. धागे के सभी पैकेटों पर मूल्यों की मोहर लगी होनी चाहिए ।
3. सभी धागा बेचने वाली फर्मों की एक एक शाखा भागलपुर में होनी चाहिए ।
4. सट्टे बाजी पर प्रतिबन्ध लगने चाहिएं ।
5. कताई मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए ।
6. हथकरघों द्वारा प्रयुक्त सभी धागे पर तथा हथकरघों से बने सभी माल पर से उत्पादन शुल्क हटाया जाना चाहिए ।
7. बुनकरों द्वारा निर्मित सभी माल का खरीद करके उसे बेचने का उत्तर-दायित्व सरकार को संभालना चाहिए ।

8. सरकार को अपनी दुकानें खोलनी चाहिएं अथवा बुनकर सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए ताकि वे इस कार्य को स्वयं कर सकें।

(ग) और (घ). मामला विचाराधीन है।

चुम्बी घाटी और नेफा में चीनी सेना का जमाव

3465. **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या प्रति-रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जुलाई, 1969 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चुम्बी घाटी और नेफा सीमा के आसपास सामरिक महत्व के स्थानों पर चीनी सेना का फिर से जमाव हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने इस विषय की समाचार पत्रों में रिपोर्ट देखी है। जबकि चीनी सेनाएं अभी हमारी उत्तरी सीमाओं के पार भारी शक्ति में विद्यमान है ऐसा कोई इंगित नहीं कि इन सेवाओं में हाल में वृद्धि हुई है। अपनी प्रादेशिक समग्रता की सुरक्षा के हितों में सर्तकता पूर्वक ध्यान रखा जा रहा है।

विद्रोही नागा

3466. **श्री एम० एस० ओबराय** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं ने हाल में अपनी भारत-विरोधी तथा विध्वंसात्मक गतिविधियां, तथा रेलगाड़ियों तथा अन्य राष्ट्रीय परियोजनाओं में तोड़-फोड़ बढ़ा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों में राष्ट्रीय सम्पत्ति, परियोजनाओं आदि विनाश के लिये तोड़-फोड़ के कितने मामलों का पता लगा और प्रत्येक मामले में जान और माल का कितना नुकसान हुआ; और

(ग) क्या नागा विद्रोहियों की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ने कुछ ठोस उपयोग किये हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). पिछले तीन महीने में असम में रेलवे पर तोड़-फोड़ के और तोड़-फोड़ की कोशिश के चार मामले निगाह में आए हैं; इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि इन वारदातों में छिपे नागाओं का हाथ था।

नागाओं में तोड़-फोड़ की कोई घटना नहीं हुई।

21 मई को नौगांव ज़िले में दो स्टेशनों के बीच एक सवारी गाड़ी के एक डिब्बे में विस्फोट हुआ था जिससे उस डिब्बे की छत उड़ गई थी। इसमें तीन आदमियों की मृत्यु हो गई थी और चार घायल हो गये थे। बाद तीन दिनों में (1) सिमलगुड़ी रेल स्टेशन, (2) दीमापुर और खट्खटिया के बीच तथा चोंगाजान और नोआजान के बीच विस्फोटक पदार्थ प्राप्त हुए थे। समय से इन विस्फोटकों का पता लगा लेने की वजह से रेल-सम्पत्ति को नुकसान नही होने पाया।

सरकार सतर्क है और उसने सुरक्षा सम्बन्धी उपाय और मजबूत कर दिये हैं। सरकार छिपे नागाओं की तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लोह अयस्क का निर्यात

3467, श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा जापान को छोड़कर अन्य देशों को गत वर्ष और इस वर्ष जून तक की तुलना में लौह-अयस्क का निर्यात बहुत कम होने की आशा है और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास लगभग पांच लाख टन लौह अयस्क जमा हो गया था, जिसे वह नहीं बेच सका था;

(ख) क्या लौह अयस्क के निर्यात के लिए दीर्घावधि ठेके का मूल्य पूरी अवधि के लिए निश्चित कर दिया जाता है अथवा उसका प्रति वर्ष पुनरीक्षण किया जाता है; और

(ग) क्या यह सच है कि जापान को लौह अयस्क के प्रत्याशित निर्यात में उड़ीसा स्थित दायतरी खानों से प्राप्त अयस्क का निर्यात करने का कोई करार सम्मिलित नहीं है, जिनके विकास के लिये जापान ने भी वित्तीय सहायता दी थी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं। गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में जापान तथा अन्य देशों को लौह-अयस्क के निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है। बिना रुकावट के निर्यात के लिये यह आवश्यक है कि पत्तन और लदान केन्द्रों पर लौह अयस्क का बड़ी मात्रा में स्टाक हो।

(ख) और (ग). वर्तमान दीर्घकालीन करारों के अन्तर्गत किरिबुरु अयस्क का निश्चित मूल्य तीन वर्ष के लिये और बैलाडिल्ला अयस्क का मूल्य एक वर्ष के लिये निर्धारित किया जाता है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा जापानी इस्पात मिलों को की गई 21.8 करोड़ टन लौह अयस्क की दीर्घकालीन पराकाष्ठा में 2.52 करोड़ टन दायतारी अयस्क की सप्लाई शामिल थी। दायतारी अयस्क के प्रति जापानी इस्पात मिलों की आरम्भिक प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं थी। तथापि, खनिज तथा धातु व्यापार निगम इस मामले में जापानी इस्पात मिलों से बातचीत करेगा। दायतारी खान के विकास में जापानियों का कोई वित्तीय सहयोग नहीं है।

आयुध कारखानों-डिपों, जबलपुर द्वारा खरीदी गई मशीनें

3469. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में गन कैरेज फैक्ट्री, खामरिया फैक्ट्री और आयुध डिपों, जबलपुर उपयोग के लिए कितनी कीमत की मशीनें खरीदीं,

(ख) उक्त अवधि में उक्त संकठन द्वारा कितनी कीमत की मशीनों का प्रयोग नहीं किया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों में खरीदी गई कितनी कीमत की मशीनों का उक्त सगठनों का अब तक जबलपुर में प्रयोग नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं ?

प्रति रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

गन कैरेज फैक्टरी जबलपुर से माल की चोरी

3470. क्या प्रतिरक्षा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि·

(क) गत तीन वर्षों में गन कैरेज फैक्टरी, जबलपुर से वर्ष-वार अलग-अलग कुल कितनी कीमत का माल चोरी हुआ;

(ख) कितने चोरों को गिरफ्तार किया गया और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये; और

(ग) इन निरन्तर चोरियों के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

परमाणु शक्ति के प्रयोग के बारे में पाकिस्तान, ईरान और टर्की के बीच सहयोग

3471. **श्री बे० कु दास चौधरी :** क्या वैदेशिक कार्य संत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान, ईरान और टर्की परमाणु शक्ति के प्रयोग के बारे में और अधिक सहयोग प्राप्त करने की सम्भावनाओं पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). प्रादेशिक सहयोग विकास से सम्बन्धित दो दिनों की मंत्रि-परिषद् की समाप्ति पर, जो 25-26

जून 1969 को पाकिस्तान में हुई पाकिस्तान ईरान और टर्की ने अन्य बातों के अतिरिक्त इस बात पर भी निर्णय किया कि तीन देशों के विशेषज्ञों का एक दल जो नवम्बर 1969 में मिलने वाला है, नाभिकीय ऊर्जा के शान्तिपूर्ण प्रयोगों से सम्बन्धित मामलों पर सहयोग के प्रश्न का भी अध्ययन करे।

(ग) शान्तिपूर्ण उद्देश्यों से परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए, देशों में इस प्रकार का सहयोग होना, कोई असाधारण बात नहीं है।

कीनिया व्यापार लाइसेंस देने सम्बन्धी अधिनियम

3172. **श्री कृ० गु० देशमुख** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एशियाई मूल के व्यापारियों को व्यापार सम्बन्धि लाइसेंस देने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से कीनिया व्यापार लाइसेंस देने सम्बन्धी अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कीनिया में भारतीयों को व्यापार के लिए लाइसेंस न दिये जाने के परिणामस्वरूप वहां भारतीय व्यापारियों की संख्या में और कमी हो जायगी;

(ग) क्या सरकार ने इस संशोधन के विरुद्ध कीनिया में भारतीय व्यापारियों की कठिनाइयों को व्यक्त करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). समझा जाता है कि कीनिया सरकार ट्रेड लाइसेंसिंग एक्ट में संशोधन लाने पर विचार कर रही है जिसके द्वारा उन्हीं वाणिज्यिक संस्थाओं को व्यापार लाइसेंस दिये जाएंगे, जिन पर कीनिया के नागरिकों का पूर्ण स्वामित्व है। जब यह प्रस्तावित संशोधन ग्रहण कर लिया जाएगा तब भारतीय मूल के उन कई व्यापारियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, जो कीनिया के राष्ट्रिय नहीं हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार, सामान्य रूप से कीनिया सरकार के साथ उन मामलों पर संपर्क स्थापित किए हुए है, जिनका सम्बन्ध उस देश में रहने वाले भारतीयों से है।

अमरीका से उर्वरकों का आयात

3473. **श्री विरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार से हुए हमारे वर्तमान करार के अनुसार अमरीका सहायता ऋण की राशि से भारत को निर्यात किये गये सभी उर्वरकों की 50 प्रतिशत मात्रा अमरीकी जहाजों में लाई जानी चाहिए;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत ने इस शर्त से छूट दिये जाने की अनुमति ले ली थी और अब तक अमरीका से प्राप्त हुए उर्वरकों की केवल 10 प्रतिशत मात्रा ही अमरीकी जहाजों में लाई गई है ?

(ग) क्या अमरीका सरकार करार की शर्तों को पूर्णत: पालन किये जाने पर जोर देती रही है और इसके परिणामस्वरूप इस शर्त के अनुसार अमरीका से उर्वरकों का आयात अलाभकर है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए अमरीका से उर्वरकों के आयात का विचार त्याग दिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक): (क) जी, हां।

(क) अमरीकी जहाज जहां तक उपलब्ध थे, उनका उपयोग किया गया और शेष मात्रा को गैर अमरीकी जहाजों में ले जाने के लिए अमरीका सरकार द्वारा छूट दे दी गई थी। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में जहाजों द्वारा भेजे गये कुल माल में से क्रमश: 10, 27 और 48 प्रतिशत माल अमरीकी जहाजों द्वारा भेजा गया था।

(ग) जी, हां। अमरीकी जहाजों के भाड़ा दर अधिक है और उसके परिणाम स्वरूप मूल्य और भाड़ा अधिक अदा करना पड़ा है।

(घ) जी, नहीं। विदेशी मुद्रा के साधनों और अन्य देशों से उपलब्ध होने वाली उधार की राशि के सीमित होने के कारण उर्वरकों की आवश्यक मात्रा का अमरीकी सहायता योजना के अधीन ही आयात करना पड़ता है, जिसके अन्तर्गत अन्य शर्तों के साथ ही साथ यह शर्त भी शामिल है कि सहायता योजना के अधीन जिन वस्तुओं के लिए वित्त दिया जाता है, उनके कम से कम 50 प्रतिशत को अमरीकी जहाजों द्वारा ही लाया जाए।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालय का कलकत्ता से बम्बई स्थानान्तर

3474. **श्री देवेन सेन :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड कार्यालय, कलकत्ता के एक प्रभाग का बम्बई में स्थानान्तरण होने के परिणामस्वरूप कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें भी उद्योग के साथ साथ स्थानान्तरण करना होगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिरक्षा सेवाओं में ए० एम० आई० ई० परीक्षा पास डिप्लोमाधारियों का वेतन निर्धारण

3475. डा० सुशीला नैयर : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा-लेखा नियंत्रक ने उन डिप्लोमा-धारियों जिन्होंने ए० एम० आई० ई० परीक्षा पास की है कि वेतन पुन. निर्धारित करने के जिलों को इस आपत्ति के साथ पास किए बिना ही लौटा दिया है कि यद्यपि उन्हें वित्तीय लाभ 1 दिसम्बर 1968 से दिया जायगा, परन्तु उनकी वेतन वृद्धि उनके परीक्षा पास करने की तिथी से ही होगी ।

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि प्रतिरक्षा-लेखा नियंत्रक द्वारा उठाई गई आपत्ति को स्वीकार किया जायेगा तो उन कर्मचारियों जिन्होंने ए० एम० आई० ई० परीक्षा 1 दिसम्बर, 1968 से पूर्व पास की है और इस तिथि से पूर्व पदोन्नत हो गए हैं उनको इस रियायत का लाभ नहीं मिलेगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह एक नई रियायत है और इस सम्बन्ध में सरकार की नीति इन प्रस्तावों को भूतलक्षनि प्रभाव देने की नहीं हैं;

(घ) यदि हां, को क्या सरकार का विचार अविलम्ब इस स्थिति को सुधारने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मत्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) और (ख). इस संबंध में रक्षा लेखा नियंत्रक से आपत्ति का कोई कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आ पाया फरवरी 1969 में जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार 1-12-1968 से पहले सेवा के दौरान ए० एम० आई० ई० की परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति का नेशनल वेतन उसके परीक्षा तिथि के अनुसार अग्रिम तरक्कियो सहित पुन. नियत किया जायेगा । और वह 1-12-1968 के अनुसार उसी आधार पर वास्तविक वेतन प्राप्त करेगा । ऐसे व्यक्ति की हालत में जो 1-12-1968 से पहले उच्चतर स्थान पर पदोन्नत हुआ हो, एक मध्यम पग होगा; अर्थात उच्चतर स्थान में उसका नोशनल वेतन पुनः नियत होगा, परीक्षा पास करने की तिथि के अनुसार निम्न स्थान में नोशनल वेतन के आधार पर उसकी पदोन्नति की तिथि के अनुसार ।

(ग) जी, हां । चूंकि यह नई रियायत है, वित्तीय लाभ 1-12-1968 से दिया गया था, जो लगभग सरकारी निर्णय के निकट तिथि थी, न कि पिछली तिथि से ।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

ऊधमपुर (जम्मू तथा काश्मीर) की आयुध कर्मचारी यूनियन का रियायतों तथा भत्तों की बहाली के बारे में अभ्यावेदन

3476. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या प्रतिरक्षा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनको ऊधमपुर (जम्मू तथा काश्मीर) की आयुध कर्मचारी यूनियन से कतिपय रियायतों तथा भत्तों की बहाली के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो उनसे वापिस ले ली गई है; और

(ख) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ख) अभिवेदन विचाराधीन है।

Visit By Air Marshal Noorkhan To China

3477. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the sudden visit by Air Marshall Noor Khan of Pakistan to China;

(b) whether Government's attention has also been drawn to the statement made by President Yahya Khan of Pakistan that Pakistan is trying to strengthen further her ties with China;

(c) if so, the reaction of Government thereto; and

(d) the likely impact of the aforesaid visit on the security of India ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) The Government have not come across any such statement made by President Yahya Khan during or after the recent visit of Air Marshal Nur Khan to China.

(c) Does not arise.

(d) The Government are fully alive to the danger posed by growing Sino-Pakistan collusion and are taking necessary steps in this regard.

संयुक्त अरब गणराज्य से रुई का आयात

3478. **श्री रा० बरुआ :**
श्री नि० र० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडु :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काहिरा में हुई वार्ता में संयुक्त त्रिपक्षीय अरब गणराज्य ने भारत से अपनी रुई निर्यात के मूल्य का भुगतान विदेशी मुद्रा में करने का आग्रह किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य ने यह भी बता दिया है कि वर्तमान आर्थिक सहयोग के अन्तर्गत वह रुई के मूल्य का भुगतान भारतीय मुद्रा में स्वीकार नहीं कर सकता; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंतगों का निर्यात

3479. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पंतगों को विदेशों में पसन्द किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितनी संख्या में पतंगों का निर्यात किया गया और उनका निर्यात किन-किन देशों को किया गया था; और

(ग) इसके परिणाम स्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस मद 'पतंग' का 'संशोधित' भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अन्तर्गत अलग से वर्गीकरण नहीं किया जाता है, इसलिए इस मद के निर्यात के आंकड़े, महानिदेशक, वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी, कलकत्ता द्वारा निकाले गये 'भारत के विदेशी व्यापार के मासिक आंकडे' में अलग से प्रकाशित नहीं किये जाते हैं। तथापि एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा कोचीन के बन्दरगाहों से हुए निर्यातों की दैनिक सूचियों से रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात की दैनिक सूचियों से रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा संकलित गत दो वर्षों में देशवार निर्यात के आंकड़े दिखाये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1670/69] परिमाण वार निर्यात के आंकड़े उपलब्ध नहीं।

विदेशों में रहने वाले सम्बधियों द्वारा उपहार के रूप में ट्रैक्टरों भेजा जाना

3480. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अनुमति पत्र (कस्टम क्लियरेंस परमिट) के बाद उपहार स्वरूप प्राप्त हुए ट्रैक्टरों की वैधता अवधि केवल चार महीने है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह चार महीने की वैधता की इन उपहारों को भेजने के मार्ग में बाधक है;

(ग) क्या वधता अवधि को छः महीने बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ङ) क्या सीमा शुल्क अनुमति पत्र जारी होने के बाद उदार रवैया अपनाने की मांग है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ड़). जी हां ।

(ख) जी नहीं । वैधता अवधि माल के पोत-लदान के लिए है ।

(ग), (घ) और (च). मामला विचाराधीन है ।

ब्रिटेन में हवाई अड्डों की सफाई करने के लिए पंजाबी महिलाओं की भर्ती

3481. **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की एक फर्म ने ब्रिटेन में हवाई अड्डों तथा शौचालयों को साफ रखने के कार्य के लिए कुछ पंजाबी महिलाओं को भर्ती किया है;

(ख) क्या पारपत्र या 'पी' पत्र देते समय सरकार इस बात का विचार नहीं करती कि विदेश में जाने वाले लोग वहां जाकर क्या काम-धन्धा करेंगे कि :

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच पड़ताल कराने का सरकार का विचार है;

(घ) क्या कानून के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विदेशों से ऐसे लोगों को वापस बुलाय जो वहां जाकर ऐसा कार्य करते हैं, जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा गिरती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार नियमों में उपयुक्त संशोधन करके ऐसा अधिकार अपने हाथ में लेने का है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में अखबारी खबर देखी है ।

(ख) और (ग). जी नहीं, उन कुशल कर्मचारियों को छोड़कर, जो उत्प्रवासन संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद, इंडियन इमाइग्रेशन ऐक्ट, 1922 के अन्तर्गत, खास तरह का काम करने के लिये विदेश जाते हैं । यह अखबारी खबर उन भारतीय स्त्रियों के सम्बन्ध में थी जो यू० के० में हवाई अड्डों और शौचालयों को साफ करने के लिए नियुक्त थीं । सरकार ने उपयुक्त व्यवसायों को स्वीकार करने के उद्देश्य से, इंडियन इमाइग्रेशन ऐक्ट 1922 के अन्तर्गत इन स्त्रियों के उत्प्रवासन की अनुमति नहीं दी गई थी । अनुमान किया जाता कि ये स्त्रियां जो यू० के० गई, उन लोगों के रिश्तेदार और आश्रित हैं जो वहां पहले ही से बस चुके हैं और जिन्होंने अपने पारिवारिक आय को बढ़ाने के लिए काम स्वीकार किए ।

(घ) सरकार उन भारतीयों को कानूनन सिर्फ इस आधार पर स्वदेश प्रत्यावर्तित नहीं कर सकती है कि वे ऐसे काम पर लगे हैं, जिन्हें भारत में प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा जाता है।

(ङ) जी नहीं।

अखबारी कागज का आयात

3482. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कितने अखबारी कागज का आयात करने का प्रस्ताव है;

(ख) किन किन देशों से इसका आयात किया जायेगा और इसकी सम्भावित शर्तें क्या होंगी;

(ग) इसके आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी; और

(घ) चतुर्थ पचवर्षीय योजना में अखबारी कागज़ के उत्पादन का कार्यक्रम क्या है और योजना के अन्त तक भारत इस मामले में किस सीमा तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) 1,20,200 में, टन।

(ख) सोवियत संघ, सं. रा. अमेरिका, कनाड़ा, स्वीडन तथा फिनलैंड से।

(ग) लगभग 14 करोड़ रुपये। आयात सोवियत सघ से रूपया भुगतान के आधार पर, सं. रा. अमेरिका से अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमरीकी अभिकरण और कनाड़ा से अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए कनाडी अभिकरण के माध्यम से तथा स्वीडन और फिनलैंड से मुक्त विदेशी मुद्रा के आधार पर किये जायेगे।

(घ) अखबारी कागज के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के प्रस्तावों पर विचार हो रहा है परन्तु सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयत्नों के बावजूद भी देश में अखबारी कागज की मांग तथा उत्पादन के बीच एक बड़ा अन्तर रह जायेगा।

गंधक का आयात

3483. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1967–68 और 1968–69 में कितना गंधक का आयात किया गया था।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : वर्ष 1967–68 तथा 1968–69 में गधक का निम्नलिखित परिभाषा में आयात किया गया :–

	लाख में. टन
1967–68	6.7
1968–69	3.4

विद्रोही मिजो नेता लाल डेंगा का पाकिस्तान से प्रत्यार्पण

3484. **श्री यशपाल सिंह** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने विद्रोही मिजो नेता लाल डेंगा के प्रत्यर्पण के लिए कहा है, जो पूर्वी पाकिस्तान में है; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान ने क्या उत्तर दिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से लाल डेन्गा को लौटाने का अनुरोध किया है, जिनके सम्बन्ध में यह खबर मिली है कि वे पूर्वी पाकिस्तान सरकार और उन अन्य उच्छृंखल मिज़ों के अतिथि के रूप ढाका में ठहरे जो गैर-कानूनी ढंग से पूर्वी पाकिस्तान जाते हैं।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने इस बात को अस्वीकार किया है कि ढाका में पूर्वी पाकिस्तान सरकार के अतिथि के रूप में लाल डेंगा ठहरे या विरोधी मिजो को किसी प्रकार की सहायता दी गई।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को नया रूप दिये जाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का अनुरोध

3485. **श्री यशपाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने उनसे अनुरोध किया है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अधिक समाजवादी आधार पर बनाने के लिए उसे नया रूप दिया जाये; और

(ख) यदि नहीं तो इस प्रस्ताव पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् की अप्रैल, 1969 में सम्पन्न पिछली बैठक में मुख्य मंत्री ने ऐसा सुझाव दिया था।

(ख) इस सुझाव तथा अन्य मुख्य मंत्रियों के सुझावों पर विचार करने के बाद, परिषद् ने चौथी योजना के प्रारूप को स्वीकार किया था।

एशिया में आर्थिक सहयोग के बारे में भारतीय मत के बारे में अमेरिका की प्रतिक्रिया

3486. **श्री ई० के० नायनार** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के बारे में भारतीय मत के बारे में अमेरिका का दृष्टिकोण क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने संवाददाताओं को, जब वह जुलाई, 1969 के दूसरे सप्ताह में वाशिंगटन में थे, बताया था कि अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन ने भारत के मत का स्वागत किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) एशिया में प्रादेशिक आर्थिक सहयोग के प्रति संयुक्त राज्य अमरीका का रुख अनुकूल है। संयुक्त राज्य अमरीका के नेताओं ने हाल के वक्तव्यों में यह कहा है।

(ख) और (ग) एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मन्त्री ने यह कहा था कि विदेश विभाग और विदेश मन्त्री रॉजर्स ने भारत की स्थिति का अच्छा स्वागत किया है।

त्रिपुरा में रबड़ के बागान

3487. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में रबड़ के विकास के लिये कोई कार्यक्रम चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित करने के लिये तैयार किया गया है या तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं, कितने एकड़ भूमि में रबड़ के बागान लगाये जायेंगे, इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी तथा इसके लिये कितनी केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता होगी;

(ग) क्या रबड़ बोर्ड ने हाल के किये गये विस्तृत सर्वेक्षण से त्रिपुरा की मिट्टी को रबड़ के बागान के लिये बहुत अधिक उपयुक्त पाया है और यदि हाँ, तो उक्त बोर्ड का इस मिट्टी की उपयुक्तता के बारे में ठीक मत क्या है;

(घ) क्या त्रिपुरा में रबड़ बागान के विकास का कार्यक्रम आरंभ करने की व्यावहार्यता तथा वांछनीयता जानने के लिये त्रिपुरा में हाल ही में एक गोष्ठी हुई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) चौथी पंच वर्षीय योजना में त्रिपुरा में 569.264 एकड़ भूमि में रबड़ के नये बागान लगाये जायेंगे। अनुमानित लागत 2.705 लाख रुपये है। त्रिपुरा में योजना के परिचय के लिये समूची सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जायेगी।

(ग) रबड़ बोर्ड द्वारा किये गये सर्वेक्षण, जलवायु अध्ययन तथा विश्लेषण से पता चला कि त्रिपुरा के कुछ भागों की भूमि रबड़ उगाने के लिये बिल्कुल उपयुक्त है। प्रयोग के आधार पर लगाये गये रबड़ बागान में सफलता मिली है।

(घ) जी नहीं।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क का क्रय

3488. श्री गु० च० नायक :
श्री महेन्द्र भाई :
श्री दे० अमात :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम विभिन्न (खान मालिकों) ने लौह अयस्क खरीदने के लिये जो ठेके देता है, उसका आधार क्या है;

(ख) लौह अयस्क के क्रय के लिये मन्त्रालय ने उक्त निगम को क्या निदेश दिये हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सिद्धांत निर्धारित किये हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) : लौह अयस्क के निर्यात 1 जुलाई, 1957 से राज्य व्यापार निगम (अब खनिज तथा धातु व्यापार निगम) के माध्यम से कर दिये गये थे। निर्यात को निगम के माध्यम से करते समय सरकार ने निगम को निम्नलिखित निदेश दिये थे:-

(1) यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक संस्थापित निर्यातक और और खान स्वामी/निर्यातक को दिसम्बर, 1956 को समाप्त होने वाले 4 वर्ष की अवधि में उसके निष्पादन के आधार पर व्यवसाय में भाग लेने का अवसर मिले; और

(2) ऐसे खान स्वामियों के, जो निर्यातक नहीं हैं, हितों की पूर्णतः रक्षा की जाये,

उपरोक्त निदेशों के अनुसरण में खनिज तथा धातु व्यापार निगम सभी निर्यातकों और खान स्वामियों/निर्यातकों से पक्षपात रहित आधार पर खरीददारी कर रहा है। उन सभी क्षेत्रों में, जहां लाने ले जाने अथवा बिक्री की कठिनाइयां नहीं है, ऐसे खान स्वामियों से, जो निर्यातक नहीं है, मुक्त रूप से खरीददारी करने की निगम की नीति रही है। उन क्षेत्रों में, जहां रेल क्षमता और/अथवा बिक्री की संभाव्यताएं सीमित हैं, निगम की नीति पहले खान स्वामियों द्वारा पट्टे पर ली गई प्रति एकड़ भूमि के आधार पर अथवा प्रति एकड़ और रायल्टी के आधार पर खरीददारी करने की थी। हाल में, आधार भूत अवधि में वास्तविक निष्पादन के आधार पर खरीददारी की जा रही है।

अमरीका को बछड़े के चमड़े के जूतों का निर्यात

3489. श्री चेंगलराया नायडु :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने अमरीका को 5 करोड़ रुपये के मूल्य के बछड़े के चमड़े के जूते सप्लाई करने का करार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या बछड़े के चमड़े के जूते बनाने की मशीनों का आयात अमरीका से किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कुल कितना धन व्यय किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) राज्य व्यापार निगम ने 2.91 करोड़ रुपये मूल्य के काऊ-बाय के जूतों का उपरी चमड़ा निर्यात करने के लिए, एक अमरीकी फर्म के साथ हुए करारों पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) ये सामान्य निर्यात करार हैं और इनकी सुपुर्दगी की अवधि दिसम्बर, 1970 के अन्त तक है।

(ग) और (घ) मशीनें खरीदारों द्वारा दी गई हैं और इस समय पर राज्य व्यापार निगम द्वारा भाड़े के रूप में किया गया व्यय लगभग 20,000 रुपये ही है।

उड़ीसा के मुख्य मन्त्री के प्रयोग के लिये विदेशी कार का आयात

3490. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के वर्तमान मुख्य मन्त्री को हाल ही में विदेशी कार का आयात करने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसका मूल्य कितना है;

(ग) उनको विदेश से कारों का आयात करने की अनुमति किस श्रेणी के अन्तर्गत दी गई है; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

Manufacture of Precision Aircraft Accessories by Hindustan Aeronautics Ltd., Banglore

3491. Sari Hukam Chand Kachwai :
Shri G. C. Dixit :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether messers Hindustan Aeronautics Ltd., Bangalore, have made a proposal to set up a unit for manufacturing precision aircraft accessories;

(b) if so, the names of the State under consideration for setting up such a unit as also the concessions and facilities offered to be provided for this purpose by each of those States; and

(c) whether the site for the said unit has been finally selected and if not, the time by which a decision in this regard is likely to be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes; Sir.

(b) The following sites offered by the Governments of Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tamilnadu and Uttar Pradesh were considered for the location of the proposal factory of Hindustan Aeronauties Ltd., for the manufacture of aircraft accessories·-

(1) Andhra Pradesh	-Hyderabad
(2) Bihar	-Adityapur
(3) Haryana	-Faridabad -Panchkula (Chandigarh)
(4) Madhya Pradesh	-Bhopal
(5) Rajasthan	-Udaipur
(6) Tamilnadu	-Ambatur Tiruchirapally
(7) Uttar Pradesh	-Lucknow Ghaziabad Dehra Dun

The State Governments were requested to furnish detailed information about the sites and the facilities they were in a position to offer. No reply was received from the Government of Maharashtra. Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh offered to take available land for the factory free of cost. The site at Hyderabad was offered at a cost of about Rs. 20 lakhs and the site at Ambatur at about Rs. 45 to Rs. 60 lakhs Subsidised industrial housing for meeting partially or substantially the requirements were offered by Bihar, Haryana, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. The Government of Uttar Pradesh also undertook to provide housing for senior staff. In most cases the State Governments offered to provide elecricity and water at site. Government of Haryana and U. P offered adequate subsidised technical training facilities. An exemption from sales tax for a period of 3 years was offered by the Government of U. P.. In the case of Lucknow, the State Government also offered to make available on rent on a temporary basis a factory they have constructed for the expansion of the Government Precision Instruments Factory, Lucknow, which would immediately provide adequate space for stores, initial operation and training.

(c) The site offered by the Government of Uttar Pradesh near Lucknow was considered the best location for the factory and Government have accordingly decided to set up the factory at this site.

Development of Ancillary Industries near Defence Establishment

3492. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri G. C. Dixit :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the general policy of Government in regard to the development and encouragement of ancillary industries near Defence Establishments in the country;

(b) Whether the Madhya Pradesh Government have made any proposal for the development of ancillary industries near the Defence Establishments in Jabalpur; and

(c) if so, the decision taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) The development of ancillary industries near defence organisations is qualified by various parameters, inciuding the nature of the organisation and the need for supplying it any product which such ancillary industries could make. Hence, there is no general policy in this regard. Where units have been established they are given due encouragement.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

एक परित्यक्त हवाई पट्टी के आसपास की भूमि के प्रयोग के लिए मनीपुर के स्थानीय लोगों का अभ्यावेदन

3493. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). क्या मनीपुर के केकचिंग के कुछ स्थानीय लोगों का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में उन्होंने इम्फाल मोरे राष्ट्रीय राजपथ में पलेल केकचींग विमान क्षेत्र की परित्यक्त और फालतू हवाई पट्टी के आसपास की खरभूमि के प्रयोग के लाने की अनुमति मांगी है । जिस पर अभी तक निर्णय नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मामले पर विचार हो रहा है ।

अफगानिस्तान से व्यापार प्रतिनिधिमंडल

3494. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान से व्यापार प्रतिनिधिमंडल इस देश में आया है अथवा निकट भविष्य में उनके भारत आने की सम्भावना है;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार करार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) भारत अफ़गान व्यापार करार (1968—69) के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये अफगानिस्तान से एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल 28 जुलाई, 1969 को यहां पहुंचा। बातचीत अभी चल रही है।

Special and Rehabilitations of Ex-Servicemen Fund

3495. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the amount of money allocated by his Ministry to each State for Special and Rehabilitation of Ex-Servicemen fund during the last two years;

(b) the amount given by the Delhi Administration and the Uttar Pradesh Government to ex-Servicemen out of this fund, the number of the Ex-Servicemen to whom and the purposes for which given; and

(c) whether Government give grants and loans to Ex-Servicemen for agricultural purposes out of this fund and if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) A sum of Rs. 80 lakhs was distributed among States and Union Territories for each of the years 1965-66 and 1966-67. No subsequent Central contribution has made to the States and Union Territories.

(b) The information is not rendly available and is being collected from the Delhi Administration and U. P. Government.

(c) Though actual details are not available, grants and loans can be given to ex-Servicemen for agricultural purposes from the Special Fund.

Revision of outlines of Forth Plan

3496. Shri Deven Sen :
Shri Shiva Chandra Jha :

Will the Prime Minister be pleased to state ;

(a) whether Government purpose to revise the outlines of the Fourth Five Year Plan in the wake of the nationalisation of Banks;

(b) if so, when; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Finauce, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : The Planning Commission will shortly make a re-assessment of resources on the basis of the Fifth Finance Commission's Report and make recommendations regarding adjustment in the Fourth Plan that might be considered necessary. All developments since the preparation of the Draft Fourth Plan, including the nationalisation of banks, will be taken into account by the Planning Commission in formulating its recommedations.

Thefts Committed in Dehu Road Depot

3497. Shri Baswant : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of thefts committed in Dehu Road Depot during the last three years with details of goods stolen and the value thereof;

(b) whether departmental hands were involved in the thefts:

(c) if so, whether some class I officer was also involved; and

(d) if so, the action taken against him ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) There are three Depots at Dahu Road. These are Central Ordnance Depot, Central Vehicle Depot and Ammunition Depot. No thefts from the Central Ordnance Depot or the Central Vehicles Depot have come to notice during the last three years. There were, however, two cases of attempted theft from the Ammunition Depot, Dehu Road, on 31st October 1966 and 8th January 1966 in respect of Brass Scrap of the value of Rs. 45 and Rs. 150 respectively. Two civilians, who were not employees of the Depot, were involved in each attempted theft and they were caught and handed over to the police. In addition, there were two cases of losses which were noticed on 6th May 1968 and 28th March 1969 involving Copper Strips valued at Rs. 400 and Brass Caps valued at Rs. 40 respectively. The responsibility for these two losses could not, however, he pinpointed.

(b) There is nothing to indicate that departmental hands were involved in the attempted thefts.

(c) and (d) Do not arise.

Deaths as a Result of Firing in Firiug Range Dehu Road Cantonment

3498. Shri Banswant : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether persons have died as a result of firing in the Firing-Range of Dehu Road Cantonment during the last three years;

(b) if so, the number thereof;

(c) whether some amount has been paid as compensation to the families of the deceased;

(d) if not, the reasons therefor;

(e) whether Government are considering the question of shifting the Firing-Range: and

(f) if so, when it is likly to be shifted ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) **Yes, Sir.**

(b) One.

(c) Yes, Sir. Compensation amounting to Rs. 5000/- was paid to the family of the deceased.

(d) Does not arise.

(e) No, Sir.

(f) Does not arise.

भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना

3499. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत यूगोस्लोविया, पश्चिम जर्मनी, आस्ट्रेलिया और लिबिया में लगने वाले पांच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग ले रहा है ;

(ख) क्या इन मेलों में फुटकर सामान की बिक्री की भी अनुमति होगी ; और

(ग) यदि हां, तो भारत द्वारा प्रत्येक मेले में प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं की सूची क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी रामसेवक) : (क) जी हां ।

(ख) व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों की भारतीय परिषद, जो इन मेलों का संयोजन कर रही है, का विचार पूर्वी जर्मनी को छोड़कर अन्य मेलों में हस्तशिल्पों तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की फुटकर व्यवस्था करने का है ।

(ग) युगोस्लाविया तथा आस्ट्रेलिया के मेलों में प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । इतनी जल्दी यह बताना सम्भव नहीं है कि फरवरी-मार्च 1970 में होने वाले अन्य तीन मेलों में कौन कौन सी वस्तुएं प्रदर्शित की जायेगी ।

विवरण

जगरेब अन्तर्राष्ट्रीय शरद ऋतु मेला, जगरेब (युगोस्लाविया)–
11 से 21 सितम्बर, 1969

वातानुकूलन यंत्र, जल ठण्डा करने की मशीनें, मोटर गाड़ी के पुर्जे, जल पम्प, घरों में काम आने वाला बिजली का सामान, तार के रस्से, एनेमल का सामान, मशीनी औजार, एल्नुमिनियम के संवाहक, छोटे औजार, पाप कोर्न मशीनें और पुर्जे, बुलडोजर, स्क्रेपर, रेफ्रीजिरेटर, कम्प्रेसर, गैस स्टोव, प्रेशर, लालटनें, टेलीफोन उपकरण, केबल, ढलाई के इलैक्ट्रोड, ट्रांजिस्टर रेडियो, फायल रोल्ज, गढ़ी वस्तुएं और स्टैम्पिग्ज, सर्जीकल उपकरण, निर्माण सम्बन्धी लोहे का सामान, बिजली के पंखे, सिलाई की मशीनें, टौर्क कनवर्टर, जीपें और जीप ट्रक, फोर्क लिफ्ट, हीरा उद्योग औजार, भाप वाल्व, स्विच गीयर, स्टेनलैस स्टील का सामान, बैट्री चार्जर, स्टील फाइल्ज, कपड़ा मशीनरी, मुद्रण मशीनों के पुर्जे, साइकिलें, खनिज, ट्रक चेजिस, स्लोटिड एगल्ज, शीशे का सामान, भेषज तथा औषधियां रसायन, शृंगार वस्तुएं, रंग-रोगन और वार्निश, टायर, थामस फ्लास्क, सैनिटरी वेयर, लिनोलियन, रिफ्रैक्ट्रीज, रबड़ का सामान, कागज उत्पाद, प्लास्टिक का सामान, बैट्रियां और टार्च, सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा रेशमी और रेयन कपड़ा, नारयल जटा उत्पाद, चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, पटसन का सामान, होजरी का सामान, चाय, काजू, सिगरेट, डिब्बों में बन्द खाद्य पदार्थ, बिस्कुट और मीठी गोलियां, मसाले, तम्बाकू के नमूने, दस्तकारी की वस्तुएं, हायकर्घा वस्तुएं, ग्रामोफोन रिकार्ड, खेल का सामान, बनावटी बालों की टोपियां और मूल्यवान आभूषण ।

सिडनी अन्तर्राष्ट्रीय मेला, सिडनी (आस्ट्रेलिया)
16 से 25 अक्टूबर, 1969

सिलाई की मशीनें और पंखे, स्टेनलैस स्टील की वस्तुएं, डीजल इंजन, रेतियां, पेट्रोल पम्प यूनिट, तार के रस्से, रेफ्रीजिरेटर, काम्प्रेसर, बाइसिकल के पुर्जे, केबल और तार, सैनिटरी वेयर, प्रयोगशाला उपकरण, वैक्युम फ्लास्क, रसायन, जीवाणु माडल, शीशे का सामान, प्लास्टिक का सामान, सूती कपड़ा, पटसन का सामान, समुद्रीय उत्पाद, काजू, दस्तकारी की वस्तुएं, हाथकरघा वस्तुएं, गलीचे, साज, पुस्तकें, मसाले, अचार और फलों के रस आदि ।

गृह-कार्य मन्त्रालय का पुनर्गठन

3500 **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मन्त्रालय के कार्यों का पुनर्गठन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य किये जाने वाले हैं ;

(ख) क्या आसूचना विभाग और केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के पहलू प्रधान मंत्री के सचिवालय को दिये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन परिवर्तनों के क्या कारण हैं और कब से इनको क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) , जी नहीं । वास्तव में हाल ही में कुछ समाचार पत्रों में भ्रामक तथा अर्थ का अनर्थ सूचित करने वाले कुछ समाचार प्रकाशित हुए जिसका प्रधान मन्त्री के सचिवालय के एक सरकारी प्रवक्ता ने तुरन्त खण्डन किया ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अमरीकी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा से लाये गये नमूनों का प्रयोगशाला में परीक्षण

3501. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका से अमरीकी अन्तरिक्ष यात्रियों द्वारा चन्द्रमा से लाये गये नमूनों को प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए उपलब्ध करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अमरीका ने इसका उत्तर दिया है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं, चन्द्रमा से लाये गये नमूनों के बारे में अमरीका के वैज्ञानिकों द्वारा किये जा रहे परीक्षणों के परिणाम उपलब्ध होने पर हमारे वैज्ञानिक निःसन्देह उसका अनुसरन करेंगे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कश्मीर में पाकिस्तानी सड़क

3502, **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ से शिकायत की है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान एक सड़क बना रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कब और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका कोई उत्तर दिया है, तो क्या ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : जी हां । संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के नाम 21 जुलाई 1969 के अपने पत्र में इसकी सूचना दे दी है । जैसा कि साधारणतः किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने परिषद के सभी सदस्यों में यह पत्र प्रचारित कर दिया है ।

हड्डियों का निर्यात

2503. **श्री शिव चन्द्र झा** । क्या वैदशिक कार्य तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से मनुष्यों और पशुओं की हड्डियों का विदेशों को निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को और इस व्यापार से भारत को प्रति वर्ष औसतन कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है ; और

(ग) गत पांच वर्षों में इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) पशुओं की हड्डियों का (पीसे हुए, कुरमुरे तथा चूरा किये गये रूप में) निर्यात किया जाता है । इसके अतिरिक्त जैविक अनुसन्धान के लिए मानव-अस्थिपंजरों के निर्यात की भी अनुमति है ।

(ख) और (ग) : एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा गया है । जिसमें पशुओं की हड्डियों के देशवार निर्यात दिये गये हैं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1671/69) । जहां तक मानव-अस्थिपंजरों के देशवार निर्यात का सम्बन्ध हैं, जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रूस की सहायता से पूर्वी पाकिस्तान में परमाणु संयंत्र

3504, **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस पूर्वी पाकिस्तान में एक नया परमाणु संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) सोवियत संघ ने पूर्वी पाकिस्तान में प्रस्तावित रूपड़ नाभिकीय प्रायोजना की तकनीकी संभाव्यता का अध्ययन समाप्त कर लिया है । पाकिस्तान की अखबारी खबरों के अनुसार सोवियत संघ ने 400 मे० वा० क्षमता वाला एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने का सुझाव रखा है ।

(ख) शांतिपूर्ण उद्देश्यों से परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए, द्वि पक्षीय सहयोग होना, कोई असाधारण बात नहीं ।

आयुध कारखानों में औद्योगिक कर्मचारियों के व्यवसायों तथा वेतन क्रमों को युक्ति संगत बनाना

3505. **श्री राम चन्द्र वीरप्पा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में औद्योगिक कर्मचारियों के व्यवसायों तथा वेतन क्रमों को युक्ति संगत बनाने के प्रश्न तथा सम्बन्धित मामलों पर बिचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के विचारणीय विषय क्या है ; और

(ग) इस समिति का प्रतियेदन सरकार को कब तक मिल जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० मा० मिश्र) : (क) जी हां । सरकार ने आर्डनेन्स फैक्टरियों में औद्योगिक कर्मचारियों के व्यवसायों और वर्गों के संगतीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की है ।

(ख) कृत्य शर्तें हैं :—

(1) विचार करना कि आया वर्तमान व्यवसायों में से किसी में श्रेणियों में कमी आवश्यक है ;

(2) विचार करना कि आया कोई दो या अधिक व्यवसाय एक से हैं ; और कार्यत: उनके एक से कर्तव्य हैं, कि उन्हें एक कर दिया जाए;

(3) विचार करना कि आया सयन्त्र और मशीनों की नई मदों, उत्पादन मरम्मत की प्रक्रियाओं या रख रखाव की गई मदों के सम्बन्ध में कि जो हाल में अपनाई गई हैं, उपयुक्त वर्ग के साथ किन्हीं नये व्यवसायों का पुर-स्थापन आवश्यक है ; और

(4) व्यक्तिगत व्यवसायों में विभिन्न वर्गों के बीच निष्पक्षियों के सम्बन्ध में विभिन्न आर्डनेन्स फैक्टरियों में विद्यमान वर्तमान ढंग का निरीक्षण करना, और यदि आवश्यक हो तो और वर्तमान तथा पूर्वानुमानित कार्य

भार के गुणरूप और प्राप्य तथा कृत्य शर्तों के अन्तर्गत सिफारिश के अनुसार सयंत्रों और प्रक्रियाओं को सामने रखे हुए किसी अधिक सामयिक ढंग की सिफारिश करना ।

(ग) कमेटी को इसकी स्थापना तिथि से चार मास की अवधि में रिपोर्ट देने को कहा गया है । तदनुसार कमेटी की रिपोर्ट अन्त दिसम्बर, 1969 में आनी है ।

जापान, दक्षिण कोरिया और हांगकांग को भारत का व्यापार प्रतिनिधि मंडल

3506. **श्री राम चन्द्र वीरप्पा** : क्या वैदेशिक तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने जापान, दक्षिण कोरिया और हांगकांग का हाल ही में दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं । किसी भी सरकारी दल ने अभी हाल में इन देशों का दौरा नहीं किया है ।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठते ।

जम्मू तथा कश्मीर में भारतीय सुरक्षा दल की सशस्त्र पाकिस्तानियों से मुठभेड़

3507. **श्री राम चंद्र वीरप्पा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू से 35 मील दूर गढ़ ग्राम में भारतीय सुरक्षा सेना दल की सशस्त्र पाकिस्तानी लोगों के एक गिरोह से 16 जून, 1969 को मुठभेड़ हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस मामले में कोई रिपोर्ट मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :(क) से (ग) . 18 जून, 1969 को हमारी सुरक्षा सेनाओं ने जोड़ियां से दक्षिण पश्चिम में लगभग 7 मील गढ़ ग्राम के पास सीमा की हमारी ओर से पशु चुरा कर ले जाते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों पर गोली चला दी थी । एक पाकिस्तानी मारा गया था और अन्य सीमा पार भाग गये थे । 19 जून को ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी ।

काली मिर्च के निर्यात के बारे में इण्डोनेशिया के साथ वार्ता

3508. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बाजार में काली मिर्च का अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए कोई योजना तैयार करने के सम्बन्ध में भारत सरकार और इण्डोनेशिया सरकार के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो यह बैठक कब होगी तथा उसमें मुख्य रूप से किन-किन बातों पर विचार किया जायगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) . दोनो देशों के अधिकारियों के बीच अन्य विषयों के साथ साथ काली मीर्च के एकक मूल्य को बनाये रखने के लिए कतिपय प्रबन्ध करने के प्रश्न पर विचार किया गया। वार्ताएं प्रारम्भिक प्रकार की थी और उनके आगे जारी रहने की सम्भावना है ।

चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों के समय युद्ध में भाग लेने वाले प्रादेशिक सेना के जवान

2509. श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों के समय प्रादेशिक सेना के जवानों ने प्रायः वैसा ही काम किया था जैसा नियमित सेना के कर्मचारी कर रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों को उपदान तया पेंशन के रूप में क्या लाभ दिये गए हैं ; और

(ग) क्या प्रादेशिक सेना में उनके सेवा काल को असैनिक सरकारी नौकरी में वरिष्ठता के उद्देश्य के लिये उसी भांति गिना जायेगा, जिस प्रकार नियमित सेना-आपतकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में किना जाता है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) कुछ प्रादेशिक सेना यूनिटें चीनी तथा पाकिस्तानी आक्रमणों के दौरान ड्यूटी के लिए समंगीकृत की गई थी। उन्हें इन यूनिटों के लिए स्पष्टीकृत कार्य सौंपे गये थे ।

(ख) प्रादेशिक सेना में मिलाकर हर वर्ष की समंगीकृत सेवा के लिए आधे मास के वेतन की दर से अधिकाधिक नौ मास के वेतन के बराबर अनुमान देय है यदि किसी व्यक्ति ने कम से कम 4 वर्ष की कुल मिलाकर समंगीकृत सेवा की हो। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत प्रादेशिक सेना में की गई सेवा के लिए सेवा की पेन्शन देय नहीं है । जहां तक निर्योग्य पेन्शन और विशेष कुटुम्ब सेवा का सम्बन्ध है, टी० ए० संविवर्ग से वही व्यवहार किया जाता है, जो नियमित स्थल सेना के संविवर्ग से ।

(ग) जो प्रादेशिक सेना कार्मिक वाद में सिविल सरकारी सर्विस में आ जाते हैं उन्हें सिविल में वरिष्ठता देने के लिए प्रादेशिक सेना में की गई सेवा का लाभ नहीं मिलता, प्रादेशिक सेना के ऐसे कार्मिक जो कि पहले ही सरकारी कर्मचारी थे, अपनी सिविल नौकरी पर वापस आने पर प्रादेशिक सेना में की गई उनकी सेवा को सिविल सर्विस की गई सेवा के समान ही गिना जाएगा ।

मध्य प्रदेश और राजस्थान के सरकारी राजपत्रित अधिकारियों को प्रादेशिक सेना का कमीशन प्राप्त

3510. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसे असैनिक सरकारी राजपत्रित अधिकारी कितने हैं जिन्हें प्रादेशिक सेना का कमीशन प्राप्त है ;

(ख) क्या इन अधिकारियों को आपातकाल में सेवा के लिए बुलाया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मूल विभागों में उनकी पदोन्नति के अधिकार सुरक्षित रखे गये हैं ; और

(घ) क्या किसी ऐसे अधिकारी की पदोन्नति की गई और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तानी सेना के एक डिविजन का तैनात किया जाना

3511. **श्री तुलसी दास दासप्पा :**
श्री मीठा लाल मीना :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम राजस्थान की सीमा से लगने वाले पाकिस्तान ने अपने रेगिस्तानी क्षेत्र में सेना का एक पूरा डिविजन तैनात कर रखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा है ; और

(ग) पाकिस्तान सरकार से उसका क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) . जबकि सैनिक संचालन द्वारा अन्तर्ग्रस्त प्रशिक्षण अभ्यासों समेत सरकार पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं की, राजस्थान सीमा के पार, नियुक्ति और अन्य सैनिक गतिविधियों से परिचित हैं ऐसे कोई इंगित नहीं कि जैसे कहा गया है कि नया डिवीजन खड़ा किया गया है ।

ग्वादर बन्दरगाह को एक बड़े नौसैनिक अड्डे में परिवर्तन करने के लिये पाकिस्तान को रूसी सहायता

3512. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही के इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान सरकार ने पांच वर्ष पुरानी परियोजना को फिर से आरम्भ किया है और उसने रूस सरकार ने पश्चिमी तट में ग्वादर के वर्तमान छोटे बन्दरगाह को बड़े पाकिस्तानी नौसैनिक अड्डे में परिवर्तन करने के लिए सहायता प्राप्त की है जहां से कि पाकिस्तानी नौसेना फारस की खाड़ी तक का नेतृत्व कर सकती है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के सम्पूर्ण तथ्य क्या हैं और भारत की नौसेना की सामरिकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) . सरकार ने इस विषय की रिपोर्ट देखी है कि पाकिस्तान यू० एस० एस० आर० की सहायता से ग्वादर को एक वृहत बन्दरगाह के तौर पर विकसित कर रहा है ।

अपने देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी संवर्धनों का सतर्कतापूर्वक ध्यान रखा जाता है, और अपनी रक्षा योजना में उसका ध्यान रखा जाता है ।

Closure of Taxtile Mills in Maharashtra

3514. Shri Deorao Patil : Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) the number of textile mills in Maharashtra which are likely to close down as a result of financial difficulties;

(b) the number of workers and other employees likely to be thrown out of employment as a result thereof; and

(c) the details of the assistance proposed to be given by Government to solve the said problem ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chaudhary Ram Sewak) : (a) Government have no information.

(b) and (c) : Do not arise.

Study Group for Coir Industry

3515. Shri Deorao Patil : Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleayed to state :

(a) whether a Study Group has been constituted for the development of coir industry during the Fourth Five Year Plan period;

(b) if so, whether study group has submitted its report to Government; and

(c) the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Choudhary Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) The Study Group was set up on the 22nd July, 1969 and is required to submit its report within a period of six months.

(c) Does not arise.

बकरी की खाल के निर्यात पर रोक

3516, श्री तुलसी दास दासप्पा : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1973 तक बकरी की कच्ची खाल के निर्यात पर रोक लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके परिणामस्वरुप विदेशी मुद्रा की अनुमानित कितनी हानि होगी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) : बकरी की कच्ची खाल का निर्यात धीरे-धीरे कम किया जा रहा है और इसे 1973 तक बिल्कुल बन्द करने का विचार है । ऐसा इसलिये किया जा रहा कि देश में चमड़ा कमाने और तैयार करने के उद्देश्य के लिए अधिक कच्चा माल उपलब्ध हो सके ताकि उससे तैयार की हुई तथा कमाई हुई बकरी की खालों तथा तैयार चमड़े का और अधिक निर्यात किया जा सके ।

(ग) बकरी की कच्ची खालों के निर्यात बन्द होने के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा में कोई हानि होने की सम्भावना नहीं है ; इसकी बजाय बकरी की कमाई हुई खालों तथा तैयार चमड़े के निर्यात से विदेशी मुद्रा की कमाई में वृद्धि होगी क्योंकि उनके लिए अधिक इकाई मूल्य मिलता है ।

भारत और अफगानिस्तान के बीच फलों का व्यापार

3517, श्री नि० रं० लाम्कर :
श्री चेंगल राया नायडू :
श्री रा० बरुआ :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच बरास्ता पाकिस्तान ताजे फलों का व्यापार हाल ही में आरम्भ हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यही एक स्थल मार्ग है जिससे भारत अफगानिस्तान के साथ व्यापार कर सकता है ;

(ग) क्या सरकार भारत और अफगानिस्तान को मिलाने वाले कोई सीधे वैकल्पिक मार्ग बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) : जी हां। पाकिस्तान ने अगस्त, 1966 से हुसैनीवाला मार्ग से भारत में फल लाने की अनुमति दी हुई है।

(ग) और (घ) . एक वैकल्पिक मार्ग अर्थात ईरान से होकर जल तथा थल मार्ग से माल लाना सम्भव है। व्यापारी अपना माल भारत और अफगानिस्तान के बीच हवाई मार्ग से भी भेज सकते हैं। परन्तु इन वैकल्पिक मार्गों द्वारा परिवहन महगा पड़ता है।

भारत में चाय उद्योग में संकट

3518. **श्री रा० बरुआ** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में चाय उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या चाय पर लगे कर में 1960 से 1969 तक 74 प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है और इसके परिणामस्वरूप भारतीय चाय का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय चाय का भाव खरीदारों के हाथ में है, क्या यह सम्भव होगा कि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि को निर्यात करते समय ग्राहकों से वसूल किया जा सके ; और

(घ) मुख्य रूप से चाय पर निर्भर अर्थ व्यवस्था वाले आसाम राज्य के सामने जो संकट उपस्थित हुआ है, उसको टालने के लिए क्या कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (घ) : चाय उद्योग के सामने कोई संकट नहीं है परन्तु वह कठिनाईयों का सामना कर रहा है जिसके लिए सम्भव तथा आवश्यक उपचारी कार्यवाही समय-समय पर की गई है। यद्यपि 1968 में गत वर्ष की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय का मूल्य कम था तथापि कम मूल्य के कारण हुई हानि को 1968 में अधिक उत्पादिता तथा उत्पादन द्वारा अंशतः निष्प्रभावी बना दिया गया है। मूल्यों में हुई गिरावट की क्षतिपूर्ति करने के उद्देश्य से निम्नलिखित रियायतें दी गई :—

(1) 1-10-1968 से निर्यात शुल्क पर छूट को 24 पैसे प्रति किग्रा से बढ़ाकर 35 पैसे प्रति किग्रा कर दिया गया।

(2) मूल उत्पादन शुल्क के 20% के विशेष उत्पादन शुल्क को 1-10-68 से समाप्त कर दिया गया,

(3) चाय बोर्ड से किराया खरीद आधार पर ऋण सुविधाओं तथा चाय तैयार करने के लिए मशीनें प्राप्त करने की सुविधा के अतिरिक्त, जो पहले ही विद्यमान थी, इस उद्योग को पुराने क्षेत्रों के पुनर्रोपण करने हेतु

सहायता प्रदान करने के लिए मैदानी बागानों के लिए 3500 रुपये प्रति हैक्टेयर तथा पहाड़ी बागानों के लिए 4500 रु० प्रति हैक्टर की दर पर एक पुनर्रोपण उपादान की योजना घोषित भी की गई। बजट में विपुल चाय पर निर्यात शुल्क में और भी कटौती गई है। यह शुल्क 35 पैसे प्रति किग्रा घटाकर 20% यथामूल्य अथवा 2.65 रु० प्रति किग्रा, जो भी कम हो, की दर से था जिसे अब कम कर के 55 पैसे प्रति किग्रा घटाकर 15% यथामूल्य अथवा 1.70 रु० प्रति किग्रा, जो भी कम हो, कर दिया गया है। धातु के डिब्बों में पैकेट बन्द चाय पर से निर्यात शुल्क 10% यथामूल्य से कम करके शून्य कर दिया गया है। जबकि डिब्बों में पैकट बन्द चाय पर से शुल्क 15% यथामूल्य से घटाकर 5% यथामूल्य कर दिया गया है। सरकार स्थिति पर निरन्तर निगरानी रख रही है।

(ख) जी नहीं, भारत में 1969 में चाय पर लगे करों का 1960 के करों की अपेक्षा केवल 14.30% अधिक होने का अनुमान है।

(ग) यह तो चाय के विभिन्न प्रकार, वर्ग तथा किस्मों के लिए संभरण तथा मांग के पारस्परिक प्रभाव पर निर्भर हैं। बढ़िया किस्म की चाय के सम्बन्ध में, जिनकी अधिक मांग है और जिनका संभरण काफी अधिक नहीं है, उत्पादन की लागत में हुई वृद्धि को ग्राहकों से वसूल करना सम्भव है परन्तु घटिया किस्मों वाली चाय, जो फालतू पड़ी है, के मामले में ऐसा करना कठिन है।

रूई का आयात

3519. श्री देवराव पाटिल : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में किस-किस देश से, किस-किस भाव पर कितनी-कितनी रुई का आयात किया गया ;

(ख) रुई के मामले में आत्मनिर्भर होने के बारे में सरकार की नीति को दृष्टिगत रखते हुए क्या आयात के कोटे में कटौती की जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1672/69]

(ख) और (ग) . सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि रुई का आयात कम किया जाय। वर्ष 1969–70 में दौरान रुई के आयात का निर्धारण अनुमानित आवश्यकताओं तथा स्वदेशी रुई की प्रत्याशित उपलब्धि के आधार पर किया गया है।

तिरुचिरापल्ली स्थित आयुध कारखाने में काम बन्द हड़ताल

3520. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नम्बियार :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) स्थित आयुध कारखाने में पूर्ण काम बन्द हड़ताल चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आठ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिये जाने के विरोध में कर्मचारियों ने यह हड़ताल की है : और

(ग) सरकार ने बातचीत द्वारा समझौता कराने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं। तदपि 22-7-69 से दो दिनों के लिए फैक्ट्री में कुछ कार्मिकों ने हथियार रख देने की हड़ताल की थी। कार्मिकों ने 24-7-1969 को काम शुरु कर दिया था।

(ख) जी हां। एक फौजदारी आरोप न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये 8 कर्मचारियों के हटाए जाने के विरुद्ध विरोध के तौर पर कार्मिकों ने हड़ताल की थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के कर्मचारियों तथा प्रशासन के विवाद का समाचार।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

> "राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के कर्मचारियों तथा प्रशासन के बीच विवाद का समाचार।"

शिक्षा मंत्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 23 जून, 1969 को की गई 5 नियुक्तियों में से 4 के विरुद्ध राष्ट्रीय पुस्तकालय कर्मचारी संगठन 14 जुलाई, 1969 से समय समय पर आन्दोलन तथा प्रदर्शन करता रहा है। निम्नलिखित पांच नियुक्तियां की गई थीं :- एक जूनियर तकनीकी सहायक, दो सॉरटर, एक बाइंडर और एक फराश। पुस्तकाध्यक्ष ने, जो कि सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी है, विभागीय

पदोन्नति समिति द्वारा अपनी 30 मई, 1969 को हुई बैठक में की गई सर्व सम्मत सिफारिशों के आधार पर ये नियुक्तियां की थी। जिन चार नियुक्तियों पर आपत्तियां की गई थीं वे हैं :-

(1) गार्ड की नियुक्त के बारे में यह आपत्ति थी कि रोजगार कार्यालय ने उक्त पद के लिए उसका नाम नहीं भेजा था;

(2) और (3) दो सॉरटरों की नियुक्ति के बारे में यह आपत्ति थी कि हालांकि पिछली तारीख से ये स्थान रिक्त थे, किन्तु उनकी नियुक्तियां केवल 23 जून, 1969 से अर्थात् जिस तारीख से आदेश जारी किए गये थे, की गई थी; और

(4) जूनियर तकनीकी सहायक की नियुक्ति के बारे में यह आपत्ति थी कि अपर्याप्त सेवा अवधि होने, आवेदन पत्र देर से प्राप्त होने और विभागीय उम्मीदवारों में वरिष्ठतम न होने के कारण, वह इस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं था।

संगठन द्वारा उठाई गई आपत्ति को ध्यान में रख कर, मामले पर आगे विचार करने की शर्त के साथ, पुस्तकाध्यक्ष ने 22 जुलाई, 1969 को गार्ड की नियुक्ति रद्द कर दी थी। उसी दिन बाद में, उन्होंने संगठन की शिकायतों को दूर करने के लिए, संयुक्त परामर्श मशीनरी के अन्तर्गत स्थापित कार्यालय परिषद की एक बैठक भी बुलाई थी। इस विचार-विनिमय के अनुसरण में, पुस्तकाध्यक्ष ने उपर्युक्त (2) और (3) की नियुक्तियों से संबंधित अपने 23 जून, 1969 के आदेश में संशोधन करके, उनकी नियुक्तियां 25 मार्च, 1969 से कर दी थी। किन्तु चौथे व्यक्ति के बारे में, जिसकी नियुक्ति जूनियर तकनीकी सहायक के रूप में हुई थी, पुस्तकाध्यक्ष अपने आदेश में संशोधन करने के लिए सहमत नहीं हुए थे, क्योंकि संबंधित व्यक्ति को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उक्त पद के लिए सर्वोत्तम उम्मीदवार और योग्यता के आधार पर और सर्व सम्मति से चुना गया था। इसके अतिरिक्त इस पद पर नियुक्ति पुस्तकालय में सेवावधि के आधार पर पदोन्नति द्वारा न की जाकर, सीधी भर्ती द्वारा की जाती थी। आवेदन-पत्र के देरी से प्राप्त होने के लिए, यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि नोटिस जारी होने के समय, उम्मीदवार छुट्टी पर था और छुट्टी से वापिस आने के तुरन्त बाद उसने अपना आवेदन पत्र भेज दिया था। पुस्तकाध्यक्ष द्वारा 22 दिसम्बर, 1967 को जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करते हुए, संगठन द्वारा 5 अगस्त, 1969 को पुस्तकालय भवन में कुछ पोस्टर लगा ये गए थे। उक्त आदेशों के अन्तर्गत ऐसे पोस्टर लगाना वर्जित था। संगठन के उन पोस्टरों को हटाने को मना करने पर, पुस्तकाध्यक्ष ने उन पोस्टरों को हटवा दिया। इस पर कर्मचारियों ने पुस्तकाध्यक्ष के कमरे के सामने एक विशाल प्रदर्शन किया और नारे लगाए। प्रदर्शन के हिंसात्मक रुप धारण करने की आशंका से, जिससे जन सम्पत्ति को हानि पहुंच सकती थी, तथा ड्यूटी पर तैनात जन सेवकों की रक्षा के लिए, उन्होंने पुलिस की सहाया मांगी। उनके अनुरोध पर पुलिस आ गई और तैयार खड़ी रही। कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन समाप्त करने का आश्वासन दिए जाने पर, पुस्तकाध्यक्ष ने पुलिस को वापिस जाने के लिए कहा। तदनुसार, पुलिस पुस्तकालय सीमा से बाहर चली गई। किन्तु, कर्मचारी उसके बाद भी लगभग आध घटे तक प्रदर्शन करते रहे और उस दिन शाम को भी उन्होंने फिर प्रदर्शन किया। उन्होंने 6 और 7 अगस्त, 1969 को भी प्रदर्शन किए, किन्तु उसके बाद

उन्होंने अपना आन्दोलन वापिस ले लिया और 8 अगस्त, 1969 के बाद से कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है।

कर्मचारियों के बीच तनावपूर्ण संबंधों की जांच करने के लिए, जो कि पुस्तकालय के कार्य पर गंभीर रूप से प्रभाव डाल रहे है तथा अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र पेश करने के लिए शिक्षा तथा युवक सेवा मत्रालय, श्रम मत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को वहां भेज रहा है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मंत्री महोदय के वक्तव्य में इस तथ्य पर प्रकाश क्यों नहीं डाला गया कि यह विवाद केवल हाल ही का नहीं है, बल्कि पुस्तकाध्यक्ष तथा कर्मचारियों के बीच काफी समय से बड़े कटु सम्बन्ध चले आ रहे है और उनके संबंध इस सीमा तक बिगड़ चुके थे कि पुस्तकाध्यक्ष ने राष्ट्रीय पुस्तकालय जैसे स्थान पर पुलिस बुलाकर उसकी पवित्रता नष्ट की है ? इन सभी बातों को देखते हुए तथा इस बात को देखते हुए कि पुनरीक्षण समिति, जिसने हाल में रिपोर्ट दी है, एक ऐसे पुस्तकाध्यक्ष की नियुक्ति करने की बात कही है जिसके पास शैक्षिक तथा तकनीकी अर्हताएं हों (जिससे ऐसा मालूम होता है कि वर्तमान पुस्तकाध्यक्ष के पास ये अर्हताएं नहीं हैं), सरकार श्रम मत्रालय के ही एक अधिकारी को क्यों भेज रही है, और इस समूचे प्रश्न की जांच करने के लिये उसने किसी उच्च न्यायिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति की नियुक्ति क्यों नहीं की ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य ने बहुत से प्रश्न उठाये हैं वह पुनरीक्षण समिति के स्वयं सदस्य हैं। सरकार को राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट मिली है। इस वक्तव्य में पिछले विवादों आदि का उल्लेख नहीं किया गया। मैंने बताया है कि यह विशेष झगड़ा चार व्यक्तियों की नियुक्ति के बारे में था। तीन नियुक्तियों के बारे में सन्तोषजनक उत्तर दिया जा चुका है। केवल चौथी नियुक्ति के बारे में कुछ मतभेद था। मैं प्रदर्शन, इश्तहारों आदि के सम्बन्ध में विस्तार में नहीं जाना चाहता। जहां तक इस प्रश्न का कि नये पुस्तकाध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं की गई, आदि का सम्बन्ध है सदस्य महोदय स्वयं जानते हैं कि इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर उसके निष्कर्षों तथा सिफारिशों पर सावधानी पूर्वक विचार किये बिना सरकार के लिये इतनी जल्दी निर्णय करना संभव नहीं है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि उच्च न्यायिक अधिकारी क्यों नहीं भेजा गया, इसमें सन्देह नहीं कि पुनरीक्षण समिति ने पुस्तकालय के प्रशासकों तथा कर्मचारियों के बीच के विवादों के समूचे प्रश्न पर विचार करने के लिये एक उच्च न्यायिक अनुभव प्राप्त अधिकारी की नियुक्ति करने का सुझाव दिया था, किन्तु इस संबध में वहां पुलिस को अन्दर बुलाने तथा प्रदर्शन आदि का सवाल उठ खडा हुआ। सबसे पहले, सरकार को इस सिफारिश को स्वीकार करने का निर्णय करना है। दूसरी बात यह है कि इतनी जल्दी न्यायिक अधिकारी मिलना बहुत कठिन होता है जो वहां जाने तथा इस मामले में जांच करने के लिये तैयार हो। इस बीच मैंने यही उचित समझा कि वहां मुख्य श्रम आयुक्त को भेजा जाये जो चार-पांच दिन वहां ठहर कर इस मामले के बारे में जांच करे और मुझे बताये कि क्या कार्यवाही की जानी चाहिए जो इस मामले में सहायक हो। मैं समझता हूँ माननीय सदस्य यह बात जानते हैं।

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृष्ण नगर) : क्या सरकार को कोई ऐसी सूचना मिली है कि कलकत्ता मे सिनेमा घरो मे बम रखे गये थे ? क्या सरकार ने कर्मचारियों की कैन्टीन तथा अन्य बातो के सम्बन्ध मे छोटी मोटी कठिनाइयां तथा शिकायतें दूर कर दी हैं जिनके कारण उन्होंने प्रदर्शन किया था और यदि नहीं, तो क्या उन शिकायतों को शीघ्र दूर किया जायेगा ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : हम सिनेमा घरों की नहीं, अपितु राष्ट्रीय पुस्तकालय की बात कर रहे हैं । जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, मुख्य श्रम आयुक्त के कलकत्ता जाकर वहां से जांच करके लौटने पर यदि ऐसा पता चला कि कमचारियों की ये शिकायतें दूर नहीं की गई हैं, तो हम इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही करेंगे और इन शिकायतों को दूर करेंगे ।

श्री ज्योतिमय बसु (डाइमन्ड हार्बर) : पुस्तकाध्यक्ष द्वारा आश्वासनों को क्रियान्वित न किये जाने के कारण, कर्मचारियो ने शान्तिपूर्ण तथा अनुशासनबद्ध ढग से प्रदर्शन करने का निर्णय किया इसके अतिरिक्त वे रिसेस मे तथा फाटक के बाहर तथा कार्यालय-काल के बाद अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने दफ्तर की कैन्टीन में कुछ इश्तहार बोड पर लटकाये थे, किन्तु मत्री जी ने यह कह कर सभा को गुमराह किया है कि ये इश्तहार पुस्तकालय के परिसर मे दीवारों पर लगाये गये थे । पुलिस इसलिये बुलायी गई थी कि पुस्तकाध्यक्ष कर्मचारियों में आतक फैलाना चाहता था और बहुत से कर्मचारियों को निलम्बित करना चाहता था । पुस्तकाध्यक्ष, श्री कालिया की, जिसके पास अपेक्षित अर्हताएं नहीं हैं और जो भूतपूर्व शिक्षा सचिव श्री प्रेम कृपाल का मित्र है, उसकी नियुक्ति के बारे में इस सभा में मामला उठाया गया था । उसे इस पद के योग्य नहीं समझा गया था, किन्तु फिर भी उसे इस पद पर लगाया गया है, इस व्यक्ति के कार्य-काल में बहुत सी मूल्यवान पुस्तकें चोरी हो गई हैं या खो गई हैं । हम नहीं जानते कि इस सम्बन्ध में उसकी क्या जिम्मेदारी है । पुनरीक्षण समिति, जिसे मई, 1968 में गठित किया गया था, को तीन महीने के भीतर रिपोर्ट देने के लिये कहा गया था किन्तु उसने 1 वर्ष 3 महीने बाद रिपोर्ट दी है । इस अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ? इस रिपोर्ट पर सरकार का विचार क्या निर्णय करने का है और क्या इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जायेगा और ससद सदस्यों को वह उपलब्ध की जायेगी ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : प्रदर्शन शान्तिपूर्ण था अथवा अशान्ति पूर्ण, इस बारे में मैं माननीय सदस्य के साथ विवाद में नही पड़ना चाहता । यह समझने की बात है । परन्तु जानने योग्य बात यह है कि एक इश्तहार मे यह दिखाया गया था कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जो किसी विशेष भाषायी वर्ग का था, उस्तरे से गला काट रहा है और खून की बूंदें भारत के मानचित्र पर गिर रही हैं । मैं समझता हूं कि पुस्तकाध्यक्ष के लिये इन इश्तहारो के प्रदर्शन पर आपत्ति करना युक्तियुक्त था चाहे वे इश्तहार कैन्टीन में लगाये गये थे या पुस्तकालय के किसी अन्य भाग में लगाये गये हों ।

जहां तक पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, वह सरकार को अभी हाल ही में मिली है और इस पर विचार किया जायेगा, और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंच जायेगा । इस समिति ने रिपोर्ट देने में इतना अधिक विलम्ब क्यों किया, इसका स्पष्टीकरण मैं कैसे कर सकता हूं । इस बारे में माननीय सदस्य के दल के माननीय सदस्य, जो इस सभा के सदस्य

हैं और इस समिति के भी सदस्य थे, स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि इस समिति ने रिपोर्ट देने में इतना अधिक समय क्यों लगाया।

श्री ज्योतिमय बसु : क्या सरकार इस पुस्तकाध्यक्ष को, जो अपेक्षित अर्हता-प्राप्त नहीं है, हटा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया है। उसके बाद माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है अथवा स्पष्टीकरण मांगा है, उन्होंने एक विपरीत वक्तव्य दिया और उस विपरीत वक्तव्य के बाद फिर प्रश्न पूछ रहे हैं। इस हिसाब से इसका कोई अन्त ही नहीं होगा। वह स्पष्टीकरण मांग सकते थे, उन्हें यह पूछने की आवश्यकता नहीं कि रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई थी आदि।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय कलकत्ता में इश्तहारों के बारे में इतने चिन्तित क्यों हैं। कलकत्ता शहर तो इश्तहारों का शहर है और वहां सभी किस्म के इश्तहार लगते रहते हैं।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पुलिस बुलाने के लिये वास्तव में उत्तेजनात्मक वातावरण था ? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि जहां तक पुस्तकाध्यक्षों का सम्बन्ध है, क्या इन मामलों में विनियमों के सम्बन्ध में कोई समान विधान है क्योंकि विश्व विद्यालयों में पुलिस आदि बुलाने के बारे में कुछ विनियम हैं। वहां एक खास शैक्षिक स्वतन्त्रता है। क्या इस पुस्तकालय में भी ऐसे ही विनियम हैं, क्या स्थायी अनुदेश कैन्टीन में इश्तहारों के प्रदर्शन से सम्बन्धित हैं ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इन इश्तहारों के बारे में विशेष रूप से चिन्तित नहीं था, बात यह थी कि पुस्तकाध्यक्ष ने एक आदेश जारी किया था कि पुस्तकालय के परिसर के किसी भी भाग में अवांछनीय इश्तहार न लगाये जायें। परन्तु ये इश्तहार लगाये गये और उन्हें उसके आदेश से हटाया गया। तब कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, इस बारे में कि, क्या ये इश्तहार ऐसे थे, जिनसे हिंसा भड़क सकती थी या नहीं, मेरे पास कोई विशेष जानकारी नहीं है।

Shri Prakashvir Shastri (Hapur) : What were the contents of the poster ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : एक इश्तहार में जो कुछ दिखाया गया था वह तो मैं बता चुका हूँ। मैंने इश्तहार स्वयं नहीं देखा। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है वह मैंने दे दी है।

जहां तक पुलिस को वहां बुलाने का सम्बन्ध है, मेरी जानकारी के अनुसार, पुस्तकाध्यक्ष को उन्होंने बाहर आने से रोका था, इसलिये उसे पुलिस बुलानी पड़ी थी। मैं "घेराव" शब्द का तकनीकी अर्थ नहीं जानता, परन्तु मैं समझता हूं, कि यह कुछ ऐसा ही मामला था। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि पुलिस ने कुछ किया नहीं। वह वहां खड़ी रही और जब कर्मचारियों ने कहा कि वे प्रदर्शन नहीं करेंगे तो वह वापस चली गई।

जहां तक पुलिस को बुलाने के नियमों का सम्बन्ध है, जितनी जानकारी मुझे प्राप्त है उसके अनुसार उपकुलपति आमतौर पर पुलिस को विश्वविद्यालय के परिसर में तब तक नहीं बुलाते जब तक वे ऐसा अनुभव नहीं करते कि जान और माल का खतरा है। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय पुस्तकालयों के मामले में भी यही बात लागू होगी।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE : POINT OF PRIVILEGE

Shri Mudhu Limaye (Monghyr) : What has happened to my motion regarding question of privilege againstsarva Shri S. K. Patil and Nijlingappa.

Mr. Speaker : I have just received reply from S. K. Patill which I am studying. I do not want to give any ruling in hurry.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) समाचार पत्रों में वक्तव्य देने की बजाये उन्हें आपको लिखना चाहिये था।

Mr. Speaker : I will take little more time before giving my ruling. I do not want that different interpretations may be had of it.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करने में विलम्ब होने के कारणों के बारे में वक्तव्य

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) मैं रेयन टायर या/कोर्ड/फैबरिक के मूल्य ढांचे के बारे में टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के विषय में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं [सभापटल पर रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1650/69]

गोरखपुर में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में प्रतिवेदन

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी) मैं श्री चव्हाण की ओर से जैनपुर और सुचेतपुर (जिला गोरखपुर-उत्तर प्रदेश में); साम्प्रदायिक दंगों (सितम्बर, 24-25, 1967) सम्बन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [सभापटल पर रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1651/69]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के बारे में अधिसूचनाएं

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी) में श्री विद्या चरण शुक्ल की ओर से अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

(1) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 26 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1743 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 26 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1744 में प्रकाशित हुए थे ।

(3) जी० एस० आर० 1745 जो दिनांक 26 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा दिनांक 21 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1444 और जी० एस० आर० 1445 को रद्द किया गया ।

(4) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-एवं निवृति लाभ) दूसरा संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 26 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1747 में प्रकाशित हुए थे ।

(5) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1969 का आठवां संशोधन जो दिनांक 26 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1748 में प्रकाशित हुआ था ।

(6) भारतीय पुलिस सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1969 जो दिनांक 2 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1804 में प्रकाशित हुए थे ।

(7) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1969 का सातवां संशोधन जो दिनांक 2 अगस्त, 1969 के भारत के राजपात्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1805 में प्रकाशित हुआ था । [सभापटल पर रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1652/69]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMIITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILL AND RESOLUTIONS

बावनवां प्रतिवेदन

श्री सोमचन्द सोलंकी (गांधीनगर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 52 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : क्या श्री खाडिलकर ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है अथवा वह उपाध्यक्ष का कार्य कर रहे हैं ?

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) हम उपाध्यक्ष महोदय के स्वास्थ्य के बारे में जानने के बहुत उत्सुक है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य सभा से अनुपस्थित हो तो इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि वह अस्वस्थ हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : May I know whether the hon. Deputy Speaker has met you after your election as Speaker.

Mr. Speaker : He had met me and totd me that he would be coming in the House in a day or two.

राष्ट्रपति निक्सन की भारत यात्रा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : PRESIDENT NIXON'S VISIT TO INDIA

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं कुछ सम्बन्धित बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ । हमने कुछ ध्यान दिलाने वाली सूचनाए तथा अन्य सूचना प्रश्न दिये गये थे । जो सब अस्वीकार कर दिये गये हैं । यदि इन सूचनाओं के दिये जाने के पश्चात माननीय मंत्री ने वक्तव्य देने के बारे में आपको सूचित किया है तो यह संसद सदस्यों के कार्य को सीमित करने का एक प्रयास है..... (**अन्तबाधाए**)

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : He is making his statement about fitteen days after the visit of Shri Nixon. This is a wrong practice. He should have made his statement two or three days after Shri Nixon's visit.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I gave my calling attention notice two days after the visit of Shri Nixon. We may be allowed to ask questions on it.

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली कुछ सूचनाओं को स्वीकार किया गया है, इस मामले में सामान्य प्रक्रिया का पालन किया गया है, अर्थात मंत्री महोदय से पूछा गया था कि क्या वह इस बारे में वक्तव्य देंगे । मंत्री महोदय को किसी समय भी सभा में वक्तव्य देने का अधिकार है । अतः वह अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं ।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : I rise on a point of order. Incorrect things have been stated in the statement. It has been alleged by an hon. Member in the U.S. Congress that America started supplying weapons to Pakistan thirty days after the Indo-Pak war. But we were told that no decision had been taken to supply arms to Pakistan.

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य अभी समापटल पर नहीं रखा गया है अतः इस पर सभा में किस प्रकार चर्चा की जा सकती है ।

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : क्या मैं इसको समापटल पर रख दूं ?

अध्यक्ष महोदय : हां ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर राष्ट्रपति निक्सन और श्रीमती निक्सन ने 31 जुलाई से 1 अगस्त 1969 तक दिल्ली की यात्रा की। प्रधान-मंत्री और राष्ट्रपति निक्सन के बीच सौहार्दता और मित्रता के वातावरण में बातचीत हुई। दोनों ने अनेक विषयों पर बातचीत की जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामले, एशिया की स्थिति और द्विपक्षीय संबंध भी शामिल हैं। राष्ट्रपति निक्सन ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की यात्रा की अपनी प्रतिक्रिया प्रधान मंत्री को बताई । एशिया की शांति और प्रगति में उन्होंने अपनी अभिरुचि प्रकट की और यह आशा भी कि एशिया के देश बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी समस्याएं स्वयं अपने ढंग से सुलझा लेंगे। उन्होंने अपनी सरकार का यह निश्चय भी व्यक्त किया कि वह एशिया के आर्थिक विकास में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों ही आधारों पर सहयोग करती रहेगी ।

हाल ही के वर्षों में भारत में सामाजिक और आर्थिक दिशाओं में जो प्रगति हुई है उसकी एक तस्वीर प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति निक्सन के सामने रखी। उन्होंने बताया कि भारत के लोग और भारत की सरकार जल्दी ही खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म-निर्भर हो जाने और अगले 10 वर्षों में स्वपोषी अर्थ व्यवस्था विकसित करने के लिए कृतसंकल्प है । संयुक्त राज्य अमरीका से मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए प्रधान मंत्री ने भारत की ओर से सराहना की ।

राष्ट्रपति निक्सन ने हाल के वर्षों में भारत में हुई प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि वे भारत के आर्थिक विकास में सहायता देने के लिए सदैव तत्पर हैं। इकाफे, एशियाई मंत्री परिषद् आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय संगठनों के तत्वावधान में एशिया के देश आपस में अधिकाधिक आर्थिक सहयोग करने की दिशा में जो प्रयत्न कर रहे हैं, प्रधान मंत्री ने उनकी चर्चा की और कहा कि इन प्रयत्नों को समर्थन देने की जरुरत है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और दूसरे देशों के बीच आर्थिक सहयोग तथा क्षेत्रीय व्यापार और यातायात प्रबन्धों के विभिन्न प्रस्तावों का भी जिक्र किया गया।

एशिया में आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए जो विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं उनमें राष्ट्रपति निक्सन ने अपनी हार्दिक अभिरुचि प्रकट की और कहा कि संयुक्त राज्य अमरीका इस स्थिति का बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहा है ।

बातचीत में एशिया की सुरक्षा का सवाल भी उठा और प्रधान मंत्री ने भारत का यह मत प्रकट किया कि इस क्षेत्र के देशों की वास्तविक सुरक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक कि

इनमें तेजी से आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्थापना न हो। राष्ट्रपति निक्सन इस बात पर सहमत हुए कि इस क्षेत्र के देशों की वास्तविक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं की ओर ध्यान दिए बिना सुरक्षा की बात सोचना अयथार्थ होगा।

दोनों देशों के शासनाध्यक्षों ने वियतनाम के शांतिपूर्ण समाधान के प्रश्न पर और वियतनाम की समस्या का समाधान हो जाने पर उसके आर्थिक विकास की संभावनाओं के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों ने यह आशा व्यक्त की कि इस समय जो बातचीत चल रही है उससे शीघ्र ही किसी ऐसे शांतिपूर्ण समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा जो सभी संबद्ध पक्षों को स्वीकार्य हो।

पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विचार-विमर्श हुआ। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने यह विचार व्यक्त किया कि सुरक्षा परिषद के 22 नवंबर 1967 के प्रस्ताव के अनुसार स्थायी शांति संभव है। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि पश्चिम एशिया की स्थिति और नहीं बिगड़ेगी और न यह वृहत्तर संघर्ष का रुप धारण करेगी।

प्रधान मंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति के साथ वर्तमान भारत-पाक संबंधों पर भी विचार विमर्श किया और उन्हें बताया कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए भारत ने क्या-क्या कोशिशें की हैं। राष्ट्रपति ने अपनी सरकार का यह मत फिर दोहराया कि भारत और पाकिस्तान के संबंध दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय ढंग से सुधरने चाहिए। हम लोगों को यह भी बताया गया कि पाकिस्तान को हथियार देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति की बैठकों के साथ ही दूसरी ओर दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। इनकी बातचीत में मोटे तौर पर उन्हीं सब विषयों पर विचार-विमर्श हुआ जिन पर दोनों ओर के शासनाध्यक्षों में वार्ता हुई।

भारत की सरकार और जनता ने राष्ट्रपति निक्सन और श्रीमती निक्सन का अत्यन्त हार्दिक स्वागत किया। दोनों नेताओं की बात चीत से दोनों को एक-दूसरे की इच्छा और दृष्टिकोण को ज्यादा अच्छी तरह समझने का मौका मिला और उम्मीद है कि इससे दोनों आपसी लाभ के लिए एशिया तथा विश्व शांति के लिए एक-दूसरे के साथ और अधिक सहयोग करेंगे।

Shri George Fernandes : The President of America has told many incorrect things which have been incorporated in this statement. I request you to allow discussion on it.

अध्यक्ष महोदय : नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वक्तव्य के बाद उस पर अपने आप चर्चा आरम्भ हो जाये।

श्री दिनेश सिंह : संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने हमारे पास झूठ बोला है। मेरे विचार से किसी राज्याध्यक्ष के विरुद्ध ऐसा आरोप

लगाना ठीक नहीं है । सभा की प्रथा के भी यह अनुकूल नहीं है, अतः आप माननीय सदस्य को यह शब्द वापस लेने के लिए कहें क्योंकि इसमें किसी सीमा तक गलतफहमी उत्पन्न हो जायेगी । अमरीका की सभा में क्या होता है वह हमारे लिए चिन्ता का विषय नहीं होना चाहिए ।

Shri George Fernandes : I am prepared to withdraw those words but I would also like to say that the statement which has been made in the name of the President of America is absolutely incorrect.

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया के नियमों के अनुसार किसी राज्याध्यक्ष पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता । मैं श्री फरनेन्डीज को इस बात की अनुमति नहीं दूगां । आप किसी अन्य राज्य का सरकार के विरुद्ध भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते ।

Shri George Fernandes : I withdraw those words.

दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक-जारी

DELHI HIGH COURT (AMENDMENT) BILL-COTD.

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेगी । पन्द्रह मिनट का समय शेष है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी) कल मैं दिल्ली उच्च न्यायालय के मूल दीवानी क्षेत्राधिकार की सीमा को बढ़ाने के कारणों की व्याख्या कर रहा था । वास्तव में यह प्रस्ताव दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की ओर से आया है और हमने इस बारे भारत के मुख्य न्यायाधिपति से भी परामर्श किया है । दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालयों के वकीलों की संस्था का मत भी ऐसा ही है ।

यदि इस सीमा को और आगे अर्थात एक लाख रुपये तक बढ़ा दिया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा और इन न्यायालयों में काम लम्बित होना आरम्भ हो जायेगा ।

अनेक माननीय सदस्यों ने यह सुझाव भी दिया है कि अधिक जज नियुक्त किये जाने चाहिए । इस सम्बन्ध में हमने पहले ही कार्यवाही की है । हमने राज्य सरकारों को जहां कहीं आवश्यक हो और अधिक जज नियुक्त करने का परामर्श दिया है । यह भी परामर्श दिया गया है कि यदि किसी जज को किसी आयोग में अथवा किसी अन्य काम पर नियुक्त किया जाता है और यदि वह छः महीने के अन्दर अन्दर वापिस नहीं आता तो उसके स्थान पर तदर्थ आधारों पर नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि न्याय पर बुरा प्रभाव न पड़े ।

गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों के जजों को 245 से बढ़ा कर 294 कर दिया गया है सरका का विचार निर्णय में विलम्ब होने के प्रश्न की जांच के लिए भारत

के मुख्य न्यायाधिपति की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की एक समिति बनाने का है जो उपचारी उपायों के बारे में भी सुझाव देगी ।

मैं इस आलोचना का खण्डन करता हूं कि न्यायाधीशों को दलगत आधारों पर और रिश्तेदारी के आधार पर नियुक्त किया जाता है । जजों की नियुक्ति के बारे में संविधान में कुछ मार्ग-दर्शन सिद्धान्त दिये गये है जिनका हम कठोरता से अनुसरण करते हैं । जजों की नियुक्ति गुणों और ईमानदारी के आधार पर की जाती है ।

गरीब लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के प्रश्न पर विधि मंत्रालय में विचार किया जा रहा है । शीघ्र ही प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की आशा है ।

मेरे विचार में इस विधेयक को सार्वजनिक मत जानने के लिए परिचालित करना आवश्यक नहीं है, सावधानी से विचार करने के पश्चात् हमने 1966 के अधिनियम के अन्तर्गत मूल क्षेत्राधिकार दिया था और मुझे आशा है कि सभा सीमा को 50,000 रुपये तक बढ़ाने के लिए मेरे साथ सहमत है ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर सर्वश्री मण्डल और ओम प्रकाश त्यागी के दो संशोधन हैं । क्या वे अपने संशोधन वापिस ले रहे हैं ?

श्री बि० अ० मण्डल (माधोपुर) . मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं भी अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वे सभा की अनुमति से अपने संशोधन वापस ले सकते हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।
The amendments were, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी । प्रश्न यह हैं ।

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I beg to move amendment No. 11.

It is not that the problem of mounting arrears of cases will be solved by raising this limit. Burden will be transferred to the low courts. I have suggested in my amendment that this limit may be kept at 30,000.

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 11 को सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूँ ।

संशोधन संख्या 11 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 12 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड दिया गया

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपने संशोधन संख्या 13 और 14 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 13 और 14 सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड दिया गया

Clause 5 was added to the Bill.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 1

श्री के० एल० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ 1 पंक्ति 4, में "1968" के स्थान पर 1969 रखा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है । पृष्ठ 1, पंक्ति 4, में '1968' के स्थान पर "1969" रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 1, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

श्री के० एल० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं : पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

'Nineteenth' [उन्नीसवां] के स्थान पर 'Twentieth' [बीसवां शब्द रख दिये जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"Ninteenth" [उन्नीसवां] के स्थान पर "Twentieth" [बीसवां] शब्द रख दिये जावे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The title was added to the Bill.

श्री के० एस० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रुप में, पारित किया जाये ।"

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : यह बड़े खेद की बात है कि सरकार ने एक साधारण सा संशोधन भी स्वीकार नहीं किया है । इस संशोधन को विरोधी पक्ष के लगभग प्रत्येक सदस्य

का समर्थन प्राप्त था। मेरा संशोधन यह था कि सीमा को बढ़ा कर एक लाख रुपये कर दिया जाये ताकि लोगों को मुकदमे बाजी पर अधिक व्यय न करना पड़े। सरकार इस को पात्र करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही है। यह सरकार जनता की सरकार नहीं है।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक): यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में मूल दीवानी मामलों को भी लाना चाहती है। दिल्ली के बारे में ऐसा क्यों किया जा रहा है? इससे लोगों की कठिनाई बढ़ जायेगी।

श्री के० एस० रामस्वामी: मैंने अपने उत्तर में यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक
LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा या की ओर से कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कार्यवाही के अन्वेषण के लिए कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा कृत्यों का और तत्संसक्त विषयों का उपलब्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है इस विधेयक का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को कार्य रूप देना है। आयोग के प्रथम प्रतिवेदन में यह सिफारिश थी.....

इसके पश्चात् लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् दो बजकर सात मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at seven minutes past fourteen of the

[श्री वासु देवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair *in the Chair*]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): मैं कह रहा था..... ...

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : Sir, I want to draw your attention to a very important matter. An unusual type of pest is causing damage to crops in Bihar. It is destroying crops on a very large scale. There is great disappointment in farmers of Bihar, Government must take necessary steps to check this pest.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) . The floods in the Ganga and Gandak rivers have caused widespread damage in Bihar. 1500 villages have been adversely effected by this. The farmers must be provided relief by Government.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The farmer of Bihar is a poor man. I request that wherever farmers have suffered due to floods, they should be given help.

सभापति महोदय : मैं इस समय अन्य विषयों को उठाने की अनुमति नहीं दे सकता। माननीय सदस्य एक अत्यन्त महत्व का विषय उठाना चाहते थे, अतः मैंने कुछ नहीं कहा। यदि अन्य माननीय सदस्य किसी विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो वे उसकी पूर्व सूचना दें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस विधेयक का उद्देश्य लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति की व्यवस्था करना है। जनता की मांग पर ऐसा किया जा रहा है। ये पदाधिकारी प्रशासन और अधिकारियों के विरुद्ध जनता द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच करेंगे।

लोकायुक्त सरकारी अधिकारियों में सचिवों से नीचे के स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करेंगे। इन पदों पर नियुक्ति के लिये ऐसी प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है कि जनता को उनमें पूरा भरोसा रहे। लोकपाल की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संसद में प्रतिपक्ष के नेता से सलाह के उपरान्त की जायेगी। आज की स्थिति में प्रतिपक्ष का कोई नेता नहीं है। इसलिये सभी प्रतिपक्षी दलों को कहा जायेगा कि वह एक व्यक्ति का नाम सुझाये और उससे सलाह की जायेगी।

लोकपाल की नियुक्ति एक ही कार्यावधि के लिये होगी और उस अवधि को बढ़ाया नहीं जायेगा। इससे उस व्यक्ति को अपनी कार्यावधि में वृद्धि कराने के लिये सरकारी अधिकारियों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। लोकपाल के लिये कोई आयु सीमा नियत नहीं की गई है। हां, उसकी नियुक्ति की अवधि पांच होगी।

लोकपाल की नियुक्तिओं 'बुडजं मैन की, भांति की जा रही है। यह अनेक अन्य देशों में पहले ही हैं। यदि लोकपाल और सरकार में किसी विषय पर मतभेद हो जाता है तो लोकपाल संसद को उस विषय पर एक विशेष रिपोर्ट देंगे। संसद उस पर विचार करके निर्णय करेगी। लोकपाल और लोकायुक्त जांच करने के लिये प्रक्रिया स्वयं निश्चित करेंगे। इन्हें

सिविल न्यायालय के अधिकार प्राप्त होंगे और व्यक्तियों को बुलाने दस्तावेज आदि मंगाने का उन्हें अधिकार होगा।

इनके महत्व को ध्यान में रखते हुए हमने इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा था। समिति तथा उसके सभापति ने बहुत अच्छा कार्य किया है। समिति ने इसमें काफी अच्छे अच्छे संशोधन किये है। समिति ने इसमें अनेक संशोधन किये है और बड़े अच्छे अच्छे संशोधन किए हैं। अब मैं कुछ प्रमुख संशोधनों का उल्लेख करूंगा। समिति को जब विधेयक भेजा गया था तो यह सर्वथः भिन्न था। पहला संशोधन लोकपाल के लिये दो कार्यावधियों के स्थान पर एक ही कार्यावधि नियत करना था। विधेयक में एक ऐसा उपबंध था जिसके अन्तर्गत जांच आयोग नियुक्त किये जा सकते थे और उन मामलों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया था। समिति ने महसूस किया कि ऐसे मामले लोकपाल के कार्य क्षेत्र से बाहर नहीं होने चाहिये। हां लोकपाल की पूर्वानुमति से कुछ मामले जांच आयोग को सौंपे जा सकेंगे।

कुछ व्यक्तियों ने आशंका व्यक्त की कि लोकपाल के पास शिकायतें बहुत अधिक संख्या में आयेगी और वह इतने अधिक कार्य से निपट नही पायेगा। अतः यह सुझाव दिया गया कि लोकपाल की पूर्व अनुमति से केन्द्रीय सरकार कई प्रकार के मामले जिनमें सरकारी कर्मचारियों के मामले होंगे अधिसूचना द्वारा लोकपाल के पास जाने को रोक सकेगी। ऐसा उपबन्ध किया गया है कि लोकपाल पहले एक आरंभिक जांच करेगा। यदि आवश्यक हुआ तो वह बाद में उस मामले की पूरी जांच करेगा। लोकपाल को अधिकार होगा कि किस मामले की जांच खुले तौर पर हो और किस मामले की जांच बन्द कमरे में हो। यह उसके स्वविवेक पर होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि प्रधान मंत्री को भी लोकपाल के क्षेत्राधिकार में लाया जाये। इस पर संयुक्त समिति काफी चर्चा हुई थी। प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया था कि लोकपाल द्वारा दी रिपोर्ट पर प्रधान मत्री को विचार करना होगा। उसने प्रधान मंत्री के विरुद्ध शिकायतों के बारे में कोई सिफारिश नहीं की। इसका अर्थ यही है कि आयोग प्रधान मंत्री को लोकपाल के कार्यक्षेत्र से ऊपर ही रखना चाहता था। हमने इस पर विचार किया है और यह ठीक समझा है कि प्रधान मन्त्री को लोकपाल के क्षेत्राधिकार में न लाया जाये।

हमने यह किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर ऐसा नहीं किया है। हम समझते हैं कि प्रधान मन्त्री को शामिल करने से इस सदन की गरिमा में अन्तर आयेगा। जब कोई मन्त्री दोषी पाया जाता है तो उसे पद त्याग करना होगा और यदि प्रधान मन्त्री के बारे में ऐसा होता है तो समूचे मन्त्रीमण्डल को पद छोड़ने पड़ेंगे। अर्थात पूरी सरकार हटेगी। परन्तु यह अधिकार तो इस सभा को प्राप्त है। अतः यह अधिकार लोकपाल को देना ठीक नहीं होगा। इसीलिये प्रधान मन्त्री को लोकपाल के कार्यक्षेत्र से अलग रखा गया है।

इस विधेयक पर लगभग 150 संशोधन प्रस्तुत किये गये है। इनमें से अधिकांश पर उस समिति में बिचार किया जा चुका है। मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। माननीय

सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि उन संशोधनों पर जोर न दें और इस विधेयक सर्वसम्मति से पारित करें ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : —

'कि कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा या की और से कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कार्यवाही के अन्वेषण के लिए कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा कृत्यों का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध कराने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

श्री वी० प्र० मंडल (मेघपुर) : मैं संशोधन संख्या 131 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं संशोधन संख्या 136 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वी० प्र० मंडल : मैं संशोधन संख्या 137 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : नियम संख्या 77(2) के अनुसार कोई भी सदस्य प्रस्ताव कर सकता है कि जनमत को जानने के लिये विधेयक को परिचालित किया जाये । इस अधिकार के प्रयोग करने की अनुमति उस सदस्य को सर्वप्रथम है जो संशोधन का प्रस्ताव करता है ।

सभापति महोदय : इस बारे मे कोई कड़ा नियम नहीं है । संशोधन प्रस्तावकों को उनपर बोलने का अवसर दिया जाता है ।

श्री प्र० के० देव : यद्यपि प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सुझाये गये विधेयक में अनेक परिवर्तन कर दिये गये हैं, फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूँ । यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और हमारे देश के विकास कार्यों में एक बड़ी बाधा बन गया है । प्रशासन में अनेक बुराइयां आ गई हैं । हम सबको इनकी पर्याप्त जानकारी है ।

प्रशासन में कार्यकुशलता लाना बहुत आवश्यक है । भ्रष्टाचार का उन्मूलन सबसे पहले होना चाहिये । हाल ही में अनेक मुख्य मन्त्रियों के विरुद्ध ज्ञापन दिये गये है परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । हालांकि बाद में न्यायिक जांच द्वारा आरोप सच्चे सिद्ध हुए हैं । इस सम्बन्ध में श्री प्रतापसिंह कैरों, श्री के० डी० मालवीय और श्री पटनायक के उदाहरण हमारे समक्ष हैं ।

लोकतन्त्र में जनता का स्थान सर्वोपरि होता है । जनता की शिकायतों को दूर करने के दो माध्यम हैं । एक संसद है । यहां पर प्रतिपक्ष वाले जनता की आवाज उठाते हैं । सरकार तथा प्रशासन की मनमानियों की पोल खोली जाती है ।

सभा में व्यक्तिगत मामले उठाना ठीक नहीं है, न ही सभा में इन बातों के लिये समय दिया जा सकता है । न्यायालयों में मुकदमेबाजी इतनी मंहगी तथा विलम्बकारी हो गई है कि

किसी सामान्य नागरिक के लिए न्यायालय से न्याय प्राप्त करना उनके साधनों के बाहर है । इस मामले पर सभी नागरिक चिन्तित हैं तथा देश में ओमबड्समैन में जैसी संस्था स्थापित करके की सर्व सम्मत मांग है । स्वतंत्र दल इसके लिए निरंतर मांग करता रहा है ।

स्केंडेनेविया में "ओमबुडसमैन" संस्था लगभग 250 वर्षों से सफलता पूर्वक कार्य कर रही है । इस देश में इस प्रकार की संस्था की स्थापना की मांग जोरों पर है । इस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को दलों से ऊपर उठना चाहिये उसे सभी प्रकार के दबावों से दूर होना चाहिये, उच्च कानूनी योग्यता होनी चाहिये तथा उसे स्वतन्त्र विचारों वाला होना चाहिये ।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने जनवरी, 1966 में इस सम्बन्ध में सिफारिश की थी परन्तु प्रधान मन्त्री ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया । मैंने इस सम्बन्ध में एक गैर सरकारी विधेयक पुनः स्थापित किया जिसे सतारूढ़ दल के विरोध के बावजूद लोक राय प्राप्त करने के लिए परिचालित किया गया ।

19 महीने बीत जाने के बाद अब सरकार यह विधेयक लाई है और संयुक्त समिति में इसमें इतने परिवर्तन किये जा चुके हैं कि लोगों की आशाओं पर पानी फिर गया है । हमें इस बात की बिलकुल आशा नहीं थी कि प्रधान मंत्री को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जायेगा । प्रधान मंत्री का आचरण भी लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आना चाहिये तथा प्रधान मन्त्री के बारे में लोकपाल का प्रतिवेदन भेजने के लिए सक्षम अधिकारी राष्ट्रपति होना चाहिये ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने यह तर्क दिया है कि प्रधान मन्त्री के विरुद्ध इस सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है । परन्तु ओमबड्समैन एक ऐसी संस्था है जिस तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच हो सकती है जबकि राज्य सभा तक को प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का कोई अधिकार नहीं । अतः प्रधान मंत्री को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर रखना ठीक नहीं है ।

कार्यपालिका शक्तियों के वहन में राज्यपालों तथा उप राज्यपालों की कार्यवाहियां भी इस विधेयक के अन्तर्गत आनी चाहियें । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियां व्यापार, वाणिज्य तथा परिवहन के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गई है । अतः उन्हें भी इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखना ठीक नहीं होगा । यदि उनके लेखों की सयंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जा सकती है और उनकी सभी गतिविधियां की उस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा समीक्षा की जा सकती है तो लोकपाल को उनकी विभिन्न कार्यवाहियों की जांच करने से क्यों वंचित किया गया है । लोकपाल की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति तथा विरोधी दल के नेता के परामर्श के बाद नहीं, अपितु उनके परामर्श से की जानी चाहिये । यदि ऐसा न हो तो लोकपाल की नियुक्ति के लिये प्रधान मन्त्री, भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा विरोधी दल के नेता पर सम्मिलित एक उप-समिति संयुक्त की जानी चाहिये तथा निर्णय बहुमत द्वारा ही किया जाना चाहिये । यह नियुक्ति राष्ट्रपति के स्वविवेक पर नहीं छोड़ी जानी चाहिये ।

मै इस बात से बिलकुल सहमत हूँ कि लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति और सेवा की शर्तें उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधिपति तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों जैसी होनी चाहिये । लोकपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिये, जैसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के बारे में है । यदि कोई भिन्न प्रक्रिया अपनाई गई तो लोकपाल के पद की स्वतन्त्रता कायम नहीं रह पायेगी ।

जांच के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों अथवा अभिकरणों को प्रयोग में लाने की प्रक्रिया स्वस्थ प्रक्रिया नहीं है । लोकपाल के अपने कर्मचारी होने चाहियें और जांच के लिए उसे अपने साधनों को प्रयोग में लाना चाहिये ।

लोकपाल संसद में अपने वार्षिक तथा विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा । संसद के पास उन पर विचार करने के लिए समय नहीं है । अतः मेरा सुझाव यह है कि उन पर विचार करने के लिए लोक लेखा समिति जैसी कोई संसदीय संविहित समिति होनी चाहिए । इस समिति को लोकपाल तथा लोक आयुक्त की सिफारिशों की जांच करने तथा यह देखने का कार्य सौंपा जाना चाहिए कि क्या उन्हें कार्यरूप दिया जा रहा है अथवा नहीं ।

आवश्यक संशोधनों के बाद इस विधेयक को कानूनी रूप दिया जाना चाहिए ।

श्री एन० बी० राणा (भड़ौंच) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । भ्रष्टाचार तथा कुप्रशासन का उन्मूलन करने की जनता की मांग पर प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा इस आशय का सुझाव दिया गया था और सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है । लोकपाल जनता का संरक्षक होगा तथा लोकायुक्त उसका ऐजेंट होगा । लोकपाल तथा लोकायुक्त का मुख्य कर्त्तव्य जनता की शिकायतों को सुनना, उनकी जांच करना तथा आवश्यक समझे जाने पर उनके बारे में आवश्यक कार्यवाही करना होगा ।

अतः जनता की लगातार मांग पर यह लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक लाया गया है । लोकपाल तथा बाद में लोकायुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सिफारिश पर भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा विपक्ष के नेता की सलाह से की जायेगी । इसका अर्थ यह हुआ कि जो लोकपाल नियुक्त किया जायेगा वह न केवल सरकार अपितु न्यायपालिका तथा विपक्षी सदस्यों सभी को स्वीकार्य होगा । उसका दर्जा भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होगा तथा वह एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके निर्णयों में जनता को पूर्ण विश्वास होगा ।

विदेशों में ओमबुड्समैन तथा गत एक अथवा दो वर्षों से ब्रिटेन में भी इस प्रणाली को अपनाया गया है । ब्रिटेन में संसदीय आयुक्त कहलाया जाने वाला व्यक्ति लोकपाल के समान होता है । वह सरकार तथा प्रशासन के विरुद्ध लोगों की शिकायतों की जांच करता है । ब्रिटेन तथा अन्य देशों की तुलना में हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है तथा इसीलिये लोकपाल के कार्यक्षेत्र को केवल केन्द्र तक सीमित रखा गया है और राज्यों को इसके अन्तर्गत नहीं लाया गया है । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी लोकपाल तथा लोकायुक्त दोनों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे और यह दोनों ही उनके बारे में जानकारी कर सकेंगे तथा उच्चाधिकारियों को सौंप

सकेगे । जहां तक उच्चाधिकारी शब्द का सम्बन्ध है मत्री के बारे में प्रधान मत्री और सरकारी कर्मचारी के बारें में सम्बन्धित विभाग के मत्री को उच्चाधिकारी समझा जायेगा ।

मैं ब्रिटेन गया था तथा वहां के संसदीय आयुक्त से मैंने बातचीत की थी । संसदीय आयुक्त ने बताया कि भारत की तथा ब्रिटेन की समस्याओं मे अन्तर है । भारत में जबकि भ्रष्टाचार की समस्या एक मुख्य समस्या है, वहां भ्रष्टाचार की समस्या नहीं है, वहां तो सरकार के कुप्रशासन की समस्या है तथा ससदीय आयुक्त का मुख्य कर्त्तव्य सरकार के कुप्रशासन के विरुद्ध जांच करना होता है ।

मुझ से पूर्व वक्ता ने कहा था कि यह विधेयक हमारी आशाओं के अनुकूल नहीं है । मैं समझता हूं कि विधेयक का वर्तमान स्वरूप पहले से कहीं अच्छा है । सयुक्त समिति में भारत के प्रमुख व्यक्तियों का साक्ष्य लिया गया है तथा देश के सब सुप्रसिद्ध विधिवेताओं ने साक्ष्य दिया है और उसके आधार पर विधयक में सशोधनों को जोड़ा गया है ।

माननीय मन्त्री ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया था कि प्रधान मन्त्री को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर क्यों रखा गया है, मेरा निवेदन यह है कि प्रतिपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से प्रधान मन्त्री लोकपाल की नियुक्ति की सिफारिश करेगा । इस लिये लोकपाल जिसे प्रधान मन्त्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रधान मन्त्री के मामलों की जांच किस प्रकार कर सकेगा ? अत: यह ठीक ही है जो प्रधान मन्त्री को लोकपाल के क्षेत्राधिकार के बाहर रखा गया है ।

संसद् सदस्यों को भी इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है, क्योंकि लोकपाल के प्रतिवेदन को ससद् मे प्रस्तुत किया जायेगा और संसद् सदस्य ही वे व्यक्ति होंगे जो इस पर अन्तिम निर्णय लेंगे । अत: इन बातों को देखते हुए ही प्रधान मन्त्री तथा संसद सदस्यों को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है, अन्यथा मन्त्रियों सहित सब व्यक्तियों को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में लाया गया है । मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इसे शीघ्रातिशीघ्र पारित किया जाये ।

Shri Narayan Swaroop Sharma (Domariaganj) : No doubt the hon. Minister, while introducing this Bill, has termed it as an important Bill yet I do not think that the Government to which the hon Minister belongs, also thinks in the same ways, because this Bill which has been brought on the basis of the report of the Administrative Reforms Commission. has been brought in the House in 1969, three years after the report presented in 1966.

It cleary shows that Government have taken three years in bringing forward this Bill and despite that if the hon. Minister classifies it as an important Bill. then it is evident what he means. The Bills which are considered as important ones by the Government are got passed in a very short period and the Bank Nationalisation Bill is an example for that.

It is true that the Bill was referred to the Select Committee and the hon. Home Minister and the hon. Minister of State in the Ministry of Home Affairs have

adopted a very reasonable attitude by agreeing to some of the proposals made by the Opposition Members, yet there are certain shortcomings in the Bill, which should be removed.

Firstly I want to point out that if we read clause 2 (c) (1) and clause 2 (h) of the original Bill, we come to the conclusion that previously it was thought by Government that the Prime Minister too would be brought within the perview of this Bill. But I do not why the hon. Home Minister changed his mind when the Bill was being discussed in the Select Committee and brought a proposal before the Select Committee that Prime Minister be excluded from the scope of this Bill. I am not referring to the Prime Minister as a person, but I am referring to the office of the Prime Minister, because I am sure that so far as the present Prime Minister is concerned she would have been glad to be included in the scope of this Bill. The present Prime Minister, during her recent speeches on nationalisation of Banks has always identified herself with the poorer sections of society and I do not see any reason why she should have any hesitation in identifying herself with her own collegues in the Government.

The hon. Minister of State in the Ministry of Home Affairs has argued that in case the Prime Minister is brought within the scope of this Bill, it will amount imposing restrictions on the rights of Parliament. The Bill is before the Parliament and it will be passed by the Members of Parliament and in case they deem it necessary that the Prime Minister should be brought within the perview of this Bill, I do not think that bringing the Prime Minister within the scope of this Bill will impose restrictions on the rights of the Parliament.

Secondly, it has been argued that if certain allegations are proved against the Prime Minister, in that case not only the Prime Minister but the entire Council of Ministers would have to resign. That is only a Constitutional requirement and this argument does not carry much weight. On proving that the Prime Minister has not been honest, it does not mean that all the Ministers in his council of Ministers are dishonest. After all another Government will have to be formed after the resignation of the Prime Minister and in that case the honest Ministers from the outgoing Council of Ministers can be re-appointed in the new Council of Ministers. So there is no justification in excluding the Prime Minister from the perview of this Bill. The Prime Minister should be brought in the scope of this Bill.

So far as the Governors or the Lieutenant Governors are concerned, it is evident from the constitutional history of last two or three years that they have usurped so much powers that at present the Constitution or dissolution of the Council of Ministers in the States is within their sweet will. Ordinarily the Governor is the representative of the President and in case the Governor is held responsible, the President will also come into picture. But keeping in view the actions of the Governors during the last two or three years, it will be in public interest to bring the Governors and the Lieutenant Governors within the perview of this Bill.

Some hon. Members have suggested that all persons should not be brought within the purview of this Bill. It has also been agrued that Members of Parliament should be excluded from the purview of this Bill I see no objection in bringing the Members of Parliament within the scope of Bill. According to the recommendations of A R. C. on the basis of which this Bill has been brought the main purpose of the Bill is to bring within its purview all those persons who have administrative authority so that they may be kept away from corruption and as the Members of

Parliament have no administrative authority I think no useful purpose will be served in bringing them within the perview of this Bill.

{ श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए
Shri M. B. Rana *in the Chair* }

The question of the appointment of Lokpal is of vital importance, because the success of this institution depends upon the calibre, impartiality and effectiveness of Lokpal. It has been suggested that Lokpal will be appointed on the recommendations of the opposition leader and the Chief Justice of India. I have no objection so far as this provision is concerned. But the fact is that it is not obligatory on the part of the President to agree with the recommendations of the opposition leader and that of the Chief Justice. The President will act on the advice of the Prime Minister because he is only a constitutional head. So in actual practice the appointment of Lokpal will rest with the Prime Minister. In this connection my suggestion is that a Committee should be formed consisting of the Prime Minister, the opposition leader (whosoever he may be) and the Chief Justice of India to finalise the name of Lokpal and it should be obligatory for the President to appoint that person as Lokpal whose name has been finalised by this Committee.

I have to say a few words about the working of the institution of Lokpal. In order to ensure proper and effective working of this institution it is necessary that the Lokpal should be empowered to make rule and regulations for the working of his organisation like the Chief Justice of Supreme Court. All rules regarding the working of this institution should be framed in consultation with him.

Corruption is the order of the day in our country. So it is a very difficult task to eradicate it. It is but natural that in vital stages many difficulties will be felt and people will be afraid of the revenage of the officers in complaining against them. So it is possible that many anonymous complaints will be received. My suggestion is that action should be taken by the Lokpal on anonymous complaints also and if after preliminary investigations the charges made in the complaint are not proved, the matter may be dropped.

I think it will be difficult for the Lokpal to investigate into the complaints made to him because the investigation organisations like the C. I D. are under the control of administrative authorities. So my suggestion is that the Lokpal should be provided with his own investigation machinery, so that he may function properly.

I also want to say that the Lokpal should be provided with all facts which are required by him for the proper discharge of his duties and no excuse should be made by Government to the effect that it would not be in public interest to disclose that information. Necessary provision to this effect should be made in this Bill.

Lastly I want to say that corruption being wide spread in our country, the reports of Lokpal are likely to be in thousands of pages and it will not be possible for the Members of Parliament to go through them. So my suggestion is that a parliamentary Committee should be constituted for examining the reports of Lokpal.

Under the above circumstances I have no option but to oppose this Bill, unless the provisions for the points made by me are made in his Bill.

Shri B. P. Mandal (Madhipura) : Corruption has reached its extreme in India. So we are waiting since long for the day. When corruption will be eradicated from

our country. From that point of view I welcome this Bill. But the Bill in its present form has belied our hopes.

So far as the question of the jurisidcation of Lokpal is concerned it is not clear from this Bill whether his jurisdiction will be on civil officers only or the military officers will also be under his jurisdiction If the jurisdiction of Lokpal is limited to civil authorities only. Then why it is limited to the Ministers only and why the Prime Minister is excluded from its perview. The principle of joint responsibility in inherent in Parliamentary democracy. If any Minister is proved guilty of any charges it will be wrong to remove that Minister dlone The entire Cabinet should be removed. The Parliamentary system of democracy works on the basis of joint responsiblity and all the major decisions are taken by the Cabinet as a whole So all the Members of the Cabinet are jointly responsible for all acts of ommisions and commissions I fail to understand why the Prime Minister has been excluded from the jurisdiction of Lokpal. In England it is said that the king can do no wrong. I want to know whether the some maxim applies to Indian Prime Minister ? The Lokpal has been given the power to investigate all the charges against the Council of Ministers, but the Prime Minister has been excluded from it purview. Is is not against the democratic principle to consider any person too high to commit any error ? The Prime Miniter is also a human being It is unfortunate to exclude him from the jurisdiction of the Lokpal. I strongly feel that Prime Minister should be brought under the jurisdiction of the Lokpal.

So far as the question of the appoinment of Lokpal is concerned, I do not think it proper that the Lokpal should be appointed by the Prime Minister in consultation with the opposition leader. In my opinion it would be better if a panel of names is suggested for the appointment of Lokapl One name should be suggested by the Speaker of Lok Sabha, one name should be suggested by the Chief justice and are by the Comptroller and Auditor General and one person out of these three names so suggested should be appointed Lokpal by the President on the advice of the Prime Minister.

Apart from that I want to say that the Lokpal should be kept above political pressure and for that reason it is necessary that a provision to the effect that the Lokpal can be removed only with the two third majority in the Lok Sabha, should be made. If that is not done the Lokpal will not be able to work independently.

It should also be considered whether the jursidiction of Lokpal will cover army matters and if not so the question of appointing a second Lokpal for army matters may be considered.

So far as State Governments are concerned it should be examined whiher under the present consitution the States can be brought under the jurisdiction of Lokpal and if not necessary amendment should be made in the constitution.

People have been very anxiously waiting for the creation of the institution of Lokpal. Though there are many agencies like C. B I., Vigilance Committee, Anti-corruption Department etc. to investigate into the charges levelled against the officers, but so far the corruption at the highest level or the political pressure is concerned this institution is badly needed. I think no useful purpose will be served if the Bill is passed in its present form. So I submit that necessary consideration should be given to the suggestions made by me.

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूँ। इस बारे में इस ओर के सदस्य काफी समय से सरकार से मांग करते आ रहे थे तथा प्रशासन सुधार आयोग के कांग्रेसी सदस्यों ने सरकार को एक विशेष रिपोर्ट देकर इन सिफारिशों को शीघ्रातिशीघ्र लागू करने के लिए जोर दिया था। इस विधेयक को पेश कराने में अपने प्रयत्न बता कर स्वतंत्र दल वाले अपने साथ 'प्रगतिशील' शब्द जोड़ना चाहते हैं जबकि राष्ट्रपति चुनाव के बारे में व्यक्त उनके विचारों से सभी परिचित हैं।

इस विधेयक पर चर्चा के लिये मुख्यत: दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात है प्रधान मन्त्री पर इस विधेयक की धारायें लागू करना तथा दूसरी बात लोकपाल की नियुक्ति। इस विधेयक का उद्देश्य इस सभा के भीतर तथा बाहर वांछित वातावरण पैदा करना है, और ऐसा होना भी चाहिये।

प्रधान मंत्री की एक विशिष्ट स्थिति होती है तथा यह बात विचार में रखी जानी चाहिये। यदि प्रधान मंत्री पर इस विधेयक की धारायें लागू न की गई हों तो मुझे भय है कि राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के बारे में जांच न हो पायेगी। अत: मैं इस बात से सहमत हूं कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों को प्रधान मंत्री के समान अधिकार न दिये जायें।

प्रधान मंत्री के विरुद्ध अकारण ही तो कोई आरोप नहीं लगायेगा। राष्ट्रपति उस मामले को लोकपाल को सौंप देंगे, जो उन आरोपों की जांच करेगा। फिर होगा यह कि लोकपाल तो मन्त्रियों की रक्षा करेगा और सभा में कीचड़ उछालने वाले विपक्ष के सदस्य प्रधान मन्त्री के पीछे पड़ेंगे। अत: प्रधान मंत्री को इस विधेयक के अधीन लाया ही जाना चाहिए।

लोकपाल की नियुक्ति तथा उसे नियुक्त करने की प्रक्रिया दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। इस सदर्भ में यह बात विचारणीय है कि राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्य सरकारी सेवा में नियुक्त नहीं किये जा सकते; और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को तो देश का राजदूत बना कर भेजा जा सकता है परन्तु राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्यों को नहीं। फिर भी स्थिति खराब होती जा रही है। इसका कारण यह है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति सरकार के हाथ में हैं।

अत: लोकपाल की नियुक्ति के बारे में सरकार उस व्यक्ति का नाम स्वीकार करे जिसका प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा विपक्ष का नेता करें अथवा फिर कोई अन्य व्यवस्था हो। परन्तु लोकपाल की नियुक्ति में सरकार का कम से कम हाथ होना चाहिये।

श्री शुक्लजी ने कहा है यदि लोकपाल ने प्रधान मंत्री के विरुद्ध कोई टिप्पणी कर दी तो सरकार टूटने का भय रहेगा। परन्तु यदि गृह-कार्य मंत्री की जांच करते समय लोकपाल के विरुद्ध ही टिप्पणी हो गई, तब भी तो सरकार टूटने का भय है ? अत: देश के हित को देखते हुए कुछ जोखिम तो लेना ही होगा।

एक सदस्य ने कहा था कि प्रधान मंत्री की इच्छा पर इस विधेयक में परिवर्तन किया गया है। परन्तु प्रधान मंत्री इस विधेयक की धाराओं से अप्रभावित नहीं रहना चाहती थीं।

यह सिफारिश तो संयुक्त समिति ने की है । अतः इस विषय पर प्रधान मत्री के नाम को बीच में लाकर विवाद का विषय बनाना अच्छा नहीं लगता ।

जहां तक शिकायतों का प्रश्न है, कुछ अनामक शिकायतों में भी कुछ न कुछ सत्य तो होता ही है, परन्तु सभी अनामक पत्रों पर भी कार्यवाही नहीं की जा सकती । इसका एक हल तो यह भी है कि शिकायत करने वाला अपना नाम तो जरूर लिखे मगर वह लोकपाल से यह निवेदन करे कि उसका नाम गुप्त रखा जाये । इससे लोकपाल को तो यह मालूम रहेगा कि शिकायत कहां से आई है ।

मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि उसी भावना से इसे लागू किया जायेगा, जिसमें इसे प्रस्तुत किया गया है, और मैंने जो सुझाव रखे हैं उन पर सरकार विचार करे ।

श्री एस० केडप्पन (मंडूर) : सर्व प्रथम मुझे इस विधेयक के नाम-लोकपाल तथा लोक आयुक्त विधेयक-पर आपत्ति है क्योंकि मैं इन शब्दों का अर्थ नहीं समझता । मत्री महोदय अपने उत्तर से पूर्व इन शब्दों का अर्थ समझायें । बिना अर्थ समझे मैं कोई लाभ प्रद बात कैसे कह सकता हूँ ? सरकार को यह नहीं चाहिये कि वह इस प्रकार विधेयकों का नाम हिन्दी में देकर हिन्दी के हितों को बढ़ावा देने का दम भरे । संसद के इतिहास में ऐसी बात पहली बार हुई है कि यहां पर विधेयक का नाम एक ऐसी भाषा में प्रस्तुत किया गया है जिसे अहिन्दी भाषी सदस्य नहीं समझ सकते ।

स्वाधीनता के बाद पिछले 22 वर्षों से देश में ऐसा वातावरण रहा है जिससे कि लोग सामान्य रूप से हतोत्साह होते जा रहे हैं और राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार ने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जिससे कि लोगों के दिलों से यह बात निकले और सरकार के प्रति लोगों का अच्छा दृष्टिकोण बने । अनेक बार मांग किये जाने पर भी केन्द्र सरकार के मत्रियों ने अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा आज तक जनता के सामने नहीं रखा । जब कि विपक्षी दलों ने विभिन्न राज्यों में सत्ता प्राप्त करते ही अपनी अपनी विधान सभाओं में इस बात की व्यवस्था की है । अभी हाल ही में मेरे राज्य की सरकार ने एक आचार-सहिता बनाकर प्रत्येक मंत्री द्वारा अपनी अपनी चल तथा अचल सम्पत्ति की घोषणा की जाने की व्यवस्था की है । केन्द्रीय मत्रियों के मामले में भी ऐसा ही होना चाहिये ।

दूसरी प्रबल मांग उस सभा में यह रही है कि सरकारी सेवा में नियक्त वरिष्ठ पदाधिकारियों को सेवा मुक्त होने के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । ऐसा करने से भ्रष्टाचार बहुत कम हो सकता है ।

सरकार यह विधेयक भी बड़े दबाव के बाद तथा बहुत हिचकिचाते हुए सभा में लाई है । वास्तव में तो यह विधेयक आज से दो वर्ष पूर्व ही पारित हो जाना चाहिये था परन्तु सरकार प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों के प्रति आखें मूंदे बैठी रही । श्री देव द्वारा इस सभा में बार बार अनुरोध किये जाने पर ही सरकार ने इस बारे में कुछ सोचा है तथा

यह विधेयक पेश किया है। क्योंकि यह विधेयक ठीक दिशा में एक अच्छा कदम है अतः एक प्रकार से मैं इसका समर्थन करता हूँ। परन्तु साथ ही यदि हम इस विधेयक की कुछ धाराओं पर ध्यान दें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक में निहित सभी उद्देश्य समाप्त हो जाते हैं। प्रधान मंत्री को जो छूट दी गई है उसे भी विधेयक की धाराओं में अधीन लाया जाना चाहिये। मुझे सन्देह है कि लोकपाल या लोकायुक्त की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये प्रधान मंत्री को उपयुक्त प्राधिकारी समझा गया है जबकि वह मंत्रियों तथा वरिष्ठ सचिवों तथा अधिकारियों के बारे में उपयुक्त प्राधिकारी का कार्य करेगा जैसी कि इस विधेयक में व्यवस्था की गई है। मान लीजिये कि यदि प्रधान मंत्री लोकपाल अथवा लोकायुक्त की सिफारिशों को लागू करना उचित नहीं समझता तो फिर क्या होगा? इस विधेयक के अनुसार तो लोकपाल अथवा लोकायुक्त राष्ट्रपति को सूचित करेगा परन्तु राष्ट्रपति भी संविधान के अनुसार क्या कर सकेगा? अतः इस प्रकार तो असमानता बनी रहेगी और विधेयक का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह उपयुक्त प्राधिकारी प्रधान मंत्री के अतिरिक्त कोई और हो। दूसरे, प्रधान मंत्री को भी इस विधेयक की धाराओं से अप्रभावित नहीं रखना चाहिये वरना फिर मुख्य मंत्री को भी अप्रभावित रखना होगा। वैसे मेरा राज्य तो इस विधेयक को अपने यहां शायद लागू भी नहीं करेगा क्योंकि हमारे यहां तो पहले ही मंत्रियों की सम्पत्ति की घोषणा करने की प्रक्रिया प्रचलित है। हम तो विधायकों को भी ऐसा ही करने के लिये कहने के बारे में सोच रहे हैं।

इस विधेयक में की गई परिभाषा के अनुसार सरकारी कर्मचारियों में केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों को भी शामिल किया गया है, परन्तु संघ राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल को नहीं। उप-राज्यपाल अपने क्षेत्र की सरकार का प्रमुख होता है, उस पर भी इस विधेयक की धारायें लागू होनी चाहियें।

इस विधेयक की भूमिका में ही कहा गया है कि इसका उद्देश्य ऐसे प्राधिकारियों की नियुक्ति करना तथा उनके कार्य निश्चित करना है जो सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से किये कुछ प्रशासनिक कार्यों की जांच करेंगे :

संघ राज्य क्षेत्र में उप-राज्यपाल ही प्रमुख कार्यकारी होता है और वहां का मुख्य मंत्री तो किसी विभाग के केवल एक क्लर्क अथवा अधिक से अधिक एक सुपरिन्टेन्डेन्ट के समान ही होता है। मैं इसका विरोध नहीं करता कि मंत्रियों को सरकारी कर्मचारी माना जाये परन्तु वास्तविक कार्य तो उप राज्यपाल करता है। परन्तु परिभाषा में उसे सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि वही सभी गलत कार्यों के लिये उत्तरदायी होता है। जिन स्थानों पर विपक्ष का शासन है वहां के राज्यपालों तथा उप-राज्यपालों को अपने प्रभाव में रखने के लिये सरकार ने उनको इस विधेयक से अप्रभावित करने की ही राजनैतिक चाल चली है। यह एक गम्भीर बात है और मेरी मांग है कि राज्यपालों तथा उप-राज्यपालों पर इस विधेयक की धारायें लागू की जायें।

इस विधेयक पर विचार करने वाली समिति में स्वतंत्र दल के सदस्यों ने अपना मतभेद समान रूप से नहीं दिखाया है। इसका अर्थ है कि यदि इसका निर्णय उन पर भी छोड़ दिया जाता तो वे भी इस विधेयक के मसौदे का कोई स्वीकृत रूप तैयार नहीं कर सकते थे।

सरकार के अधीन, सतर्कता आयोग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा भ्रष्टाचार विरोधी अन्य कई विभाग हैं। लोकपाल तथा लोकायुक्तों के साथ उनका समन्वय कैसे होगा ? अतः इस बारे में दोहरा कार्य फैलाने की आवश्यकता नहीं है।

मैं इस विधेयक का समर्थन केवल इस भावना के अधीन करता हूं कि यह उचित दिशा में एक पहला कदम है तथा ज्यों ज्यों हमारा अनुभव बढ़ेगा सरकार अपनी व्यवस्था को और अधिक सुधारती जायेगी।

श्री श्रद्धाकर सुपकार (सम्बलपुर) : सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने की मांग को पूरा करने के कार्य मे नये परीक्षण के रूप में इस विधेयक का मैं हृदय से समर्थन करता हूं। यह विधेयक वस्तुतः अपूर्ण है, परन्तु आशा है कि समयानुसार विभिन्न राज्य भी अपने लिए ऐसे ही कानून बना लेंगे तथा इस प्रकार सारे देश पर इसका प्रभाव हो जायेगा।

आलोचना की गई है कि प्रधान मंत्री को इस विधेयक से अप्रभावित क्यों रखा गया। श्री शुक्ल ने उस आलोचना का उत्तर दिया है। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक का कुछ अनुभव प्राप्त करके, बाद में, प्रधान मन्त्री पर भी यह विधेयक लागू किया जा सकेगा। लोकपाल एक जांच अधिकारी के रूप में कार्य करेगा तथा अपने निष्कर्ष संसद के विचारार्थ भेजेगा। उसकी सिफारिशों से जनमत बनेगा। यह प्राधिकारी कोई दण्ड नहीं दे सकेगा किन्तु सरकारी अधिकारियों के कार्य में सुधार करने तथा सचेतक का कार्य करेगा।

दूसरी त्रुटि शायद यह है कि संसद सदस्यों पर भी यह विधेयक लागू नहीं होगा। इस बारे में भी स्पष्ट किया गया है कि संसद सदस्यों के आचरण का फैसला तो उसके चुनाव क्षेत्र के लोग ही करेंगे, कोई अधिकारी नहीं।

अब प्रश्न यह है कि लोकपाल के पास शिकायतों के ढेर लग जायेंगे क्योंकि शिकायत भेजने के लिये कोई शुल्क तो देना नहीं पड़ेगा। केवल यही होगा कि मन्त्रियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत भेजने वाले को वह शिकायत असत्य सिद्ध होने पर उसके परिणाम भी भुगतने होंगे। यह अच्छी व्यवस्था है, वरना बहुत छोटी छोटी शिकायतों के भी ढेर लग जायेंगे। इस व्यवस्था से तुच्छ प्रकार की शिकायतें लोकपाल तथा लोकायुक्तों के पास नहीं आयेंगी तथा वे भी ऐसे ही मामलों की जांच करेंगे जिनमें सचमुच ही कोई भ्रष्टाचार का मामला होगा तथा जहां वे उस बारे में कोई सुधार वाली सिफारिश कर सकेंगे। अब क्योंकि यह एक नई व्यवस्था होगी अतः यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सर्व प्रथम कौन कौन लोकपाल तथा लोकायुक्त नियुक्त होंगे क्योंकि ये लोग परम्परा स्थापित करेंगे। मुझे विश्वास है कि प्रथम लोकपाल तथा लोकायुक्त बड़े ख्याति प्राप्त, सहज बुद्धि वाले तथा न्याय प्रिय वृत्ति वाले व्यक्त होंगे।

प्रस्तावित व्यवस्था के द्वारा लोकपाल के पद पर देश के किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की नियुक्ति हो सकेगी। यहां यह प्रस्ताव है कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा विपक्ष के नेता द्वारा जिस व्यक्ति की सिफारिश की जायेगी उसकी नियुक्ति अन्ततः राष्ट्रपति करेंगे; यह

नियुक्ति सरकार से विचार विमर्श करने के बाद करेंगे इस सम्बन्ध में आपत्ति करते हुए कहा गया है कि राष्ट्रपति को इस समिति की सिफारिशों को मानना ही चाहिये। मैं एक बात पूछना चाहूंगा यदि भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा लोक सभा में विपक्ष के नेता का इस बारे में मत न हो तो क्या होगा। मैं समझता हूं कि उस मामले में सरकार से सलाह लेकर राष्ट्रपति ही अपने स्वविवेक से उसका चयन करे। राज्य सभा के सदस्वों का सुझाव है कि विपक्ष के नेता के चयन के बारे में दोनों सभाओं को साथ रखा जाना चाहिये। परन्तु मेरे विचार से यह ठीक ही समझा गया है विपक्ष का प्रतिनिधि लोक सभा से ही लिया जाये।

उपरोक्त शब्दों के साथ मैं पूरे दिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसे में कोई गम्भार परिवर्तन किये बिना ही इसे पारित कर दिया जाना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I have to make a submission under Rule 340 which says "At any time after a motion has been made, a member may move that the dabate on the motion be adjourned." I, therefore, want to move that the debate be adjourned and the situation created on account of the Presidential Election be discussed here.

You might be aware that the Central Hall of the Parliament House has become the den of political activities of Congress Party and the two groups within the Congress are carrying on a signature compaign, They are indulging in malpractices and levelling charges of character assisination against the candidates. We should discuss that situation. No body is interested in the present debate. I am moving it formally and request you to put it to vote, It is an urgent matter. The security of the ccountry has been threatened and the Parliament cannot sit silently over it. We should certainly discuss this matter.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : श्री मन्, आपकी अनुमति के बिना कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलिया बोर) : सभा ने निर्णय किया था कि राष्ट्रपति के चुनाव से सम्बन्धित प्रश्न सभा में नहीं उठाया जायेगा। जो कुछ सेंट्रल हाल में हो रहा है वह संसद सदस्यों का कार्य हैं। यह कहा गया है कि आचरण-हीनता का कार्य किया जा रहा है। हम सभा में ऐसा कुछ नहीं करते। यह कहना तो सारे दल को लांछित करना है।

राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे दल का सर्वाधिक हाथ है और हम निश्चय ही उन बातों की चर्चा कर रहे हैं जो देश पर प्रभाव डालती हैं। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हमने कोई ऐसी चीज की है जो अनुचित हो अथवा जिसकी अनुमति संपद का केन्द्रीय हाल नहीं देता। जो कुछ भी वहां होता है उसे इस सदन में नहीं लाया जाना चाहिये।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Chairman, these are all baseless and concockted things. The point which he has raised does not apply, Rules can be referred. It is stated there that when the Bill is under consideration it cannot be raised without your permission.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I rise on a point of order,

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : नियम 340 के अनुसार :—

> किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने के बाद किसी समय कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि प्रस्ताव पर वाद-विवाद को स्थगित कर दिया जाये । "

यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि इस वाद-विवाद को स्थगित किया जाये और राष्ट्रपति के चुनाव से जो स्थिति पैदा हो उस पर विचार किया

Shri Randhir Singh : Mr. Chairman, these are all concockted things which have been brought here. No Minister or nobody else is doing such convassing on behlaf of the Congress Party. The fact is that he is to be defeated and so he is collecting material for election petition Ruling has been given in this House previously and besides this, he is raising this point here. So for as the point of order is concerned, I am to say that when the Bill is under consideration no adjournment motion can be made without your consent.

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : श्री कंवर लाल गुप्त ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा उद्यत नियम के अन्तर्गत वाद-विवाद स्थगित किया जाये । यह केवल प्रस्ताव के सम्बन्ध में लागू होता है । विधेयक के सम्बन्ध में दूसरा नियम है जहां यह कहा गया है कि जब विधेयक पर चर्चा हो रही हो यदि उस समय वाद-विवाद को स्थगित करना हो तो उसके लिए अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता है, यह आप पर निर्भर है कि आप अनुमति दें अथवा नहीं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : नियम 109 के अनुसार :—

> "सभा में चर्चा धीन विधेयक के किसी प्रश्न पर अध्यक्ष की सम्मति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये । "

यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव न्यायपूर्ण ढंग से हो और गन्दा प्रचार बन्द किया जाये । क्या स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी ?

Shri Om Prakash Tyagi (Muradabad) : Indian Parliament is a unique body throughout the world. Therefore nothing wrong should be done here in this Parliament. This Bill is intended to remove corruption. May I know is it not corruption what is heppening here at this time. It is not onls a rumour. I want to inform you that unhelthy pamphlets are being distributed. Therefore I request that there should be voting on the motion moved by Shri Gupta.

सभापति महोदय : मत लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता । आपने नियम 109 के अन्तर्गत विधेयक के बारे में प्रस्ताव उठाया है । इसका सम्बन्ध जो कुछ सदन से बाहर हो रहा है उससे नहीं है । हमारा सम्बन्ध इस समय विधेयक से है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Discussion regarding the election of the President is going on.

सभापति महोदय : यह कार्य सूची में नहीं हैं।

Shri Abdul Ghani Dar tGurgaon) : I am very happy that the hon. Home Minister has brought forward a very nice Bill. You must be remembering that I used to say that abuse of power will never be tolerated, whatever one may be, he may be a Chief Minister for Prime Minister.

After that what happened that all the Opposition leaders under the leadership of Acharya Kriplani met the President and requested him that the corruption indulged in a large scale by big persons should be checked as for as possible. There must be body in this connection and Lokpal means to check the corruption done on a large scale, as for as possible.

At that time Dr. Radhakrishnan was the President. He appointed Justice S. R. Das for the purpose and the decision of Justice Das was against the wishes of Pandit Nehru. Therefore, the Government have brought forward this measure. Whomsoever he may be, how big he may be, if people have got complaint against him, they should be given justice. We want justice to be done.

The quastion raised here by many members is that the Prime Minister should also stand in the same footing where we and other big persons stand. No one should be exempted. When this question was raised, I asked for its circulation because I know that corruption has increased many-fold. If you have arrived at this decision that you will not exempt any one then you will have that now justice is to be done. You have to be very impartial.

My difficulty was that when the previlege was claimed, the files were not brought forward, Justice S. R. Das told that files cannot be shown because previlege has been claimed. They could hide the files in the name of privilege. If they want to hush up the matter on the pretext of privilege, the importance and meaning of Lokpal will vanish away, because the files will not be brought forward and none will be able to do Justice. That is why I demanded the circulation of this Bill. It is in the interest of justice that we should send it in circulation. When the Government have brought this Bill they should keep before them the whole country and should see that how justice will be done.

I can say with confidence that no other Party except Congress can successfully rule the country. Uufortunately, position of this party is deteriorating and it does not know that if it goes down the country will stand nowhere.

We should first save the honour of the country and then fight for the sake of communite.

I am talking in the interest of the country. I will not get anything if Shri Desmukh or Shri Sanjiva Reddy wins but if we want to keep the country united it can only be achieved by the Congress at present. Tomorrow some other Party may come forward. Therefore, I say, first unite yourself, if you want to provide justice. If you will be disunited the country will go to dogs,

सभापति महोदय : श्री योगेन्द्र शर्मा

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : I support the Bill. We know that corruption cannot be eliminated so long as we do not establish community ownership instead

of individual ownership in respect of means of production and ownership of distribution, We also know that today corruption has become omnipresent. It cannot be removed so long the collusion between the Administration and the Capitalists is not eradicated. Even then, we support the Bill because a provision has been made in this Bill that one such post will be created through which complaints of the people against the discrimination corruption and injustice of the administration, will be redressed. The existing machinery for the purpose is such that people cannot approach it, Therefore the provision for the appointment of Lokapal and Lokyukt is an appropriate step in the right direction. The complaints of the public will be investigated by them. Recently, in this House, we raised a question regarding administrative corruption against ex-Chief Minister of Mysore, who is at present is the president of Congress Party and Shri S. K. Patil. Many strong and correct charges were made against them but to no purpose. We hope, none, with the provision of Lokpal such charges will be given proper attention whatever the decisions may be. Shri Shukla was rightly stated that Lokpal should be such a person who enjoys the confidence of the entire nation. But this object will not be achieved through the provision made in the Bill for the selection of the Lokpal. It has been stated that this appointment will be made in consultation with the Chief Justice of Supreme Court and a leader of the Opposition Party or a person from the Opposition Parties selected by the Speaker. How the national confidence will be created through this arrangement ? The provision for consulation with a person of the Opposition Parties is like a provision for creating clash among Opposition Parties. What objection you have got in making consultution with the leaders of all the Opposition Parties ? There is no harm in consulting ten Members of both the Houses. It does not involve more expenditure. In this way, whoever will be appointed Lokpal, will enjoy the confidence of the entire Nation. There is partiality on the basis of community and caste in the case of employment, tenders, admissions, scholarship and elections etc. Provision will have to be made so that complaints against such things are also heard.

It is true that the position of the Prime Minister is different from other Ministers. But even then the Prime Minister is the Executive Head of the Government and the people may have complaint against the Prime Minister also. In that case how can you exempt the Prime Minister ? It has been our experience in the past that the Chief Ministers of some States were found involved in big corruption cases.

In these circumstances, if there are charges of corruption against the Prime Minister and a **prima facie** case has been prepared by the Lokpal during investigation, the question arises that who should be the competent authority in this case ? This difficulty can also be overcome. Lok Sabha should be the competent authority in this case. If there is **prima facie** case against the Prime Minister, this should be brought before the Lok Sabha and Lok Sabha should decide about this case.

The success of the entire Bill depends on it that none should have doubt in the integrity of the Lokpal and simultaneously he should enjoy the confidence of the public. For this it is necessary that Lokpal should work with impartiality and fearlessly. It is not sufficient for the Lokpal to not to remain in any Government post after the expiry of his period of Lokpal but he should also not serve in any big business House or company. If there will be no such restrictions on him he cannot do justice. He need not serve anywhere after the expiry of the period of Lokpal because provision of pension has been made for him. I hope the hon. Minister will accept any amendment.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I congratulate the Home Minister and the Government for bringing forward this Bill. There has been a great demand for it since long. As a matter of fact, there is all sort of corruption and bribery spreading now-a-days and so it has become absolutely necessary to take necessary steps to evade it.

I feet that this law should be enforced in the States also. This Bill has been brought here for the Centre and four or five small Union territories only.

I agree with the recommendations of the Joint Select Committee that the appointment of the Lokpal should be made in consultation with the Prime Minister and the leader of the opposition.

It is proper that the Prime Minister has been exempted from the purview of this law and if it is extended to the States also, the Chief Minister should also be exempted. After all Lokpal is not God. He can have prejudice against anybody and against any Party. If there are any allegations against the Prime Minister, there is the President and this House to decide. I thank the hon. Home Minister for bringing the Minister within the purview of the law, because as a matter of fact the Ministers are not covered in the definition of public servants.

I think, this Bill, if passed, will uplift the moral of the countrymen. These days there is a big corruption in education Department. In the matter of admissions in educational iustitutions and in the case of employment of teachers heavy bribes are taken. In the Revenue Department bribes are taken and cases are decided in favour of those who, give money as bribe.

Even a sweepar has to give Rs. 15 as bribe to secure the job. Bribes are taken from the shopkeepers also who indulge in adulteration. Even a petty Sanitary Inspector gets thousands of rupees monthly as bribe. There is no such sphere where there is no corruption. If any Harijan takes a loan of Rs. 500, he has to pay Rs. 200 as bribe. In the same why if a farmer takes a loan of Rs. 3000 for tubewell, he has to pay Rs. 1000 in the shape of bribe.

In Delhi if some one wants to open a Petrol pump he has to pay Rs. 40,000 as bribe.

Not only this, even water is sold to the farmer. In the same way, in the construction of houses by C. P. W. D. forty percent bribe is taken. Corruption has doomed the country.

I am thankful that though late yet the Government have taken a revolutionary step.

I would like that this law should be enforced throughout the country. I fully support this Bill.

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : There are certain things in the Bill which cannot be supported by an impartial man. Complaints against the members of the Council of Ministers will be referred to Lokpal but there is no mention of the complaints against the Prime Minister. Our ancient literature like Kautilya Shastra and Manu Smriti say that higher authorities should be given more punishment in comparison to

ordinary people. So I think the Prime Minister should not be excluded in this provision because she holds an important portfolio.

The political situation in the country is uncertain. Casteism, corruption etc. are rampant during election. No one can say who would be the Prime Minister and for how long he will continue. So if any one makes charge against the Prime Minister than he should be answerable for this. When there is a provision to make charge against the Deputy Prime Minister than why the Prime Minister has been excluded from this. You have said that the Prime Minister would be the competent authority for taking action against the Ministers. How it can be possible ? Can anyone say that the Prime Minister or Chief Minister will take actionagainst his collegue under such conditions which are prevailing in the country. So I want to point out that the President or the Parliament should be the competent authority and not the Prime Minister. Besides I would like to say that Chief Ministers of the States should come within its jurisdiction.

There is nothing clear in the Bill as to who will be the Lokpal. The Lokpal must be the retired judge of the Supreme Court or a High Court. The Lokpal should not belong to any political party because only than he can be impartial in his attitude. Under present circumstances action is not taken on anonymous letters. But, do you think that employees of a particular department can make complaints against their high officers and Ministers ? I, therefore, urge that action should be taken on anonymous letters also, at least preliminary enquiry should be made.

I hope the Hon. Minister will give consideration to my suggestion.

श्री उमानाथ (पुदूकोटै) : सरकार 22 वर्ष के भ्रष्टाचार के बाद इस तरह का विधेयक लाई है, परन्तु जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए गम्भीर तथा ठोस उपाय किये जायें। सरकार अभी भी इसको पूर्ण रूप नहीं दे सकी है क्योंकि वह जानती है कि तब उसे टाटा, बिड़ला आदि के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी। इन बड़े व्यापारी समूह ने देश की अर्थ व्यवस्था को अपने हाथ में लिया हुआ है। यही कारण है कि वे न केवल सरकारी अधिकारियों अपितु मत्रियों को भी खरीद लेते हैं। जब तक उनके हाथों से यह अधिकार छीन नहीं लिया जाता है तब तक वे कैसे इस विधेयक द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर पायेंगे, मैं आपको प्रतिवेदन का एक अंश पढ़कर सुन सकता हूं "भ्रष्टाचार का अस्तित्व तभी रहता है जबकि कोई भ्रष्टाचार करने का इच्छुक तथा समर्थक होता है, हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है यह दोनों बातें काफी सीमा तक उद्योगपतियों और व्यापारियों में विद्यमान है, ये उद्योगपति व व्यापारी युद्ध काल के हैं और जिन्होंने काफी मात्रा में लेखा बाह्य धन अर्जित किया है"।

यह संथानम समिति के प्रतिवेदन का अंश है। इस प्रतिवेदन के अनुसार उद्योगपतियों और व्यापारियों द्वारा एकत्रित तथा कालाधन ही भ्रष्टाचार के उन्मूलन में रुकावट डालना है, परन्तु सरकार ऐसी नीतियों को अपना रही है जो कि इसका उन्मूलन न करके इसको प्रश्रय दे रही है, सरकार कह सकती है कि वह एकाधिकार नियंत्रण विधेयक ला रही है परन्तु क्या इससे एकाधिकार टूट जायेगा ? सरकार फिर कह सकती है कि हमने कम्पनी द्वारा दान देने में रोक लगाने वाला विधेयक भी प्रस्तुत किया था परन्तु क्या उससे वे राजनीतिक दलों को

चंदा देने से रोक सकेंगे ? यह तो चोरी छिपे फिर भी चलता रहेगा । इस विधेयक के पारित होने पर भी यह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेगा ।

भ्रष्टाचार का दूसरा आधार पश्चिमी देशों के निहित स्वार्थों वाले उद्योगपति हैं । श्री गुन्नार मिरदाल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि "भारतीय समाज एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चुप है और वह पश्चिमी देशों के निहित स्वार्थों वाले उद्योगपतियों द्वारा दक्षिण एशिया के देशों की मंडियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की भूमिका है । पश्चिमी देशों के व्यापारी इस बात को निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि वे इसके लिए संबधित सरकारों को छूट देते हैं," मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि वह इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ।

हमारे दल की मांग है कि प्रधान मंत्री को भी इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जाये । यह तर्क दिया गया है कि क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं हो सकता है जो भ्रष्टाचारी न हो । परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रधान मंत्री ही हो, वह एक साधारण मंत्री भी हो सकता है, हमसे यह पूछा जा सकता है केरल के मुख्य मंत्री के बारे में क्या राय है । हम इस विधेयक में मुख्य मंत्री को शामिल करने के लिये इसलिए विरोधी हैं क्योंकि कांग्रेस भी प्रधान मंत्री को इस विधेयक के बाहर रखना चाहती है । यदि कांग्रेस यह संशोधन स्वीकार करती है कि प्रधान मंत्री को इसमें शामिल किया जायेगा तो हम भी अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं ।

श्री वेद व्रत बरुआ (कलियाबोर) हम देश में भ्रष्टाचार के बारे में बहुत बातें करते हैं । अभी तक भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए जितने भी उपाय किए गए वे सब समस्या का समाधान नहीं कर सके । यदि हम सार्वजनिक सेवाओं में तथा राजनैतिक स्तर पर भ्रष्टाचार का उन्मूलन करते हैं तो यह निश्चय ही साहसपूर्ण कदम होगा ।

श्री उमानाथ ने यहां के भ्रष्टाचार का जो चित्र खींचा है, वह वास्तव में इतना भयानक नहीं है । दक्षिण एशिया के देशों की तुलना में भारत की स्थिति इस मामले में खराब नहीं है, यह सच है कि कुछ विदेशी व्यापारी कमीशन देते हैं । यह दुर्भाग्य की बात है कि सार्वजनिक क्रयों में कमीशन दिया जाता है । इस तरह का मामला संसद में भी उठा था ।

यह सच है कि विभिन्न स्तरों पर इस तरह की बेईमानी विद्यमान है । यह आवश्यक है कि इसका दृढ़ता के साथ मुकाबला किया जाये । लोकपाल और लोक आयुक्त काफी सीमा तक इस समस्या को सुलझा सकते हैं । आज राजनीतिज्ञों और बड़े व्यापारियों में सांठगांठ है । यही सांठगांठ हमारे प्रजातंत्र का विनाश कर रही है । हमें इस सांठगांठ को समाप्त करना चाहिए ।

यह ठीक नहीं है कि लोकपाल अथवा लोक आयुक्त को प्रधान मंत्री अथवा अन्य राजनीतिक प्रशासन को चुनने का अधिकार दिया जाये । इसलिए प्रधान मंत्री को इस विधेयक की सीमा से अलग रखा जाये । जहां तक राजनीतिक जीवन को सुधारने का प्रश्न है, हम अगले

10 या 15 वर्षों में इस प्रकार की परम्पराएं या व्यवहार स्थापित करने में समर्थ होंगे जिससे राजनीतिक अपने अच्छे आचरण के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे ।

जहां तक ससद सदस्यों का प्रश्न है उनको इस विधेयक की परिधि से बाहर रखना ही सही निर्वाच है ।

Shri S. M. Joshi (Poona) : I welcome the spirit and the principle underlying the Bill. Since our country is poor, we have taken up planning to ensure equitable distribution. We have adopted control on necessary items. But corruption also comes alongwith the control. In this way it is increasing.

After independance we have been worshipping money. Values are changing. Large sums of money are spent lavishly in the election. To make up this we take resort to unfair means.

The standard of Administration is falling. I have been a member of the Assembly for 10 years. The administration has got many powers and they use it as they like. No one hears us.

The corruption has been increasing for the last ten years. If we want to get some work done, then we will have to give bribe. This kine of situtation has come in our country. Now the question is how to tackle this problem.

I can give you an example. There is a control on the import of Printing Machinery. I made many complaints regarding it. If one does not bother of rules then he can get the permission but who wants to act according to rules can never get permission. The reason is obivious-corruption prevails here.

I do not agree that due to same technical or legal difficulties, the Prime Minister is to be excluded from the purview of the Bill. It is stated that No-Confidence Motion can be brought against the Prime Minister. But I say that it is a question of simple ethics. We can set good examle before the world by including the Prime Minister in the purview of the Bill.

The Hon. Minister has stated that the Lokpal and Lok Aykut will not get Government service after the expiry of their term. I want to add that they should not get service even in Private Sector. They should get Pension. Only then people will have faith in them.

Will these words I support the Bill.

Shri Sheo Narain (Basti) : I want to appeal to the Hon. Minister that none should be spared form the clutches of law. One can find honest man in India but corruption is also there. I am not going into this because it will come out within a few days.

I want to say that the Government should admit this amendment. You will have to hold the reins of the country correctly. If you adopt unfair means, the whole country will adopt such nefarious means and there will be corruption every where.

श्री ए० श्रीधरन (वडागारा) : जब हम देश में फैले हुए भ्रष्टाचार पर दृष्टि डालते हैं तो हम इस विधेयक को अपर्याप्त पाते हैं । इतने वर्षों के प्रजातंत्र संचलित के अनुभव के

पश्चात कांग्रेस से आशा की जाती थी कि वह अधिक सक्रिय कार्रवाई करेगी, परन्तु ऐसा नहीं हुआ है ।

पाकिस्तान आदि देशों में राजनतिक अस्थिरता तथा भ्रष्टाचार के कारण लोकतंत्र विफल रहा है ।

कहा गया है कि इस विधेयक को प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार बनाया गया है । तदानुसार राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को इसके अन्तर्गत लेना चाहिए। संसद सदस्यों को भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए । यदि सरकार भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए वास्तव में ही कटिबद्ध है तो उसे जरूर कार्यवाही करनी चाहिए ।

सम्पूर्ण प्रशासनिक ढांचे पर दृष्टि रखने की आवश्यकता लोकपाल की सिफारिशों पर दृष्टि रखने के लिए एक स्वतन्त्र व्यवस्था होनी चाहिये क्योंकि उसके बिना कुछ भी हो पाना सम्भव नहीं है ।

गृह कार्य मंत्री ने जो यह कहा है कि प्रधान मंत्री को लोकपाल के कार्यक्षेत्र से पृथक रखना चाहिए क्योंकि ने संसद के प्रति उत्तरदायी हैं । मेरा भाव यह है कि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति निर्वाचित होकर प्रधान मंत्री बन जाता है और बाद मे उच्चतम न्यायालय उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है तो क्या आप उच्चत्तम न्यालयालय के निर्णय को इसलिए मान्य नहीं ठहराएंगे कि प्रधान मंत्री सर्वोपरि है । इस प्रकार तो लोकतन्त्र का महत्व नहीं बढ़ेगा । प्रधान मंत्री केवल समान स्तर के मत्रियों में सर्वोच्च है । भ्रष्टाचार उन्मूलन के अभियान में प्रधान मत्री को विधेयक की परीधि से बाहर नहीं रखना चाहिए ।

एक अच्छी विचारधारा को कार्य रूप किया जा रहा है और शीघ्र ही फलदायी होगी ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : द्वितीय महायुद्ध के समय से भ्रष्ठाचार का व्यापक बिस्तार और बोलबाला हो गया है और सामान्य कार्यों के लिए भी घूंस देना आवश्यक हो गया है ।

श्री नन्दा ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपना दरबार लगाया था और वहां असंख्य शिकायतें आया करती थीं, परन्तु परिणाम संतोषजनक नहीं था ।

लोकपाल पर सत्तारूढ़ दल द्वारा अनुचित प्रभाव न डाला जा सके, इसकी ओर ध्यान रखना पड़ेगा । इस देश में जब कोई भी अच्छी संस्था निर्मित होती है तब सत्तारूढ़ दल उस पर अपना प्रभाव डालता है जिससे सब नियम कायदे रखे रह जाते हैं ।

राज्यों की स्थिति तो और भी शोचनीय है । कई मंत्री घूंस लेते हैं और ऐसे व्यक्ति अब भी वहां शासन कर रहे हैं । डाक्टरों प्रोफेसरों की पदोन्नति तक के मामलों में मंत्रियों ने सहस्त्रों रुपयों की घूंस ली हैं ।

ऐसी स्थिति में लोकपाल के उपर भी सतर्कता रखनी पड़ेगी ।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों पर किसानों की बकाया राशियां

Farmers Dues Outstanding Against Sugar Mills in U. P.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : In reply to a question the hon. Minister has stated that the price of sugar cane representing the 1968-69 session is outstanding against the bills on 31st May, 1969. I had expressly asked for the amount payable by the sugar mills. An attempt is being made to hide the information.

The details of the amount for one year comes to 8 crores, 65 laks and 45 thousand and a cess of Rs. 4 crores, 26 lakhs and 63 thousand. In reply to my letter Shri Shinde has stated that the amount is about 40 Lakhs. Thus a sum of about fourteen crores of rupees is outstanding against Sugar Mills in one State alone. In Bihar and other States, which produce sugar cane, there may be much more money outstanding against the Sugar Mills if the farmers do not get money in time, how can they pull on and how can they purchase better seeds ?

The United Front Government in U. P. had adopted a strict attitude towards Sugar Mill that untill they cleared the dues of the cane producers they would not run the Mills. If the Central or the State Government adopts that type of approach towards the Mills then only the farmers might get their dues.

It is apparent from the list furnished that these Sugar Mills which have some connection with the congress members owe large amounts to the farmers.

Recently the Chief Minister of U. P. has announced reduction of purchase tax @o/14 paise per quintal.

Last time when the price of sugar-cane was decided, the hon. Minister stated that the Sugar Mills must give Rs. 10/- per quintal to cane growers. It was also announced that only those mills could get facilities from the Government that pay Rs. 10/- per quintal to farmers. Does the hon. Minister know whether there are Mills who have paid even less than Rs.7/35 per quintal. What action was taken against these Mills who have paid to farmers at rates less than Rs. 10/-. If the farmers are to be deprived of the facilities how can they be encouraged to produce more ?

I suggest that the farmers should be paid against delivery @ Rs. 10/- on Rs 7/50 and the balance may be paid according to the market price of sugar. The D. M. D. tried a similar system like this in Tamil Nadu but it is not known how far the experiment has succeeded. On the formula devised by Shri Rafi Ahmed Kidwai may be followed, that the price of sugar-cane may be fixed 1/16th of sugar price.

In the end I request that the huge amounts payable to cane growers may please be paid quickly.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : मैं यह महत्वपूर्ण चर्चा प्रारम्भ करने के लिए श्री प्रकाश वीर शास्त्री को धन्यवाद देता हूं ।

कानूनी तौर पर मिलों को 14 दिनों के भीतर मूल्य का भुगतान करना होता है । यदि ऐसा नहीं होता तो विक्रेता का चालान हो सकता है । यह भी व्यवस्था है कि राज्य

सरकार बकाया राशि को भू-राजस्व की बकाया राशि के समान बसूल कर सकती है। हमारी ओर से राज्य सरकारों को निदेश हैं कि किसानों की बकाया राशि की वसूली के लिए कठोर कार्यवाही की जाए। हमने पहले की तरह अब सभी राज्य सरकारों को, जिनमें उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है, आग्रह पूर्वक लिखा है कि गन्ने का मूल्य शीघ्र चुकाए जाने के लिए पग उठाए जाएं।

हमारी इस बारे में स्पष्ट नीति है कि किसानों को गन्ने का मूल्य तुरन्तु मिलना चाहिए। हम इस समस्या से भली भांति परिचित हैं, अतएव हम राज्य सरकारों को कठोर कार्यवाही करने के लिए जोर देते रहे हैं।

श्री शास्त्री जी द्वारा बताए गये आंकड़ों में तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये आंकड़ों में कुछ अन्तर हैं। प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार अब केवल 1,30,78,000 रुपए बकाया हैं।

जहां तक गन्ना विक्रय कर का प्रश्न है 3.50 करोड़ रुपए मिलों पर बकाया है।

उत्तर प्रदेश में मिलों को बेचे गये गन्ने का मूल्य 120 करोड रुपए है। उसमें से 115 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। देश भर की मिलों पर बकाया राशि 14-6-69 को 25 करोड़ रुपए थी।

महाराष्ट्र की मिलों पर 8 करोड़ रुपया बकाया है। परन्तु वहां की अधिकतर मिलें सरकारी हैं और उनकी भुगतान की पद्धति वर्ष के अन्त में देने की है। वहां किसान स्वयं मिलों के मालिक हैं अतएव यह देयता केवल कागजों में ही है।

उत्तर प्रदेश में दो प्रकार की मिलें है एक तो ऐसी हैं जो जान बूझ कर समय पर धन नहीं देती। इसी लिए उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को लिखा गया है। ऐसी 11 फैक्टरियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

इस उद्योग में यह प्रथा बन गई है कि मिल चीनी बेचने के पश्चात भी गन्ने का मूल्य नहीं चुकाते।

जैसा कि खाद्य-कृषि मंत्री श्री जग जीवन राम ने बताया है हम इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है और इसमें संशोधन करने के लिए विधि मंत्रालय से परामर्श कर रहे हैं।

गन्ने के उत्पादकों के साथ हमारी पूरी सहानुभुति है। माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सभी सुझावों को हम प्रदेश सरकार को भेज देंगे।

हम राज्य सरकार पर जोर डाल रहे हैं कि वे कठोर रवैया अपनाएं तथा बकाया राशि की शीघ्र अदायगी की चेष्टा करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमड हार्बर) : मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि एक ओर तो सरकार ने आंशिक रूप से चीनी से नियंत्रण हटाया है तथा दूसरी ओर चीनी के दाम बढ़े है । किन्तु किसानो को उनका उचित भाग नहीं मिल पा रहा है ।

जहां तक मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम है जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि गन्ना उत्पादक को उसकी बकाया राशि 15 दिन के अन्दर अदा हो जानी चाहिये अन्यथा राज्य सरकार को अधिकार है कि वह मिल मालिक की सम्पत्ति में से इस राशि को अदा करा सकती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस अधिनियम को कार्यान्वित किया गया है ।

सरकार पर यह आरोप है कि वह गन्ना मिल मालिक से मिली हुई है तथा स्वयं सरकार ने जान बूझ कर यह स्थिति पैदा की है जिसमें न तो किसान को लाभ हो रहा है और न उपभोक्ता को । सरकार ने अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुये यह सब किया है ।

क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि ऐसे कितने मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है जिन्होने किसानों को उनके उचित लाभ से वंचित किया है ? कितने मिल मालिकों के विरुद्ध मुकदमे चलाए गये हैं तथा कितनों के दण्डित किया गया है ? महाराष्ट्र की 12 सहकारी मिलों ने 9 महीने की अवधि मे 9 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ कमाया है । सरकार ने इस बारे में भी क्या कदम उठाये हैं ?

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : It is a fact that the sugarcane producers have not been given their dues but may I know whether the steps have been taken to modernise the sugar mills in U. P. ?

May I also know the steps taken by the mills regarding the production of new varieties of sugarcane and the research work done in this connection ?

What are the exact figures of dues payable by the millowners, particularly in Bihar to the farmers and to the Government on account of cess ?

May I know whether the Government propose to nationalise all the sugar mills in order to solve all these problems ?

Shri Randhir Singh (Rohtak) : May I know whether the Government are prepared to blacklist those mills which do not pay the dues of the sugarcane producer in reasonable time and misapproprilate that money in the field of blackmarket ? Do they propose to blacklist these mills with the view that due to the non payment of prices of sugarcanes to the farmers the production of sugarcane is hampered as the crop of sugarc cane requires a good lead of investment. inputs and the period of time? I suggest the Government should take stringent steps to the effect that the defaulting millowners should be compelled to pay double the amount of what is due to the farmers or the mills should be nationalised.

It should also be ensured by the Government that the farmers are paid the same prices as are fixed by the Government. It is observed that the millowners do not

pay and heed to the orders of the Government regarding the prices of the sugarcane and there by the confindence of the prodncers is lost from the Government. It also affect the production of the sugarcane in the country. The Government should take effective steps regarding this matter and the recalcitant millowners should be brought to books.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) - बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय से चीनी के मूल्य घटे हैं तथा देश में यह भावना फैली है कि यदि चीनी उद्योग ने भी कुछ अव्यवस्था दिखाई तो उसका भी राष्ट्रीयकरण हो जायेगा । इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं ।

क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि वे उत्तर प्रदेस की चीनी मिलों का ही नहीं अपितु देश की सभी चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे ? उत्तर प्रदेश की कुछ मिलों ने भुगतान नहीं किया है । अतः क्या मन्त्री महोदय उत्तर प्रदेश की सरकार से बिना परामर्श किये ही इस बारे में कोई निर्णय करेंगे ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : श्री ज्योतिर्मय बसु प्रत्येक मामले में राजनीति को घसीट लाते हैं । मेरा निवेदन है कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में संयुक्त मोर्चा सरकार थी । उस समय केन्द्र सरकार ने इस बात पर भारी बल दिया था कि गन्ने की बिक्री से सम्बन्धित सभी बकाया राशि वसूल की जाय किन्तु ऐसा नहीं हो पाया ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने अभी ही कहा है कि श्री चरणसिंह ने बकाया राशि को वसूल कराने का भरसक प्रयत्न किया था किन्तु फिर भी कुछ राशि शेष रह गई । अतः मेरा निवेदन है कि संयुक्त मोर्चा सरकार के समक्ष भी कुछ कठिनाइयां थीं और जो व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध कोई अभियोग लगाना भी उचित नहीं है । मैं श्री वसु को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि गन्ने की बकाया राशि आवश्य ही अदा कराई जायेगी । सदन में इस बात पर कोई दो मत नहीं हैं । उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 मिलों के विरुद्ध कार्यवाही की है तथा अन्य मिलों के बारे में विचार किया जा रहा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार स्पष्ट प्रश्नों का कोई स्पष्ट उत्तर नही देती और इसी कारण कठिनाई उत्पन्न हो जाती है । मेरे प्रश्न थे सरकार कितने मामलों पर कार्यवाही करना चाहती है तथा कितने मामलों में वास्तविक रूप से कार्यवाही की गई है तथा कितनी मिलों को दण्डित करके उनकी सम्पत्तियों से राशि वसूल करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : उत्तर प्रदेश से मुझे यह सूचना मिली है और इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार ने 11 मिलों के विरुद्ध कार्यवाही की है तथा शेष मिलों के बारे में जांच की जा रही है । जहां तक महाराष्ट्र की सहकारी मिलों का सम्बन्ध है वे मिलें किसानों की ही सहकारी मिलें है । यदि उनको लाभ होता है तो माननीय सदस्यों को इसमें दुःख क्यों होता है ।

वास्तव में उत्तर भारत के राज्यों की गन्ना मिलों में आधुनिकीकरण की भारी समस्या है और जब तक उनमें आधुनिकीकरण नहीं हो पाता उनमें अनेक कठिनाइयां बनी रहेंगी। कम उत्पादन तथा कम वसूली के कारण गन्ना मिलें संकट में हैं किन्तु उनमें आधुनिकीकरण लाने के बहुत से उपाय किये जा रहे हैं और स्वयं मिलों को भी इसमें कुछ मदद करनी चाहिए कठिनाई यह है कि मिलें स्वयं इसके बारे में कोई प्रयत्न न करके सरकार की सहायता पर ही आश्रित रहना चाहती हैं। सरकार वित्तीय संस्थानों से उन मिलों को ऋण देने को ही कह सकती है, सारी जुम्मेदारी तो नहीं ले सकती।

जहां तक इन मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का प्रश्न है यदि राज्य सरकारें उचित समझती हैकि जिन मिलों का कार्य ठीक नहीं चल रहा है उनको अपने अधिकार में लिया जाये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु राष्ट्रीयकरण का प्रश्न अधिक गम्भीर है और मैं समझता हूँ कि गन्ना मिलों की समस्याएं भी काफी गम्भीर हैं।

Shri Shiv Chandra Jha : What about the figures relating to Bihar ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : 15 जून 1969 को बिहार में 1,73,00,000 रुपये की राशि शेष थी। जहां तक मिलों को काली सूची में रखने का तथा उनसे ब्याज लेने का सम्बन्ध है मेरी इच्छा है कि हरियाणा सरकार भी उत्तर प्रदेश का अनुसरण करे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कानून बनाया है जिसके अन्तर्गत एक निश्चित अवधि तक धन राशि अदा न करने पर मिल मालिकों को कुछ देना पड़ता है। जहां तक उत्पादन का प्रश्न है उसमें भारी वृद्धि हुई है।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार 14 अगस्त, 1969/23, श्रावण 1891 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Colck on Thursday, August 14, 1969/23, Sravana 1891 (Saka).

मुद्रक:– डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर–3